

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2026 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

चावल की आवश्यकता तथा केन्द्रीय पूल और राज्य पूल से पूर्ति की स्थिति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र. 961) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत चावल का वितरण किया जा रहा है ? इनमें से केन्द्रीय, राज्य की तथा संयुक्त योजनाएं क्या-क्या हैं तथा चावल की पात्र मात्राएं क्या-क्या है ? (ख) योजनावार चावल के लिए पात्र परिवार/व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ? इसके लिये 2024-25 तथा 2025-26 में कितनी-कितनी मात्रा में चावल की आवश्यकता थी तथा कितनी-कितनी मात्रा में केन्द्रीय पूल तथा राज्यपूल से चावल की आपूर्ति की गई ? (ग) क्या केन्द्रीय योजनान्तर्गत पात्र परिवार/व्यक्तियों तथा पात्र मात्राओं से अधिक संख्या में परिवार/व्यक्तियों को तथा पात्रता से अधिक मात्रा में चावल का वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो उसका विवरण दीजिए ? (घ) क्या केन्द्रीय पूल से पात्रानुसार पर्याप्त मात्रा में चावल प्राप्त नहीं होता है ? यदि हां, तो कमियों का विवरण दीजिए ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य राशनकार्डों में चावल वितरण किया जा रहा है। इनमें से केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 57.25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड तथा राज्य योजना के अंतर्गत 25.76 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आवंटन तथा स्कूल शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना एवं महिला बाल विकास विभाग की पूरक पोषण आहार योजना में चावल प्रदाय किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय योजना एवं राज्य योजना में प्रचलित राशनकार्डों में चावल की पात्रता की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में 15.73 लाख अंत्योदय राशनकार्ड, 58.34 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 29,408 निराश्रित राशनकार्ड, 17,792 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 8.46 लाख सामान्य राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डों के लिए खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल में उपार्जित चावल की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों एवं राशनकार्डों को राज्य योजना से चावल वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्ड में निर्धारित मासिक पात्रता 05 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के स्थान पर राज्य में राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु निर्धारित पात्रता 01 सदस्य वाले राशनकार्ड में 10 किलो, 02 सदस्य वाले राशनकार्ड में 20 किलो, 03 से 05

सदस्य वाले राशनकार्ड में 35 किलो प्रति राशनकार्ड तथा 05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में 07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है। (घ) जी नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पात्रता अनुसार केन्द्रीय पूल में पर्याप्त मात्रा में चावल प्राप्त हो रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की राशन दुकानों के बचत स्टॉक का सत्यापन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 748) श्री सुशांत शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन दुकानों में माह जनवरी, 2025 से मार्च, 2026 तक के बचत स्टॉक का सत्यापन कब-कब किया गया ? विकासखंडवार राशन दुकानों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) सत्यापन उपरांत कौन-कौन सी राशन सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कम पाई गई ? विकासखंडवार दुकानों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) राशन दुकानों में पाई गई कमी के लिए जिम्मेदार /दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

विधानसभा केशकाल क्षेत्र अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित नवीन धान खरीदी केंद्र

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 253) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्तमान में केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने समर्थन मूल्य में धान खरीदी केंद्र संचालित हैं ? (ख) क्या नये खरीदी केंद्र के प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने नये खरीदी केंद्र चालू किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) वर्तमान में केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 32 समर्थन मूल्य में धान खरीदी केन्द्र संचालित है। (ख) जी हां। नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने हेतु 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिसमें से विकासखण्ड फरसगांव के ग्राम फुण्डेर का 01 प्रस्ताव जिला स्तर पर परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। शेष 12 प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

महतारी वंदन योजना हेतु अपात्रता का आधार

[महिला एवं बाल विकास]

4. (*क्र. 724) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- प्रदेश में महतारी वंदन योजना के प्रारंभ में कितनी पात्र महिलाओं का पंजीयन कर योजना का लाभ दिया गया है और जून, 2026 तक कितनी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है ? जिलेवार जानकारी दें ? कितने अपात्र हुए और किस कारण से अपात्र होकर योजना से बाहर किए गए ? जानकारी जिलेवार दें ? क्या ई.के.वाई.सी. नहीं होने के कारण भी अपात्र किया गया है ? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : प्रदेश में महतारी वंदन योजना के प्रारंभ में कुल 70,27,154 प्राप्त आवेदन में से अद्यतन स्थिति तक पात्र 70,09,658 महिलाओं का पंजीयन कर लाभ दिये जाने

हेतु प्रथम किस्त का भुगतान प्रेषित किया गया है। जून 2026 की स्थिति में 68,54,003 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'अ'** अनुसार है। प्रश्नांश अनुसार मार्च 2024 के बाद अपात्र हुए महिलाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- 'ब'** अनुसार है। जी नहीं, अब तक किसी भी हितग्राही को ई.के.वाई.सी. नहीं होने के कारण योजना से अपात्र नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वित्तीय विसंगति

[महिला एवं बाल विकास]

5. (*क्र. 669) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत बालोद जिले में पिछले दो वर्षों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कुल कितने सामूहिक विवाह आयोजित हुए ? उन पर कुल कितना वित्तीय व्यय हुआ ? वित्तीय सहायता में से उपहार सामग्री और विशेष रूप से आभूषण (मंगलसूत्र, बिछिया आदि) के लिए प्रति जोड़ा कुल कितनी राशि निर्धारित है ? **(ख)** क्या विभाग को उपहार सामग्री की गुणवत्ता में भारी कमी और वित्तीय विसंगतियों के कारण सप्लायर फर्म के बिलों से कटौती (रिकवरी) करनी पड़ी है ? यदि हाँ, तो कितनी ? क्या उक्त फर्म को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाला गया है ? **(ग)** क्या वहाँ वितरित सामग्री की गुणवत्ता की कोई लैब टेस्टिंग या वित्तीय ऑडिट कराया गया है ? यदि नहीं, तो शासन इस गंभीर लापरवाही की उच्च स्तरीय या थर्ड-पार्टी जांच कब तक कराएगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बालोद जिले में पिछले दो वर्षों में कुल 07 सामूहिक विवाह आयोजित हुए हैं एवं उन पर कुल 1,99,95,294/- रुपये की राशि व्यय हुआ है। योजनांतर्गत प्रति जोड़ा उपहार सामग्री अंतर्गत श्रृंगार सामग्री हेतु राशि 7,000/- रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। जिसके अंतर्गत वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जैसे क्रय समिति उचित समझे का प्रावधान है। प्रति हितग्राही मंगलसूत्र, बिछिया आदि हेतु पृथक से लागत राशि निर्धारित नहीं है। **(ख)** जी नहीं, सप्लायर फर्मों के बिलों से कटौती (रिकवरी) नहीं करनी पड़ी है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ग)** जी नहीं, वितरित सामग्री की गुणवत्ता की कोई लैब टेस्टिंग या वित्तीय ऑडिट नहीं कराया गया है। गंभीर लापरवाही के प्रकरण प्राप्त न होने से उच्च स्तरीय या थर्ड पार्टी जांच की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं है।

महतारी वंदन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं

[महिला एवं बाल विकास]

6. (*क्र. 732) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश अंतर्गत जून, 2026 तक महतारी वंदन योजना अंतर्गत कुल कितनी महिलाओं का पंजीयन किया गया है ? **(ख)** कंडिका "क" की पंजीकृत कितनी महिलाओं को नियमित रूप से योजना का लाभ मिल रहा है और कितनी महिलायें लाभ से वंचित हैं ? लाभ से वंचित महिलाओं को योजना का लाभ कब तक दिया जायेगा ? **(ग)** क्या कंडिका "क" योजनांतर्गत प्रदेश की बहुत सारी महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो कब तक उनको पंजीकृत किया जाएगा ? यदि नहीं तो कारण सहित बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश अंतर्गत प्रारंभ से जून 2026 तक महतारी वंदन योजना अंतर्गत कुल पात्र 7017428 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। **(ख)** कंडिका "क" की पंजीकृत महिलाओं में से जून 2026 की स्थिति में 6854003 महिलाओं को लाभ दिया गया है तथा 35930

हितग्राहियों को विभिन्न कारणों से जैसे लंबित ई-केवायसी, वांछित दस्तावेज, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना आदि कारणों से वर्तमान में लाभ नहीं दिया गया है, इन कारणों के निराकरण के उपरांत उन्हें लाभ दिया जाएगा। (ग) कंडिका "क" योजना अंतर्गत निर्धारित तिथि तक आवेदन न करने वाली तथा बाद में पात्र होने वाली महिलाओं के लाभ से वंचित होने की संभावना है। नए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर तथा पात्रता होने पर लाभान्वित किया जा सकेगा। निश्चित तिथि बताया जाना अभी संभव नहीं है।

धमतरी जिलांतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (*क्र. 473) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** धमतरी जिला अंतर्गत कौन-कौन से विकासखण्ड में कितनी-कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं ? उक्त दुकानों को कितने वर्षों के लिए आवंटित किया जाता है ? कितनी दुकानों की समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी संचालित हो रही हैं ? कितनी दुकानों की समय अवधि में वृद्धि की गई है ? विगत तीन वित्तीय वर्षों की विकासखण्डवार जानकारी दें ? संचालन/आवंटन और समय वृद्धि का नियम क्या है ? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं ? **(ख)** धमतरी जिला अंतर्गत कौन-कौन से विकासखण्ड में कितने-कितने लोग गरीबी रेखा कार्डधारी और अंत्योदय कार्डधारी परिवार हैं ? क्या उक्त सभी गरीब परिवारों को राशन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सभी परिवारों को 5 किलो राशन योजना (PMGKAY) का लाभ भी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विकासखण्डवार पिछले 3 वर्षों की जानकारी वर्षवार उपलब्ध कराएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की 03 वर्ष की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। उचित मूल्य दुकानों का आवंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधान अनुसार आवंटित किया जाता है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की समय अवधि निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के प्रावधान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)** धमतरी जिले में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों की 03 वर्षों की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।** जी हां प्रचलित राशनकार्डों को राशन सामग्री प्रदाय किया जा रहा है। विगत 03 वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 05 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

वैशाली नगर वि.स. क्षेत्रांतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान में चावल के स्थान पर नकद भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (*क्र. 996) श्री रिकेश सेन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड पर मिलने वाले चावल के स्थान पर राशि (नकद) दी जा रही है तथा हितग्राहियों के हिस्से का चावल अवैध रूप से बाजार में बेचे जाने की कुल कितनी शिकायतें विभाग/प्रशासन को प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा अब तक क्या जांच और दंडात्मक कार्रवाई की गई है ? दुकानवार व शिकायतवार विवरण दें ? **(ग)** नियमों के विरुद्ध चावल के बदले नकद राशि देने तथा गरीबों के चावल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने वाले राशन दुकान संचालकों एवं इसमें संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है ? **(घ)** भविष्य में पात्र हितग्राहियों को उनका पूरा राशन (चावल) पारदर्शी तरीके से मिले

और इस प्रकार के अवैध विक्रय/भ्रष्टाचार पर रोक लगे, इसके लिए विभाग क्या ठोस एवं सुधारात्मक कदम उठा रहा है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण किये जाने वाले चावल के अवैध परिवहन के संबंध में 04 शिकायत प्राप्त हुए हैं। प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण हेतु राशनकार्डों में पंजीकृत हितग्राहियों का ई-केवायसी सत्यापन तथा खाद्यान्न वितरण बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा रहा है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"\]](#)

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, निराकरण तथा शार्टेज की स्थिति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (*क्र. 956) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक उपार्जित धान की मात्रा तथा निराकृत धान की मात्रा तथा शार्टेज की कुल मात्रा तथा राशि कितनी-कितनी रही है ? (ख) उपार्जन केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों पर हुए शार्टेज की राशि की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है ? क्या उपार्जन केन्द्रों पर हुए शार्टेज की मात्रा को उपार्जन नहीं मानते हुए विपणन संघ द्वारा उपार्जन करने वाली सोसाइटियों के साथ हिसाब-किताब किया जाता है ? (ग) उपार्जन केन्द्रों पर हुए शार्टेज के लिये 2020-21 से 2025-26 की अवधि में कुल कितनी-कितनी राशि वसूली योग्य पाई गई, कितनी की वसूली की गई तथा कितनी शेष है ? वर्षवार बताएं ? इस प्रकार से शार्टेज की राशि की वसूली करने का प्रावधान किसमें है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक उपार्जित धान की मात्रा, निराकृत धान की मात्रा तथा बचत/शार्टेज धान की कुल मात्रा तथा राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) उपार्जन केन्द्रों पर हुए शार्टेज की राशि की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के निर्देश क्रमांक एफ 4-4/खाद्य/2013/29/2345 दिनांक 18/06/2014 के अनुसार की जाती है (निर्देश की जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।) तथा संग्रहण केन्द्रों पर लम्बी अवधि तक भंडारित धान में हुए सुखत/कमी का दावा पत्रक भारत सरकार एवं राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाता है। विपणन संघ द्वारा उपार्जन करने वाली सोसाइटियों के साथ हिसाब-किताब किया जाता है, इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा जारी धान उपार्जन नीति अनुसार "धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी" के निर्देश हैं एवं समिति, जिला सह.केन्द्रीय बैंक मर्या. एवं विपणन संघ के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध की कंडिका 5.4 अनुसार विपणन संघ द्वारा एजेन्ट समितियों को मात्र उसी मात्रा के धान की कीमत, कमीशन, प्रासंगिक एवं धान सुरक्षा व्यय भुगतान किया जावेगा, जो मात्रा समिति से सीधे कस्टम मिलरों के द्वारा उठाई जावेगी व जो मात्रा समितियों द्वारा विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों पर प्राप्त होगी। (ग) उपार्जन केन्द्रों पर हुए शार्टेज के लिये 2020-21 से 2025-26 की अवधि में कुल वसूली योग्य पाई गई राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अग्रिम प्रदाय राशि के समायोजन उपरान्त शार्टेज की वसूली योग्य राशि	325.12	6.29	1.24	86.04	146.32	समिति मिलान कार्य प्रक्रियाधीन है।

2	समितियों को देय अन्य एवं बैंक को देय राशि से वसूली की गयी राशि	242.23	4.38	1.24	86.04	138.36
3	शॉर्टेज की वसूली हेतु शेष राशि	82.89	1.91	0.00	0.00	7.96

उपरोक्त जानकारी समिति लेखा मिलान अनुसार है। शॉर्टेज की राशि की वसूली करने का प्रावधान (ख) अनुसार है तथा प्रतिवर्ष समितियों से लेनदारी की राशि को देय समिति कमीशन, अन्य मद एवं बैंक को देय राशि से वसूली/समायोजित की जाती है एवं वसूली हेतु शेष लेनदारी होने पर राशि को आगामी खरीफ विपणन वर्ष में कैरी फॉरवर्ड करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित मिलान पत्रक अनुसार देय राशि से पूर्व की शेष लेनदारी राशि की वसूली की जाती है। दिनांक 06-07-2026 की स्थिति में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु समितियों से वसूली हेतु प्रगतिशील शेष राशि 61.43 करोड़ (शॉर्टेज एवं अन्य मद) है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

बस्तर संभाग के अंतर्गत महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

10. (*क्र. 937) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग के अंतर्गत महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राहियों की संख्या कितनी है ? कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रारंभ तिथि से मिल रहा है ? कितने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ योजना प्रारंभ तिथि से अब तक क्यों नहीं मिल पाया ? जिलेवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार कितने हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में राशि प्राप्त हो रही है ? कितने हितग्राहियों को नकद राशि भुगतान की जा रही है ? जानकारी जिलेवार दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बस्तर संभाग के अंतर्गत महतारी वंदन योजना के जून 2026 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों की संख्या 686270 है तथा 671490 हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रारंभ तिथि से अब तक नियमित रूप से मिल रहा है तथा इनमें से 664449 हितग्राहियों को हर बार प्रेषित भुगतान सफल हुआ है। बस्तर संभाग के 58 हितग्राहियों को प्रारंभ तिथि से अब तक लगातार भुगतान प्रेषित किया गया है किंतु भुगतान सफल नहीं हुआ है एवं योजना का लाभ नहीं मिला है। लाभ न मिलने का कारण सहित जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार सभी हितग्राहियों को उनके आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। किसी भी हितग्राही को नगद राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जून 2026 में भुगतान किए गए हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" योजना का प्रचार एवं प्रसार

[महिला एवं बाल विकास]

11. (*क्र. 930) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना" में राज्य शासन अंतर्गत समस्त गतिविधियां विभाग की जिम्मेदारी होती है ? यदि हां, तो इनमें किस-किस प्रकार की कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाता है ? विवरण दें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक 'क' अनुसार कार्ययोजना के अनुरूप विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण/कार्यशाला एवं अन्य व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किया गया ? यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभाग को वर्षवार कितना-कितना बजट का आबंटन राज्य

शासन एवं केन्द्र शासन के माध्यम से प्राप्त हुआ ? (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार कार्यक्रमों हेतु विभाग द्वारा वर्षवार कितनी राशि का व्यय किया गया तथा प्रचार प्रसार हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन की समस्त गतिविधियां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है। इस हेतु विभाग भारत शासन के दिशा निर्देशों एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप त्रैमासिक कार्ययोजना तैयार कर जिला स्तर पर गतिविधियां क्रियान्वयन किया जाता है। त्रैमासिक कार्ययोजना का विवरण **संलग्न प्रपत्र -अ** अनुसार है। (ख) जी हां, प्रश्नांक 'क' अनुसार कार्ययोजना के अनुरूप विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण/कार्यशाला एवं अन्य व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन प्रश्नाधीन वर्षों में किया गया है। चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायित योजना है, अतः वर्ष 2024-25 में 2.02 करोड़ एवं वर्ष 2025-26 में 8.10 करोड़ का आबंटन केन्द्र शासन से प्राप्त हुआ है। (ग) प्रश्नांक 'ख' अनुसार प्रश्नाधीन वर्षों में व्यय एवं प्रचार प्रसार हेतु भुगतान की गई राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

बस्तर संभाग में विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राही

[समाज कल्याण]

12. (*क्र. 916) श्री कवासी लखमा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रभावशील पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि प्रति व्यक्ति दी जाती है ? योजनावार बताएं ? बस्तर संभाग के जिलों में योजनावार पात्र व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ? केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि कितनी-कितनी है ? (ख) बस्तर संभाग में जिलावार माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक प्रतिमाह, कुल कितनी राशि, कितने-कितने व्यक्तियों को दी गई, योजनावार बताएं ? क्या कोई राशि देना शेष है ? यदि हां, तो उसका विवरण तथा कारण बताएं ? (ग) उक्त अवधि में केंद्र सरकार से कितनी-कितनी राशि योजनावार प्राप्त हुई है ? यदि कोई राशि अप्राप्त है तो जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र- अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है। (ग) माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक केंद्र सरकार से प्राप्त राशि की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है –

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक केंद्र सरकार से प्राप्त राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	21441.10
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	8464.03
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	1396.49
4.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2643.35
योग -		33944.97

वर्तमान में केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त होना शेष नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित राशन दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (*क्र. 1031) श्री रोहित साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने राशन दुकान संचालित हैं ? **(ख)** संचालित राशन दुकान व उसके संचालक का विवरण ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी देवें ? संचालक/वेंडर निर्धारित करने के क्या शासकीय मापदंड हैं ? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं ? **(ग)** राशन दुकान संचालन एवं वितरण सम्बंधी वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई ? कितने निराकृत किये गए व कितने शेष हैं, की विकासखंडवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 179 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित है। **(ख)** जानकारी संलग्न-प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। **(ग)** प्रशंकित अवधि में उचित मूल्य दुकान संचालन एवं खाद्यान्न वितरण के संबंध में 24 शिकायत प्राप्त हुई है। इनमें से 20 शिकायत निराकृत किये गये है तथा 04 शिकायत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखण्ड फिंगेश्वर में 18 शिकायत प्राप्त हुई। इनमें से 15 शिकायत निराकृत तथा 03 शिकायत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखण्ड छूरा में 06 शिकायत प्राप्त हुई। इनमें से 05 शिकायत निराकृत तथा 01 शिकायत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखण्ड गरियाबंद में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

ई-पास मशीन के क्रय-मूल्य और किराया-मूल्य का अंतर

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (*क्र. 741) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2256, दिनांक 16 मार्च, 2026 के उत्तर अनुसार "खाद्यान्न वितरण हेतु प्रशंकित अवधि में 14,085 ई-पास मशीनें किराये पर ली गई हैं। ई-पास मशीन का किराया रूपये 1432.52 प्रति मशीन प्रतिमाह है।" क्या 4 वर्षों में राशि 91,78,20,539 रूपये का भुगतान किया गया है ? क्या उक्त प्रश्न में मशीन के क्रय की स्थिति में प्रति मशीन लागत व किराये की स्थिति के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर उल्लेखित/बताया नहीं गया था ? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? नाम व पदनामवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या उक्त मशीनों को किराये पर लेने से पूर्व विभाग द्वारा इसके क्रय-मूल्य और किराया-मूल्य के अंतर का कोई तुलनात्मक आकलन किया गया था ? यदि हाँ, तो बाजार दर के अनुसार एक ई-पास मशीन को खरीदने में कितनी राशि व्यय होती और लगातार 5 वर्षों से किराया देने पर कितनी राशि व्यय होगी ? दोनों का अंतर बताएं ? उक्त मशीनों हेतु विभाग द्वारा जारी आरएफपी के निर्धारित मुख्य-नियम एवं शर्तें क्या थी एवं निष्पादित-अनुबंध क्या था ? प्रतियों सहित जानकारी देवें ? **(ग)** क्या निष्पादित-अनुबंध में मशीनों के खराब होने, इंटरनेट-कनेक्टिविटी न होने या तकनीकी गड़बड़ी आने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है ? यदि हाँ, तो वर्षवार ऐसे कितने प्रकरणों से कितनी-कितनी राशि वसूली गई/नहीं की गई है ? जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी हां, 04 वर्षों में ई-पास मशीन का किराया राशि 91,78,20,539 रूपये का भुगतान किया गया है। जी हां, ई-पास मशीन क्रय नहीं किये जाने के कारण विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2256 दिनांक 16 मार्च 2026 में ई-पास मशीन के क्रय लागत की जानकारी नहीं दी गई थी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी, नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। ई-पास मशीन किराये पर लिए जाने के लिए जारी निविदा आरएफपी के मुख्य नियम एवं शर्तों, निष्पादित अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र**

'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) जी हां, वर्ष 2024 में 19 प्रकरणों में राशि रूपये 27,218.00 कटौती/वसूली ई-पॉस प्रदायकर्ता एजेंसी से की गई है। अन्य वर्षों में कटौती राशि निरंक है।

विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर अंतर्गत संचालित पी.डी.एस. दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (*क्र. 674) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सूरजपुर के विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर अंतर्गत कुल कितनी पी.डी.एस. दुकानें संचालित हैं? (ख) कितनी ऐसी पी.डी.एस. दुकानें किराए के भवन में संचालित की जा रही हैं या भवनविहीन हैं ? क्या संचालित भवनों की स्थिति ठीक है ? यदि भवन जर्जर स्थिति में हैं तो उनकी मरम्मत कब तक करायी जायेगी? (ग) भवनविहीन दुकानों के लिए नवीन भवन निर्माण कराने की क्या योजना है या कब तक बनाई जायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 200 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। (ख) प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित 200 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में से 103 दुकानें भवनविहीन हैं तथा 97 उचित मूल्य दुकानें स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन में संचालित हैं। भवनविहीन उचित मूल्य दुकानों में से 46 उचित मूल्य दुकानें किराए के भवन में संचालित की जा रही हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन में संचालित 97 उचित मूल्य दुकानों में से 71 उचित मूल्य दुकान भवनों की स्थिति ठीक है तथा 26 उचित मूल्य दुकान भवन में मरम्मत की आवश्यकता है। विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने के उपरांत मरम्मत कराया जा सकेगा। (ग) विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने के उपरांत दुकान सह गोदाम भवन स्वीकृत किया जा सकेगा।

कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम/योजना हेतु बजट प्रावधान

[महिला एवं बाल विकास]

16. (*क्र. 436) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार में कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम की शुरूआत प्रदेश में कब से की गई है ? इसके अंतर्गत कितने कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है ? जानकारी सेक्टरवार उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त योजना/कार्यक्रम हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया ? कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई ? कितनी-कितनी, किन-किन कार्यों में व्यय की गई है ? वर्षवार, सेक्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) जून, 2025 की स्थिति में प्रदेश की कुपोषण दर क्या दर्ज की गई है ? कुपोषण दूर करने के और क्या-क्या कार्यक्रम किए जाने की योजना प्रस्तावित है ? (घ) वर्ष 2024-25 में आदिवासी उपयोजना मद में उक्त कार्यक्रम हेतु प्रावधानित राशि क्या अन्य कार्यों में व्यय की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई है ? जानकारी सेक्टरवार उपलब्ध करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार में कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम नाम से योजना संचालित नहीं है। राज्य में कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम अंतर्गत कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरूआत 10 फरवरी 2026 को किया गया। इसमें चिन्हांकित हितग्राहियों को (06 माह से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, 03 से 06 वर्ष के समस्त बच्चे एवं गर्भवती माताएं) को अतिरिक्त पौष्टिक आहार/गर्म भोजन प्रदाय करने का प्रावधान है। जिला कोरबा कार्यक्रम अंतर्गत शामिल नहीं है। अतः जानकारी निरंक है। (ख) कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम हेतु राज्य आयोजना मद से प्रावधानित बजट निम्नानुसार है:-

2023-24 प्रावधानित बजट	2024-25 प्रावधानित बजट	2025-26 प्रावधानित बजट
0	82,80,00,000	90,00,00,000

उक्त कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि निरंक है। पाली-तानाखार विधानसभा क्षेत्र में कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम संचालित नहीं होने के कारण शेष जानकारी निरंक है। (ग) जून, 2025 की स्थिति में प्रदेश में 14.23 प्रतिशत बच्चे कुपोषित (कम वजन) दर्ज किये गये हैं। वर्तमान में कुपोषण दूर करने के लिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सुपोषण चौपाल, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एवं कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है। (घ) जी नहीं।

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत

[महिला एवं बाल विकास]

17. (*क्र. 702) श्री विनायक गोयल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अत्यधिक जर्जर आंगनबाड़ियों को शीघ्र सुधार की आवश्यकता है ? (ख) बरसात के पहले आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत कराये जाने हेतु क्या तैयारी की गयी है? अवगत कराने का कष्ट करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 31 आंगनबाड़ी भवनों के अत्यधिक जर्जर/मरम्मत अयोग्य होने के कारण इन आंगनबाड़ी भवनों के निष्प्रयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) 31 आंगनबाड़ी भवन जर्जर होने के कारण मरम्मत योग्य नहीं है। वर्तमान में इन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सुविधायुक्त अन्य (किराये/सामुदायिक/स्कूल) भवनों में किया जा रहा है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित रेडी-टू-ईट पोषण आहार की गुणवत्ता एवं निगरानी

[महिला एवं बाल विकास]

18. (*क्र. 856) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले रेडी-टू-ईट पोषण आहार के निर्माण, क्रय एवं वितरण हेतु कुल कितनी राशि का बजट आबंटित एवं व्ययित किया गया है ? (ख) सर्वोच्च न्यायालय तथा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट का वितरण सुनिश्चित करने से पूर्व उसकी गुणवत्ता, पोषण मानक एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), परीक्षण व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का विवरण प्रदान करें ? (ग) विगत 06 माह में राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु रेडी-टू-ईट पोषण आहार के कुल कितने नमूने (Samples) अधिकृत प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भेजे गए ? उनमें से कितने नमूने (Samples) निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा कितने अमानक पाए गए ? जिलावार एवं परीक्षण परिणामवार सांख्यिकीय जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले रेडी टू ईट, मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया आदि के निर्माण, क्रय एवं वितरण हेतु 441,56,01,438 रुपये का आबंटन प्रदान किया गया था। जिसके विरुद्ध राशि 440,73,86,423 रुपये का व्यय किया गया है। (ख) सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट का वितरण सुनिश्चित करने से पूर्व उसकी गुणवत्ता, पोषण मानक एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), परीक्षण

व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

19. (*क्र. 899) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2025-26 में जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में धान खरीदी के दौरान सोसायटियों में कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया गया ? निरीक्षण उपरांत क्या-क्या कमियां पाई गई ? जानकारी सोसाईटीवार देवें ? (ख) क्या निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन करने पर रिकार्ड से कम धान पाया गया ? यदि हां, तो सोसाईटी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाहीवार जानकारी देवें ? (ग) जिले में कहां-कहां, कितने-कितने रकबा का समर्पण कराया गया और क्यों ? हल्का अनुसार जानकारी देवें ? कितने किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रहे, की जानकारी समितिवार देवें ? (घ) जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण में कितने प्रकरण बनाए गये ? प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में धान खरीदी के दौरान सभी उपार्जन केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी। जिनमें कृषि विभाग के अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों के द्वारा धान खरीदी समयावधि में प्रति सप्ताह धान खरीदी केन्द्रों की जांच की गयी। निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्रों में कमियां नहीं पायी गयी। (ख) निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन करने पर रिकार्ड से कम धान नहीं पाया गया। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मोहला-मानपुर-अं. चौकी जिले में समिति / उपार्जन केन्द्रवार रकबा का समर्पण की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। किसानों द्वारा पात्रता अनुसार पंजीकृत रकबे में उगाये गये संपूर्ण धान को विक्रय करने के पश्चात शेष रकबे को समर्पण किया जाता है। जिन पंजीकृत किसानों द्वारा पात्रता अनुसार टोकन जारी करवाकर उपार्जन केन्द्रों में विक्रय हेतु धान लाया गया है, उनसे धान की खरीदी की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जिले के अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के 53 प्रकरण बनाये गये है। जिनमें मंडी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (*क्र. 806) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में धान उठाव पश्चात कितनी मात्रा, कितने मूल्य की कमी पाई गई ? विकासखंडवार बताएं ? (ख) प्रश्नांश 'क' की धान की मात्रा में कमी, आर्थिक हानि के जिम्मेदार कितने अधिकारी /कर्मचारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार, विकासखंडवार बताएं ? (ग) महासमुंद जिले में धान खरीदी में कमी के जिम्मेदार व्यक्तियों से कितनी राशि की रिकवरी उक्तावधि में की गई ? विकासखंडवार बताएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में धान उठाव पश्चात उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में पाई गई कमी एवं राशि की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ", "ब" एवं "स" अनुसार है। खरीफ विपणन वर्ष

2025-26 में संग्रहण केन्द्रों में धान का भंडारण नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में पायी गयी सूखत/शार्टेज से हुई आर्थिक क्षति के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों पर की गयी कार्यवाही की विकासखण्डवार/उपार्जन केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" एवं "ब"** अनुसार है एवं संग्रहण केन्द्रों में जिम्मेदार कर्मचारियों पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"द"** अनुसार है। (ग) जानकारी प्रश्नांश "ख" के उत्तर में दर्शित है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

21. (*क्र. 772) श्री ब्यास कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2025-26 (नवंबर-दिसंबर) में कोरबा जिले में अमानक चावल की खरीदी, सरकारी पोर्टल हेतु डिजिटल आईडी के अनाधिकृत हस्तांतरण तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपार्जन कार्य संचालित किए जाने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? इन शिकायतों पर अब तक क्या जांच एवं कार्रवाई की गई ? **(ख)** क्या निलंबित तत्कालीन जिला प्रबंधक, कोरबा द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित शिकायत एवं विभागीय नोटशीट दिनांक 02.04.2026 में एजीएम के स्थानांतरण का उल्लेख है ? यदि हां, तो मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशों के बावजूद स्थानांतरण आदेश लंबित रखने तथा संबंधित अधिकारी को पदोन्नति देने के क्या कारण हैं ? **(ग)** क्या यह सत्य है कि तत्कालीन जिला प्रबंधक, बेमेतरा ने बिना सक्षम अनुमति किसी कर्मचारी की डिजिटल आईडी कोरबा स्थानांतरित कर उसे एक बाहरी व्यक्ति को सौंपा था ? यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई ? **(घ)** इस प्रकरण में कथित मुख्य साजिशकर्ताओं सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई न करते हुए केवल अधीनस्थ कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों की गई ? क्या शासन इस मामले की निष्पक्ष जांच एसआईटी, एसीबी अथवा ईओडब्ल्यू से कराएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** वर्ष 2025-26 (नवंबर-दिसंबर 2025) में कोरबा जिले में अमानक चावल की खरीदी सरकारी पोर्टल हेतु डिजिटल आईडी के अनाधिकृत हस्तांतरण तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा उपार्जन कार्य संचालित किये जाने संबंधी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रदाय केन्द्र कोरबा, कटघोरा के आकस्मिक निरीक्षण हेतु गठित जांच दल की जांच में अमानक चावल की खरीदी निगम के ऑनलाइन पोर्टल हेतु डिजिटल आईडी के अनाधिकृत हस्तांतरण तथा पूर्व प्लेसमेंट गुणवत्ता कर्मी द्वारा उपार्जन कार्य करने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। उपरोक्त संबंध में विस्तृत जांच में उपार्जन प्रक्रिया में अनियमितता तथा अमानक चावल उपार्जन के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के 14 अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त अवधि में उपार्जन किये गये अमानक चावल के प्रतिस्थापन की कार्यवाही की गयी है। **(ख)** प्रश्नांश ख के संबंध में कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है। **(ग)** जी हां, तत्कालीन जिला प्रबंधक बेमेतरा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। **(घ)** उपरोक्त प्रकरण में नागरिक आपूर्ति निगम स्तर से एवं राज्य स्तर से जांच उपरांत 14 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में निम्नस्तरीय मंगलसूत्र वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

22. (*क्र. 787) श्री बालेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में दिनांक 10.02.2026 को आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 189 नवविवाहित महिलाओं को वितरित मंगलसूत्र कुछ दिनों में काले पड़ गए तथा जांच में वे निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गए ? यदि हाँ, तो

खरीदी, आपूर्ति एवं गुणवत्ता परीक्षण करने वाले अधिकारियों तथा आपूर्तिकर्ता का विवरण क्या है ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि शिकायत के पश्चात विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल से प्रति जोड़ा 1,000 की कटौती कर कुल राशि लाभार्थियों को वापस की गई ? यदि हाँ, तो दोषपूर्ण सामग्री वितरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विभागीय अथवा दंडात्मक कार्यवाही की गई है ? **(ग)** क्या शासन ने इस प्रकरण में जांच कर दोषियों को निलंबित अथवा दंडित करने हेतु कोई उच्चस्तरीय जांच कराई है ? यदि हाँ, तो जांच एवं कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में दिनांक 10 फरवरी 2026 को आयोजित सामूहिक विवाह-कार्यक्रम में 184 जोड़ों को वितरित किए गए मंगलसूत्र कुछ दिनों में काले पड़ने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन में अन्य मंगलसूत्र प्रदान किया जाना पाया गया। उक्त कार्यक्रम में खरीदी, आपूर्ति एवं गुणवत्ता परीक्षण करने वाले अधिकारियों तथा आपूर्तिकर्ता का विवरण संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ, यह सत्य है कि शिकायत के पश्चात विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल से प्रति जोड़ा राशि ₹. 1,000 की कटौती कर लाभार्थियों को खाते के माध्यम से प्रदाय की गई है। कलेक्टर द्वारा की गई जांच के आधार पर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** जी नहीं, प्रकरण पर कलेक्टर द्वारा जांच की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

विभागान्तर्गत आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु क्रय की गई सामग्री में अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

23. (*क्र. 908) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छ0ग0 राज्य के जिलों में विगत 03 वर्षों में सामूहिक विवाह हेतु कितने आवेदन पंजीबद्ध हुये ? कितने जोड़ों के विवाह निष्पादित किये गये ? इस हेतु जिलेवार आबंटित राशि एवं व्यय की स्थिति वर्ष सहित जिलेवार जानकारी बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक जोड़ों को क्या-क्या सामग्री दिये जाने व इसके लिये निर्धारित राशि की जानकारी देवें ? **(ग)** सामग्रियों की खरीद किस स्तर पर की गई ? क्या किसी जिले में कार्यक्रम के आयोजन, सामग्री की खरीद व वितरण में अनियमितता बरतने संबंधी शिकायतें/सूचना प्राप्त हुई ? यदि हाँ, तो विभागीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों में विगत 03 वर्षों में सामूहिक विवाह हेतु 23,159 आवेदन पंजीबद्ध हुए जिसमें से 23,153 जोड़ों का विवाह निष्पादित किये गये। विगत तीन वर्षों में जिलों को कुल 1,16,91,21,692/- रुपये की राशि आबंटित की गई जिसमें से कुल 1,15,79,37,921/- रुपये की राशि व्यय की गई। वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री व इसके लिये निर्धारित राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** सामग्रियों की खरीदी जिला स्तर, परियोजना स्तर पर की गई है। कार्यक्रम के आयोजन, सामग्री की खरीदी व वितरण में अनियमितता बरतने संबंधी शिकायतें/सूचना संबंधी तथा विभागीय कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

धान खरीदी केन्द्रों में मजदूरी (हमाली) भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

24. (*क्र. 276) श्री भईया लाल राजवाड़े : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया में कितने धान खरीदी केन्द्र खोले गये हैं ? धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी उपरांत धान बोरा छल्ली लगाने हेतु मजदूर लगाये जाते हैं कि धान ब्रिकी करने आये किसानों द्वारा धान बोरी छल्ली लगवाया जाती है ? **(ख)** क्या धान खरीदी केन्द्रों में धान बोरा छल्ली करने हेतु मजदूर (हमाल) रखा जा रहा है ? यदि हां, तो कितना भुगतान किया जाता है ? **(ग)** वर्ष 2020 से 2025 तक मजदूरों को कितना भुगतान किया गया है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 धान खरीदी केन्द्र संचालित था। धान खरीदी के संबंध में मण्डी लेबर कार्य हेतु समिति द्वारा हमालों की व्यवस्था की जाती है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" की जानकारी उत्तर "क" में दर्शित है। हमालों को भुगतान की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	वर्ष	भुगतान की राशि (लाख रूपए में)
1	2020-21	56.01
2	2021-22	64.17
3	2022-23	69.65
4	2023-24	96.94
5.	2024-25	115.50

(ग) उत्तर 'ख' अनुसार जानकारी दर्शित है।

वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं निराश्रित महिलाओं का सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान

[समाज कल्याण]

25. (*क्र. 716) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सारंगढ़ विधानसभा के अंतर्गत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं निराश्रित महिलाओं को विगत कितने माह से पेंशन भुगतान नहीं हुआ है तथा देरी के क्या कारण हैं ? मई, 2024 में केंद्र व राज्य प्रवर्तित पेंशन योजनाओं की कुल संख्या सारंगढ़ विधानसभा में कितनी थी तथा मई, 2026 में कितनी है ? कमी हुई तो कुल कितनी संख्या में नाम काटा गया तथा नाम काटने के क्या कारण थे ? क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक किया जायेगा ? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : सारंगढ़ विधानसभा के अंतर्गत राज्य पेंशन योजनाओं में माह जून, 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान हो गया है, केंद्रीय योजनाओं में माह मई एवं जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण विलम्ब हुई है। सारंगढ़ विधानसभा अंतर्गत मई, 2024 में केंद्र व राज्य पेंशन योजनाओं में कुल हितग्राहियों की संख्या 63,100 थी तथा मई, 2026 में 58,170 है। कुल 5,993 हितग्राहियों के नाम काटे गए हैं, हितग्राहियों के अपात्रता, लम्बे समय से पलायन एवं मृत होने के कारण नाम काटा गया है। पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि को 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विभाग के द्वारा गुणवत्ताहीन मंगलसूत्रों का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

1. (क्र. 74) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15 जून, 2026 तक मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को वितरित किए गए मंगलसूत्रों की गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त हुई है ? (ख) यदि हां, तो दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? (ग) क्या प्रभावित महिलाओं को पुनः मानक गुणवत्ता का मंगलसूत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15 जून 2026 तक मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित कन्याओं को वितरित किए गए मंगलसूत्र की गुणवत्ता के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। (ख) प्रकरण पर जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) वधुओं को सामूहिक विवाह के दौरान ही मंगलसूत्र प्रदान किया गया है। पुनः मंगलसूत्र न दिया जाकर आपूर्तिकर्ता फर्म के देयक से प्रति मंगलसूत्र रू. 1000/- की राशि कटौती करते हुए वधुओं के खाते में अंतरित की गयी है।

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित हितग्राही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (क्र. 75) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विगत दो वर्षों में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं ? (ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि कई पात्र परिवार जून, 2026 तक राशन कार्ड से वंचित हैं ? ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है ? क्या आने वाले समय में इनके राशन कार्ड बन जाएंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2024-25 में 54,300 राशनकार्डों में पंजीकृत 2,13,325 सदस्य तथा वर्तमान में 55,902 राशनकार्डों में पंजीकृत 2,15,529 सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। (ख) जी नहीं, प्रश्नांकित अवधि तक भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के पात्र परिवारों के राशन कार्ड से वंचित होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

समाज कल्याण विभाग से जिला धमतरी को विभिन्न मदों में प्राप्त राशि

[समाज कल्याण]

3. (क्र. 476) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला धमतरी में वर्ष 2024-25 से जून, 2026 तक किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि को किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है? कार्य के नाम सहित मदवार जानकारी दें? (ख) क्या उपरोक्त समयावधि के दौरान सामग्री क्रय की गई है ? यदि हाँ, तो किस-किस प्रकार की सामग्री

किस दर पर क्रय की गई है ? क्या सामग्री क्रय में गड़बड़ी या अनियमितता के मामले सामने आए हैं ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जी हाँ। क्रय सामग्री एवं दर की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** के कॉलम नं 7 एवं 8 अनुसार है। सामग्री क्रय में गड़बड़ी या अनियमितता के कोई भी मामले नहीं आए हैं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

कोरबा जिले में शेष पेंशन का भुगतान

[समाज कल्याण]

4. (क्र. 525) श्री फूलसिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितने पेंशन प्रकरण स्वीकृत हैं ? मई-जून, 2026 की स्थिति में कितने महिला /पुरुषों का पेंशन भुगतान शेष है ? कितने का भुगतान कर लिया गया है ? कितना पेंशन भुगतान शेष है ? उनका भुगतान कब तक किया जावेगा ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है और संबंधित पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 33,976 पेंशन प्रकरण स्वीकृत हैं । मई-जून, 2026 की स्थिति में केन्द्रीय योजनाओं के 9,750 हितग्राहियों (महिला/पुरुषों) का पेंशन भुगतान शेष है । राज्य योजनाओं के 24,226 हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है । शेष हितग्राहियों का पेंशन भुगतान प्रक्रियाधीन है, जुलाई, 2026 अंत तक भुगतान कर लिया जावेगा। इसके लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बालोद जिले में राशन वितरण हेतु E-kyc की वैकल्पिक व्यवस्था

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (क्र. 671) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या बालोद जिले (विशेषकर डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र) के सुदूर वनांचल और पहाड़ी ग्रामों की उचित मूल्य दुकानों में मोबाइल नेटवर्क न होने तथा बुजुर्ग व आदिवासी हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट मैच न होने (e-KYC एरर) के कारण उन्हें महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है? ऐसे नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों के लिए विभाग ने क्या वैकल्पिक ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था की है? (ख) बालोद जिले के अंतर्गत पिछले छह महीनों में (जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक) खाद्य निरीक्षकों द्वारा कुल कितनी उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया? इस दौरान दुकानों में चावल, शक्कर, नमक और केरोसिन का भौतिक स्टॉक, पीओएस मशीन की क्या स्थिति थी?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी नहीं। बालोद जिले के डौण्डी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुदूर वनांचल और पहाड़ी ग्रामों की शासकीय उचित मूल्य की दुकान चिहरो, आई.डी. क्रमांक 432007051 एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान किल्लेकोड़ा में मोबाइल नेटवर्क सुविधा नहीं होने के कारण राशनकार्डधारियों को ऑफलाइन माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। क्षेत्र के ऐसे राशनकार्डधारी जिनका बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट प्रमाणित नहीं होने के कारण ई-केवायसी नहीं हो पा रहा है उन्हें नॉमिनी के माध्यम से तथा राशनकार्ड जिनमें परिवार के सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु अथवा 10 वर्ष से कम है, एकल निराश्रित, निःशक्तजन राशनकार्ड जिनमें नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न उठाव नहीं हो रहा है, को ई-पॉस में आधार

प्रमाणीकरण प्रयास विफल होने की स्थिति में आधार नंबर में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। (ख) प्रश्रुंकित अवधि में बालोद जिले में खाद्य निरीक्षकों द्वारा कुल 310 उचित मूल्य दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। जिसमें चावल, शक्कर, नमक एवं केरोसिन का भौतिक स्टॉक सही पाया गया है। निरीक्षण के दौरान सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन सुचारू रूप से संचालित पायी गई।

जिला सूरजपुर अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

6. (क्र. 675) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला सूरजपुर अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन नहीं होने के कारण निजी भवनों में संचालित की जा रही है? (ग) भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का नवीन भवन निर्माण का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला सूरजपुर अंतर्गत कुल 2081 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) 345 आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्वयं के भवन नहीं होने के कारण उन्हें किराए के भवनों में संचालित किया जा रहा है। (ग) भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पद

[महिला एवं बाल विकास]

7. (क्र. 676) श्री प्रेमचंद पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के हरदीबाज़ार परियोजना व कटघोरा परियोजना में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : कटघोरा विधान सभा क्षेत्र के हरदीबाज़ार परियोजना में कार्यकर्ता के 01 एवं सहायिका के 04 तथा कटघोरा परियोजना में कार्यकर्ता के 02 व सहायिका के 09 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर पद पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राशन वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

8. (क्र. 682) श्री फूलसिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण नियमित हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? चावल, नमक, चना, शक्कर का एक साथ वितरण करने में क्या परेशानी है ? (ख) क्या रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत दुकान संचालकों को बोरा एवं राशन वितरण की कमीशन राशि भी कई माह से अप्राप्त होने के क्या कारण है ? कमीशन की राशि का वितरण कब तक कर दिया जाएगा ? एक समूह / समिति को कितने राशन दुकानों के संचालन करने का दायित्व दिया जा सकता है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी हां, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित सभी उचित मूल्य की

दुकानों से चावल एवं नमक का वितरण नियमित रूप से एक साथ किया जा रहा है। जिले में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों में चना एवं शक्कर की उपलब्धता अनुसार उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण कराकर वितरण कराया जा रहा है। **(ख)** रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान संचालकों को राज्य योजना के खाद्यान्न वितरण का कमीशन राशि माह मार्च 2026 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्न वितरण का कमीशन राशि माह दिसंबर 2025 तक भुगतान किया गया है। शेष माहों की राशि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पीडीएस बारदाना की राशि खरीफ वर्ष 2022-23 में 15 उचित मूल्य दुकान, वर्ष 2023-24 में 12 उचित मूल्य दुकान तथा वर्ष 2024-25 में 37 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण भुगतान लंबित है। खरीफ वर्ष 2021-22 का 01 उचित मूल्य दुकान, वर्ष 2022-23 का 39 उचित मूल्य दुकान, वर्ष 2023-24 का 09 उचित मूल्य दुकान तथा वर्ष 2024-25 का 34 उचित मूल्य दुकान के पीडीएस बारदाना राशि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष दुकानों को बारदाना की राशि का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधान अनुसार एक समूह/समिति को अधिकतम दो उचित मूल्य दुकान आवंटन का प्रावधान है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को साड़ी वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

9. (क्र. 683) श्री फूलसिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को साड़ी वितरण किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो कुल कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को कितनी-कितनी मात्रा में दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया है, तो क्यों ? साड़ी की खरीदी किन फर्मों या दुकानों से की गयी है? कितने-कितने मूल्य में खरीदा गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : रामपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में साड़ी वितरण नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु साड़ी प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु यूनिफार्म (साड़ी) क्रय

[महिला एवं बाल विकास]

10. (क्र. 696) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विभाग के आई.सी.डी.एस योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका/ मिनी कार्यकर्ताओं को प्रदान किए जाने हेतु यूनिफार्म (साड़ी) प्रति नग कितनी राशि पर राज्य के किन बुनकर समितियों/फर्म से खरीदी की गई तथा भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा कब एवं किस आधार पर किया गया है ? सम्पूर्ण जानकारी भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन सहित देवें ? क्या खरीदी की गई यूनिफार्म (साड़ी) को नियत समयावधि तक आपूर्ति की गई है ? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार खरीदी की गई यूनिफार्म (साड़ी) क्या प्रदेश के बुनकरों द्वारा निर्मित की गई है ? यदि हाँ तो जानकारी देवें ? यदि नहीं तो किस नियम/शर्तों पर किस फर्म द्वारा आपूर्ति की गई है तथा क्या उक्त प्रकरण में अनियमितता संज्ञान में आई है ? यदि हाँ, तो क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विभाग के आईसीडीएस योजना अंतर्गत वर्ष

2024-25 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को 02 नग प्रत्येक के मान से यूनिफार्म (साड़ी) प्रदाय किए जाने हेतु प्रति नग 500 रूपये की दर पर छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर से क्रय किया गया है। बोर्ड द्वारा सामग्री बोर्ड की पंजीकृत इकाई साक्षी गारमेंट, ग्राम गमरिया, जिला जशपुर के माध्यम से आपूर्ति की गयी है। बोर्ड द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराए गए नमूनों से मिलान करते हुए सामग्री जिलों में प्राप्त किया गया है। तकनीकी सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा भारत सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंसी से गुणवत्ता परीक्षण कराया जाकर नमूने विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त नमूनों का गुणवत्ता निरीक्षण एजेंसी राईट्स लिमिटेड से गुणवत्ता परीक्षण कराया गया है। तदुपरांत जिलों को सामग्री प्रदाय की गयी। क्रय किए गए यूनिफार्म (साड़ी) का प्रदाय समयावधि में नहीं किया गया है, प्रदायकर्ता संस्था खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शासकीय संस्था होने के कारण विभाग द्वारा वर्तमान में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार खरीदी गई यूनिफार्म (साड़ी) छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से क्रय किया गया है, बोर्ड द्वारा साड़ी का क्रय बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड में पंजीकृत इकाईयों के माध्यम से किया गया है। जी हाँ, उक्त प्रकरण में प्रदाय की गयी साड़ियों के संबंध में कुछ जिले यथा- दुर्ग, धमतरी, कवर्धा एवं रायगढ़ में कुछ प्रकरणों में निर्धारित मापदण्ड से विचलनयुक्त साड़ी प्रदायगी की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रकरण पर विभाग के द्वारा समिति गठित कर जाँच करायी गयी है तथा प्रतिवेदन खादी ग्रामोद्योग को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने का लेख किया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी जाँच समिति बनाकर प्रतिवेदन अनुसार प्रदायकर्ता इकाई को विचलनयुक्त साड़ियों को बदलकर निर्धारित मापदण्ड अनुसार साड़ी प्रदाय के निर्देश दिए गए हैं।

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के तहत देय सहायता राशि

[महिला एवं बाल विकास]

11. (क्र. 697) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह देने वाली सहायता राशि कब से प्रारंभ की गयी तथा उक्त योजना हेतु कितनी बजट राशि का प्रावधान/ आबंटन किया गया है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या प्रश्नांक दिवस की स्थिति में जिला बालोद में कितने पात्र हितग्राही हैं तथा कितनों को सहायता राशि कब से प्रदान की जा रही है तथा पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि कब तक प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के तहत प्रतिमाह देने वाली सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गयी तथा उक्त योजना हेतु वर्षवार प्रावधानित बजट राशि एवं वर्षवार जिलों को आबंटित राशि का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना भुगतान संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

12. (क्र. 708) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में महिलाओं हेतु केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना किस दिनांक से प्रारंभ की गई है ? उक्त योजना में जून, 2026 तक कुल कितनी महिलाओं का पंजीकरण किया गया है ? पंजीकृत महिलाओं को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाता है/किया गया है ? जिलेवार

बतावें? **(ख)** क्या उक्त योजना के तहत अपात्र हितग्राहियों को भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जून, 2026 तक कितने अपात्र हितग्राहियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? नियम विरुद्ध एवं अपात्र हितग्राहियों को भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं अपात्र हितग्राहियों के नाम से फर्जीवाड़ा किये जाने वालों पर क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार जिलेवार बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में महिलाओं हेतु केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" 01 जनवरी 2017 से संचालित की गयी है, उक्त योजना से अब तक 1449309 हितग्राहियों का पंजीकरण किया गया है एवं अब तक रू. 558.93 करोड़ का भुगतान किया गया है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ, योजना अंतर्गत फर्जी हितग्राहियों को भुगतान किए जाने की शिकायत जिला दंतेवाड़ा से प्राप्त हुई है। जून 2026 तक कुल 1400 फर्जी हितग्राहियों को कुल राशि रू. 61.37 लाख का भुगतान हुआ है। योजना का पोर्टल भारत सरकार द्वारा संधारित है। पोर्टल में तकनीकी खामियों की वजह से साइबर क्राईम करते हुए अन्य राज्यों से फर्जी हितग्राहियों के पंजीकरण की घटना घटित हुई है। दंतेवाड़ा जिले द्वारा प्रथम दृष्टया साइबर धोखाधड़ी पाए जाने पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है एवं कार्यवाही प्रचलन में है, शेष जिलों में ऐसे प्रकरण नहीं पाए गए हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

प्रदेश में प्रचलित राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

13. (क्र. 709) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में मार्च, 2024 से जून, 2026 तक कुल कितने एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, निराश्रित तथा प्राथमिकता वाले कार्ड प्रचलित हैं ? नये कार्ड बनाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये, कितने का निराकरण किया गया ? कितने शेष हैं? वर्षवार, जिलेवार बतावें ? विभिन्न वर्गों के कार्डधारियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा प्रति यूनिट कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, क्या-क्या खाद्यान्न प्रदान किया जाता है ? **(ख)** क्या बोगस कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न की अफरातफरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? कितने प्रकरणों पर कार्यवाही की गई ? कितने लंबित हैं ? वर्षवार, जिलेवार बतावें ? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में एपीएल कार्ड को बीपीएल, अंत्योदय, निराश्रित तथा प्राथमिकता हेतु कार्ड को परिवर्तित किया गया ? यदि हां, तो कितना एवं क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स', "द" एवं "इ" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एपीएल कार्ड को अंत्योदय, निराश्रित तथा प्राथमिकता राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया जाता है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

14. (क्र. 717) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या सत्र 2024-25 में धान के समर्थन मूल्य पर बोनस सहित खरीदी 3100 रूपये थी? यदि हाँ, तो सत्र 2026-27 में समर्थन मूल्य पर बोनस सहित धान की खरीदी 3100 रूपये में ही होगी? जानकारी दें? केन्द्र सरकार द्वारा सत्र 2024-25 में धान का समर्थन मूल्य कितना था तथा सत्र 2026-27 में धान का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? कृपया जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य धान कॉमन हेतु 2300 रूपये प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड-"ए" हेतु 2320 रूपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा निर्धारित थी तथा कृषक उन्नति योजनांतर्गत आदान सहायता राशि अधिकतम रूपये 16800/- प्रति एकड़ निर्धारित थी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी प्रारंभ नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा सत्र 2024-25 एवं 2026-27 हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है-

खरीफ विपणन वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में	
	धान कॉमन	धान ग्रेड-"ए"
2024-25	2300	2320
2026-27	2441	2461

अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

रायगढ़ जिला में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (क्र. 725) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिलांतर्गत कितने धान खरीदी केन्द्रों में कितना-कितना धान खरीदा गया और भौतिक सत्यापन एवं उठाव के पश्चात कितने-कितने धान की कमी आई? जानकारी समितिवार देवें? क्या बोगस धान खरीदी का मामला प्राप्त हुआ है? समितिवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : रायगढ़ जिलांतर्गत 105 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कुल 4783162.80 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से सम्पूर्ण धान का निराकरण हो चुका है। किसी भी समिति में धान की कमी नहीं है। जी हां। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार में 111.60 क्विंटल धान की अनियमितता का मामला प्राप्त हुआ था।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में चबूतरा निर्माण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (क्र. 733) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने धान खरीदी केंद्र अवस्थित हैं? **(ख)** कंडिका "क" के कितने केंद्रों में धान खरीदी हेतु चबूतरा का निर्माण हो चुका है अथवा स्वीकृत है एवं कितने केंद्रों में धान खरीदी चबूतरा नहीं है? **(ग)** कंडिका "ख" के जिन धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण नहीं हुआ है, उन केंद्रों के लिए कब तक चबूतरा स्वीकृत कर लिया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 42 धान उपार्जन केन्द्र वर्तमान में संचालित है। **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत कुल 29 उपार्जन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण हो चुका है तथा 13 उपार्जन केन्द्र चबूतरा विहीन है। **(ग)** कंडिका "ख" के 06 चबूतरा विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुआ है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

आंगनबाड़ी केंद्रों में मेडिसिन किट खरीदी

[महिला एवं बाल विकास]

17. (क्र. 749) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023-24 से जून, 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में किस-

किस दर पर मेडिसिन किट किस-किस कंपनी/फर्म से खरीदी गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में कितनी मात्रा में मेडिसिन किट की खरीदी हेतु केंद्र शासन द्वारा अनुमोदित किया गया एवं कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" की अवधि में खरीदी गई मेडिसिन किट की सामग्री तथा औषधि के गुणवत्ताहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आयी? यदि हां, तो कहाँ-कहाँ से? दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई? **(घ)** क्या मेडिसिन किट की गुणवत्ता की जांच की गई थी? यदि हां, तो जांच/परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया? यदि नहीं तो कारण बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नांश अवधि में विभाग द्वारा मेडिसिन किट का क्रय नहीं किया गया है, अतः शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में मेडिसिन किट प्रदाय हेतु भारत सरकार द्वारा ए.पी.आई.पी. (वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना) में 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि का अनुमोदन किया गया था। क्रमशः वर्ष 2023-24 में 51857 नग मेडिसिन किट हेतु रू. 441.22 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 47231 नग मेडिसिन किट हेतु रू. 425.08 लाख तथा वर्ष 2025-26 में 52168 नग मेडिसिन किट हेतु रू. 469.51 लाख का अनुमोदन किया गया था। प्रश्नाधीन अवधि में कोई राशि व्यय नहीं की गयी है, अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के आलोक में जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के आलोक में जानकारी निरंक है।

बिलासपुर संभाग में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं भंडारण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (क्र. 756) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर संभाग में विगत दो वर्षों (2024-25 एवं 2025-26) में समर्थन मूल्य पर कुल कितनी-कितनी मात्रा (मीट्रिक टन) में धान खरीदी की गई? विकासखंडवार एवं वर्षवार जानकारी देते हुए बताएं कि प्रत्येक केन्द्र में लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक खरीदी कितनी हुई तथा कितने किसानों ने धान बेचा? **(ख)** उपार्जित धान को किन-किन संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं राइस मिलों में कितनी-कितनी मात्रा में रखा गया? वर्तमान में कितना धान शेष है? क्या किसी केन्द्र में क्षमता से अधिक धान खुले में रखा गया? यदि हाँ, तो कितने केन्द्रों में? **(ग)** धान को धूप, वर्षा, नमी, आग एवं चूहों से सुरक्षित रखने हेतु कौन-कौन से प्रबंध किए गए? इस मद में कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? क्या उपार्जन केन्द्र या संग्रहण स्थल पर धान खराब होने, भीगने, अंकुरित होने, चोरी अथवा चूहों से नुकसान होने की घटनाएँ हुई? यदि हाँ, तो कितने केन्द्रों में तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बिलासपुर संभाग में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 38.01 लाख मीट्रिक टन एवं खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर 36.35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। जिलेवार, उपार्जन केन्द्रवार, विकासखंडवार एवं वर्षवार खरीदी एवं किसानों के संख्या संबंधी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है। उपार्जन केन्द्रवार धान खरीदी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उपार्जित धान में से संग्रहण केन्द्रों एवं राइस मिलों को प्रदाय मात्रा एवं वर्तमान में शेष धान मात्रा संबंधी जानकारी **पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स** अनुसार है। जी नहीं, किसी संग्रहण केन्द्र में क्षमता से अधिक धान खुले में नहीं रखा गया। **(ग)** समिति में उपार्जित धान को सुरक्षित रखने के लिए ड्रेनेज, तारपोलिन, कीटनाशक, तारफेसिंग एवं पानी निकासी आदि की व्यवस्था उपार्जन केन्द्रों के द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाता है। स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** धान संग्रहण केन्द्रों में भंडारित धान को

धूप, वर्षा, नमी, आग एवं चूहों से सुरक्षित रखने हेतु सुरक्षा एवं रखरखाव मद पर राशि स्वीकृत एवं व्यय की जाती है तथा कैप कवर से ढककर सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षा एवं रखरखाव मद में स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-इ** अनुसार है। उपरोक्त वर्षों में उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्रों में धान खराब होने अंकुरित होने चोरी से नुकसान अथवा चूहों से नुकसान नहीं हुई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में बिलासपुर सभाग के जिला जांजगीर-चांपा एवं जिला बिलासपुर के संग्रहण केंद्रों में भंडारित धान के खराब होने/अमानक की जानकारी निम्नानुसार है:-

जिला	संग्रहण केंद्र	अमानक धान सूचना (मात्रा मे.टन मे)	कार्यवाही
बिलासपुर	करगीकला	33.55	सूचना प्राप्ति उपरांत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	बिल्हा	37.29	
	मोपका	127.14	
जांजगीर चांपा	नवीन धान संग्रहण केंद्र अमरताल	235.34	
	शासकीय भूमि अकलतरा	1266.11	

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

बिलासपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

19. (क्र. 757) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उनमें से कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं तथा कितने भवनविहीन अथवा किराये/अन्य भवनों में संचालित हैं? कितने केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं? विधानसभावार जानकारी दें? **(ख)** कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन/हैंडपंप उपलब्ध है तथा कितने केन्द्र जून, 2026 तक पेयजल सुविधा से वंचित हैं? कितने केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था है तथा कितने केन्द्रों में शौचालय नहीं है अथवा अनुपयोगी है? विधानसभावार विवरण दें? **(ग)** क्या मूलभूत सुविधाओं के अभाव, रिक्त पदों एवं भवनविहीन केन्द्रों के कारण बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो सभी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की समय-सीमा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बिलासपुर जिले में कुल 1930 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विधानसभावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘ब’** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

अतिशेष धान की ई-नीलामी में आबंटित स्टेकों की अनुपलब्धता

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (क्र. 764) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित धान संग्रहण केन्द्रों में संग्रहीत धान का उठाव और मिलान पूर्ण हो चुका है अथवा नहीं? अंतिम मिलान में संग्रहीत धानों के विरुद्ध कुल कितनी मात्रा में धान सूखत, क्षतिग्रस्त, अंकुरित, खराब (अमानक) अथवा अनुपलब्ध पाया गया? उक्त कमी/क्षति के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई? केन्द्रवार जानकारी दें? **(ख)** क्या ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किए गए धान के

प्रत्येक स्टेक को कोडवार संग्रहण केन्द्र में चिन्हांकित किया गया था? यदि हां, तो क्या शासन के संज्ञान में ऐसा मामला आया है कि किसी मिलर को आबंटित स्टेक को अधिकारियों द्वारा बिना सूचना अन्य मिलर/क्रेता को आबंटित कर दिया गया एवं मूल क्रेता को अन्य स्टेक के अमानक धान उठाने कहा गया? यदि हां, तो क्या प्रभावित क्रेता को मानक अनुरूप धान उपलब्ध कराने अथवा क्रेता आर्डर निरस्त कर जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस करने हेतु कार्यवाही की जावेगी? विवरण देवें? (ग) अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन के आधार क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इसके अतिरिक्त अन्य जांच हुई हो तो जांच निष्कर्ष/अभिमत सहित कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित धान संग्रहण केन्द्र शासकीय भूमि अकलतरा एवं नवीन धान संग्रहण केन्द्र अमरताल में धान उठाव पूर्ण नहीं हुआ है। संग्रहण केन्द्रवार धान सूखत की जानकारी निम्नानुसार है :-

(धान की मात्रा मे.टन में)

संग्रहण केन्द्र का नाम	भण्डारित धान की मात्रा	उठाव/ निराकृत	मॉड्यूल शेष धान की मात्रा	भौतिक रूप से शेष धान की मात्रा	रिमार्क
शासकीय भूमि अकलतरा	75050.056	70241.479	4808.577	1266.11	भौतिक रूप से शेष धान की मात्रा प्रथम दृष्टया अमानक किस्म का है।
नवीन धान संग्रहण केन्द्र अमरताल	28085	26497.205	1587.795	235.34	भौतिक रूप से शेष धान की मात्रा प्रथम दृष्टया अमानक किस्म का है।

उपरोक्त संग्रहण केन्द्रों में धान उठाव पश्चात् प्रतिवेदन अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अग्रेत्तर कार्यवाही पश्चात् ही वास्तविक वित्तीय हानि का आंकलन किया जा सकता है। (ख) जी हां ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किए गए धान के प्रत्येक स्टेक को विशिष्ट कोड से चिन्हांकित किया गया। नवीन धान संग्रहण केन्द्र अमरताल अंतर्गत क्रेता को आबंटित स्टेक को किसी अन्य क्रेता/मिलर को प्रदाय किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर संबंधित संग्रहण केन्द्र प्रभारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है एवं जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मूल क्रेता को अमानक धान प्रदाय नहीं किया गया है। उक्त संबंध में नियमानुसार शेष धान की राशि वापसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन को कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) के पत्र क्रमांक/257 /खाद्य/कस्टम मिलिंग/ 2026 जांजगीर, 16.02.2026 के माध्यम से विपणन संघ मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त विपणन संघ मुख्यालय का पत्र क्र./विप./स. के. - 24-25/593 /2026 न.रा.अ.न., दिनांक 13.05.2026 के निर्देशानुसार जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन कमेटी के माध्यम से जिले के दोनों संग्रहण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। जिला स्तर पर किये गये प्राथमिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तर पर धान के सुखत एवं गुणवत्ता के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था बंद किया जाना

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

21. (क्र. 779) श्री रामकुमार यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों में ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था बंद कर केवल आधार आधारित

बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय लेने के कारण क्या हैं तथा यह व्यवस्था कब से प्रभावशील है ? **(ख)** प्रश्नांक (क) के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण हेतु शासन द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित की गई है ? **(ग)** क्या शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण हैं जिनमें बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने के कारण हितग्राही खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित हुए हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** सदस्यों के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में हितग्राहियों द्वारा नॉमिनी के माध्यम से तथा राशनकार्ड जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम है, एकल निराश्रित राशनकार्ड, निःशक्तजन राशनकार्ड, जिनमें नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव नहीं हो रहा है, को ई-पॉस मशीन में आधार प्रमाणीकरण प्रयास विफल होने की स्थिति में आधार नंबर में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से वितरण का प्रावधान है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती

[महिला एवं बाल विकास]

22. (क्र. 790) श्री बालेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जैजैपुर एवं मालखरौदा परियोजना में विभाग द्वारा वर्ष 2023 से जून, 2026 तक आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की गई है ? भर्ती हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? **(ख)** उक्त अवधि में सहायिका भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, पात्रता संबंधी त्रुटि अथवा गलत चयन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? जांच में क्या तथ्य सामने आए तथा दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ? **(ग)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में आंगनबाड़ी सहायिका के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों का ग्रामवार विवरण क्या है? इन पदों पर भर्ती हेतु शासन द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है तथा भर्ती प्रक्रिया कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हां, जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जैजैपुर एवं मालखरौदा परियोजना में विभाग द्वारा वर्ष 2023 से जून, 2026 तक आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की गई है। भर्ती हेतु 496 आवेदन प्राप्त हुये तथा 48 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। **(ख)** उक्त अवधि में सहायिका भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, पात्रता संबंधी त्रुटि अथवा गलत चयन की 04 शिकायतें प्राप्त हुईं। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में आंगनबाड़ी सहायिका के 05 पद रिक्त है। रिक्त पदों की ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के नियुक्ति निर्देशों के अनुरूप रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

महासमुंद जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 796) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें 2024-25 से 20 जून, 2026 की स्थिति में प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर किनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? **(ख)** क्या राशन वितरण में गड़बड़ी पर

एफआईआर का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में एफआईआर की कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) महासमुंद जिले में प्रश्नांकित अवधि तक राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की 113 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है । (ख) राशन सामग्री वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है । प्रश्नांकित अवधि में दर्ज प्रकरणों में से 01 प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराया गया है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है ।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद एवं सेवाओं की गुणवत्ता

[महिला एवं बाल विकास]

24. (क्र. 812) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पर्यवेक्षक के पद रिक्त हैं ? यदि हाँ, तो पदवार एवं परियोजनावार रिक्त पदों का विवरण दें? (ख) क्या रिक्त पदों के कारण पूरक पोषण आहार वितरण, बच्चों का वजन मापन, गर्भवती एवं धात्री माताओं का पंजीयन तथा अन्य सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं ? यदि हाँ, तो इसे सुधारने हेतु क्या कार्रवाई की गई है? (ग) विगत तीन वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान कितने केन्द्रों में अनियमितताएँ पाई गई तथा संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ? (घ) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि विभागीय निगरानी एवं समयबद्ध भर्ती नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है ? यदि हाँ, तो रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पर्यवेक्षक के रिक्त पदों का पदवार एवं परियोजना-वार विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं, उक्त पदों के रिक्त होने के कारण पूरक पोषण आहार वितरण, बच्चों का वजन मापन, गर्भवती एवं धात्री माताओं का पंजीयन तथा अन्य सेवाएँ प्रभावित नहीं हो रही हैं। समीपस्थ सेक्टर की पर्यवेक्षक को प्रभार सौंप कर कार्य संपादित किया जा रहा है। (ग) विगत तीन वर्षों में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान 02 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनियमितता पाई गई है। शेष विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) उक्त रिक्त पदों के कारण आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई है। तथापि शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। पद पूर्ति हेतु निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

महतारी वंदन योजना से वंचित पात्र महिलाएं

[महिला एवं बाल विकास]

25. (क्र. 815) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में कुल कितनी महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? (ख) राज्य में अब तक प्राप्त कुल आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत, निरस्त एवं लंबित हैं? (ग) क्या बड़ी संख्या में पात्र विवाहित, विधवा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाएं

आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं? यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है? **(घ)** सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या विशेष कार्ययोजना बनाई गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में (जून 2026 की स्थिति में) कुल 6854003 महिलाओं को सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिनमें से 5993307 महिलाओं को ₹. 1000/- के मान से, 854849 महिलाओं को ₹. 500/- के मान से तथा 5847 महिलाओं को ₹. 350/- के मान से सहायता राशि दी गयी है। **(ख)** राज्य में अब तक प्राप्त 70,34,935 आवेदनों में से अद्यतन स्थिति में 68,84,022 आवेदन स्वीकृत है, मृत हुए 1,21,401 हितग्राही सहित कुल 1,45,002 आवेदन निरस्त है तथा 5,911 आवेदन लंबित है। **(ग)** योजना के प्रारंभ में आवेदन करने की निर्धारित तिथि तक आवेदन न करने वाली तथा इसके बाद पात्र होने वाली महिलाओं के लाभ से वंचित होने की संभावना है, लाभ से वंचित महिलाओं की निश्चित संख्या बताया जाना संभव नहीं है। आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि 20.02.2024 तक पात्र होने पर भी आवेदन न करने व पोर्टल में अपलोड न कर पाने के कारण वे योजना के लाभ से वंचित हुई होगी। **(घ)** सभी निर्धारित तिथि तक आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को योजना का निरंतर लाभ दिया जा रहा है।

फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता एवं जांच की कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

26. (क्र. 820) श्री ओंकार साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित फोर्टिफाइड चावल के नमूनों की जांच में गुणवत्ता संबंधी अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हाँ, तो जिला-वार विवरण दें ? **(ख)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उनकी जांच कब-कब और किन अधिकारियों द्वारा की गई ? **(ग)** जांच में दोषी पाई गई राइस मिलों/संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा न्यायालय में कितने प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं? जिला-वार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित फोर्टिफाइड चावल के नमूनों की जांच में किसी भी जिले से किसी भी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी अनियमितता नहीं पाई गई। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन एवं अनियमितताओं पर कृत कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

27. (क्र. 821) श्री ओंकार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितने सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा कितनी कन्याओं को लाभान्वित किया गया? जिला-वार जानकारी दें? **(ख)** उक्त अवधि में योजना के क्रियान्वयन, पात्रता, भुगतान अथवा अन्य अनियमितताओं संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतवार जांच की स्थिति एवं निष्कर्ष क्या हैं? **(ग)** जांच में अनियमितता पाए जाने पर किन अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा आयोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नाधीन वर्ष अवधि में मुख्यमंत्री कन्या

विवाह योजनांतर्गत कुल 223 सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा 16069 कन्याओं को लाभान्वित किया गया। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में योजना के क्रियान्वयन, पात्रता, भुगतान अथवा अन्य अनियमितताओं संबंधी कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतवार जांच एवं निष्कर्ष की स्थिति **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** जांच में अनियमितता पाये जाने पर की गई कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

नगर पालिक निगम बीरगांव में सार्वजनिक वितरण दुकान में परिवहन पर खाद्यान्न की मात्रा में कमी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

28. (क्र. 828) श्री मोतीलाल साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम-बीरगांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में खाद्यान्न की मात्रा परिवहन द्वारा संबंधित दुकान में पहुंचने पर कम पाये जाने कि क्या विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस पर विभागीय कार्यवाही की जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांक " क " अंतर्गत भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न होने के संबंध में क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है? जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिक निगम बीरगांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न परिवहन में कम खाद्यान्न पहुंचने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइ कापोरेशन के खाद्यान्न परिवहन निविदा की शर्तों में परिवहन में खाद्यान्न की कमी होने पर परिवहनकर्ता से वसूली एवं दण्ड का प्रावधान है।

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

29. (क्र. 829) श्री मोतीलाल साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? जानकारी देवें। **(ख)** क्या संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधा जैसे भवन, शौचालय, पेयजल, आहाता की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं तो मूलभूत सुविधा से वंचित केन्द्रों की जानकारी देवें? **(ग)** क्या रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बच्चों की दर्ज संख्या के अनुरूप/अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है? यदि नहीं तो कितने नए केन्द्र कब तक खोले जाने हेतु प्रस्तावित हैं? जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 269 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश ख की जानकारी निम्नानुसार है-

संचालित आं.बा.केंद्रों की संख्या	आंगनबाड़ी भवन स्वयं के भवनयुक्त	पेयजल भवन विहीन	पेयजल युक्त	शौचालय पेयजल विहीन	शौचालय युक्त	अहाता शौचालय विहीन	अहाता युक्त	अहाता विहीन
269	116	153	269	0	206	63	124	145

विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** जी हां, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बच्चों की दर्ज संख्या के अनुरूप/अनुपात में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत दी जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता

[महिला एवं बाल विकास]

30. (क्र. 832) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सजातीय एवं अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए क्या-क्या नियम, शर्त एवं मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? इस योजना के अंतर्गत प्रति नवविवाहित जोड़ों के लिए कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है एवं इस राशि से कितने मूल्य के कौन-कौन सी सामग्रियाँ एवं कितने मूल्य के किस धातु के कौन-कौन से आभूषण/गहना नवविवाहिता को दिये जाने का प्रावधान है? क्या इस योजना के अंतर्गत नवविवाहिताओं को गिलेट के मंगलसूत्र दिये जाने का मामला विगत 02 वर्षों में विभाग के संज्ञान में आया है? यदि हाँ तो, जानकारी दें ? **(ख)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामग्री एवं आभूषण आदि का क्रय किन नियम, शर्तों व मापदण्डों के आधार पर किनके द्वारा किस माध्यम से किया जाता है? सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु कौन अधिकृत होते हैं? जानकारी दें। **(ग)** विगत 02 वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह के लिए सामग्री खरीदी में नियमों की अनदेखी, आर्थिक अनियमितता, अपात्र जोड़ों का चयन एवं अन्य संबंध में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किन-किन का शिकायती पत्र विभाग/शासन को कब-कब प्राप्त हुआ है एवं इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सजातीय एवं अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए एक ही नियम, शर्त एवं मापदण्ड निर्धारित हैं, जो कि **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। इस योजना के अंतर्गत प्रति नवविवाहित जोड़ों के लिए कुल 50,000/- रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान है एवं इस राशि में से प्रति जोड़ा उपहार सामग्री अंतर्गत श्रृंगार सामग्री हेतु राशि 7,000/- रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। जिसके अंतर्गत वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जैसे क्रय समिति उचित समझे का प्रावधान है। प्रति हितग्राही मंगलसूत्र एवं अन्य आभूषणों हेतु धातु एवं राशि पृथक से निर्धारित नहीं है। विगत दो वर्षों 2024-25 एवं 2025-26 में नवविवाहिताओं को गिलेट का मंगलसूत्र दिये जाने का मामला संज्ञान में नहीं आया है, अपितु मई 2026 में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामग्री एवं आभूषण आदि का क्रय छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम की शर्तों एवं मापदण्डों के आधार पर गठित क्रय समिति के माध्यम से किया जाता है। सामग्रियों का गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित क्रय समिति अधिकृत होते हैं। **(ग)** विगत 02 वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह के लिए सामग्री खरीदी में नियमों की अनदेखी, आर्थिक अनियमितता, अपात्र जोड़ों का चयन एवं अन्य संबंध में विभाग/शासन को प्राप्त शिकायत एवं इन पर की गई कार्यवाही का विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

किसानों को कृषि कार्य हेतु ड्रम/कैन में डीजल उपलब्ध नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

31. (क्र. 844) श्री दीपेश साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि जिला बेमेतरा में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा किसानों को ड्रम, कैन अथवा अन्य पात्रों में डीजल देने से मना किया जा रहा है, जिसके कारण कृषि कार्य, सिंचाई एवं अन्य कृषि संबंधी गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार विवरण प्रदान करें। **(ख)** क्या शासन के संज्ञान में किसानों द्वारा ड्रम/कैन में डीजल उपलब्ध नहीं कराए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या, संबंधित पेट्रोल पंपों का विवरण, जांच की स्थिति तथा दोषी पाए गए संचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

का वर्षवार विवरण प्रदान करें? साथ ही शासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दें। **(ग)** किसानों को कृषि कार्य, सिंचाई पंप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के संचालन हेतु डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई है तथा भविष्य में क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं? यदि कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है, तो उसका विवरण प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** बेमेतरा जिले में विगत 03 वर्षों में ड्रम/कैन में डीजल उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में वर्ष 2024 एवं 2025 में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2026 में 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** किसानों को ड्रम/कैन डीजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभाग के दिशा-निर्देश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** किसानों को कृषि कार्य सिंचाई-पंप, ट्रैक्टर, हारवेस्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के संचालन हेतु डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** जिलों को निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में राज्य के ऑयल कंपनी के डिपो में डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अतः उपरोक्त संबंध में विशेष कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"\]](#)

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नियंत्रक कार्यालय की सामाजिक संपरीक्षा

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

32. (क्र. 853) श्री ललित चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) नियम 2017" के अध्याय 3 की कंडिका 4(2)**(ग)** के तहत निर्देशित सामाजिक संपरीक्षा कार्यवाही के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार उत्तर यदि हां, तो क्या जिला कलेक्टर, दुर्ग स्तर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों की सामाजिक संपरीक्षा करवाई जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जी हां। **(ख)** जी हां, जिला-दुर्ग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों के अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है।

दुर्ग जिला अंतर्गत हितग्राहियों के लंबित पेंशन प्रकरण का निराकरण

[समाज कल्याण]

33. (क्र. 854) श्री ललित चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दुर्ग जिले में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के कुल कितने हितग्राही हैं ? **(ख)** दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कितने पात्र हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण लंबित हैं और लंबित रहने के क्या कारण हैं ? **(ग)** लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** दुर्ग जिले में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के कुल लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	19,899	19,563
2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	31,376	25,790

3. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	12,684	11,140
4. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	789	628
योग-	64,748	57,121

(ख) विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में पात्र हितग्राहियों के कोई भी पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। अतः कारण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सखी वन स्टॉप सेंटरों की कार्यप्रणाली एवं महिलाओं को प्रदत्त सहायता

[महिला एवं बाल विकास]

34. (क्र. 857) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में वर्तमान में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटरों की संख्या कितनी है? जिला-वार जानकारी प्रदान करें। (ख) विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? जिला-वार एवं वर्ष-वार जानकारी प्रदान करें। (ग) विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से कितनी महिलाओं को कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता एवं अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया गया है? (घ) क्या विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु कोई नई कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) राज्य में वर्तमान में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटरों की संख्या 42 है। जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों में घरेलू हिंसा के 12359, दहेज प्रताड़ना के 87, यौन उत्पीड़न के 415 एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी 8670 प्रकरण प्राप्त हुए तथा उनमें से घरेलू हिंसा के 10543, दहेज प्रताड़ना के 83, यौन उत्पीड़न के 386 एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी 8531 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला-वार एवं वर्ष-वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से 1484 महिलाओं को कानूनी सहायता, 10661 महिलाओं को मनोसामाजिक परामर्श, 1755 महिलाओं को चिकित्सा सहायता एवं 7330 महिलाओं को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया गया है। (घ) जी हाँ। सखी वन स्टॉप सेंटर शत प्रतिशत केन्द्र सहायित योजना है जो कि भारत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित है। सखी वन स्टॉप सेंटरों को सुदृढ़ करने हेतु कार्ययोजना का विवरण **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालित योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

35. (क्र. 864) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में संचालित योजनाओं के संबंध में फॉर्म-7 संधारित की जाती है? यदि हाँ, तो वर्षवार एवं सेक्टरवार फॉर्म-7 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए? (ख) उक्त अवधि में जिले के प्रत्येक परियोजना/सेक्टर अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या, स्वीकृत एवं कार्यरत कार्यकर्ता/सहायिका की संख्या तथा लाभान्वित हितग्राहियों (गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, 0-6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं) की जानकारी प्रदान करें? (ग) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग द्वारा जिले में कराए गए निर्माण, मरम्मत, पोषण आहार वितरण, गोदभराई, अन्नप्राशन, सुपोषण अभियान आदि प्रमुख कार्यों का विवरण, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि

सहित प्रदान करें ? (घ) क्या उक्त वर्षों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान किया जाए?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में संचालित योजनाओं के संबंध में फॉर्म-07 का संधारण नहीं किया जाता है। अपितु पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत फॉर्म-07 का संधारण किया जा रहा था। जिसकी संकलित वर्षवार सेक्टरवार प्रमाणित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ख की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है। (घ) प्रश्नांश घ की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है।

राज्य भंडारण निगम प्रबंधक द्वारा वजन कटौती तथा प्रति लॉट अतिरिक्त शुल्क लेने संबंधी शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

36. (क्र. 871) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) वर्ष 2023-2024 से जून, 2026 तक जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई स्थित राज्य भंडारण निगम (SWC) गोदामों में चावल परिवहन भंडारण कार्य में वजन कटौती तथा ₹750 प्रति लॉट अतिरिक्त शुल्क लेने तथा अनियमित भंडारण के संबंध में प्रबंधक व तकनीकी प्रभारी नॉन, डिपो प्रभारी नॉन के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो क्या उक्त शिकायत की जांच कराई गई? यदि हाँ तो जिला प्रशासन व विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? शिकायत की कॉपी, देवें ? (ख) वर्ष 2023-24 से जून, 2026 तक जिला केसीजी स्थित SWC गोदाम में कितनी मात्रा में चावल नॉन के लिए जमा किये गए? वर्षवार चावल स्टॉक की जानकारी, कितने मिलरों द्वारा अनुबंध की चावल जमा किया गया जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खैरागढ़-छुईखदान-गंडई स्थित राज्य भण्डार गृह निगम के गोदामों में प्रश्नांकित अवधि में चावल परिवहन भण्डारण कार्य में वजन कटौती तथा रुपये 750 प्रति लॉट अतिरिक्त शुल्क लेने के संबंध में भण्डार गृह निगम खैरागढ़ के प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी प्रभारी एवं डिपो प्रभारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भण्डार गृह निगम खैरागढ़ के प्रबंधक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत जांच में सही नहीं पाया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। शिकायत की प्रति संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

धान खरीदी केन्द्रों में धान की सुखत के नाम पर कमी बताकर गबन/घोटाला किया जाना

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

37. (क्र. 874) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या वर्ष 2025-26 में राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में धान खरीदी केन्द्रों में धान की सुखत के नाम पर कमी बताकर अनियमितता गई है ? यदि हाँ तो केंद्रवार धान कमी की मात्रा, राशि, अनुमानित वित्तीय क्षति की जानकारी देवें ? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? विकसखंडवार, समितिवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) कितने केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? कितने धान खरीदी केंद्रों में कमी की शिकायत के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? क्या उक्त प्रकरणों की जांच हेतु जांच कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हाँ तो जांच कब प्रारंभ हुई तथा अब तक जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं? दर्ज प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों/कर्मचारियों/समिति प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) वर्ष 2025-26 में जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के उपार्जन केन्द्रों का लेखा मिलान का कार्य प्रक्रियाधीन है। लेखा मिलान कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही जिले का वास्तविक सूखत ज्ञात होगी। (ख) जिला राजनांदगांव में 04 धान उपार्जन केन्द्र एवं जिला खैरागढ़-छुईखदान गण्डई में 06 धान उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया है, भौतिक सत्यापन पश्चात धान खरीदी केन्द्रों में पाई गई अनियमितता के विरुद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"\]](#)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की स्वीकृत एवं व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

38. (क्र. 875) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 से जून 2026 तक, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितने जोड़ों का विवाह कराया गया व कितनी राशि स्वीकृत एवं कितनी व्यय की गई? सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी/फर्म का नाम, चयन प्रक्रिया एवं अनुबंध की शर्तों का वर्षवार, जिलवार पूर्ण जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) क्या उक्त अवधि के कार्यक्रम/आयोजन में अनियमितता, भ्रष्टाचारी एवम नवविवाहिताओं को वितरित सामग्री (मंगलसूत्र/आभूषण/गृहस्थी) के गुणवत्ताहीन व नकली होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या जांच कराई गई है? यदि हाँ तो दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं एजेंसियों/संस्था/फर्म के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है? या कार्यवाही प्रस्तावित है वर्षवार, जिलवार पूर्ण जानकारी देवे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत 18,137 जोड़ों का विवाह कराया गया है इसके अंतर्गत राशि 97,69,68,000/-रूपये स्वीकृत की गई एवं राशि 88,48,67,678/-रूपये व्यय की गई है। वर्षवार, जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी फर्म का नाम, चयन प्रक्रिया की वर्षवार एवं जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। चूंकि सामग्री का क्रय छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के शर्तों के अनुरूप किया जाता है। अतः अनुबंध की शर्तों संबंधी जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायत एवं शिकायत पर जांच की स्थिति तथा की गई कार्यवाही की वर्षवार, जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"\]](#)

धान खरीदी उपरांत सूखत का प्रतिशत

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

39. (क्र. 882) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या दिनांक 09 मार्च, 2026 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 1209) में दी गयी जानकारी अनुसार राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति की कंडिका 15.09 अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहीत धान के लिए सूखत मान्य नहीं होगी की जानकारी दी गयी है? (ख) जिला राजनांदगांव अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्र से कितनी-कितनी मात्रा में (मीट्रिक टन) में धान मिलिंग हेतु किन-किन मिलों में भेजे गए हैं? मिलवार जानकारी देते हुए उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्रवार सूखत की जानकारी प्रतिशतवार देवे? कितनी सूखत का प्रावधान है? राजनांदगांव जिला में कितनी मात्रा में सूखत दर्ज किया गया है? (ग) धान उपार्जन नीति कंडिका 15.9 अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों

में संग्रहीत धान के किए सूखत मान्य नहीं होगी के दायरे में कौन-कौन सी समितियां एवं संग्रहण केन्द्र के किन-किन कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? समितिवार, कर्मचारीवार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) दिनांक 09 मार्च, 2026 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1209 में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन नीति निर्देश कंडिका क्रमांक 15.9 के अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिये कोई सूखत मान्य नहीं होगी की जानकारी दी गयी है। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिला राजनांदगांव अंतर्गत उपार्जित धान में से कस्टम मिलर्स के द्वारा धान उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों से उठाव किये गये धान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** उपार्जन केन्द्रों से लेखा मिलान पूर्ण की जानकारी उपरांत सूखत कमी की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। संग्रहण केन्द्रों से धान का पूर्ण निराकरण उपरांत ही सूखत/कमी की वास्तविक स्थिति ज्ञात होगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समिति लेखा मिलान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लेखा मिलान पूर्ण होने के पश्चात् ही धान की वास्तविक कमी की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। संग्रहण केन्द्रों से धान के पूर्ण निराकरण उपरांत ही सूखत कमी की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

राज्य में नशामुक्ति केन्द्रों को अनुदान

[समाज कल्याण]

40. (क्र. 884) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- राज्य में नशामुक्ति केन्द्रों को अनुदान दिये जाने हेतु कोई योजना संचालित है? यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन किन जिलों एवं संस्थाओं का नशामुक्ति केंद्र के संचालन हेतु नवीन अनुदान प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित शासन को प्राप्त हुआ है ? प्राप्त प्रस्तावों में किन-किन संस्थाओं को अनुदान जारी किया गया है एवं जिन संस्थाओं को अनुदान जारी नहीं किया गया है उसका क्या कारण है ? किन-किन संस्थाओं एवं जिलों के अनुदान शासन एवं संचालनालय स्तर पर लंबित है? वर्षवार, जिलेवार, संस्थावार स्वीकृत एवं लंबित नवीन अनुदान प्रस्ताव की जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

राज्य में नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत आबांटित व व्यय राशि

[समाज कल्याण]

41. (क्र. 885) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- राज्य में नशामुक्त भारत अभियान संचालित है? यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से 15 जनू 2026 तक केन्द्र सरकार द्वारा विभाग को कितनी राशि इस योजना के तहत प्रदान की गयी है एवं विभाग द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, प्राप्त राशि किन किन योजनाओं /कार्यक्रमों में कितनी-कितनी व्यय की गयी है? इस अभियान के तहत किन किन जिलों को कितनी राशि शासन द्वारा प्रदान की गयी है? वर्षवार, जिलेवार, योजनावार, कार्यक्रम में किये गये व्यय की एजेंसीवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

सामूहिक विवाह योजनाओं में कृत्रिम आभूषणों के वितरण पर कृत कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

42. (क्र. 893) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक सामूहिक विवाह योजनाओं में प्रति हितग्राही मंगलसूत्र एवं अन्य आभूषणों की स्वीकृत लागत कितनी निर्धारित की गई थी? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** यदि महंगाई के कारण सामग्री की गुणवत्ता अथवा मात्रा में परिवर्तन किया गया, तो इसके संबंध में शासन द्वारा कब और किस स्तर पर निर्णय लिया गया? आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? **(ग)** क्या शासन के अभिलेखों में कहीं भी सोने अथवा चांदी के आभूषणों के स्थान पर कृत्रिम (आर्टिफिशियल) आभूषण वितरित करने की अनुमति दी गई थी? यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है? **(घ)** मंगलसूत्रों की गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायतों, जांच की स्थिति तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत प्रश्राधीन अवधि में प्रति हितग्राही मंगलसूत्र एवं अन्य आभूषणों हेतु पृथक से लागत राशि निर्धारित नहीं की गई है, अपितु प्रति जोड़ा उपहार सामग्री अंतर्गत श्रृंगार सामग्री हेतु राशि 7,000/- रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। जिसके अंतर्गत वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जिसे क्रय समिति उचित समझे का प्रावधान है। प्रति हितग्राही मंगलसूत्र एवं अन्य आभूषणों हेतु पृथक से लागत राशि निर्धारित नहीं होने से निर्धारित राशि की वर्षवार जानकारी निरंक है। **(ख)** महंगाई के कारण सामग्री की गुणवत्ता अथवा मात्रा में राज्य शासन द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** राज्य शासन द्वारा कृत्रिम (आर्टिफिशियल) आभूषण वितरित करने की अनुमति नहीं दी गई है, अपितु छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-41/2012/मबावि./50 दिनांक 14.01.2013 के द्वारा मंगलसूत्र हेतु चांदी की अनिवार्यता समाप्त की गई है। वर्तमान में योजना अंतर्गत छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र एफ 3-14/2019/मबावि./50 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा जारी नवीन प्रचलित मापदण्ड में भी प्रदाय किये जाने वाले मंगलसूत्र के धातु का उल्लेख नहीं है। **(घ)** मंगलसूत्रों की गुणवत्ता के संबंध में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच की गई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के लाभार्थी

[समाज कल्याण]

43. (क्र. 900) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को विगत 02 वर्षों से समय पर राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों जानकारी देवें? **(ख)** वर्तमान में कितने हितग्राही इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तथा विगत तीन वर्षों में कितने नए हितग्राहियों को जोड़ा गया है? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ग)** क्या अनेक पात्र हितग्राहियों के आवेदन लंबित हैं अथवा पेंशन स्वीकृति में विलंब हो रहा है? यदि हाँ, तो विकासखंडवार लंबित आवेदनों की संख्या, विलंब के कारण तथा उनके निराकरण हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है? जानकारी देवें? **(घ)** समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ। विगत 02 वर्षों से जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में हितग्राहियों को नियमित पेंशन भुगतान किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा भुगतान

हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण माह मई-जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। **(ख)** पेंशन योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हितग्राही तथा विगत तीन वर्षों में जोड़े गए नए हितग्राहियों की विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र. विकासखंड का नाम	वर्तमान में लाभान्वित हितग्राही	विगत 3 वर्षों में जोड़े गए हितग्राही
1. मोहला	7715	1095
2. मानपुर	7623	645
3. अम्बागढ़ चौकी	11337	1826
योग-	26675	3566

(ग) जी नहीं। कोई भी पात्र हितग्राहियों के आवेदन लंबित नहीं हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा नियमित जन जागरूकता शिविर आयोजित कर पात्रता अनुसार योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

बस्तर संभागातर्गत स्थित गोदामों में खाद्यान्न की क्षति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

44. (क्र. 909) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागातर्गत स्थित जिलों में खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान स्थिति क्या है ? संभाग में संचालित गोदामों की संख्या एवं भंडारण क्षमता क्या है? विगत तीन वर्षों में खराब अथवा क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है ? कृपया जिलावार बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के निरंतरता में ही खाद्यान्न क्षति के कारण शासन को कितनी आर्थिक हानि हुई ? दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया बतावें ? **(ग)** बस्तर संभागातर्गत नए गोदाम निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं ? कृपया जिलावार संख्या बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में खाद्यान्न की क्षति नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** बस्तर संभाग के जिला बस्तर के केशलूर में 02 नवीन गोदाम तथा जिला दंतेवाड़ा में 01 नवीन गोदाम स्वीकृत किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली मंगलसूत्र वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

45. (क्र. 924) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या विकासखंड खड़गांव के ग्राम चनवारीडीह में दिनांक 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री-कन्या-विवाह-योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक-विवाह-कार्यक्रम में 184-जोड़ों को वितरित किए गए मंगलसूत्रों के नकली होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम में मंगलसूत्र एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाली एजेंसी/फर्म का नाम, निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत दर, आपूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता-मानकों का विवरण क्या है? **(ख)** क्या विभागीय-जांच में यह पाया गया है कि चांदी के मंगलसूत्र के स्थान पर कृत्रिम अथवा निम्न गुणवत्ता के मंगलसूत्र वितरित किए गए? यदि हाँ, तो जांच-प्रतिवेदन की प्रमुख निष्कर्षों का विवरण क्या है? योजना अंतर्गत प्रति हितग्राही स्वीकृत राशि, सामग्री क्रय हेतु निर्धारित बजट तथा वास्तविक व्यय का मदवार विवरण क्या है? **(ग)** क्या विभाग के संज्ञान में सामग्री आपूर्ति में प्रति हितग्राही लगभग ₹100 की कटौती तथा अतिरिक्त ₹1000 के भुगतान संबंधी शिकायतें आई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों की जांच एवं निष्कर्ष क्या रहे? **(घ)** क्या शासन द्वारा इस प्रकरण की जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच में क्या अनियमितताएं पाई गईं? एवं अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा आपूर्तिकर्ता=फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? **(ड.)** उक्त प्रकरण

में गुणवत्ता परीक्षण, सामग्री सत्यापन एवं वितरण पूर्व निरीक्षण हेतु जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद एवं दायित्व क्या थे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हाँ, शिकायत प्राप्त हुई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जांच में प्रथम दृष्टया चांदी का मंगलसूत्र नहीं अपितु कृत्रिम मंगलसूत्र वितरित किया जाना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के अनुसार प्रक्रियात्मक त्रुटियों की गयी है। योजना अंतर्गत प्रति हितग्राही स्वीकृत राशि, सामग्री क्रय हेतु निर्धारित बजट तथा वास्तविक व्यय का मदवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) सामग्री आपूर्ति में प्रति हितग्राही लगभग रू. 100/- की कटौती तथा अतिरिक्त रू.1000/- के भुगतान संबंधी शिकायतें विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं, शासन द्वारा पृथक से जांच नहीं कराई गई है। अपितु जिला कलेक्टर द्वारा की गई जांच को ही मान्य किया गया है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के अनुसार भंडार क्रयनियम का पालन नहीं किया जाना तथा प्रक्रियात्मक त्रुटि पायी गयी है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आपूर्तिकर्ता फर्म के देयक से राशि रू. 1,000/-प्रति हितग्राहियों की कटौती कर भुगतान किया गया है। (ड.) प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘स’** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

धान संग्रहण केन्द्रों में प्रति बोरा औसत वजन में शिथिलता प्रदाय से शासन को संभावित वित्तीय क्षति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

46. (क्र. 925) श्री संदीप साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 अप्रैल, 2025 से 31 मई, 2026 तक दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम जिलों के धान संग्रहण केन्द्रों में भंडारित धान की मात्रा, औसत प्रति बोरा वजन तथा निर्गमित धान का विवरण क्या है ? (ख) किन आधारों पर प्रति बोरा 40 किलोग्राम के स्थान पर 37.50 किलोग्राम अथवा अन्य वजन मानक स्वीकार किए गए ? संबंधित आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं ? (ग) प्रति बोरा वजन में दी गई शिथिलता से मिलरों को जारी कुल धान की मात्रा कितनी रही तथा क्या इससे शासन को संभावित वित्तीय लाभ/हानि का आकलन किसी स्वतंत्र एजेंसी, गुणवत्ता नियंत्रण दल अथवा लेखा परीक्षण संस्था द्वारा कराया गया ? यदि हाँ, तो निष्कर्ष का विवरण क्या है ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित धान उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कब और किस अधिकारी द्वारा किया गया ? सत्यापन प्रतिवेदन में क्या अनियमितताएँ पाई गई ? धान उपार्जन केन्द्रों में वजन संबंधी विसंगति के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी पाए गए ? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 01 अप्रैल, 2025 से 31 मई 2026 तक दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम जिले के धान संग्रहण केन्द्र में भंडारित धान, धान आवक में प्राप्त औसत प्रति बोरा वजन तथा निर्गमित धान का संग्रहण केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 01 अप्रैल, 2025 से 31 मई 2026 तक दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम जिले के धान संग्रहण केन्द्र में भंडारित धान, धान आवक में प्राप्त औसत प्रति बोरा वजन तथा निर्गमित धान का संग्रहण केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में धान निराकरण के लिए एन.आई.सी. साफ्टवेयर में प्रारंभ में जावक हेतु बोरो के मानक वजन 40 कि.ग्रा. से प्रावधान होता है, लेकिन वास्तविक प्राप्त मात्रा एवं समय-समय पर नमी एवं अन्य कारणों से सूखत होने से धान के वजन में होने वाले कमी के कारण साफ्टवेयर में धान जावक की अनुमति नहीं होती है। जिसे शिथिल करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा गठित समिति के द्वारा न्यादर्श आधार पर वास्तविक रूप से बोरो का वजन कर दी गई अनुसंशित मात्रा की प्रविष्टि हेतु प्रावधान कर धान का निराकरण करवाया जाता है। अनुशंसा अनुसार प्राप्त वजन की प्रविष्टि की अनुमति दी गई है। जिलों से प्राप्त प्रस्ताव एवं इस संबंध में विपणन संघ मुख्यालय से

जारी निर्देश की छायाप्रति **संलग्न प्रपत्र- स अनुसार है। (ग)** खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला स्तरीय कमेटी से प्राप्त अनुसंशा अनुसार जावक हेतु साफ्टवेयर में प्रावधान के लिए प्रति बोरा वजन में दी गई शिथिलता की सीमा में मिलरों व निराकरण के लिए धर्मकांटा में प्राप्त वास्तविक वजन अनुसार जारी की गई मात्रा की जानकारी विवरण निम्नानुसार है:-

(मात्रा मे.टन में)

क्र.	जिला	संग्रहण केन्द्र का नाम	भण्डारित धान की मात्रा	निराकृत धान की मात्रा
1	दुर्ग	अरसनारा (4312)	32242	30134
2	दुर्ग	कोडिया (4309)	78229	72749
3	दुर्ग	जेवरा सिरसा (4302)	29372	28531
4	दुर्ग	सेलूद फड (4303)	111884	108765
5	कवर्धा	बघरा (5704)	15704	15237
6	कवर्धा	बाजार चारभाठा (5702)	64649	62349
7	रायपुर	कुरुदभाटा (लाखौली) (4411)	5957	5852
8	रायपुर	जौदा (राजिम) (4405)	169405	162412
9	रायपुर	तिल्दा (4404)	252792	244460
10	रायपुर	बकतरा (मंदिरहसौद) (4412)	20020	19631

जी नहीं, शासन को संभावित वित्तीय लाभ/हानि का आकलन किसी स्वतंत्र एजेंसी, गुणवत्ता नियंत्रण दल अथवा लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नहीं कराया गया। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** दुर्ग जिले में 102 उपार्जन केन्द्रों, रायपुर जिले में 139 उपार्जन केन्द्रों एवं कवर्धा जिले में 108 उपार्जन केन्द्रों का कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में क्रमशः दुर्ग जिले के 03 उपार्जन केन्द्रों, रायपुर जिले के 07 उपार्जन केन्द्रों तथा कवर्धा में 06 उपार्जन केन्द्रों में कमी पायी गयी। उपार्जन केन्द्रवार की गई कार्यवाही की **जानकारी प्रपत्र-स अनुसार है।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

धान के अवैध परिवहन एवं जब्त वाहनों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

47. (क्र. 931) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला रायपुर अंतर्गत अवैध रूप से धान के भण्डारण एवं परिवहन के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं इन प्रकरणों के माध्यम से कितना-कितना धान जब्त किया गया? विकासखण्डवार विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार जब्त धान का भण्डारण कहां-कहां किया गया एवं परिवहन में लिप्त वाहनो एवं वाहन चालकों पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार कार्यवाही में जब्त किये गये धान का उपयोग कैसे किया गया तथा वाहनो पर की गई कार्यवाही एवं प्राप्त चालन की राशी को राजकोष में कब-कब और कहां कहां जमा किया गया? विवरण प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला रायपुर अंतर्गत अवैध रूप से धान के भण्डारण के 106 प्रकरण दर्ज किये गये एवं इन प्रकरणों के माध्यम से कुल 5539.76 क्विंटल धान जब्त किया गया। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश "क" में निर्मित 106 प्रकरण में जप्त किये गये धान को संबंधितों के सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रकरणों में वाहन एवं वाहन चालकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार जप्त अवैध धान के प्रकरण में मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कुल राशि का 5 गुणा मंडी शुल्क / कृषक कल्याण

निधि एवं निराश्रित शुल्क की राशि को मंडी निधि में जमा कराया गया है तथा वाहनों की जप्ती नहीं की गयी है।
अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"\]](#)

बस्तर संभाग अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं

[समाज कल्याण]

48. (क्र. 939) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बस्तर संभाग अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन के कुल कितने हितग्राही हैं? पेंशन योजना का नाम सहित जिलेवार जानकारी देवे? केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त होने वाली राशि का विवरण देवे? **(ख)** जनवरी, 2026 से 15 जून, 2026 तक पेंशन योजनाओं के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना था? वास्तव में कितना भुगतान किया गया? योजनावार जानकारी देवे? समय पर पेंशन भुगतान में विलम्ब का कारण बतावे? समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** लंबित पेंशन भुगतान शत प्रतिशत हितग्राहियों को कब तक कर दिया जाएगा? **(घ)** क्या बस्तर संभाग में पेंशन भुगतान हेतु डी.एम.एफ. मद से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है? यदि हां तो प्रश्नांश 'क' की अवधि में पेंशन हेतु वितरित राशि का विवरण देवे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार** है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार** है। **(ग)** भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** जी नहीं। बस्तर संभाग में पेंशन भुगतान हेतु डी.एम.एफ. मद से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया जाता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस"\]](#)

बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन

[महिला एवं बाल विकास]

49. (क्र. 943) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में 15 जून, 2026 तक आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह की तिथिवार, विकासखण्डवार जानकारी देवे? उक्त आयोजनों में कितने कितने जोड़ों का विवाह कराया गया? **(ख)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शासन द्वारा प्रत्येक हितग्राही को क्या-क्या सामग्री एवं कितनी नगद राशि दिए जाने का प्रावधान है? हितग्राही को दी जाने वाली सामग्री की क्रय पद्धति क्या है? सामग्री क्रय हेतु एंजेन्सी की निर्धारण, सामग्री की दर एवं मात्रा किस स्तर के अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है? **(ग)** प्रश्नांश 'क' हेतु व्यय राशि का कार्यक्रमवार विवरण देवे? नव विवाहितों को गुणवत्ता विहीन सामग्री प्रदाय करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? सम्पूर्ण विवरण देवे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में प्रश्नाधीन वर्षों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम की तिथिवार, विकासखण्डवार आयोजन तथा विवाह सम्पन्न कराये गये जोड़ों की संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत प्रत्येक हितग्राही को दी जाने वाली सामग्री एवं बैंक खाते के माध्यम से दी जाने वाली राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार** है। हितग्राही को दी जाने वाली सामग्री का क्रय छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियमों के तहत किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा सामग्री क्रय हेतु एंजेन्सी का निर्धारण, सामग्री की दर एवं मात्रा का निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। **(ग)** प्रश्नाधीन वर्षों में कार्यक्रमवार व्यय राशि की जानकारी

संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। नवविवाहितों को गुणवत्ता विहीन सामग्री प्रदाय करने संबंधी 01 शिकायत प्राप्त हुई है। कलेक्टर द्वारा की गई जाँच के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

50. (क्र. 944) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी प्रदाय करने केन्द्र व राज्य शासन से राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि हां तो प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार केन्द्रांश, राज्यांश की जानकारी दें? **(ख)** क्या कंडिका 'क' अनुसार वर्षों में साड़ी खरीदने के लिए राशि कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाते में जमा की गई है या उन्हें साड़ी खरीदकर दी गई है? यदि खरीदकर दी गई है तो खरीदी पद्धति क्या थी? प्रत्येक वित्तीय वर्ष का क्रय आदेश कब दिया गया तथा फर्म/संस्था कौन थी? फर्म/संस्था के द्वारा कब, कितनी मात्रा में प्रदाय की गई? फर्म/संस्था को प्रति नग किस दर पर व कुल कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? वर्षवार जानकारी दें? **(ग)** घटिया साड़ी प्रदाय की किस-किस माध्यम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? गुणवत्ता विहीन साड़ियां क्रय हेतु दोषी अधिकारी का नाम पदनाम बतावें तथा वर्तमान में वे कहां पदस्थ है? **(घ)** केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कितनी राशि का किस दिनांक को भेजा गया? वर्षवार विवरण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ, भारत शासन द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र पोषण 2.0 योजना के प्रावधान अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रति यूनिफार्म रू. 500/- की दर से प्रतिवर्ष 02 नग यूनिफार्म प्रदाय किए जाने हेतु राशि स्वीकृत की गयी है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि कार्यकर्ता, सहायिकाओं को प्रदाय नहीं की गयी है एवं वर्ष 2026-27 में साड़ी प्रदाय के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी नहीं, कंडिका 'क' अनुसार वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि कार्यकर्ता, सहायिका के खाते में जमा नहीं की गयी है, अपितु प्रचलित छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदाय आदेश दिया गया है। शेष प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** साड़ियों की गुणवत्ता के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका संघ के माध्यम से 09 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई है। प्रकरण पर विभाग द्वारा समिति गठित कर जाँच करायी गयी है तथा प्रतिवेदन खादी ग्रामोद्योग को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी जाँच समिति बनाकर प्रतिवेदन अनुसार प्रदायकर्ता इकाई को मापदण्ड से भिन्न साड़ियों को बदलकर निर्धारित मापदण्ड अनुसार साड़ी प्रदाय के निर्देश दिए गए हैं। उक्त शिकायत पर विभाग एवं छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से जांच हेतु समिति गठित की गई है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(घ)** वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश राशि रूपये 583.77 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2026 को भेजा गया है। वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत प्राप्त राशि

[महिला एवं बाल विकास]

51. (क्र. 949) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक कितने जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह हुआ है, विकासखण्डवार व तिथिवार जानकारी दें ? **(ख)** विवाह में प्रति जोड़े कितने कितने खर्च का प्रावधान है, क्या सामग्री भी प्रदान की जाती है ? यदि हां तो सामग्री हेतु कौन-कौन से फर्म को कितनी-कितनी राशि भुगतान किया गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** रायगढ़ जिले में प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में कुल 825 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है, जिसकी विकासखण्डवार व तिथिवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। जी हाँ, वर-वधु को विवाह हेतु श्रृंगार सामग्री प्रदान की जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में क्रय सामग्री का फर्मवार भुगतान राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी व उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

52. (क्र. 952) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वर्ष 2025-26 में धान खरीदी का कितना लक्ष्य रखा गया था और कितनी धान खरीदी की गई जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं ? **(ख)** क्या राज्य के धान खरीदी केंद्रों से खरीदी गई सभी धान का उठाव कर लिया गया है ? यदि नहीं तो कौन-कौन जिले से कौन-कौन मंडी में धान उपलब्ध है, जिलेवार धान खरीदी केंद्रवार जानकारी दें ? **(ग)** जनवरी, 2024 से 15 जून, 2026 तक राज्य में कितने धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं, जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। खरीफ वर्ष 2025-26 में 141.04 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की गई। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, खरीफ सीजन 2025-26 में प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से उपार्जित धान का उठाव कार्य प्रक्रियाधीन है। धान खरीदी केंद्रों में उठाव हेतु शेष धान की जिलेवार उपार्जन केंद्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में प्रदेश में कुल 2739 उपार्जन केंद्र थे, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में सक्ती जिले में 01 नवीन धान खरीदी केंद्र खोला गया है, इस प्रकार 15 जून, 2026 की स्थिति में राज्य में कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2740 है।

विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता, देय राशि तथा भुगतान राशि

[समाज कल्याण]

53. (क्र. 957) डॉ. चरण दास महंत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रभावशील पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि प्रति व्यक्ति दी जाती है, योजनावार बताएं ? पात्र व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ? केन्द्रांश तथा राज्यांश कितना-कितना है ? **(ख)** माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक प्रतिमाह कुल कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने

व्यक्तियों को दी गई, योजनावार बताएं? क्या कोई राशि देना शेष भी है? यदि हां तो उसका विवरण तथा कारण बताएं? (ग) उक्त अवधि में केंद्र सरकार से कितनी-कितनी राशि योजनावार प्राप्त हुई है? यदि कोई राशि अप्राप्त है तो वह बताएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) राज्य में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दी जाने वाली पेंशन राशि, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं केन्द्रांश व राज्यांश की योजनावार जानकारी निम्न अंकित है –

क्र.	योजना का नाम	प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दी जाने वाली पेंशन राशि	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 से 79 वर्ष आयुवर्ग हेतु 80 वर्ष या अधिक आयुवर्ग हेतु	200/- 500/-	300/- 150/-	500/- 650/-
					5,58,321
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		-	500/-	500/-
5.	सुखद सहारा योजना		-	500/-	500/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना		-	500/-	500/-
योग -					21,69,525

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक केंद्र सरकार से प्राप्त राशि की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है –

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक केंद्र सरकार से प्राप्त राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	21441.10
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	8464.03
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	1396.49
4.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2643.35
योग -		33944.97

वर्तमान में केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त होना शेष नहीं है ।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

54. (क्र. 968) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड-सिमगा/भाटापारा में 410 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 119 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं, जिसमें से 69 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में, 3 अन्य शासकीय भवन में, 6 पंचायत भवन में, 32 सामुदायिक भवन में एवं 9 स्कूल भवन में संचालित हो रहे हैं ? यदि हां तो यह सभी 119 भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र कब से किराये के भवन में/शासकीय भवन में/पंचायत भवन में/सामुदायिक भवन में/स्कूल भवन में संचालित हो रहे हैं, तथा किस-किस ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं ? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी बतायें ? **(ख)** भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सर्वसुविधायुक्त आंगनबाड़ी भवन के निर्माण नहीं होने के क्या कारण है तथा सर्वसुविधायुक्त आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी, व निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** वांछित जानकारी विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राज्य अंतर्गत किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन उपलब्धता

[महिला एवं बाल विकास]

55. (क्र. 975) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत किराये के एवं सामुदायिक भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्वयं का भवन उपलब्ध कराने हेतु क्या विभागीय योजनाएं हैं ? क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन किराये से लेने के पूर्व इन भवनों का परीक्षण एवं सुरक्षा आडिट कराया जाता है कि वे छोटे बच्चों के अनुरूप हैं अथवा नहीं एवं क्या उनमें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत किराये के एवं सामुदायिक भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए के वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीन आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत किया जाता है। जी हां, भवन किराये से लेने के पूर्व इन भवनों का भौतिक परीक्षण कराया जाता है। इसके तहत भवन में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, प्रकाश, विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त स्थान आदि का परीक्षण किया जाता है। यद्यपि किराये के भवनों का पृथक से सुरक्षा ऑडिट कराए जाने का विभागीय प्रावधान नहीं है तथापि इन भवनों को किराए पर लिए जाने के पूर्व बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित भवनों का चयन किया जाता है।

पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन व प्रदायित पेंशन

[समाज कल्याण]

56. (क्र. 977) श्री देवेन्द्र यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष जनवरी, 2024 से दिनांक 15.06.2026 तक दुर्ग जिला अंतर्गत पेंशन के कितने नए (वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अन्य पेंशन) आवेदन प्राप्त हुए हैं, पेंशन योजनावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्न "क" के अनुसार क्या सभी हितग्राहियों को पेंशन देने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है? यदि हां तो पेंशन, राशि सहित जानकारी दें। **(ग)** दुर्ग जिला अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत पेंशनधारियों

को आबंटित पेंशन जनवरी 2025 से दिनांक 15.06.2026 तक कितनी-कितनी राशि निर्धारित पेंशन के तहत दी गयी है? पेंशन योजना का नाम सहित जानकारी दें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत पेंशनधारी हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) दुर्ग जिला अंतर्गत जनवरी, 2024 से दिनांक 15.06.2026 तक पेंशन के नए आवेदनों की योजनावार जानकारी निम्न अंकित है -

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3234
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1065
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	42
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	555
5.	सुखद सहारा योजना	498
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	695
योग-		6089

(ख) जी हाँ। नए सभी हितग्राहियों को पेंशन देने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, पेंशन राशि सहित जानकारी निम्न अंकित है -

क्र.	योजना का नाम	हितग्राही	प्रतिमाह कुल पेंशन राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3234	16,17,000/-
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1065	5,32,500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	42	21,000/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	555	2,77,500/-
5.	सुखद सहारा योजना	498	2,49,000/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	695	3,47,500/-
योग -		6089	30,44,500/-

(ग) जिला दुर्ग अंतर्गत पूर्व में पंजीकृत पेंशनधारियों को जनवरी, 2025 से दिनांक 15.06.2026 तक निम्नानुसार निर्धारित राशि के तहत पेंशन भुगतान की गई है -

क्र.	योजना का नाम	प्रतिमाह निर्धारित पेंशन राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 से 79 वर्ष आयुवर्ग हेतु 500/-
		80 वर्ष या अधिक आयुवर्ग हेतु 650/-
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	500/-
5.	सुखद सहारा योजना	500/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	500/-

(घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दुर्ग एवं कबीरधाम जिले में धान खरीदी में अनियमितता

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

57. (क्र. 982) श्री देवेन्द्र यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दुर्ग एवं कबीरधाम जिले में कितने धान खरीदी केन्द्र हैं? विकासखण्डवार बतावें? खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन के बाद भौतिक सत्यापन में कितने धान खरीदी केन्द्रों में उपार्जित धान एवं वास्तविक मात्रा में अंतर

आया है? उपार्जन केन्द्रों का नाम एवं कम मात्रा की जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार जिन-जिन केन्द्रों में धान कम पाया गया है? उन समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या शार्टेज मात्रा जमा कराई गई है या उसकी कीमत जमा कराई गई है, विवरण देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** दुर्ग एवं कबीरधाम जिले में धान खरीदी केन्द्र की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्रमांक	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	धान खरीदी केन्द्र की संख्या
1	दुर्ग	दुर्ग	23
		धमधा	42
		पाटन	37
		योग	102
2	कबीरधाम	कवर्धा	28
		पंडरिया	31
		बोडला	25
		सहसपुर लोहारा	24
		योग	108

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान के भौतिक सत्यापन में उपार्जित धान व वास्तविक मात्रा में पाये गये अंतर की केन्द्रवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस" \]](#)

सुपोषण योजना में लाभान्वित बच्चे

[महिला एवं बाल विकास]

58. (क्र. 986) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की वर्तमान संख्या कितनी है? जिलेवार विवरण दे? **(ख)** कुपोषित बच्चों के सुपोषण के लिये राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजना का नाम एवं राशि का जिलेवार विवरण क्या है? **(ग)** सुपोषण योजना से विगत 03 वर्षों में कितने बच्चे सुपोषित हुये हैं? सुपोषित बच्चों की संख्या का जिलेवार विवरण क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** राज्य में पोषण ट्रेकर एप्प के अनुसार वर्तमान में कुपोषित बच्चों (MAM) की संख्या 78,704 एवं अतिकुपोषित बच्चों (SAM) की संख्या 26,561 हैं। जिलेवार विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** कुपोषित बच्चों के सुपोषण के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, सुपोषण चौपाल कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलों को आबंटित राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** सुपोषण योजना से विगत 03 वर्षों में 1,34,595 बच्चे सुपोषित हुये हैं सुपोषित बच्चों की संख्या का जिलेवार विवरण संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं महतारी वंदन योजना हेतु एकीकृत ऑटो-डेशबोर्ड

[महिला एवं बाल विकास]

59. (क्र. 989) श्री भूपेश बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 से मई, 2026 तक 'कन्या विवाह योजना' में कितनी कन्याएं लाभान्वित हुईं व

कितना व्यय हुआ ? चालू वर्ष के लक्ष्य व बजट कटौती का क्या औचित्य है ? क्या दोनों विषयांकित योजनाओं हेतु एकीकृत ऑटो-डैशबोर्ड है ताकि गरीब वधुओं को दोबारा शासकीय प्रक्रिया व ई-केवायसी न करना पड़े ? जिलेवार विवरण दें ? **(ख)** क्या 18 से 21 वर्ष की पात्र युवतियां महतारी वंदन की न्यूनतम 21 वर्ष की आयु सीमा के कारण वंचित हैं ? क्या सरकार की आयु में छूट की कोई योजना है ? **(ग)** क्या सामूहिक विवाहों में दी जाने वाली उपहार सामग्री की सहायता राशि सीधे वधु के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) करने की व्यवस्था की जा रही है ? **(घ)** क्या मार्च, 2024 में महतारी वंदन के हितग्राही 70.14 लाख थे, जो मई, 2026 में घटकर 68.54 लाख हो गए ? 'सत्यापन' के नाम पर अपात्र करने का मापदंड क्या है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि तक कन्या विवाह योजना में कुल 18040 कन्याएं लाभान्वित हुई हैं तथा अद्यतन स्थिति तक राशि रू. 89.26 करोड़ व्यय हुई है। चालू वर्ष के लक्ष्य एवं बजट में कटौती नहीं की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं महतारी वंदन योजना का एकीकृत ऑटो-डैशबोर्ड नहीं है, ई-केवायसी केवल महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के हितग्राहियों का ई-केवायसी नहीं कराया जा रहा है, अतः दोबारा शासकीय प्रक्रिया एवं ई-केवायसी कराये जाने संबंधी प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ख)** महतारी वंदन योजनांतर्गत न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। अतः 18 से 21 वर्ष की युवतियां योजनांतर्गत पात्र नहीं हैं। आयु सीमा में छूट दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ग)** जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उपहार सामग्री के लिए कन्यादान राशि रू. 35000/- वधू को ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से डीबीटी किए जाने का प्रावधान लागू है। **(घ)** मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 7009658 थे अद्यतन स्थिति में मई 2026 में लाभान्वित किए गए हितग्राहियों की संख्या 6867198 है। इस अवधि में हितग्राहियों की संख्या में आई कमी का मुख्य कारण हितग्राहियों की मृत्यु हो जाने, लाभ त्याग किए जाने, दो आवेदन के प्रकरण, स्थानीय निवासी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न करने आदि कारणों से है।

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

60. (क्र. 997) श्री रिकेश सेन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? इनमें से कितने केंद्र विभागीय/शासकीय भवनों में चल रहे हैं और कितने केंद्र किराए के या अन्य वैकल्पिक भवनों में संचालित हो रहे हैं? कृपया केंद्रवार सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से स्वयं के सर्व-सुविधा युक्त आंगनवाड़ी भवनों के अभाव के कारण बच्चों और महिलाओं को शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिलने में कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार वैशाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत नए सर्व-सुविधा युक्त आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु स्थानीय प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किराए के भवनों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्वयं का सर्व-सुविधा युक्त भवन निर्माण कराने की कोई विशेष कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो इन भवनों का निर्माण कब तक स्वीकृत एवं पूर्ण कर लिया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 106 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 56 केंद्र विभागीय/शासकीय भवनों में, 42 केंद्र किराए के भवनों एवं 08 अन्य वैकल्पिक भवनों में संचालित हो रहे हैं। केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। सभी पात्र महिलाओं एवं बच्चों को शासन की विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। **(ग)** जी हाँ। वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत 02 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु उक्त दोनों स्थानों पर

वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत न होने के कारण आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। (घ) किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है। अतएव निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

अमानक से राजस्व क्षति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

61. (क्र. 1006) श्री अजय चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2023-24 से 2025-26 के धान खरीदी में कितनी मात्रा में, किन-किन कारणों से धान अमानक हुये? किसानों से खरीदी गई धान के मूल्यों के आधार पर उसका कितना मूल्य होता है तथा इसके कारण राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ व इसके जिम्मेदार/दोषी कौन-कौन है एवं भरपाई के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? वर्षवार बतायें? (ख) राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन ऑक्शन के माध्यम से धान एवं चावल का विक्रय करने का निर्णय किन कारणों से लिया गया एवं उक्त वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर विक्रय किया गया एवं किसानों से खरीदी गयी धान के मूल्यों के आधार पर कितनी राशि का नुकसान हुआ? वर्षवार बतायें? (ग) खरीफ वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक मार्कफेड द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन संस्थाओं से, कितनी अवधि के लिये, किस ब्याज दर पर कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया और उनमे से कितने ऋणों की अदायगी हो चुकी है व कितनी शेष है तथा उसकी ब्याज अदायगी प्रति माह/वर्ष कितनी है? वर्षवार बतायें? 15 जून, 2026 की स्थिति में मार्कफेड को राज्य सरकार से कितनी राशि, किस मद से लेना था? और कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा मार्कफेड को अदायगी की गयी व कितनी शेष रही?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) संग्रहण केन्द्रों में अमानक धान की वर्षवार मात्रा, समर्थन मूल्य के आधार पर अमानक धान का मूल्य की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

खरीफ विपणन वर्ष	संग्रहण केन्द्रों में अमानक धान की मात्रा (मात्रा मे.टन में)	समर्थन मूल्य के आधार पर अमानक धान का मूल्य एवं अनुमानित नुकसान (राशि करोड़ में)
2023-24	17166	37.47
2024-25	20146	46.34

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक उपार्जन केन्द्रों में धान अमानक नहीं हुआ है। खरीफ वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में लंबी अवधि तक धान भण्डारित रहने एवं बारिस से प्रभावित होने के कारण अमानक हुआ है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रशंश उपस्थित नहीं होता है। (ख) राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में धान निराकरण हेतु केन्द्र सरकार से प्रदेश में उपार्जित संपूर्ण धान से निर्मित होने वाले संपूर्ण अनुपातिक चावल जमा का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण ऑनलाईन ऑक्शन के माध्यम से अतिशेष धान को विक्रय करने का निर्णय लिया गया। उक्त वर्षों में विक्रय की गई मात्रा, विक्रय का दर एवं किसानों से खरीदी गयी धान के समर्थन मूल्य एवं प्रासंगिक व्यय के आधार पर धान विक्रय में नुकसान की राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

खरीफ विपणन वर्ष	विक्रय की गई मात्रा	धान का किस्म	मंत्री मण्डलीय उपसमिति द्वारा निर्धारित दर एक क्विंटल धान की कीमत (बारदाना सहित) रूपये प्रति क्विंटल में		धान विक्रय में नुकसान की अनुमानित राशि
2024-25	19.03 लाख मे.टन	धान	नया बारदाना	1950	1920 करोड़ रूपये
		काँमन	पुराना बारदाना	1900	
		धान ग्रेड-ए	नया बारदाना	2100	
			पुराना बारदाना	2050	
2025-26	7.83 लाख मे.टन	धान	नया बारदाना	1950	900 करोड़ रूपये
		काँमन	पुराना बारदाना	1900	
		धान ग्रेड-ए	नया बारदाना	2100	
			पुराना बारदाना	2050	

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नीलामी में धान उठाव पश्चात मिलान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संपूर्ण मिलान होने के पश्चात होने वाले वास्तविक नुकसान का आंकलन किया जा सकेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 7.83 लाख मे.टन धान का विक्रय किया गया है। जिसमें उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संपूर्ण धान उठाव होने के पश्चात होने वाले वास्तविक नुकसान का आंकलन किया जा सकेगा। **(ग)** खरीफ वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक मार्कफेड द्वारा लिये गये ऋण की राशि, संस्था, ऋण अवधि, ऋण अदायगी एवं शेष ऋण है तथा ब्याज अदायगी की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** 15 जून, 2026 की स्थिति में मार्कफेड को राज्य सरकार से विभिन्न मदों हेतु राशि रूपये 45,927.15 करोड़ प्राप्त होना था, जिसका मदवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मार्कफेड को राशि रूपये. 24,597.46 करोड़ अदायगी की गयी व राशि रूपये 21,329.69 करोड़ की प्राप्ति होना शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"\]](#)

प्रदेश में धान की खरीदी व उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

62. (क्र. 1007) श्री अजय चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ वर्ष 2025-26 में कितने मात्रा में धान खरीदी की गयी तथा 15 जून, 2026 की स्थिति में कितनी मात्रा का उपार्जन हुआ है? उपार्जित धान का निराकरण किस प्रकार से किया गया? क्या निराकरण के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें, कब-कब किसके द्वारा की गयी और उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही किनके द्वारा, किसके विरुद्ध की गयी है? **(ख)** क्या नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा चावल के परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है? यदि हां तो निविदा की प्रक्रिया क्या है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में निविदा आमंत्रित कब की गयी? क्या इस निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? यदि हां तो कार्य आदेश कब जारी किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 141.04 लाख मेट्रिक धान खरीदी की गयी तथा 15 जून, 2026 की स्थिति में कुल 141.04 लाख मेट्रिक धान की मात्रा का उपार्जन हुआ है। उपार्जित धान का निराकरण कस्टम मिलिंग तथा अतिशेष धान का नीलामी, प्राइस मैचिंग के माध्यम से किया गया है। निराकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हां। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने गोदाम से उचित मूल्य दुकानों तक चावल के परिवहन एवं जिले के अंदर तथा अंतर्जिला चावल परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। राज्य स्तर से निविदा आमंत्रण सूचना जारी किये जाने के उपरांत जेम पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर ऑनलाईन निविदा की कार्यवाही आमंत्रित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 07.10.2025 को

राज्य स्तर से जारी की गयी। 157 आमंत्रित निविदा में 133 निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष निविदा में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य आदेश संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु नवीन भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

63. (क्र. 1026) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? उक्त भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नवीन भवन निर्माण की क्या कार्ययोजना है? **(ख)** भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नवीन भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है? यदि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं तथा समय-सीमा कब तक निर्धारित की जाएगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** सामरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 269 भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। भवन-विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नवीन भवन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। **(ख)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन**

[महिला एवं बाल विकास]

1. (क्र. 82) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2025 - 26 एवं 2026 - 27 में स्वीकृत नवीन आंगनबाड़ी भवनों की सूची पूर्ण /अपूर्ण सहित केन्द्र के नाम सहित विकासखण्डवार देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में स्वीकृत नवीन आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी निरंक है।

कांकेर जिले में पंजीकृत दिव्यांगजन

[समाज कल्याण]

2. (क्र. 108) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले में वर्तमान में पंजीकृत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की विकासखण्डवार संख्या कितनी है? **(ख)** विगत तीन वर्षों में दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए ? **(ग)** क्या कांकेर जिले के अनेक दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, पेंशन स्वीकृत एवं सहायक उपकरण प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब का सामना कर रहे हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही से अवगत करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। कांकेर जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, पेंशन स्वीकृति एवं सहायक उपकरण प्राप्त करने में विलम्ब का सामना नहीं करना पड रहा है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

बीज निगम एवं सेवा सहकारी समिति में एक ही रकबा से एवं गिरदावरी में बेचा गया धान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (क्र. 231) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सत्र 2023-24 से 2025-26 तक बरमकेला में कितने लोगों के द्वारा बीज निगम एवं सेवा सहकारी समिति में एक ही रकबा से एवं गिरदावरी से दोनों जगह धान बेचा गया है तथा कितने किसानों को बोनास सहित दोनों जगह भुगतान हुआ है, **(ख)** क्या किसानों के रकबा एवं धान का दोनों जगह भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं तो कारण बतायें ? **(ग)** क्या समिति के कम्प्यूटर लॉग इन और पोर्टल की जाँच करवायी गयी है कि एक व्यक्ति का दो जगह कैसे रकबा चढ़ा ? क्या कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा बनाई गयी जांच दल की जाँच पूरी हो गई है ? यदि हां, तो जाँच दल द्वारा क्या प्रतिवेदन दिया गया है एवं क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक बरमकेला में बीज निगम एवं सेवा सहकारी समिति में एक ही रकबा से एवं गिरदावरी से दोनो जगह धान बेचने वाले लोगो की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्रमांक	वर्ष	कृषकों की संख्या
1	2023-24	93
2	2024-25	148
3	2025-26	172

उपरोक्त कृषकों को बोनस सहित दोनो जगह भुगतान हुआ है।(ख) राजस्व विभाग के द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे/गिरदावरी कार्य मौके पर लगे फसल अनुसार किया गया है व बीज विकास निगम द्वारा पंजीकृत रकबा उपार्जित कच्चा बीजों का सत्यापन किया गया है। (ग) कलेक्टर द्वारा जांच दल गठित किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

धमतरी जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (क्र. 474) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनी वर्तमान में सक्रिय हैं? **(ख)** पात्र हितग्राहियों को कितनी मात्रा में चावल, चना, शक्कर एवं अन्य सामग्री वितरण किया जाता है? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र सिहावा में राशन कार्ड सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने एवं पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 494 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित है तथा वर्तमान में सभी उचित मूल्य दुकानें क्रियाशील है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधान अनुसार राशनकार्डों में अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने एवं पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायतों में नाम जोड़ने एवं हटाने की कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

विकलांगता पेंशन के पात्र हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृति के प्रावधान

[समाज कल्याण]

5. (क्र. 475) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत विकलांगता पेंशन की पात्रता हेतु किस वर्ष की सर्वे सूची मान्य है ? **(ख)** क्या कंडिका "क" में उल्लेखित सर्वे वर्ष के बाद जन्म लेने वाले पात्र दिव्यांग हितग्राहियों हेतु पेंशन प्रकरण स्वीकृत करने के लिए शासन द्वारा कोई प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? यदि नहीं, तो कब तक विकलांग पेंशन स्वीकृति हेतु नियम बना लिए जाएंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) राज्य में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजनाओं की पात्रता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची वर्ष 2002 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2007-08 मान्य है । **(ख)** जी हाँ । सर्वे वर्ष के बाद जन्म लेने वाले दिव्यांग व्यक्ति के परिवार का नाम यदि पूर्व से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन

यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची वर्ष 2002 अथवा शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2007-08 की सर्वे सूची में है, तो वह भी पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं।

राज्य में संचालित व्यसन मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र

[समाज कल्याण]

6. (क्र. 670) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित 'नशामुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में राज्य में कुल कितने व्यसन मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित हैं? इन्हें शासन या निजी संस्था द्वारा कुल कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है और इसमें से कितनी वित्तीय राशि जिले के जागरूकता कार्यक्रमों और पुनर्वास केंद्रों पर वास्तविक रूप से व्यय की गई है? जिलावार और मदवार विवरण दें ? **(ख)** क्या बढ़ते नशे (विशेषकर सिंथेटिक ड्रग्स और अवैध शराब) की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभाग, स्थानीय शासकीय अस्पतालों में ही निःशुल्क ओपिओइड प्रतिस्थापन थेरेपी केंद्र या समाज कल्याण विभाग की ओर से एक सर्वसुविधायुक्त शासकीय पुनर्वास केंद्र खोलने की कोई बजटीय योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो इसकी समय-सीमा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, शासकीय अस्पताल में ओपिओइड प्रतिस्थापन थेरेपी केंद्र या सर्वसुविधायुक्त शासकीय पुनर्वास केंद्र खोलने की कोई बजटीय योजना नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

सेवा सहकारी समितियों में धान खरीदी घोटाला में कृत कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (क्र. 698) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला-बालोद के वि.खं. गुण्डरदेही, डौंडीलोहरा एवं जिला-दुर्ग के वि.खं. दुर्ग के सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में धान खरीदी के दौरान कौन-कौन सी समितियों में धान खरीदी घोटाला हुआ है ? जिसमें से कहाँ-कहाँ की समितियों में FIR दर्ज हुई है ? FIR उपरांत कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ? कितनी समितियों में घोटाले की राशि वसूल की गई है ? समितियों के नाम एवं अपराध में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं व्यक्तियों की जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जिला बालोद के विकासखण्ड गुण्डरदेही, डौंडीलोहरा एवं जिला दुर्ग के विकासखण्ड दुर्ग के सेवा समितियों में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में धान खरीदी के दौरान समितियों में धान खरीदी घोटाला नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

दिव्यांगजन संवर्ग शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण

[समाज कल्याण]

8. (क्र. 700) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिव्यांगजन संवर्ग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है? **(ख)** क्या दिव्यांगजन संवर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति में किसी प्रकार की रोक लगी है? अगर हाँ, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला बालोद में रेडी-टू-ईट का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

9. (क्र. 703) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-बालोद में रेडी- टू -ईट का संचालन किन-किन समूहों /संस्थाओं द्वारा किस-किस तिथि से किया जा रहा है ? सेक्टर का नाम समूह सहित बतावें ? **(ख)** जिला बालोद में रेडी-टू-ईट संचालन हेतु आवेदन के लिए विज्ञापन किस तिथि को जारी किया गया ? संचालन हेतु अनुबंध कब किया गया ? अनुबंधित समूह के स्वामित्व का स्वयं का रेडी-टू-ईट निर्माण यूनिट कहाँ पर कब से स्थापित किया गया है ? विभाग के किस अधिकारी द्वारा निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण के दौरान क्या उक्त यूनिट में गुणवत्ताहीन सामग्री एवं साफ-सफाई की अव्यवस्था की समस्या पाई गई ? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण केन्द्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला-बालोद में रेडी-टू-ईट का प्रदाय महिला स्व सहायता समूह द्वारा नहीं किया जा रहा है, अपितु दिनांक 01.04.2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्नांश "ख" की जानकारी निरंक है।

प्रदेश में कुपोषण मुक्ति हेतु संचालित कार्यक्रम

[महिला एवं बाल विकास]

10. (क्र. 710) श्री पुन्लाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रदेश में कुल कुपोषण मुक्ति हेतु पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अभियान संचालित है ? यदि हाँ, तो क्या पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों को नाश्ता में पोहा/रेडी टु ईट हलवा एवं गर्म भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी एवं तेल मसाला का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है? क्या नाश्ता एवं गर्म भोजन की सामग्री का क्रय स्थानीय स्तर पर महिला स्व. सहायता समूहों द्वारा किया जाता है तथा रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड गेहूँ का आटा का वितरण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ? नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन की दर प्रतिदिन एवं प्रतिमाह कितना तय किया गया है? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ। आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को नाश्ते में सप्ताह के तीन दिवस मीठा शक्ति आहार एवं सप्ताह के शेष तीन दिवस नमकीन पौष्टिक दलिया एवं गर्म भोजन में चावल, मिक्स दाल (चना+मसूर+राहर), सब्जी (सोयाबीन चक्स के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जियाँ) फोर्टिफाईड तेल + नमक, मसाला सहित प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ, नाश्ता एवं गर्म भोजन की सामग्री का क्रय स्थानीय स्तर पर महिला स्व. सहायता समूहों द्वारा किया जाता है, इसके अतिरिक्त प्रदेश के 27 जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम) एवं 06 जिलों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया का प्रदाय किया जा रहा है। नाश्ता एवं गर्म भोजन के लिए प्रतिहितग्राही प्रतिदिन भारत शासन द्वारा 8/-रूपये का दर निर्धारित किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन उपस्थित हितग्राहियों की संख्या में भिन्नता होने के कारण प्रतिमाह की राशि तय नहीं किया जाता है।

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

11. (क्र. 711) श्री पुन्नीलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश कुल कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्धारण हेतु क्या नियम हैं? **(ख)** जून, 2026 तक 16 से 33 जिले होने के उपरांत कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं एवं कितना प्रस्तावित है? विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश में जून 2026 की स्थिति में कुल 52305 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 51605 सहायिका कार्यरत हैं। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। नवीन आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ करने के लिए भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है-
1. ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं के लिए:- 400 से 800 की जनसंख्या पर 01 आंगनबाड़ी केंद्र 800 से 1600 की जनसंख्या पर 02 आंगनबाड़ी केंद्र 1600 से 2400 की जनसंख्या पर 03 आंगनबाड़ी केंद्र
2. आदिवासी/तटवर्ती/पहाड़ी/अन्य दूरस्थ क्षेत्रों व परियोजना के लिए:- 300 से 800 की जनसंख्या पर 01 आंगनबाड़ी केंद्र । 3. पीएम जनमन योजना अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्र के लिए:- लगभग 100 की जनसंख्या पर 01 आंगनबाड़ी केंद्र । **(ख)** राज्य में 16 से 33 जिले होने के उपरांत जून 2026 तक 855 नये आंगनबाड़ी केंद्र प्रारंभ किये गये एवं 20 प्रस्तावित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्डधारियों की संख्या

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (क्र. 718) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- जनवरी, 2024 में सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्डधारी बीपीएल एवं एपीएल की कुल संख्या कितनी थी तथा अप्रैल, 2026 में संख्या कितनी है? कृपया जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2024 में 32,325 अंत्योदय राशन कार्ड, 73,933 प्राथमिकता राशनकार्ड, 1,056 निराश्रित राशनकार्ड, 53 निः शक्तजन राशनकार्ड तथा 8,735 सामान्य एपीएल राशनकार्ड कुल 1,16,102 राशनकार्ड प्रचलित थे। अप्रैल 2026 में 32,629 अंत्योदय राशनकार्ड, 77,291 प्राथमिकता राशनकार्ड, 657 निराश्रित राशनकार्ड, 46 निः शक्तजन राशनकार्ड तथा 7,966 सामान्य एपीएल राशनकार्ड कुल 1,18,589 राशनकार्ड प्रचलित है।

रायगढ़ जिला में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

13. (क्र. 726) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिलांतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कितने का स्वयं का भवन है ? कितने भवनविहीन हैं ? कितने भवन जर्जर हैं ? जानकारी विकासखण्डवार देवें? भवनविहीन एवं जर्जर भवनों के नए भवन बनाने के लिए क्या कार्ययोजना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : रायगढ़ जिलांतर्गत कुल 2709 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 1925 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में संचालित है। 784 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं जिसमें से 379 आंगनबाड़ी भवन जर्जर हैं। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वित्तीय संसाधनों

एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीन आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तके एवं प्रचार सामग्री

[महिला एवं बाल विकास]

14. (क्र. 727) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पुस्तकों और प्रचार सामग्रियों की छपाई के लिए कितने पुस्तकों का निर्धारित किया गया है? कब टेंडर जारी किया गया है? कितने का टेंडर हुआ? कितने का वर्क आर्डर हुआ है ? कितने पुस्तकों की छपाई कब पूर्ण हुई? कब तक उन पुस्तकों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में भेजा जाना था, कब तक भेजा गया? क्या जून, 2026 तक सभी पुस्तकों का वितरण हो चुका है? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ, विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16 पुस्तके निर्धारित किया गया। उक्त कार्य के संबंध में टेंडर जारी नहीं किया गया है, अपितु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के स्थायी वित्त निर्देश 11/2025 के अनुसार कार्यदेश छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर एवं संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री रायपुर छ.ग. से कार्य कराया गया है। तदनुसार टेंडर संबंधी शेष जानकारी निरंक है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में भेजे जाने वाले पुस्तकों का वितरण जून 2026 तक हो चुका है।

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरणों का वितरण

[समाज कल्याण]

15. (क्र. 734) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या प्रदेश में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी तथा अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से योजना के तहत कौन-कौन सी उपकरण दिए जाते हैं? **(ख)** कंडिका "क" की योजनांतर्गत बिलासपुर जिला अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाए गए हैं? **(ग)** कंडिका "क" के तहत विगत 03 वर्षों में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाए गए हैं? कितने पात्र हितग्राहियों को उपकरण वितरण किया गया है और कितने शेष हैं? शेष हितग्राहियों को कब तक वितरण किया जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना तथा सामर्थ्य विकास योजना अंतर्गत मोटराईज्ड ट्रायसायकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, एम आर किट, सी पी चेयर, वाकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र बैटरी, ब्लाइंड स्टीक, ब्रेल स्लेट, ट्रायपोर्ट, टेटरा पाड, एल्बो स्टीक, हैण्ड स्टीक, वाकर, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, बेल केन, फोल्लिंग, स्मार्ट फोन, सेल फोन, डीजी प्लेयर, टेबलेट, मोटराईज्ड बैटरी, बैटरी, जिंक एयर बैटरी, चार्जर, मोटराईज्ड बैटरी चार्जर, एल्बो क्रच, रौलेटर, स्पाइनल ब्रेसिस, शु, एल एस बेल्ट, AFO, KAFO, BK Prosthesis उपकरण प्रदान किए जाते हैं। **(ख)** कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना तथा सामर्थ्य विकास योजना अंतर्गत जिला बिलासपुर में वर्ष 2026-27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मई 2026 तक) में कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी 55 आवेदक पात्र हैं। **(ग)** तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कुल 618 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी 618 आवेदक पात्र हैं। सभी पात्र 618 हितग्राहियों को उपकरण वितरण किया गया है। कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (क्र. 735) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं? (ख) कंडिका "क" की कितनी दुकानें स्वयं के भवन में संचालित हैं? कितनी दुकानें किराए के भवन पर संचालित हैं एवं कितनी दुकानें जर्जर हालत में हैं? दुकानवार विवरण दीजिए? (ग) क्या कंडिका "क" के किराए एवं जर्जर हालत में स्थित दुकानों के लिए भवन स्वीकृति प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत कर लिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 143 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। (ख) कंडिका 'क' की 54 उचित मूल्य दुकानें स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन में, 26 उचित मूल्य दुकानें किराये के भवन में संचालित हैं। 02 उचित मूल्य दुकान भवन जर्जर स्थिति में हैं। दुकानवार विवरण संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने के उपरांत दुकान सह गोदाम भवन स्वीकृत किया जा सकेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

पूरक पोषण आहार की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

17. (क्र. 742) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) क्या यह सत्य है कि प्रदेश की विभिन्न आंगनबाड़ियों में बांटे जाने वाले पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट) की गुणवत्ता तथा इसके परिवहन/वितरण में वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में विभाग को जिलावार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतवार विस्तृत जानकारी दें। (ख) विगत 3 वर्षों से बिलासपुर एवं रायपुर संभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पद पर कब से एवं कौन-कौन पदस्थ हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कोई जांच प्रचलित/चल रही है? यदि हाँ तो जांच किनके विरुद्ध, कब से, एवं क्यों प्रचलित/चल रही है? जिलावार, नाम, पदनाम एवं जांच की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हाँ। पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) की गुणवत्ता तथा इसके परिवहन/वितरण में वित्तीय अनियमितता संबंधी विगत दो वर्षों में विभाग को 06 शिकायतें प्राप्त हुआ है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ख की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब और प्रपत्र स अनुसार है।

राईस मिलरों द्वारा धान का उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (क्र. 743) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) विगत खरीफ सीजन में प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों से राईस मिलरों द्वारा धान का उठाव (कस्टम मिलिंग हेतु) समय पर न होने के कारण कुल कितने किंटल धान के खराब होने/सड़ने अथवा सूखत (वजन कम होने) की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई है? जिलावार एवं समितिवार जानकारी दें। (ख) धान उठाव में देरी होने के कारण शासन को कुल कितनी आर्थिक क्षति (नुकसान) हुई है तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों या मिलर्स पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें। (ग) धान की शॉर्टेज के मामले में जून, 2026 तक कुल कितने समिति प्रबंधकों, प्रभारियों और राईस मिलर्स के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) विगत खरीफ सीजन 2025-26 में प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों के माध्यम से उपार्जित धान का उठाव प्रक्रियाधीन है। धान के उठाव पूर्ण होने के उपरांत ही धान सूखत अथवा खराब होने/सड़ने की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) धान के उठाव पूर्ण होने के उपरांत ही धान के सूखत अथवा खराब होने/सड़ने की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान के उठाव पूर्ण होने एवं लेखा मिलान उपरांत ही धान के सूखत एवं शार्टेज की मात्रा ज्ञात हो सकेगी। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हितग्राहियों भुगतान की गई राशि

[महिला एवं बाल विकास]

19. (क्र. 750) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) महतारी वंदन योजना अंतर्गत मार्च, 2024 में हितग्राहियों की संख्या कितनी थी? जून, 2026 की स्थिति में कुल कितने हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं? योजना अंतर्गत जून, 2026 तक कुल कितनी राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है? (ख) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कितने हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं? मार्च, 2024 की स्थिति में हितग्राहियों की संख्या कितनी थी? क्या हितग्राहियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो कारण बतावें? (ग) मार्च, 2024 से जून, 2026 तक प्रदेश में कुल कितने अपात्र हितग्राहियों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है? राशि वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई ? कितनी राशि वसूली की गई ? कितनी राशि की वसूली शेष है ? (घ) अपात्र हितग्राहियों के चयन एवं भुगतान हेतु जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मार्च 2024 में लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या 70,09,658 थी, जून 2026 की स्थिति में 68,54,003 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। योजना अंतर्गत प्रारंभ से जून 2026 तक हितग्राहियों को कुल राशि ₹. 18122.52 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। (ख) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जून 2026 की स्थिति में 70792 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं तथा मार्च 2024 की स्थिति में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 72256 थी। जी हाँ, हितग्राहियों की संख्या में कमी दर्ज की गयी है, जिसका मुख्य कारण हितग्राहियों की मृत्यु हो जाना, लाभ त्याग करना, दो आवेदन के कारण एक आवेदन अपात्र किया जाना, स्थानीय निवासी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना आदि कारण है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में कुल 19964 अपात्र हितग्राहियों को कुल राशि ₹. 1815.41 लाख का भुगतान हुआ है। राशि वसूली हेतु 02 आवेदन वाले प्रकरणों में एक आवेदन अपात्र करते हुए अधिक भुगतान की राशि आगामी माह के भुगतान रोककर समायोजन करने की कार्यवाही की गयी है, अपात्र हितग्राहियों से मैदानी अमलो तथा बैंको के माध्यम से वसूली किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक ₹. 613.74 लाख वसूल / समायोजित किया जा चुका है तथा ₹. 1012. 60 लाख की वसूली/समायोजन किया जाना प्रक्रियाधीन है। (घ) अपात्र हितग्राहियों के भुगतान प्रकरण में अधिकांश प्रकरण हितग्राहियों द्वारा गलत शपथ-पत्र प्रस्तुत कर लाभ लेने के प्रकरण है, प्रकरण संज्ञान में आने पर संबंधित को अपात्र किया जाकर राशि वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाती है। प्रथम दृष्टा प्रकरणों में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी पर भी कार्यवाही की गयी है, अब तक 01 परियोजना अधिकारी, 01 पर्यवेक्षक को निलंबित किया जा चुका है तथा 01 कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त की गयी है, 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन

[समाज कल्याण]

20. (क्र. 751) श्री सुशांत शुक्ला : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजना के कितने-कितने हितग्राही पंजीकृत हैं? विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के कुछ पात्र हितग्राहियों को कुछ माह की पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां तो कब से एवं इसका क्या कारण है? कब तक राशि उपलब्ध करा दी जावेगी? **(ग)** वर्ष 2025 से जून, 2026 तक बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन योजना के कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने पात्र तथा कितने अपात्र पाये गये? कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर दिया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण से मई-जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। जुलाई, 2026 अंत तक भुगतान कर दी जावेगी। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र बेलतरा अंतर्गत वर्ष 2025 से जून, 2026 तक प्राप्त आवेदन, पात्र/अपात्र, लंबित प्रकरण तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	पात्र	अपात्र
1.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	486	407	79
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	251	208	43
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	9	2	7

कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। अतः निराकरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

21. (क्र. 758) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में बिलासपुर जिले में DMF अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को कितने कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कार्यकारी एजेंसी, विकासखंडवार विवरण देवें? इनमें से कितने कार्य पूर्ण, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ हैं तथा प्रत्येक कार्य पर जून, 2026 तक कितना व्यय किया गया एवं कितनी राशि शेष है? **(ख)** उपरोक्त अवधि में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा DMF अंतर्गत कितने नवीन कार्य प्रस्तावित किए गए? कार्यवार प्रस्ताव की तिथि, प्रस्तावित राशि, कार्य का स्वरूप, संबंधित विकासखंड एवं वर्तमान स्थिति का विवरण दें? जिन प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली है, उनके कारण तथा लंबित प्रस्तावों की संख्या का भी विवरण दें? **(ग)** क्या DMF अंतर्गत स्वीकृत अनेक आंगनबाड़ी भवन, मरम्मत एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुए हैं? यदि हाँ, तो क्यों तथा जिम्मेदार अधिकारियों/कार्य एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित समय-सीमा का विवरण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** वांछित जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** वांछित जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में से आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु DMF से उल्लेखित कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतएव जानकारी निरंक है। **[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]**

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं

[महिला एवं बाल विकास]

22. (क्र. 759) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विगत दो वर्षों में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में राज्य के विभिन्न जिलों से गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही एवं लंबित प्रकरणों की जिलेवार स्थिति क्या है ? **(ख)** बिलासपुर जिले में उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितने हितग्राही पंजीकृत हैं ? उनमें से कितनों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है तथा कितने हितग्राहियों का भुगतान शेष है ? भुगतान शेष रहने के क्या कारण हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : क) जी हाँ, विगत दो वर्षों में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में राज्य के 01 जिले से साईबर धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। **(ख)** बिलासपुर जिले में विगत 02 वर्षों में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अंतर्गत प्रथम बच्चे के जन्म पर 19106 हितग्राही तथा द्वितीय बालिका संतान के जन्म के 6727 हितग्राही पंजीकृत हुए हैं। इस अवधि तथा पूर्व के पंजीकृत प्रकरणों सहित विगत 02 वर्षों में प्रथम बच्चे के जन्म के प्रकरण पर 19446 हितग्राहियों को प्रथम किस्त का तथा 14394 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है। योजना का पोर्टल भारत सरकार द्वारा संधारित है, भारत सरकार द्वारा ही अंतिम रूप से प्रकरण अनुमोदित कर भुगतान सूची राज्य को प्रेषित की जाती है, जिसके आधार पर भुगतान किया जाता है। पोर्टल में भुगतान लंबित हितग्राहियों की संख्या परिलक्षित नहीं है, अतः निश्चित संख्या बताया जाना संभव नहीं है। भुगतान शेष रहने का मुख्य कारण प्रथम बच्चे के प्रकरण में बच्चे के जन्म के उपरांत टीकाकरण पूर्ण ना होने तथा आवेदन की जानकारी अद्यतन न किया जाना है।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 765) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितनी उचित मूल्य (राशन) दुकानें संचालित हैं? उक्त प्रत्येक राशन दुकान से संबद्ध राशन कार्डों की संख्या कितनी है? ग्रामवार एवं संचालक संस्था का नाम सहित दुकानों की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** क्या शासन द्वारा नई उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु न्यूनतम राशन कार्डधारियों अथवा परिवारों की संख्या निर्धारित की गई है? यदि हां, तो निर्धारित मापदण्ड अर्थात् नियम की मापदण्ड/नियम की प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** 01/04/2024 से जून, 2026 तक अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में नई राशन दुकान खोलने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितनी नई उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत की गई? कितनी प्रक्रियाधिन हैं? विवरण दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में 124 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित है। उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी एवं राशनकार्डों की दुकानवार जानकारी "**संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** उचित मूल्य दुकान की संख्या एवं राशनकार्ड की संख्या छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 08 में निर्धारित किया गया है। नियम की प्रति "**संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।** **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में 04 नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु 06 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 02 नवीन उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत कोटमीसोनार एवं ग्राम पंचायत पौना में दुकान स्वीकृत की गयी है तथा 02 ग्राम पंचायत तिलई एवं ग्राम पंचायत पोड़ीदल्हा में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]**

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण

[समाज कल्याण]

24. (क्र. 766) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) जांजगीर चाम्पा जिले में वित्त वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, ट्रायसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र एवं अन्य सहायक उपकरण वितरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई? (ख) कितने हितग्राही को लाभान्वित किया गया? वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या उक्त अवधि में सामग्री क्रय में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी, निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन अथवा गुणवत्ताहीन सामग्री आपूर्ति संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है अथवा संज्ञान में आई है? यदि हां, तो प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जांजगीर चाम्पा जिले में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, ट्रायसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र एवं अन्य सहायक उपकरण वितरण हेतु आबंटित एवं व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय
1	2025-26	8.65 लाख	0.00
2	2026-27	निरंक	निरंक

(ख) लाभान्वित हितग्राही एवं लंबित आवेदनों की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विकासखंड का नाम	वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27	
		लाभान्वित	लंबित	लाभान्वित	लंबित
1.	नवागढ़	134	0	5	22
2.	पामगढ़	34	0	3	5
3.	अकलतरा	23	0	4	7
4.	बलौदा	57	0	5	7
5.	बम्हनीडीह	32	0	1	4
योग-		280	0	18	45

(ग) सामग्री क्रय में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी, निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन अथवा गुणवत्ताहीन सामग्री आपूर्ति संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वितरित मंगलसूत्रों की गुणवत्ता संबंधित प्राप्त शिकायतें

[महिला एवं बाल विकास]

25. (क्र. 767) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रदेश के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां विकासखण्ड में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नव-विवाहित महिलाओं को प्रदाय किए गए मंगलसूत्र की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई अथवा अमानक होने संबंधी प्रकरण संज्ञान में आए? यदि हां, तो प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गवां विकासखण्ड में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नव-विवाहित महिलाओं को प्रदाय किए गए मंगलसूत्र की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रेडी टू ईट का उत्पादन एवं वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

26. (क्र. 774) श्री ब्यास कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) छत्तीसगढ़ में पोषण आहार (रेडी टू ईट) का उत्पादन किसके द्वारा और कहां किया जा रहा है? पोषण आहार (रेडी टू ईट) का वितरण कितनी महिला स्व सहायता समूहों कर रही हैं? इसके भुगतान का क्या मापदंड तय किया गया है? **(ख)** कितनी महिला समूहों को किस माह तक वितरण हेतु भुगतान किया गया है? ऐसी कितनी महिला समूह हैं जिनके भुगतान आज पर्यन्त शेष हैं तथा क्यों? सूची उपलब्ध कराएं? रेडी-टू-ईट वितरण कार्य का अनुबंध विभाग द्वारा किसके साथ (ब्लॉक या जिला) हुआ है? **(ग)** वर्तमान में वितरण, भंडारण का कार्य किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? क्या वर्तमान में महिला समूहों द्वारा भुगतान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जिसमें माह मई-जून, 2026 का भुगतान रोका गया है? भुगतान रोकने का कारण क्या है तथा संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश के 27 जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम) द्वारा अभनपुर, जिला रायपुर व रायगढ़ में स्थित संयंत्र तथा 06 जिलों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार (रेडी टू ईट) का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादनकर्ता महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ** अनुसार है। पोषण आहार (रेडी टू ईट) का वितरण/परिवहन 842 महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है तथा इसके संबंधी भुगतान का मापदण्ड विभाग द्वारा तय नहीं किया गया। **(ख)** छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर एवं जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार 57 महिला स्व सहायता समूहों को माह फरवरी 2026, 522 महिला स्व सहायता समूहों को माह मार्च 2026, 110 महिला स्व सहायता समूहों को माह अप्रैल 2026 तक भुगतान किया गया है तथा 30 महिला स्व सहायता समूहों को माह मई 2026 तक भुगतान किया गया है। 307 महिला स्व सहायता समूहों का भुगतान देयक अप्राप्त होने एवं आबंटन के अभाव के कारण भुगतान किया जाना शेष है। समूह की सूची **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब** अनुसार है। रेडी टू ईट वितरण कार्य का अनुबंध विभाग द्वारा नहीं किया गया। **(ग)** वर्तमान में वितरण व भंडारण का कार्य 27 जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम) तथा 06 जिलों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। जी नहीं, महिला स्व सहायता समूहों द्वारा भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है तथा इस कारणवश समूहों के देयकों का भुगतान नहीं रोका गया है। आबंटन के अभाव में संबंधित महिला स्व सहायता समूहों के देयको का भुगतान लंबित है।

जांजगीर-चांपा जिला में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन में स्वीकृति/व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

27. (क्र. 775) श्री ब्यास कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या जिला जांजगीर-चांपा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में संचालित योजनाओं के संबंध में फार्म-7 संधारित की गई है ? यदि हां, तो वर्षवार एवं सेक्टरवार फार्म-7 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं ? **(ख)** उक्त अवधि में जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या, स्वीकृत एवं कार्यरत कार्यकर्ता/सहायिका की संख्या तथा लाभान्वित हितग्राहियों (गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, 0-6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं) की जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग द्वारा जिले में कराए गए निर्माण, मरम्मत, पोषण आहार वितरण, गोदभराई, अन्नप्राशन, सुपोषण अभियान आदि प्रमुख कार्य हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि की जानकारी प्रदान करें ? **(घ)** क्या उक्त वर्षों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में फार्म-07 का संधारण नहीं किया जाता है। अपितु पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक फार्म-7 की जानकारी संकलित की जाती थी। वर्ष 2025-26 से पोषण ट्रेकर एप्प में जानकारी संधारित किया जा रहा है। संकलित वर्षवार एवं सेक्टरवार प्रमाणित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ख की जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र स अनुसार है। (घ) प्रश्नांश घ की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के जर्जर एवं भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

28. (क्र. 780) श्री रामकुमार यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने केन्द्र जर्जर भवनों एवं कितने भवनविहीन स्थिति में संचालित हैं? ग्रामवार एवं परियोजनावार विवरण देवें? (ख) क्या शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के जर्जर एवं भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हाँ, तो सर्वेक्षण में चिह्नंकित केन्द्रों का विवरण देवें ? (ग) विगत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के जर्जर एवं भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई है? केन्द्रवार विवरण देवें ? (घ) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के शेष जर्जर एवं भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण अथवा मरम्मत हेतु क्या कार्ययोजना है तथा कार्य कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या 374 है। इसमें से स्वयं के भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 156 है। किसी भी जर्जर आंगनबाड़ी भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामवार एवं परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जर्जर/भवनविहीन आंगनबाड़ी भवनों के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्रदाय सहायता सामग्री एवं पेंशन

[समाज कल्याण]

29. (क्र. 783) श्री रामकुमार यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिव्यांगजनों के लिए किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी सहायता सामग्री प्रदाय की गई है? सामग्रीवार, वर्षवार एवं व्यय राशि का विवरण देवें ? (ख) उक्त अवधि में प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितने दिव्यांग हितग्राहियों को सहायता सामग्री प्रदान की गई है? ग्रामवार एवं योजनावार विवरण देवें ? (ग) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत उक्त अवधि में कितने दिव्यांग हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं? योजनावार एवं वर्षवार विवरण देवें ? (घ) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वर्तमान में कितने दिव्यांग हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा विगत तीन वर्षों में कितने नवीन हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत की गई है? वर्षवार विवरण देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत सामग्रीवार, वर्षवार एवं व्यय राशि निम्नानुसार है-

क्र.	सामग्री का नाम	वर्षवार व्यय राशि (राशि इकाई में)		
		2023-24	2024-25	2025-26
1.	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल	निरंक	निरंक	2434985.00
2.	ट्रायसायकल			176659.00
3.	व्हीलचेयर			210108.00
4.	श्रवण यंत्र			98417.00
5.	बैशाखी			11236.00
6.	फोल्डेबल वोकर			4194.00
7.	कालिंग टेबलेट/फोन			36000.00
8.	ब्रेल किट			1620.00

(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत वितरित किए गए ट्राइसाइकिल, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर एवं अन्य सहायक उपकरण से लाभान्वित दिव्यांग हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	सामग्री का नाम	वर्षवार लाभान्वित हितग्राही		
		2023-24	2024-25	2025-26
1.	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल	निरंक	निरंक	46
2.	ट्रायसायकल			21
3.	व्हीलचेयर			21
4.	श्रवण यंत्र			22
5.	बैशाखी			08
6.	फोल्डेबल वोकर			03
7.	कालिंग टेबलेट/फोन			03
8.	ब्रेल किट			01
योग -				125

(घ) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वर्तमान में 3,044 दिव्यांग हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विगत तीन वर्षों में नवीन पेंशन स्वीकृत हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	नवीन पेंशन स्वीकृत हितग्राही
1.	2023-24	28
2.	2024-25	31
3.	2025-26	30
योग -		89

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

धान उपार्जन केन्द्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान पाए जाने की जांच पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

30. (क्र. 791) श्री बालेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के जाँजगीर चांपा व सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित किन-किन उपार्जन केन्द्रों में भंडारण क्षमता से कितनी-कितनी अधिक मात्रा एवं मूल्य के धान पाए गये हैं ? कृपया उपार्जन केन्द्र एवं संबंधित सहकारी समिति और निरीक्षण अधिकारी के अनुसार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार प्राप्त गड़बड़ी की जांच किन - किन

स्तर के अधिकारियों से कराया गया है और जून, 2026 तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार प्रकरण की जांच पर कार्यवाही लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? कब तक जांच कर कार्यवाही कर दी जाएगी ? कृपया जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जांजगीर चांपा एवं सक्ती जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में भंडारण क्षमता से अधिक धान का भंडारण नहीं कराया गया है। अपितु आवश्यकतानुसार उपार्जन केन्द्रों के भंडारण क्षमता का विस्तार करते हुए धान का भंडारण कराया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी उत्तर "क" में दर्शित है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी उत्तर "क" में दर्शित है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घटिया साड़ी वितरण की शिकायतों पर कार्यवाई

[महिला एवं बाल विकास]

31. (क्र. 798) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरण करने की कौन सी योजना है ? योजना के तहत किस दर पर साड़ियां खरीदी करने हेतु कितनी राशि जिलों को जारी की गई ? (ख) राज्य में घटिया साड़ी वितरित करने के कितने मामले सामने आए हैं अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उक्त प्रकरणों पर दोषी अफसरों के खिलाफ कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ? जिलेवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) भारत शासन द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को 02-02 नग यूनिफार्म दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत भारत शासन द्वारा यूनिफार्म हेतु प्रति नग 500/- रूपये दर निर्धारित की गयी है। वर्ष 2026-27 में जिलों को राशि अंतरित नहीं की गई है, अतः जानकारी निरंक है। (ख) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका संघ के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। नियम -8 के तहत समस्त विभागों द्वारा हैण्डलूम तथा हैण्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश संचालक छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर को दिया गया था। अतः शिकायत के संबंध में जांच हेतु संचालक छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। तदनुसार शेष जानकारी निरंक है।

महासमुंद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में वॉटर प्यूरिफायर खरीदी में गड़बड़ी

[महिला एवं बाल विकास]

32. (क्र. 799) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महासमुंद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने वाटर प्यूरिफायर की खरीदी किस-किस मद से कब-कब की गई है ? मद का नाम, खरीदी दर, प्यूरिफायर कंपनी का नाम, गारंटी/वारंटी की अवधि, सप्लायर का नाम सहित जानकारी बताएं ? (ख) क्या सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितने केंद्रों में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कितने केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? पेयजल सुविधाहीन केंद्रों के नाम सहित संख्यात्मक जानकारी विधानसभावार बताएं ? (ग) क्या वाटर प्यूरिफायर खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब-कब कितनी शिकायतें की गई हैं ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ? पूर्ण जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) महासमुंद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये कुल 1240 नग वॉटर प्यूरिफायर का क्रय किया गया है। प्रश्नांश की शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार

है। **(ख)** जी हाँ। महासमुंद जिला के सभी संचालित 1793 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की सुविधा विभिन्न साधनों से अर्थात् रनिंग वॉटर, हैण्डपंप, ट्यूबवेल एवं अन्य सार्वजनिक पेयजल सुविधा से उपलब्ध है। अतः शेष जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हाँ, 01 शिकायत माह अप्रैल 2026 की प्राप्त हुई है। शिकायत की जाँच/परीक्षण कलेक्टर महासमुंद द्वारा की जाकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है तथा जिन केन्द्रों में रनिंग वॉटर अथवा टेप नल की अनुपलब्धता है, वहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर पेयजल आर.ओ. के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

राज्य में संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना

[महिला एवं बाल विकास]

33. (क्र. 804) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ में संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, नोनी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना एवं पोषण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में योजनावार एवं जिलेवार स्वीकृत लक्ष्य, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय राशि बतायें ? **(ख)** क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धि में अंतर पाया गया है? यदि हाँ, तो योजनावार एवं जिलेवार विवरण क्या है? **(ग)** क्या उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, फर्जी हितग्राही, राशि के दुरुपयोग, पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी अथवा पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो योजनावार एवं जिलेवार की गई कार्यवाही का विवरण बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विभाग अन्तर्गत संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMVVY), मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, नोनी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना एवं पोषण अभियान के योजनावार एवं जिलेवार स्वीकृत लक्ष्य, लाभान्वित हितग्राही संख्या, स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय राशि की वर्ष 2024-25 की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** एवं वर्ष 2025-26 की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, किशोरी बालिकाओं के लिये योजना एवं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लक्षित एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या में अंतर पाया गया है जिसकी जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ एवं ब** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत अनियमितता, राशि के दुरुपयोग, पोषण आहार वितरण में गड़बड़ी अथवा पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित किये जाने की कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-स** अनुसार है।

छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में अनियमितता के प्रकरणों में कार्रवाई

[समाज कल्याण]

34. (क्र. 807) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने हितग्राहियों को विगत तीन वर्षों में समय पर पेंशन का भुगतान नहीं हो सका? क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक पात्र वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हैं? यदि हाँ, तो जिलेवार संख्या एवं कारण क्या हैं? **(ख)** विगत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, दिव्यांग सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अनियमितता, फर्जीवाड़ा अथवा भ्रष्टाचार के

कितने प्रकरण सामने आए तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? **(ग)** अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब के कितने प्रकरण सामने आए हैं तथा लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है? **(घ)** राज्य में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं आश्रमों में क्षमता के विरुद्ध वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा कितने छात्रावास भवन जर्जर अथवा मरम्मत योग्य स्थिति में हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** राज्य में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं में कुल 21,69,525 हितग्राही पंजीकृत है तथा सभी हितग्राहियों को विगत तीन वर्षों में समय पर पेंशन का भुगतान हो रहा है। जी नहीं, राज्य के कोई भी पात्र वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन से वंचित नहीं हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** विगत तीन वर्षों में अनियमितता, फर्जीवाड़ा अथवा भ्रष्टाचार के कोई भी प्रकरण सामने नहीं आए हैं। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति के भुगतान में विलंब के कोई भी प्रकरण सामने नहीं आए हैं। 508 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भुगतान असफल होने के कारण लंबित है, विद्यार्थियों द्वारा अपने बैंक खाते का आधार सीडिंग एक्टिवेट कराने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। **(घ)** राज्य में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं आश्रमों में 25917 स्वीकृत सीटों के विरुद्ध विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही जारी है। 1185 छात्रावास/आश्रमों के भवन मरम्मत योग्य है, जिसकी मरम्मत की स्वीकृति दी जा चुकी है।

विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता एवं हितग्राहियों को लाभ न मिलना

[समाज कल्याण]

35. (क्र. 813) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवा एवं निराश्रित हितग्राही पात्र होने के बावजूद वे समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में प्राप्त, स्वीकृत एवं लंबित आवेदनों की संख्या क्या है? **(ख)** क्या समय पर सर्वेक्षण, सत्यापन एवं प्रकरणों के निराकरण में विलंब के कारण पात्र हितग्राहियों को पेंशन एवं अन्य सहायता योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? **(ग)** विगत तीन वर्षों में दिव्यांग प्रमाण-पत्र, कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अन्य सहायता योजनाओं हेतु प्राप्त आवेदनों में से कितने स्वीकृत, निरस्त एवं लंबित हैं? लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विगत तीन वर्षों में दिव्यांग प्रमाण-पत्र, कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अन्य सहायता योजनाओं हेतु प्राप्त कुल 2630 आवेदनों में से 2630 आवेदन स्वीकृत तथा कोई भी आवेदन निरस्त एवं लंबित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण एवं विभागीय निगरानी की विफलता

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

36. (क्र. 814) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों का विगत तीन वर्षों में कितनी बार निरीक्षण किया गया? **(ख)** निरीक्षण के दौरान कितनी दुकानों में राशन वितरण, स्टॉक संधारण एवं अन्य अनियमितताएं

पाई गई? **(ग)** अनियमितता पाए जाने पर कितने दुकान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों का विगत 03 वर्षों में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण तथा खाद्य निरीक्षक द्वारा आवंटित कार्य क्षेत्र का 10 प्रतिशत उचित मूल्य दुकान प्रतिमाह निरीक्षण किया गया है। **(ख)** प्रश्रोकित अवधि में निरीक्षण के दौरान 27 उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री वितरण, स्टॉक संधारण एवं अन्य अनियमितताएं पायी गयी है। **(ग)** अनियमितता पाए जाने पर 27 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। इनमें से 19 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कम पाये गये खाद्यान्न की वसूली की गयी तथा 08 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में प्रक्रियाधीन है।

दिव्यांगजन, वृद्धजन, ट्रांसजेंडर कल्याण, नशामुक्ति केंद्र एवं छात्रावासों की स्थिति

[समाज कल्याण]

37. (क्र. 822) श्री ओंकार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राज्य में दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा कितनी राशि वितरित की गई? जिला-वार विवरण दें ? **(ख)** राज्य में संचालित नशामुक्ति केंद्रों एवं समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की वर्तमान संख्या कितनी है? इनमें स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा कितने पद रिक्त हैं? **(ग)** क्या उक्त योजनाओं, नशामुक्ति केंद्रों अथवा छात्रावासों के संचालन संबंधी कोई शिकायतें या अनियमितताएं शासन के संज्ञान में आई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों का विवरण, जांच की वर्तमान स्थिति एवं दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** राज्य में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से कुल 31 नशामुक्ति केंद्र, 34 दिव्यांग छात्रावास एवं 23 दिव्यांग शासकीय छात्रावास संचालित है। नशामुक्ति केन्द्र में कुल 465 पद स्वीकृत जिसमें से कोई भी पद रिक्त नहीं है एवं दिव्यांग छात्रावास में 407 पद स्वीकृत है जिसमें से 03 पद रिक्त है तथा शासकीय छात्रावास में कुल 481 पद स्वीकृत जिसमें 165 कर्मचारी कार्यरत तथा 316 पद रिक्त है । **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित योजनाओं में व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

38. (क्र. 831) श्री मोतीलाल साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-2024 से 15-06-2026 तक जिला रायपुर को किन-किन मदों तथा योजनाओं के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन योजनाओं/मदों में कितना-कितना किया गया है? वर्षवार/योजनावार/मदवार जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' की समयावधि में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, रायपुर द्वारा किन-किन मदों से, कौन-कौन सी सामग्रियों का, कितनी मात्रा में, किस एजेंसी/फर्म से क्रय किया गया है तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया है? क्या सामग्री खरीदी में भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन किया गया है ? जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-2024 से 15-06-2026 तक जिला रायपुर को विभिन्न मदों तथा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं उक्त राशि के उपयोग की वर्षवार/योजनावार/मदवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) कण्डिका 'क' की समयावधि में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, रायपुर द्वारा विभिन्न मदों से क्रय की गई सामग्रियों, मात्रा, एजेंसी/फर्म की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

प्रदेश में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हितग्राही

[महिला एवं बाल विकास]

39. (क्र. 834) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छ.ग. प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में कुल कितनी विवाहित महिला हितग्राहियों को कुल कितनी राशि से लाभान्वित किया गया था तथा दिनांक 20 जून, 2026 के ठीक पहले प्रदायित किस्त में कुल कितनी विवाहित महिलाओं को, कुल कितनी राशि का लाभ दिया गया है? जिलेवार बतावें. (ख) महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित शेष विवाहित महिलाओं के आवेदन को स्वीकार किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनायी गयी है? इन्हें योजना के लाभ दिये जाने की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी? जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में कुल 70,09,658 महिला हितग्राहियों को प्रथम बार 10 मार्च 2024 को योजना का लाभ दिये जाने हेतु राशि 655,15,22,750 /- रुपये का भुगतान अनुमोदित कर लाभान्वित किया गया है तथा 20 जून 2026 के ठीक पहले दिनांक 03.06.2026 को 28 वीं किस्त में कुल 68,54,003 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिए जाने हेतु राशि 642,27,77,950 /- रुपये अनुमोदित कर भुगतान प्रेषित किया गया है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) महतारी वंदन योजना के लाभ हेतु शेष पात्र विवाहित महिलाओं के लिए नवीन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रारंभ नहीं की गई है। अतः नए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जायेगी निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान एवं उठाव की अद्यतन स्थिति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

40. (क्र. 835) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में लक्ष्य के विरुद्ध समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई एवं दिनांक 20 जून, 2026 तक कितना उठाव हुआ है? उपार्जन केन्द्रवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2025 में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है एवं उनके द्वारा बोये गये धान के रकबे कितने हैं? जानकारी दें। (ग) कितनी-कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग हेतु किन-किन राईस मिलर्स से अनुबंध किया गया है? क्या इन्हें पिछले कार्य का कोई राशि भुगतान किया जाना लंबित है? यदि हाँ तो कितना? भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) उपार्जन केन्द्रवार धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 40 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 2.14 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है तथा 20 जून 2026 तक 2.13 लाख मेट्रिक टन धान का उठाव

किया गया है। उपार्जन केन्द्रवार उठाव की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 48693 है तथा बोये गये धान का रकबा 48014 हेक्टेयर है। **(ग)** बालोद जिले अंतर्गत कुल 134 कस्टम मिलर द्वारा अनुबंध किया गया है जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** जी हॉ पिछले कार्य (2024-25) का राशि भुगतान किया जाना लंबित है। मिलरो द्वारा जिला विपणन कार्यालय स्तर पर दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत जिला विपणन कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जाँच/परिक्षण कर देयक तैयार कर ऑनलाइन राशि की मांग विपणन संघ मुख्यालय से किया जाता है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से जिले की मांग अनुसार राशि का अंतरण जिला विपणन कार्यालय को किया जाता है, जिला कार्यालय स्तर से सम्बंधित मिलर्स को राशि भुगतान की कार्यवाही की जाती है। मिलर्स द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत जिला स्तर से समस्त देयक तैयार करने के पश्चात ही वास्तविक राशि की गणना संभव है। जिला स्तर से राशि की ऑनलाइन मांग किये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - उत्सठ"]

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन एवं लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति

[समाज कल्याण]

41. (क्र. 847) श्री दीपेश साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बेमेतरा में वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? विगत तीन वर्षों में प्रत्येक योजना हेतु स्वीकृत राशि, प्राप्त आवंटन, वास्तविक व्यय, निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विकासखण्डवार विवरण प्रदान करें? किन योजनाओं में स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका तथा उसके कारण क्या हैं? **(ख)** प्रश्नांश " क " अंतर्गत विगत तीन वर्षों में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, निरस्त मामलों, लंबित प्रकरणों एवं लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विकासखण्डवार विवरण क्या है? कितने पात्र आवेदक अब भी लाभ से वंचित हैं तथा ऐसे मामलों में विलंब अथवा लंबित रहने के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं? **(ग)** जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं हेतु विगत तीन वर्षों में स्वीकृत बजट, प्राप्त आवंटन, खर्च की गई राशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि का योजनावार विवरण प्रदान करें ? किन योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाया है तथा इस स्थिति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाना प्रस्तावित है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कार्यालयों में नियोजित महिलाओं की सुरक्षा

[महिला एवं बाल विकास]

42. (क्र. 849) श्री ललित चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कार्यालयों में नियोजित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024 एवं 2025 में आदेश जारी किए गए हैं ? यदि हों, तो आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार उत्तर यदि हों, है तो जानकारी दें कि क्या आंतरिक शिकायत समिति सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कार्यालयों में नियोजित महिलाओं की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024 एवं 2025 में राज्य स्तर से पत्र जारी किए गए हैं। जारी किये गये पत्रों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) जी हाँ, आंतरिक समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों एवं स्थानीय समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रशिक्षित करने की कार्ययोजना बनाई गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

जिला दुर्ग अंतर्गत दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरण योजना का क्रियान्वयन

[समाज कल्याण]

43. (क्र. 855) श्री ललित चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में कितने उपकरण वितरित किए गए? दुर्ग जिले की जानकारी दें। **(ख)** क्या सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बना रही है? यदि हां, तो दुर्ग ग्रामीण में कब तक खोला जाएगा? **(ग)** दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023-24 से 15-06-2026 तक जिला दुर्ग अंतर्गत कितने जोड़ों को लाभ मिला?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) दुर्ग जिले में पिछले 3 वर्षों में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण योजना के तहत 826 उपकरण वितरित किए गए हैं। **(ख)** दिव्यांगजनों के लिए आवश्यकता अनुसार विशेष आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है जिला दुर्ग में शासन से अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 05 आवासीय विद्यालय एवं 02 विद्यालय संचालित है। आवश्यकता पडने पर जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से 15-06-2026 तक जिला दुर्ग के 38 जोड़ों को दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

कबीरधाम जिले में खाद्यान्न भंडारण क्षमता एवं गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

44. (क्र. 858) श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कबीरधाम जिले में वर्तमान में खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के अधीन संचालित खाद्यान्न गोदामों की संख्या, स्थानवार एवं उनकी स्वीकृत भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है? क्या वर्तमान भंडारण क्षमता जिले की खाद्यान्न आवश्यकता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अनुरूप पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्षमता की कमी का विकासखण्डवार विवरण प्रदान करें? **(ख)** विगत तीन वर्षों में कबीरधाम जिले में नए खाद्य गोदाम, उपार्जन केंद्र गोदाम एवं खाद्य भवनों के निर्माण हेतु कितनी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं? स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण कार्यों की विकासखण्डवार तथा विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** कबीरधाम जिले में वर्तमान में कितने खाद्य गोदाम जर्जर अथवा मरम्मत योग्य स्थिति में हैं? उनकी सूची प्रदान करें तथा उनके मरम्मत एवं उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है? **(घ)** क्या शासन द्वारा कबीरधाम जिले के ग्रामीण, वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु नए गोदामों के निर्माण अथवा अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) कबीरधाम जिले में खाद्यान्न भण्डारण हेतु राज्य भण्डार गृह निगम के गोदामों की स्थानवार भण्डारण क्षमता की जानकारी "**संलग्न प्रपत्र-अ**" अनुसार है। खाद्यान्न भण्डारण हेतु

नागरिक आपूर्ति निगम के स्वयं के गोदाम नहीं है। जिले में वर्तमान खाद्यान्न भण्डारण क्षमता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में खाद्यान्न की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) कबीरधाम जिले में वर्तमान में राज्य भण्डार गृह निगम के खाद्यान्न गोदाम जर्जर नहीं है। उचित मूल्य दुकान सह गोदाम के जर्जर भवनों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-स" अनुसार है।** विभागीय बजट में राशि का प्रावधान होने पर जर्जर उचित मूल्य दुकान सह गोदाम का मरम्मत कराया जा सकेगा। **(घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ"]

बाल संरक्षण योजनाओं एवं बाल सुरक्षा उपायों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

45. (क्र. 859) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राज्य में बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास, देखरेख एवं समग्र विकास हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या कितनी है? योजना-वार एवं जिला-वार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** राज्य में वर्तमान में संचालित बाल गृह (Children Home), विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (SAA), बाल देखरेख संस्थान (CCIs), ओपन शेल्टर, आश्रय गृह तथा बाल संरक्षण समितियों (Child Protection Committees) की संख्या कितनी है? जिला-वार एवं श्रेणी-वार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण एवं अन्य प्रकार के बाल उत्पीड़न की रोकथाम, पहचान, बचाव एवं पुनर्वास हेतु विगत तीन वर्षों में शासन द्वारा कौन-कौन से विशेष अभियान, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रवर्तनात्मक कार्यवाही की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** राज्य में बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास, देखरेख एवं समग्र विकास हेतु वर्तमान में मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में योजना-वार एवं जिले-वार लाभान्वित बच्चों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** राज्य में कुल 109 बाल देखरेख संस्थाएं (बालगृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, सम्प्रेक्षण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी एवं विशेष गृह) वर्तमान में संचालित हैं। कुल 33 जिला बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। जिले-वार एवं श्रेणी-वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ग)** बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल यौन शोषण एवं अन्य प्रकार के बाल उत्पीड़न की रोकथाम, पहचान, बचाव एवं पुनर्वास हेतु विगत तीन वर्षों में स्ट्रीट सिचुवेशन वाले बच्चों की पहचान, बाल श्रम, अपशिष्ट संग्राहक एवं बाल भिक्षावृत्ति के प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह का आयोजन, बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं अन्य स्वापक औषधियों के प्रयोग की रोकथाम हेतु विशेष अभियान, बच्चों के अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान, बाल विवाह की रोकथाम हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए गये। उक्त अभियान के दौरान रेस्क्यू किए गये बालकों को बालक कल्याण समिति के आदेशानुसार पुनर्स्थापन/पुनर्वासित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

महिला एवं बाल विकास विभाग की गर्म भोजन योजना में फर्जीवाड़ा

[महिला एवं बाल विकास]

46. (क्र. 868) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत विभाग की गर्म भोजन योजना में फर्जीवाड़े संबंधी ठेलकाडीह एवं पांडादाह सेक्टर में जांच कराई गई? यदि हाँ, तो जांच की तिथि, जांच अधिकारी का नाम

एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाए। **(ख)** क्या उक्त जांच में सेक्टर सुपरवाइजर द्वारा भरे जाने वाले फार्म-7 (गोस्वारा) में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई? यदि हाँ, तो अनियमितताओं का विवरण क्या है? **(ग)** क्या उक्त प्रकरण में “मां शारदा स्वयं सहायता समूह, जुरलाकला” से कितनी राशि वसूली की गयी? वसूली आदेश की प्रति देवें तथा वसूली का आधार क्या था?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ। सेक्टर ठेलकाडीह का दिनांक 16.04.2025 एवं सेक्टर पांडादाह का दिनांक 22.10.2025 को परियोजना अधिकारी श्रीमती रंजना श्रीवास्तव से जांच कराई गई जांच प्रतिवेदन **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा दिये गये फॉर्म-07 (गोस्वारा) में अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई। अनियमितता से संबंधित जानकारी संलग्न जांच प्रतिवेदन अनुसार है। **(ग)** मां शारदा स्वयं सहायता समूह, जुरलाकला से राशि 52445/-रूपये (बावन हजार चार सौ पैतालीस रूपये मात्र) वसूली की गयी। वसूली आदेश की प्रति **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। वास्तविक भुगतान योग्य राशि से अधिक भुगतान होने के कारण वसूली की गई।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ" \]](#)

सेवा सहकारी समितियों में खाद भंडारण हेतु गोदाम/भवन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

47. (क्र. 876) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला-खैरागढ़- गंडई- छुईखदान व राजनांदगांव की सेवा सहकारी समितियों में खाद भंडारण हेतु पर्याप्त गोदाम/भवन उपलब्ध हैं, ? यदि नहीं, तो कुल कितनी सेवा सहकारी समितियों में खाद भंडारण हेतु नवीन गोदाम/भवन की आवश्यकता है? विकासखण्डवार एवं समितिवार पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** वर्ष 2025 में जून, 2026 तक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं राजनांदगांव जिले की किन-किन सेवा सहकारी समितियों के लिए खाद गोदाम एवम् उचित मूल्य की की दुकान निर्माण की मांग/प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा शासन को प्रेषित की गई है? समितिवार मांग प्रस्ताव के स्वीकृत/अस्वीकृत एवं स्वीकृति में विलंब के कारणों की पूर्ण जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जिला-खैरागढ़-गंडई छुईखदान व राजनांदगांव में समिति पुर्नगठन के पूर्व सेवा सहकारी समितियों में खाद भंडारण हेतु उपलब्ध गोदाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ अनुसार है।** समिति पुर्नगठन पश्चात खैरागढ़-गंडई छुईखदान व राजनांदगांव जिले में नवगठित सेवा सहकारी समितियों में खाद भण्डारण हेतु आवश्यक नवीन गोदाम /भवन की विकासखंडवार व समितिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - ब अनुसार है।** **(ख)** वर्ष 2025 से जून, 2026 तक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला से 03 यथा सालहेवारा, नादिया व बिरूटोला एवं राजनांदगांव जिले से 03 यथा झाडीखैरी, मनकी व मचानपार में गोदामों के लिए मांग पत्र है। इन मांग पत्रों को स्वीकृति हेतु जिला पंचायत खैरागढ़-गंडई छुईखदान व राजनांदगांव को प्रेषित किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - स अनुसार है।**

समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित शिविर में वितरित उपकरण

[समाज कल्याण]

48. (क्र. 879) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 01 जनवरी, 2024 से जून 2026 तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर शिविर आयोजन कर, किन-किन दिव्यांग/विकलांग व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, इलेक्ट्रिक ट्रायसिकल, व्हील चेयर एवं अन्य सामग्री प्रदान की गयी

है ? विकसखंडवार, समाग्रीवार पूर्ण जानकारी देवें एवम प्रत्येक शिविर के लिए आबंटित व व्यय राशि कितनी-कितनी है, पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" अंतर्गत उक्त वर्षों में कितने पात्र हितग्राहियों का आवेदन सामग्री हेतु विभाग में लंबित हैं और क्यों ? डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन, वृद्धावस्था, विधवा, सामाजिक सुरक्षा, परित्यक्तता, सुखद सहारा पेंशन योजनाओं के तहत कितने-कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? क्या योजनांतर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जा रही है? यदि हां तो विवरण देवें और नहीं तो क्यों ? विकसखंडवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** कोई भी आवेदन लंबित नहीं है । विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से 3858 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं । हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है, विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	योजना का नाम	डोंगरगढ़ विकासखंड
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	495
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	494
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	11
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	621
5.	सुखद सहारा योजना	628
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1609
योग-		3858

[संलग्न "परिशिष्ट - पेंसठ"]

छ.राज्य अन्य पिछडा वर्ग विकास प्राधिकरण द्वारा बैटरी चलित ट्राईसायकिल क्रय

[समाज कल्याण]

49. (क्र. 886) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग, राजनांदगांव को वर्ष 2023-24 से जून, 2026 तक की अवधि में छ.ग. राज्य अन्य पिछडा वर्ग विकास प्राधिकरण द्वारा बैटरी चलित ट्राईसायकिल क्रय हेतु राशि प्रदान की गयी थी? यदि हाँ तो कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं स्वीकृत राशि से कितने नग बैटरी चलित ट्राईसायकिल क्रय कर किन-किन हितग्राहियों को कब कब वितरण किया गया है? यदि वितरण नहीं किया गया है तो नहीं करने का क्या कारण है? इसके लिए किस स्तर के अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं? बैटरी चलित ट्राईसायकिल क्रय किस एजेंसी से कब और किन नियमों के आधार पर किया गया है? हितग्राहीवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ । छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछडा वर्ग विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रु. 20.60 लाख प्रदान की गयी । जिससे 43 नग बैटरी चलित ट्राईसायकिल क्रय किया गया है । क्रय बैटरी चलित ट्राईसायकिल में से मांग अनुरूप निम्नानुसार हितग्राहियों को वितरित किया गया है:-

क्रमांक	हितग्राही का नाम	वितरण दिनांक
1	मोनिश कुमार	21-12-2024
2	सीमा देवांगन	21-12-2024
3	हेम बाई	21-12-2024
4	द्वारिका वर्मा	21-12-2024
5	चन्द्रिका निषाद	21-12-2024
6	फततेलाल	21-12-2024

7	विमला वर्मा	21-12-2024
8	सजल मण्डावी	21-12-2024
9	परमिला निषाद	21-12-2024
10	तामेश कोरमि	21-12-2024
11	सुरश कुमार साहू	21-12-2024
12	तुलसी यादव	21-12-2024
13	चोवाराम	21-12-2024
14	कोमल साहू	03-01-2025
15	भिमेश्वरी निषाद	03-01-2025
16	राजेश कुमार	09-06-2025
17	तुलाराम साहू	09-06-2025
18	देवीलाल	09-06-2025
19	रोशन कुमार	09-06-2025
20	पियुश कुमार	31-07-2025
21	कीर्ति यादव	16-10-2025
22	भादूराम साहू	16-10-2025
23	राघुनंदन निषाद	16-10-2025
24	राजकुमार बारले	06-05-2025
25	धनुष कुमार	20-11-2025
26	लोकनाथ पटेल	20-11-2025
27	धिरेन्द्र कुमार	20-11-2025

हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण 16 बैटरी चलित ट्राईसायकिल वितरण हेतु शेष है। वितरण नहीं होने के लिए किसी भी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। बैटरी चलित ट्राईसायकिल क्रय मेसर्स कविरा सोल्यूशन, नागपुर एजेंसी से आदेश दिनांक 05/10/2023 को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के आधार पर किया गया है।

अटल वयो अभ्युदय योजना की जानकारी

[समाज कल्याण]

50. (क्र. 887) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या राज्य में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना संचालित है ? यदि हाँ तो इस योजना के तहत कितनी राशि किन-किन मदों या कार्यक्रमों हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है ? प्राप्त राशि का उपयोग जिला-राजनांदगांव अंतर्गत किन-किन मदों में व्यय किया गया है? व्ययवार, एजेंसी को किये गये भुगतान, क्रय किये गये सामग्रीवार व राशिवार, जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ" \]](#)

धान उपार्जन केन्द्रों में धान शॉर्टेज पर कृत कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

51. (क्र. 894) श्री भोलाराम साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या धान उपार्जन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं कबीरधाम के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों में धान शॉर्टेज (कमी) पाई गई है? यदि हाँ, तो शॉर्टेज की मात्रा (क्विंटल में) एवं उसका वित्तीय मूल्य (रुपयों में) की जानकारी वर्षवार, जिलेवार प्रदान

करें? **(ख)** उक्त शॉर्टज के संबंध में विभागीय जांच में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों, समिति प्रबंधकों, ऑपरेटरों अथवा अन्य व्यक्तियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है? दोषी व्यक्तियों के नाम, पदनाम एवं संबंधित उपार्जन केन्द्र की वर्षवार, जिलेवार, सोसायटीवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** धान उपार्जन वर्ष 2024-25 में जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अं.बागढ़ चौकी एवं कबीरधाम के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों में धान शॉर्टज (कमी), उपार्जन केन्द्रवार शॉर्टज की मात्रा (किंटल में) एवं उसकी वित्तीय मूल्य (रुपयों में) की जानकारी वर्षवार, जिलेवार, सोसायटीवार **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** तथा धान उपार्जन वर्ष 2025-26 में उपार्जन केन्द्रों का लेखा मिलान प्रक्रियाधीन है, लेखा मिलान कार्य पूर्ण होने के उपरांत वास्तविक सुखात/कमी ज्ञात होगी । **(ख)** उक्त शॉर्टज के संबंध में की गई कार्यवाही की वर्षवार, जिलेवार, सोसायटीवार एवं उपार्जन केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** **(ग)** दोषियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही तथा वसूली गई प्रस्तावित राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

52. (क्र. 895) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? इनमें से कितने केंद्र जर्जर एवं अतिजर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं? परियोजनावार एवं ग्रामवार जानकारी प्रदान करें ? **(ख)** वर्ष 2024-25 से 15.6.2026 तक जर्जर एवं अतिजर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत, उन्नयन अथवा नवीन भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत, आवंटित एवं व्यय की गई है? केंद्रवार एवं कार्यवार जानकारी प्रदान करें ? **(ग)** जिन जर्जर एवं अतिजर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का अब तक मरम्मत अथवा नवीन भवन निर्माण नहीं कराया गया है, उनके संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है तथा इसके लिए किस अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की गई है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में 549 एवं राजनांदगांव जिले में 1514 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। किसी भी जर्जर एवं अतिजर्जर आंगनबाड़ी भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन नहीं किया जा रहा है । **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ग)** वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत एवं नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतएव निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

महिला बाल विकास विभाग मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु क्रय सामग्री

[महिला एवं बाल विकास]

53. (क्र. 897) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु क्या-क्या सामग्री कौन-कौन से माध्यम से क्रय की गई है? सामग्री का नाम, मूल्य, खरीदी गई फर्म /एजेन्सी का नाम, निविदा दिनांक, निविदा में चयनित एल - 01 का नाम चयनित फर्म, फर्म को भुगतान की गई राशि की जानकारी दिनांकवार, सामग्रीवार, विकासखंडवार देवे? **(ख)** क्या वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक

आंगनबाड़ी केन्द्रों में तथा कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराई गई है? यदि हां तो उपकरण का नाम, उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी का नाम, उपकरण का मूल्य, भुगतान की जानकारी, उपकरण की वर्तमान स्थिति की उपकरणवार उपलब्धकर्ता के नाम सहित जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : क) प्रश्नांश अवधि में मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु जिला में क्रय सामग्री की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** तथा राज्य स्तर से क्रय सामग्री की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ, प्रश्नांश अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर उपलब्ध कराई गई है, शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अडसठ" \]](#)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार, भवन, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ

[महिला एवं बाल विकास]

54. (क्र. 903) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विगत 03 वर्षों में जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार, भवन, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों का विवरण क्या है तथा उनके निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें? **(ख)** जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं तथा कितने किराए अथवा अन्य भवनों में संचालित हो रहे हैं? जानकारी देवें? **(ग)** जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है तथा इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी नहीं।**(ख)** जिले में 755 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में, 60 किराए के भवनों में तथा 90 अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं।**(ग)** वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीन आंगनबाड़ी भवनों/सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बस्तर संभाग के धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

55. (क्र. 910) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभाग में अनियमितता की विगत तीन वर्षों में धान खरीदी केंद्रों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है? कृपया जिलावार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के धान उपार्जन केंद्रों में अनियमितताओं की जांच में सही पाए गए मामलों का विवरण क्या है? किसानों के भुगतान में विलंब के कितने मामले सामने आए? कृपया जिलावार बतावें? **(ग)** दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** बस्तर संभाग अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में अनियमितता संबंधी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2025-26 में अनियमितता की कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** धान उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता की जांच में सही पाए गये विवरण संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** वर्ष 2023-24, 2024-25 व

2025-26 में किसानों को उपार्जित धान की राशि के भुगतान में विलंब की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी सलग्र प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्र "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राही

[समाज कल्याण]

56. (क्र. 911) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सत्य है कि बस्तर संभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं सुखद सहारा पेंशन) के अंतर्गत बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही आज भी लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं ? **(ख)** बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में पंजीकृत हितग्राहियों की योजना-वार एवं जिला-वार संख्या क्या है एवं विगत तीन वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में पेंशन स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत आवेदनों की संख्या तथा लंबित आवेदनों की संख्या जिला-वार क्या है ? कृपया बतावें ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के निरंतरता में ही क्या शासन के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें हितग्राही की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन राशि का भुगतान जारी रहा हो? यदि हाँ, तो ऐसे मामलों की संख्या तथा की गई कार्यवाही का विवरण दें। **(घ)** बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितने पेंशन आवेदन लंबित हैं तथा उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? कृपया बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी नहीं । बस्तर संभाग के कोई भी पात्र हितग्राही पेंशन से वंचित नहीं है । **(ख)** जानकारी संलग्र प्रपत्र अनुसार है । **(ग)** जी हाँ । जिला सुकमा में 11 तथा जिला नारायणपुर में 1 प्रकरण संज्ञान में आए हैं, जिनमें हितग्राही की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन राशि उनके खाते जा रही थी । जिला सुकमा द्वारा मृत व्यक्ति के खाते से वसूली किया जाकर शासन के खाते में जमा करने के कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा जिला नारायणपुर द्वारा तत्कालीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध एक-एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई है । **(घ)** विधानसभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत वर्तमान में पेंशन के कोई भी आवेदन लंबित नहीं है । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

[संलग्र "परिशिष्ट - सत्तर"]

प्रदेश में दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिव्यांगजनों का सत्यापन

[समाज कल्याण]

57. (क्र. 918) श्री कवासी लखमा (श्रीमती शेषराज हरवंश) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है ? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत जनवरी, 2024 से मई, 2026 की अवधि में कितने दिव्यांगजनों का चिकित्सकीय सत्यापन किया जा चुका है ? इसमें पुरुष, महिला तथा उभयलिंगी कितने-कितने हैं ? सभी विवरण जिलावार बताएं ? **(ख)** उक्त में से कितने दिव्यांगजनों का पंजीयन करके यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किया जा चुका है तथा कितने शेष हैं ? जिलावार बताएं? **(ग)** दिव्यांगजनों के लिये संचालित किन-किन योजनान्तर्गत, कितने-कितने दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है ? जिलावार बताएं ? **(घ)** क्या ऐसे दिव्यांगजनों की पहचान की गई है, जिनके माता तथा पिता दोनों या जो जीवित हैं, वह कोई कार्य करने में अक्षम हैं तथा परिवार के आय का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो जिलावार संख्या बताएं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। ऐसा कोई दिव्यांगजनों का चिन्हांकन नहीं किया गया है जिनके परिवार के आय का कोई साधन नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

धान खरीदी हेतु लिए गए ऋण एवं ब्याज भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

58. (क्र. 919) श्री कवासी लखमा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में 31, मार्च 2026 तक राज्य सरकार के द्वारा धान क्रय हेतु कितनी राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कितनी राशि अन्य योजनाओं से धान बेचने वाले किसानों को दी गई है? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में केन्द्र सरकार के द्वारा किस-किस मद से (केन्द्रीय पूल व अन्य मद) कितना चावल लिया गया ? उक्त चावल के एवज में राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई? इसमें कितनी राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के लिए समायोजित की गई? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में धान खरीदने के लिए कितना-कितना ऋण लिया गया व कितना-कितना ब्याज पटाया गया व उक्त ऋण एवं ब्याज की राशि में से कितनी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदत्त किस मद की राशि से ऋण व ब्याज स्वरूप वापस की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में 31, मार्च 2026 तक राज्य सरकार के द्वारा धान क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि उन्नति योजनांतर्गत धान बेचने वाले किसानों हेतु प्रदाय राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

खरीफ विपणन वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि (करोड़ में)	कृषि उन्नति योजना की देय राशि (करोड़ में)
2023-24	31665.19	13260.56
2024-25	34349.07	11939.99
2025- 26 (31, मार्च 2026 की स्थिति में)	33430.46	10285.96

(ख) उक्त अवधि में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय पूल में चावल लिया गया है, जिसकी वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

खरीफ विपणन वर्ष	केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय पूल में जमा चावल की मात्रा (लाख मेट्रिक टन में)
2023-24	77.63
2024-25	76.71
2025-26 (31 मार्च 2026 की स्थिति में)	4.77 चावल जमा कार्य प्रचलित है।

जमा चावल के एवज में राज्य सरकार को दी गयी राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के समायोजित की गई राशि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये करोड़ में)

खरीफ विपणन वर्ष	चावल जमा की राशि	भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम से कुल प्राप्त राशि	जमा चावल के एवज में अनुपातिक धान की समर्थन मूल्य की राशि जो कि सी.एम.आर राशि में शामिल है
2023-24	28443.02	27191.52	25315.22
2024-25	29592.01	25313.37	21949.73
2025-26 (31 मार्च 2026 की स्थिति में)	1926.02	2206.53	1670.74

(ग) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में धान खरीदने के लिए गए ऋण व पटाये गए ब्याज की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये करोड़ में)

खरीफ वर्ष	ऋण राशि (प्रारंभिक शेष + नवीन ऋण)	पुनर्भुगतान किया गया ऋण	शेष ऋण राशि	ब्याज राशि
2023-24	46990	21505	25485	2595.74
2024-25	55400	24660	30740	3324.33
2025-26 (31.03.2026 की स्थिति में)	58547	12728	45819	1414.27

प्रश्नांश में उल्लेखित अनुसार केन्द्र शासन से कोई ऋण प्राप्त नहीं है, अतः ब्याज एवं ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु पोषण सामग्री, टीवी एवं आरओ यूनिट क्रय में अनियमितताएं।

[महिला एवं बाल विकास]

59. (क्र. 926) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु पोषण सामग्री तथा 2,899 केंद्रों के लिए टीवी एवं आरओ यूनिट क्रय पर कितनी राशि व्यय की गई/ व्यय राशि तथा क्रय प्रक्रिया का जिला-वार विवरण क्या है? **(ख)** क्या उक्त क्रय कार्यों में वित्तीय नियमों, निविदा प्रक्रिया, जीईएम (GeM) पोर्टल अथवा भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुए खरीद आदेशों का विभाजन (Splitting of Purchase Orders) किया गया था? यदि हाँ, तो जांच में क्या तथ्य पाए गए? **(ग)** उक्त प्रकरणों की जांच किस एजेंसी द्वारा कराई गई, जांच में कितनी वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? **(घ)** क्या शासन द्वारा इस प्रकरण में वित्तीय हानि की वसूली की गई है? यदि हाँ, तो वसूली गई राशि का विवरण क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रश्नांश अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पोषण सामग्री पर कुल राशि रूपये 19,01,45,27,382 का व्यय किया गया। क्रय प्रक्रिया तथा व्यय राशि का जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। 2899 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये टीवी एवं आरओ यूनिट क्रय पर राशि रूपये 37,77,583 का व्यय किया गया। क्रय प्रक्रिया तथा व्यय राशि का जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(घ)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

वृद्धाश्रम, भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र एवं नशा मुक्ति केन्द्रों की जांच एवं पदस्त सहायता

[समाज कल्याण]

60. (क्र. 932) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर जिले अंतर्गत कितने शासकीय/अनुदान प्राप्त एवं निजी वृद्धाश्रम, भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र एवं नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन किन-किन संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है? विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्न 'क' के केन्द्रों को राज्य शासन के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान की जाती है? यदि हां तो वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान प्रदान किया गया? (ग) प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या इन सभी संस्थानों की विभाग के माध्यम से मॉनिटरिंग किये जाने की कोई व्यवस्था है? यदि हां तो क्या और कब-कब इन संस्थाओं की जांच किन-किन अधिकारियों के द्वारा की गई और जांच में क्या रिपोर्ट प्रदान की गई? विवरण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

समितियों एवं धान उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

61. (क्र. 933) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर जिले अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में किन-किन समितियों एवं धान उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता/भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? समितियों/खरीदी केन्द्रों के नाम समेत विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार कृषकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिये विभाग द्वारा किस-किस अधिकारी को जिम्मेदारी प्रदान की गई थी एवं क्या जांच की कार्यवाही एवं पंचनामा शिकायतकर्ता के सामने किया गया? विवरण प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) रायपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 धान उपार्जन केन्द्रों में अनियमितता/भ्रष्टाचार/गड़बड़ी प्राप्त हुई थी। प्राप्त अनियमितता/शिकायतों पर की गई कार्यवाही की उपार्जन केन्द्रवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जिले में 01 प्रकरण श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं अन्य 3 कृषकों से उपार्जन केन्द्र नरदहा में श्री राकेश कुमार जांगड़े लिपकीय सहायक द्वारा टोकन काटने हेतु राशि मांग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुआ था। शिकायत की जांच कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाखा प्रबंधक आरंग एवं चंदखुरी द्वारा संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता के समक्ष किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी कर्मचारी श्री राकेश कुमार जांगड़े को प्रथमतः दिनांक, 08.12.2025 को धान खरीदी कार्य से पृथक तत्पश्चात् दिनांक 11.12.2025 को सेवा से पृथक करने का आदेश संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। शेष 10 प्रकरणों में नोडल अधिकारी तथा भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई अनियमितता है। उपार्जन केन्द्रवार की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

बस्तर संभाग के राशन दुकानों हेतु गोदाम निर्माण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

62. (क्र. 940) श्री विक्रम मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित राशन दुकानों के लिए वर्ष 2024-25 से 2026-27 में 15 जून, 2026 तक कितने गोदामों का

निर्माण किस-किस मद से किया गया है एवं कितने गोदाम निर्माण किए जाने शेष हैं, जिलेवार विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी बतावें? **(ख)** बस्तर संभाग में जर्जर गोदामों का जीर्णोद्धार एवं गोदाम भवन विहीन दुकानों के लिए नवीन गोदाम भवनों के निर्माण किस-किस मद से प्रकरण स्वीकृति प्रक्रिया में है? मदवार, जिलावार विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर" \]](#)

रायगढ़ एवं जशपुर जिला अंतर्गत संचालित योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

63. (क्र. 945) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ एवं जशपुर जिला अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? संचालित योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश वित्तपोषण कितना-कितना है ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को क्या-क्या सामग्री एवं कितनी-कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या जिलावार, विकासखण्डवार बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिला अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी तथा योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश वित्तपोषण की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को दी गई सामग्री एवं राशि का प्रावधान का विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या की जिलावार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-‘ब’** अनुसार है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं

[समाज कल्याण]

64. (क्र. 946) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर संभाग अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में योजनावार कुल कितने हितग्राही हैं ? पेंशन योजना का नाम सहित जिलेवार जानकारी देवें ? केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त होने वाली राशि का विवरण देवें ? **(ख)** जनवरी 2026 से 15 जून 2026 तक पेंशन योजनाओं के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाना था ? वास्तव में कितना भुगतान किया गया? योजनावार जानकारी देवें ? समय पर पेंशन भुगतान में विलम्ब का कारण बतावें ? समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** लंबित पेंशन भुगतान शत प्रतिशत हितग्राहियों को कब तक कर दिया जाएगा? **(घ)** क्या बिलासपुर संभाग में पेंशन भुगतान हेतु डी.एम.एफ. मद से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है? यदि हां तो प्रश्नांश 'क' की अवधि में पेंशन हेतु वितरित राशि का विवरण देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र- अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है । **(ग)** भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** जी नहीं । बिलासपुर संभाग में पेंशन भुगतान हेतु डी.एम.एफ. मद से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किया जाता है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

जिला रायगढ़ में महतारी वंदन योजना के प्राप्त आवेदन

[महिला एवं बाल विकास]

65. (क्र. 950) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ में वर्ष 2025-2026 से 15 जून, 2026 तक महतारी वंदन योजनांतर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने पात्र पाए गए हैं, कितने अपात्र हैं, कितने को स्वीकृति प्रदान की गयी है ? जानकारी दें ? **(ख)** अपात्र होने के क्या कारण हैं, कितने आवेदन लंबित हैं, कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? **(ग)** प्रदेश में महतारी वंदन योजना में कितना राशि प्रतिवर्ष खर्च हो रही है ? जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला-रायगढ़ में वर्ष 2025-26 से 15 जून, 2026 तक महतारी वंदन योजना अंतर्गत नए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, अतः प्राप्त आवेदन संबंधी जानकारी निरंक है, एवं शेष प्रश्नांश की जानकारी भी निरंक है। **(ख)** कंडिका "क" के परिपेक्ष्य में कंडिका "ख" की जानकारी निरंक है। **(ग)** महतारी वंदन योजना में प्रतिवर्ष खर्च हो रही राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

जिला रायगढ़ अंतर्गत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

66. (क्र. 951) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक की स्थिति में राशन कार्ड बनाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं कितने आवेदन पात्र हैं, कितने आवेदन अपात्र हैं, कितने पात्र आवेदकों का राशन कार्ड बनाया गया है कितने लंबित हैं विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल राशन कार्ड में परिवर्तन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां तो कितने पात्र किए गए हैं, जानकारी दें ? **(ग)** क्या राशन कार्ड बनाने में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो जाँच किस किस अधिकारी द्वारा कराई गई है, जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जिला रायगढ़ में प्रश्नांकित अवधि तक नवीन राशनकार्ड बनाने हेतु कुल 24,666 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें से परीक्षण उपरांत 22,686 आवेदन पत्र पात्र पाये गये तथा 1980 आवेदन अपात्र पाये गये। पात्र पाये गये 22,686 आवेदकों का राशनकार्ड जारी किया गया है। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश "क" अंतर्गत एपीएल राशनकार्ड को बीपीएल राशनकार्ड में परिवर्तित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां। राशनकार्ड बनाने में अनियमितता की 01 शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच तत्कालीन खाद्य निरीक्षक श्री मनोज सारथी से कराई गई।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु लिए गए ऋण/पुनर्भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

67. (क्र. 958) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजनांतर्गत वित्तदायी संस्थाओं से खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए कितना-कितना ऋण लिया गया, वर्षवार बताएं ? इसका पुनर्भुगतान वर्षवार कितना-कितना किया गया ? 31 मई, 2026 की स्थिति में कितना ऋण ब्याज सहित शेष है ? **(ख)** धान उपार्जन से छ.ग. राज्य सहकारी विपणन

संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 2020-21 से 2025-26 तक कितनी-कितनी राशि दी गई, वर्षवार बताएं ? इस मद में विपणन संघ का शासन से कितनी राशि लेना शेष है ? इन्ही वर्षों में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस मद में निर्धारित दर, उस दर से राशि तथा वास्तविक व्यय राशि कितनी-कितनी है ? **(ग)** धान उपार्जन में हानि के कारण क्या-क्या हैं ? किन-किन मदों में निर्धारित दर से अधिक व्यय होता है ? **(घ)** कस्टम मिलर्स को मिलिंग चार्जस की कितनी राशि का भुगतान शेष है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रश्नांश "क" से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रूपए में)

खरीफ वर्ष	ऋण राशि (प्रारंभिक शेष नवीन ऋण)	पुनर्भुगतान किया गया ऋण	शेष ऋण राशि
2020-21	26447	15297	11150
2021-22	28500	17151	11349
2022-23	30558	15041	15517
2023-24	46990	21505	25485
2024-25	55400	24660	30740
2025-26	58547	15968	42579

दिनांक 31.05.2026 की स्थिति में पुनर्भुगतान हेतु शेष ऋण राशि 42579.76 करोड़ रूपए है जिस पर जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक देय ब्याज की अनुमानित राशि रूपए 1400.00 करोड़ रूपए है। **(ख)** धान उपार्जन से छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ को हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक राज्य शासन से राशि 10753.13 करोड़ रूपए प्राप्त हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	हानि प्रतिपूर्ति मद में राज्य शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि
1	2020-21	550.00
2	2021-22	1005.25
3	2022-23	750.00
4	2023-24	500.00
5	2024-25	1400.00
6	2025-26	6547.88
योग		10753.13

इस मद में विपणन संघ की शासन से 16581.75 करोड़ रूपए राशि लेना शेष है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस मद में निर्धारित दर, उस दर से राशि तथा वास्तविक व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खरीफ विपणन वर्ष	धान प्रकार	एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस मद में निर्धारित दर (रुपये/किलो)	राशि (रुपये में)	एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस मद में वास्तविक व्यय दर (रुपये/किलो)	राशि (रुपये में)
1	2020-21	धान कॉमन	31.20	1794399000.11	25.40	1668131275.73
		धान ग्रेड ए	28.86	658956238.64	25.40	623934842.44
2	2021-22	धान कॉमन	35.79	2992763283.91	29.71	2499429806.53
		धान ग्रेड ए	21.86	298063277.12	29.71	409936224.53
3	2022-23	धान कॉमन	20.40	1298463535.32	24.63	1567529235.44
		धान ग्रेड ए	20.60	185123364.66	24.63	221314604.43
4	2023-24	धान कॉमन	21.83	2850577700.82	-	अंतिम लागत पत्रक
		धान ग्रेड ए	22.03	317887451.69	-	प्रक्रियाधीन है।
5	2024-25	धान कॉमन	23.00	निराकरण प्रक्रियाधीन है।	-	निराकरण प्रक्रियाधीन है।
		धान ग्रेड ए	23.20	-	-	-
6	2025-26	धान कॉमन	23.69	निराकरण प्रक्रियाधीन है।	-	निराकरण प्रक्रियाधीन है।
		धान ग्रेड ए	23.89	-	-	-

(ग) धान उपार्जन में हानि के कारण :-

1. उपार्जित धान की मात्रा के अनुरूप चावल जमालक्ष्य न होना। भारतीय खाद्य निगम/नागरिक आपूर्ति निगम की चावल भंडारण क्षमता कम होने के कारण समय पर निराकरण नहीं होना। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधिक/अंतिम लागत दरों के विरुद्ध वास्तविक व्यय दर अधिक होना। भारत सरकार द्वारा ब्याज के निर्धारित नार्म्स में सिर्फ एमएसपी और वैधानिक करों पर ही ब्याज दिया जाता है, जबकि राज्य शासन में संग्रहण केंद्र तक परिवहन, सुरक्षा एवं रखरखाव व्यय करने के बाद ही सीएमआरजमा होता है, उसके बाद ही राशि मिलती है। राज्य शासन और नागरिक आपूर्ति निगम की वर्षवार देय राशि उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं होने से ब्याज भार में वृद्धि होती है। भारत सरकार द्वारा दरों का अंतिमीकरणसमय पर न करने से आधिक्य व्यय का निराकरण नहीं होता है। जिसके कारण भी ब्याज भार में वृद्धि होती है। निम्नलिखित मदों में निर्धारित दर से अधिक व्यय होता है :- सुखत, सुरक्षा एवं रखरखाव, ब्याज, परिवहन, कस्टम मिलिंग एवं बारदाना मदों में निर्धारित दर से अधिक व्यय होता है। (घ) खरीफ वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए कस्टम मिलर्स को मिलिंग चार्ज की कितनी राशि का भुगतान शेष है की जानकारी निमानानुसार है-

क्रमांक	खरीफ वर्ष	बनाये गए बिल के आधार पर कस्टम मिलिंग चार्ज की लंबित राशि रूपए में	रिमार्क
1	2020-21	973544.13	
2	2021-22	2794298.71	
3	2022-23	1014210	
4	2023-24	21149401.6	
5	2024-25	-	मिलर द्वारा जिला विपणन कार्यालय स्तर पर दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरांत जिला स्तर से देयक तैयार करने के पश्चात ही वास्तविक देय राशि की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
6	2025-26	-	चावल जमा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
योग-		2,59,31,454.44	

केन्द्रीय तथा राज्य पूल में चावल का परिदान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

68. (क्र. 962) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से निर्मित चावल की वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा का परिदान केंद्रीय पूल तथा राज्य पूल में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि में किया जाना था तथा कितनी-कितनी मात्रा में किया गया? (ख) क्या खरीफ विपणन वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में एफ.सी.आई. के गोदामों में स्थानाभाव के कारण केन्द्रीय पूल में चावल का परिदान करने में विलम्ब हुआ है तथा विलम्ब के कारण विपणन संघ पर ब्याज का अधिक भार पड़ा? यदि हां तो अधिक भार की राशि कितनी-कितनी होती है? क्या इसकी पूर्ति केंद्र सरकार करेगी? (ग) क्या एफ.सी.आई. के गोदामों की क्षमता आवश्यकता से कम है? इस समस्या के निराकरण हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :(क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से निर्मित चावल की वर्षवार केंद्रीय पूल तथा राज्य पूल में जमा योग्य मात्रा तथा मिलरो द्वारा परिदान मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	धान	चावल उपाजर्जन लक्ष्य				चावल जमा मात्रा				रिमार्क
	उपाजर्जन	एफ.सी.आई.	नान	कुल	एफ.सी.आई.	नान	कुल			
	मात्रा	केन्द्र पूल	केन्द्र पूल		राज्य	केन्द्र पूल		केन्द्र पूल	राज्य	
2020-21	92.02	24.00	23.42	7.81	55.23	22.84	23.42	7.81	54.07	
2021-22	97.99	38.42	23.23	9.74	71.39	32.45	23.23	9.74	65.41	
2022-23	107.54	45.14	15.86	14.52	75.52	42.25	15.86	14.52	72.64	
2023-24	144.92	67.31	15.69	19.52	102.52	61.95	15.69	19.52	97.16	
2024-25	149.25	62.27	15.73	9.87	87.87	61.13	15.58	9.87	86.58	
2025-26	141.05	57.00	16.00	16.00	89.00	8.53	8.77	9.30	26.60	चावल जमा कार्य प्रगति पर है

(ख) जी हाँ, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में एफसीआई के द्वारा समय-समय पर उपयोग किए गए गोदामों में स्थानाभाव रहा है, केन्द्रीय पूल में चावल उपाजर्जन की अवधि पर चावल का परिदान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में चावल जमा का कार्य प्रगतिरत है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वयं के गोदाम तथा केन्द्रीय भंडार गृह निगम एवं राज्य भंडार गृह निगम के गोदामों को आवश्यकतानुसार चावल उपाजर्जन हेतु उपयोग किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर रेल्वे रैंक के माध्यम से अन्य राज्यों को चावल का मूवमेंट कराया जाता है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

धान की खरीदी व कस्टम मिलिंग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

69. (क्र. 964) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में नवंबर, 2023 से फरवरी, 2026 तक कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई ? कितनी मात्रा में धान की कस्टम मिलिंग की गई ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) कस्टम मिलिंग पश्चात् कितना चावल प्राप्त होना था ? कितना चावल कितने मिलरों से प्राप्त होना शेष है ? वर्षवार जानकारी दें ? (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 जून, 2026 की स्थिति में उपाजर्जन केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों में कितना धान निस्तारण हेतु शेष है ? जिलेवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रदेश में नवंबर 2023 से फरवरी 2026 तक धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की गई धान मात्रा की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मे.टन में)				
दिनांक	खरीफ विपणन वर्ष	धान खरीदी मात्रा	मिलिंग की गई धान मात्रा (चावल जमा अनुसार)	रिमार्क
01.11.2023 से दिनांक 28.02.2026 की स्थिति तक	2023-24	144.92	143.11	-
	2024-25	149.25	116.54	-
	2025-26	141.05	6.54	कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है

(ख) कस्टम मिलिंग पश्चात चावल प्राप्ति एवं चावल शेष का कारण निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख मे.टन में)

दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 28.02.2026 की स्थिति तक	खरीफ विपणन वर्ष	डीओ में उठाव के विरुद्ध जमा योग्य चावल मात्रा	जमा चावल मात्रा	जमा हेतु शेष चावल मात्रा	चावल जमा करने हेतु शेष मिलरों की संख्या
	2023-24	97.96	97.16	0.80	1457
	2024-25	87.25	79.28	7.97	1855
	2025-26	57.77	3.96	53.81	2789

(ग) खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 जून 2026 की स्थिति में उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में उठाव हेतु शेष धान की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्‍यासी"]

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेवानिवृत्त कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के स्थान पर नियुक्ति

[महिला एवं बाल विकास]

70. (क्र. 969) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात भी वे आंगनबाड़ी में कार्यरत है एवं कार्य कर रहे है ? यदि हां, तो जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सेवा समाप्त कर इनके स्थान पर नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ? तथा कब तक की जावेगी

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जी नहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात कार्यरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए निर्धारित नियुक्ति निर्देशों के अनुसार "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आगामी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त" किया जाता है। (ख) उत्तरांश (क) के आलोक में जानकारी निरंक है।

जिला-रायपुर में समितियों के भौतिक सत्यापन उपरांत कमी पाई गई धान की मात्रा

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

71. (क्र. 974) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 तक समितियों के आंकड़ों के भौतिक सत्यापन उपरांत रायपुर जिला अंतर्गत कितने समितियों में धान की कितनी मात्रा कम पाई गई ? इस हेतु किन्हे जिम्मेदार पाया गया ? क्या धान के साथ साथ बारदानों की संख्या में भी कमी पाई गई ? जानकारी ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जिला रायपुर की 139 धान उपार्जन केन्द्रों में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया है। जिले की सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2024-25 में संचालित 139 धान उपार्जन केन्द्रों का संयुक्त लेखा मिलान में 45 उपार्जन केन्द्रों में पाई शार्टेज व बारदाना कमी की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। वर्ष 2025-26 में जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त संयुक्त जांच दल द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में 7 उपार्जन केन्द्रों में धान एवं बारदाना कमी के लिए संबंधित उपार्जन केन्द्रों में धान एवं बारदाना कमी के लिए संबंधित उपार्जन केन्द्र प्रभारी जिम्मेदार पाया गया

है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। उपार्जित धान का ऑनलाईन संयुक्त लेखा मिलान किया जा रहा है। दिनांक 03.07.2026 तक 130 उपार्जन केन्द्रों का लेखा मिलान पश्चात ही शार्टेज की वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी।

[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ई के वाय सी नहीं होने से वंचित लाभार्थी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

72. (क्र. 976) श्री सुनील कुमार सोनी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत जिला-रायपुर में ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण ई के वायसी नहीं हो पा रहा है? ऐसे हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है ? क्या ऐसे हितग्राहियों को त्वरित राहत देने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रायपुर जिले में बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट प्रमाणित नहीं होने के कारण ई-केवायसी नहीं हो पाने वाले 5,035 हितग्राही हैं। इन हितग्राहियों को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न उठाव करने तथा राशनकार्ड जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक अथवा 10 वर्ष से कम है, एकल निराश्रित राशनकार्ड, निःशक्तजन राशनकार्ड, जिनमें नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव नहीं हो रहा है, को ई-पॉस मशीन में आधार प्रमाणीकरण प्रयास विफल होने की स्थिति में आधार नंबर में पंजीकृत मोबाईल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से वितरण का प्रावधान है।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्य सामग्री की कमी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

73. (क्र. 979) श्री देवेन्द्र यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला दुर्ग अंतर्गत वर्ष 2024-25 से 15 जून, 2026 की अवधि में कितने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में खाद्य सामग्री की कमी पायी गई है? स्थान, दुकान, मात्रा सहित जानकारी दीजिए। **(ख)** प्रश्न 'क' अनुसार उक्त शासकीय मूल्य की दुकान संचालकों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** जिला दुर्ग अंतर्गत ऐसे कुल हितग्राहियों में से दिनांक 15.06.2026 तक कितने हितग्राहियों का ई.के.वाई.सी. का सत्यापन नहीं किया गया है? जानकारी दीजिए। **(घ)** क्या प्रश्न "ग" के अनुसार हितग्राहियों को राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्या कारण है? जानकारी दें।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** दुर्ग जिले में प्रश्नांकित दिनांक तक 1,20,942 हितग्राहियों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है। **(घ)** हितग्राहियों द्वारा ई-केवाईसी पूर्ण कराए जाने उपरांत खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा। वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिए जाने हेतु हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

राज्य में वन स्टाप सेंटर के द्वारा किये गये कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

74. (क्र. 987) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) विगत 03 वर्षों में राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के लिये कितने वन स्टाप सेंटर का संचालन किया जा रहा है? वन स्टाप सेंटर के संचालन में कितनी राशि का व्यय हुआ है? वन स्टाप सेंटर की संख्या एवं संचालन में होने वाली व्यय राशि की जिलेवार जानकारी दें? (ख) विगत 03 वर्षों में राज्य में वन स्टाप सेंटर से कितने बच्चों एवं महिलाओं को सहायता प्राप्त हुई है? जिलेवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विगत 03 वर्ष में राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के लिए 42 वन स्टाप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। प्रश्नाधीन अवधि में वन स्टाप सेंटर के संचालन में 20,66,41,532/- (अक्षरी- बीस करोड़ छैसठ लाख इकचालीस हजार पांच सौ बत्तीस रुपये मात्र) राशि का व्यय हुआ है। वन स्टाप सेंटर की संख्या एवं संचालन में होने वाली व्यय राशि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) विगत 03 वर्षों में राज्य में वन स्टाप सेंटर में 2169 बच्चों एवं 21043 महिलाओं को सहायता प्राप्त हुई है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी" \]](#)

शासकीय उचित मूल्य की दुकानें एवं खाद्यान्न गोदामों का निर्माण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

75. (क्र. 1000) श्रीमती गोमती साय : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत कितने ग्रामों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं कितने ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम हैं, तथा कितने में नहीं हैं? (ख) जिन ग्रामों में खाद्यान्न गोदाम नहीं है या जर्जर अवस्था में हैं वहां कब तक खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कर लिया जायेगा? समयावधि बतावें? (ग) वर्ष 2023-24 से 15 जून, 2026 तक कितने केन्द्रों में शिकायतें दर्ज की गई हैं? कितने प्रकरणों में शिकायतों का निवारण किया गया है ? जिन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ है, कब तक किया जायेगा? समयावधि बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 156 उचित मूल्य दुकान संचालित है। इनमें से 116 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन है तथा 40 उचित मूल्य दुकान में दुकान सह गोदाम भवन नहीं है। (ख) विभागीय वजट में दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु राशि का प्रावधान होने उपरांत दुकान सह गोदाम भवन स्वीकृत किया जा सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांकित अवधि तक 28 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। इनमें से 20 प्रकरणों का निराकरण किया गया है तथा 08 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पत्थलगांव के न्यायालय में विचाराधीन है। अतः निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों की अद्यतन स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

76. (क्र. 1001) श्रीमती गोमती साय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023-24 से 15 जून 2026 तक विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में कितने आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया गया है? ग्रामवार, वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांकित अवधि में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर है? जर्जर भवनों के लिए कितनी-कितनी राशि कहां-कहां स्वीकृत की गयी है? ग्रामवार,

वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में भवनविहीन, मरम्मत, जर्जर एवं तोड़े गये आंगनबाड़ी भवनों में से किस-किस ग्राम में भवन निर्माण एवं मरम्मत की राशि स्वीकृत नहीं की गई तथा मरम्मत योग्य/जर्जर आंगनबाड़ी भवनों हेतु कब तक राशि स्वीकृत की जावेगी? समयावधि बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** वर्ष 2023-24 से 15 जून 2026 तक पथलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 166 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी ग्रामवार, वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत कार्य की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में 116 आंगनबाड़ी भवन जर्जर हैं जिनमें से 03 जर्जर आंगनबाड़ी भवनों के लिए प्रति आंगनबाड़ी भवन 11.69 लाख रुपये के मान से राशि स्वीकृति की गई है। ग्रामवार, वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** प्रथम प्रश्नांश की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

विकलांग पेंशन योजना के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[समाज कल्याण]

77. (क्र. 1005) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जिला महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड बसना एवं पिथौरा में शासन द्वारा प्रदाय विकलांग पेंशन योजना के लिए वर्ष 2002 सर्वे सूचि में नाम नहीं होने पर पेंशन हेतु अपात्र किया जाता है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत किया जाता है? क्या सर्वे करा कर छूटे हुए विकलांग लाभार्थी का नाम जोड़ने हेतु कोई प्रावधान विभाग द्वारा किया जा रहा है? जिससे छूटे हुए लाभार्थी का नाम जोड़ा जाकर योजना का लाभ दिया जा सके? **(ख)** विकलांग पेंशन योजना में शासन के किस प्रावधान के तहत पात्रता निर्धारित की जाती है? **(ग)** जिला महासमुंद के विकासखंड बसना एवं पिथौरा में विकलांग पेंशन योजना हेतु वर्ष 2023 से दिनांक 15.06.2026 तक के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? **(घ)** कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है, जिसमें से कितने पात्र एवं कितने अपात्र हुए और अपात्र होने का कारण क्या हैं? **(ङ)** विकलांग पेंशन योजना हेतु हितग्राहियों का नाम जोड़ने हेतु कब-कब सर्वे किया गया है? **(च)** सम्बंधित विभाग द्वारा छूटे हुए विकलांग पेंशन योजना के हितग्राहियों हेतु क्या-क्या प्रावधान किया जा रहा है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ। छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का निर्देश क्रमांक एफ 7-03/ 2014/सक/26, दिनांक 28/04/2014 के अनुसार किया जाता है। जी नहीं, वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। **(ख)** दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजना में छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग का निर्देश क्रमांक एफ 7-03/2014/सक/26, दिनांक 28/04/2014 के अनुसार पात्रता निर्धारित किया जाता है। **(ग)** जिला-महासमुंद के विकासखंड बसना एवं पिथौरा में दिव्यांग पेंशन हेतु वर्ष 2023 से दिनांक 15.06.2026 तक 199 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(घ)** सभी प्राप्त 199 आवेदनों का निराकरण किया गया है जिसमें 138 पात्र एवं 61 अपात्र हैं। अपात्र होने का कारण गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम नहीं होना है। **(ङ.)** दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना में हितग्राहियों का नाम जोड़ने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया है। **(च)** दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजना से छूटे हुए हितग्राहियों के लिए विभाग द्वारा जन जागरूकता शिविर आयोजित कर पात्रता अनुसार अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं भवन निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

78. (क्र. 1008) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण कार्य एवं पी.एम.जनमन आंगनबाड़ी भवन निर्माण योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्या था? उसकी उपलब्धिता कितनी-कितनी थी? भौतिक उपलब्धिता का प्रतिशत कितना है? कार्य पूर्ण होने की संभावित अवधि कितनी तय की गयी थी? वर्षवार अलग-अलग बतायें? **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत क्या कार्ययोजना तय की गयी थी? कितने कार्य तय सीमा में पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति में है तथा अपूर्ण होने के कारण क्या हैं और उसके दोषी कौन हैं? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी? उक्त वर्षवार अलग-अलग बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विभाग द्वारा खरीफ वर्षानुसार जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है। प्रथम प्रश्नांश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है। आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण विभागीय मद के साथ मनरेगा अभिसरण तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निधियों से संबंधित ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों/निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कराया जाता है। अतएव आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। **(ख)** आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण विभागीय आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कराया जाता है। अतएव कार्य की समय-सीमा तय किया जाना संभव नहीं है। वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी" \]](#)

प्रदेश में पालना योजना का क्रियान्वयन

[महिला एवं बाल विकास]

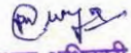
79. (क्र. 1009) श्री अजय चंद्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में पालना योजना कब से संचालित है? उसके उद्देश्य क्या हैं? राज्य सरकार द्वारा इसके अंतर्गत कितने पालना घर बनाना का लक्ष्य रखा गया था एवं उसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाना था? 15 जून, 2026 की स्थिति में कितने पालना घर संचालित हैं? जिलावार बतायें। **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अंश कितनी-कितनी है? विगत चार वर्षों में केन्द्रांश एवं राज्यांश से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी? किन-किन कार्यों एवं सामग्री में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश में पालना योजना वर्ष 2024-25 से संचालित है। पालना केन्द्र के संचालन का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों को सुरक्षित वातावरण में देखभाल, पोषण एवं संरक्षण उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार द्वारा इसके अंतर्गत 250 पालना केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था। पालना केन्द्रों के संचालन हेतु भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार पालना कार्यकर्ता व सहायिका की पदस्थापना, भवन/स्थान का चिन्हांकन एवं पालना केन्द्रों हेतु आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था किया जाना था। 15 जून 2026 की स्थिति में 186 पालना केन्द्र संचालित है। जिलेवार संचालित पालना केन्द्रों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** उक्त योजना अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। विगत 4 वर्षों में प्राप्त राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है, तथा कार्यों एवं सामग्री में व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी" \]](#)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य योजना
के राशनकार्डों में चावल की मासिक पात्रता

क्रमांक	राशनकार्ड का प्रकार	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में पात्रता	राज्य में खाद्यान्न की पात्रता (CGFSA)
1	01 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड		10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
2	02 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड	5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह	20 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
3	03 से 05 सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड		35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
4	05 से अधिक सदस्यीय प्राथमिकता राशनकार्ड		07 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह
5	अन्त्योदय राशनकार्ड	35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह	35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
6	एकल निराश्रित राशनकार्ड	निरंक	10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
7	निःशक्तजन राशनकार्ड		10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
8	01 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड		10 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
9	02 सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड		20 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह
10	03 या अधिक सदस्यीय सामान्य राशनकार्ड		35 किलो प्रति कार्ड प्रतिमाह

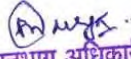

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र—ब

खरीफ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में केन्द्रीय पूल एवं राज्य पूल में चावल की आवश्यकता एवं
उपार्जन की जानकारी

(मात्रा टन में)

क्रमांक	खरीफ वर्ष	चावल की आवश्यक मात्रा (उपार्जन लक्ष्य)		उपार्जित चावल की मात्रा	
		केन्द्रीय पूल	राज्य पूल	केन्द्रीय पूल	राज्य पूल
1	2024 -25	15,72,316	9,96,184	15,58,452	9,86,589
2	2025 -26 (दिनांक 30.06.2026 की स्थिति में)	16,00,000	16,00,000	8,75,071	9,24,575


 अनुभाग अधिकारी
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोक्ष - दो
ताराकेत प्रश्न संख्या 2 (क्र. 748) की जानकारी

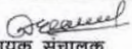
प्रपत्र - अ

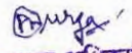
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान का नाम	दुकान क्रमांक	सत्यापन दिनांक
1	कांटा	कलमीटार	महामाया महिला स्व सहायता कमलौटार	402003066	16/04/2025
2	कांटा	करी	कस्तुरबा महिला स्व सहायता समूह रतनपुर	402003075	12/4/2025
3	कांटा	नवागांव करी	लक्ष्मी महिला समूह नवागांव करी	402003068	14/04/2025
4	कांटा	रानीगांव	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति रानीगांव	402003065	9/4/2025
5	कांटा	जाली	सेवा सहकारी समिति जाली	402003069	12/4/2025
6	कांटा	सीस	सहकारी विपणन समिति सीस	402003070	12/4/2025
7	कांटा	भरदेयाडीह	ग्राम पंचायत भरदेयाडीह	402003100	9/4/2025
8	कांटा	मलनाडीह	ग्राम पंचायत मलनाडीह	402003102	16/04/2025
9	कांटा	रमदेई	महामाया सागर स्व सहायता समूह रमदेई	402003106	12/4/2025
10	बिलासपुर	मोपका	महिला शक्ति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मोपका	402001076	25/04/2025
11	बिलासपुर	39 - भगत सिंह नगर	सुविधा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार	401001065	6/4/2025
12	बिलासपुर	39 - भगत सिंह नगर	नयापारा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार	401001066	6/4/2025
13	बिलासपुर	41 - विवेकानंद नगर वार्ड	उचित प्राथमिक उपभोक्ता भंडार	401001068	8/4/2025
14	बिलासपुर	41 - विवेकानंद नगर वार्ड	अनुपम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार	401001069	8/4/2025
15	बिलासपुर	55 - माता परमेश्वरी नगर	आदर्श प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार चांटीडीह	401001071	8/4/2025
16	बिलासपुर	48 - बिसाहू दास महंत	संलग्न साई बाबा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	401001082	6/4/2025
17	बिलासपुर	49 - बी.आर. यादव नगर	जनाहित प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	401001085	6/4/2025
18	बिलासपुर	41 - विवेकानंद नगर वार्ड	करुणा महिला स्व सहायता समूह	401001103	8/4/2025
19	बिलासपुर	58 - रानी दुर्गावती नगर	भरव खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मयादित	401001119	10/4/2025
20	बिलासपुर	बहतराई	सेवा सह. समिति बहतराई	402001001	19/04/2025
21	बिलासपुर	कोनी	मोण स्व सहायता समूह ग्राम कोनी	402001003	11/4/2025
22	बिलासपुर	खमतराई	दीप महिला स्व सहायता समूह खमतराई	402001006	10/4/2025
23	बिलासपुर	बिजौर	मा लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह बिजौर	402001007	23/04/2025
24	बिलासपुर	बिरकोना	सेवा सह. समिति बिरकोना	402001009	23/04/2025
25	बिलासपुर	मोपका	कृष्णा महिला स्व सहायता समूह मोपका	402001075	5/4/2025
26	बिलासपुर	मंगला (बी)	ओम साई महिला स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत मंगला बी	402001122	28/04/2025
27	बिलासपुर	मंगला (बी)	कमल नेनी महिला स्व सहायता समूह	402001123	22/04/2025
28	बिलासपुर	लिंगियाडीह	रंश्म महिला मण्डल, लिंगियाडीह बिलासपुर	402001130	16/04/2025
29	बिलासपुर	लिंगियाडीह	लक्ष्मी महिला मंडल लिंगियाडीह	402001131	5/4/2025
30	बिलासपुर	लिंगियाडीह	एकता महिला प्रा. उ. भण्डार लिंगियाडीह	402001138	5/4/2025

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान का नाम	दुकान क्रमांक	सत्यापन दिनांक
31	बिलासपुर	लिंगियाडीह	तुलसी महिला, बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति उपभोक्ता भण्डार लिंगियाडीह	402001139	5/4/2025
32	बिल्हा	नगाई	सेवा सहकारी समिति नगाई	402001010	17/04/2025
33	बिल्हा	गतीरा	किसानों मितानी महिला स्व सहायता समूह नवागाव	402001072	20/04/2025
34	बिल्हा	उतुम	सेवा सहकारी समिति उतुम	402001078	17/04/2025
35	बिल्हा	मोटियारी	ग्राम पंचायत मोटियारी	402001079	20/04/2025
36	बिल्हा	समरा	जय अम्बे महिला स्व सहायता समूह समरा	402001089	19/04/2025
37	बिल्हा	फरहदा	ग्राम पंचायत खैरा एल.	402001091	20/04/2025
38	बिल्हा	बाम्हू	जय नरसिंह नाथ महिला स्व सहायता समूह बाम्हू	402001112	19/04/2025
39	बिल्हा	परसाही	ग्राम पंचायत परसाही	402001008	17/04/2025
40	बिल्हा	पंडरवा उ	आस्था महिला स्व स्व सहायता समूह पंडरवा उ	402001149	11/4/2025
41	बिल्हा	बेमा	जागरूक स्व सहायता समूह बेमा	402001060	17/04/2025
42	बिल्हा	लगरा	ग्राम पंचायत लगरा	402001061	20/04/2025
43	बिल्हा	संमरताल	जय मां शक्ति स्व सहायता समूह, संमरताल	402001064	19/04/2025
44	बिल्हा	पौसरा	पौसरा संलग्न जागरूक स्व सहायता समूह बेमा	402001065	17/04/2025
45	बिल्हा	भरारी	सेवा सहकारी समिति भरारी	402001066	20/04/2025
46	बिल्हा	मोहतराई	ग्राम पंचायत मोहतराई	402001067	20/04/2025
47	बिल्हा	गोदिया	शरावाली महिला स्व सहायता समूह गोदिया	402001069	11/4/2025
48	बिल्हा	सेंदरी	सेवा सह. समिति सेन्दरी	402001071	11/4/2025
49	बिल्हा	रमतला	ग्राम पंचायत रमतला	402001073	19/04/2025
50	बिल्हा	कछार	सत्य ज्योति महिला स्व सहायता समूह कछार	402001074	11/4/2025
51	बिल्हा	खैरा (ल)	ग्राम पंचायत खैरा एल.	402001077	20/04/2025
52	बिल्हा	मोहरा	श्री साईनाथ महिला स्व सहायता समूह मोहरा	402001080	20/04/2025
53	बिल्हा	संलर	सेवा सहकारी समिति संलर	402001081	14/04/2025
54	बिल्हा	लोफदी	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह लोफदी	402001090	11/4/2025
55	बिल्हा	जलसा	जय दुर्गा मा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति जलसा	402001092	19/04/2025
56	बिल्हा	लखराम	सेवा सहकारी समिति लखराम	402001093	11/4/2025
57	बिल्हा	सिंघरी	शारदा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति सिंघरी	402001094	11/4/2025
58	बिल्हा	मदनपुर	जय महामाया महिला स्व सहायता मदनपुर	402001095	11/4/2025
59	बिल्हा	खैरखुडी	संलग्न खैरखुडी ग्राम पंचायत सरवन देवरी	402001097	19/04/2025
60	बिल्हा	सलखा	भवानी महिला स्व सहायता समूह सलखा	402001098	14/04/2025
61	बिल्हा	बेलतरा	उन्नाति महिला स्व सहायता समिति बेलतरा	402001099	19/04/2025
62	बिल्हा	लिमहा	गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्तासेवा सहकारी समिति लिमहा	402001100	14/04/2025
63	बिल्हा	कोरबी	कोरबी, संलग्न गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति लिमहा	402001101	14/04/2025
64	बिल्हा	बांका	जय महामाया देवी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मया. बांका	402001102	14/04/2025
65	बिल्हा	गिंधोरी	ग्राम पंचायत गिंधोरी	402001103	14/04/2025

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान का नाम	दुकान क्रमांक	सत्यापन दिनांक
66	बिल्हा	नेवसा	जय माता दी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित नेवसा	402001104	14/04/2025
67	बिल्हा	उच्चभट्टी	सेवा सहकारी समिति उच्चभट्टी	402001105	14/04/2025
68	बिल्हा	करमा	ग्राम पंचायत कमा	402001106	14/04/2025
69	बिल्हा	बिटकुली	जय मा लक्ष्मी स्व सहायता समूह बिटकुली-उ	402001107	14/04/2025
70	बिल्हा	भाडी	सेवा सहकारी समिति भाडी	402001108	14/04/2025
71	बिल्हा	मंजूरपहरी	जय बुद्धादेव महिला स्व सहायता समूह मंजूरपहरी	402001109	14/04/2025
72	बिल्हा	बसहा	बाहेनी दुर्गा स्व सहायता समूह बसहा	402001110	14/04/2025
73	बिल्हा	अकलतरी	सेवा सहकारी समिति अकलतरी	402001111	19/04/2025
74	बिल्हा	डगानिया	बिलासा दाई स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत डगानिया	402001113	19/04/2025
75	बिल्हा	भिल्मी	ग्राम पंचायत भिल्मी	402001114	14/04/2025
76	बिल्हा	गडवट	जय माता दी स्व सहायता समूह गडवट	402001115	19/04/2025
77	बिल्हा	भरवीडीह	जय मा लक्ष्मी स्व सहायता समूह ग्राम पंचायत भरवीडीह	402001116	11/4/2025
78	बिल्हा	चोरहादेवरी	जय भुवानी महिला बहुउद्देशीय समिति चोरहादेवरी	402001117	19/04/2025
79	बिल्हा	टेकर	जय छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता टेकर	402001118	14/04/2025
80	बिल्हा	धोरामुंडा	ग्राम पंचायत धोरामुंडा	402001119	14/04/2025
81	बिल्हा	खेरा डो	राही एकता महिला समिति खेरा डो	402001120	14/04/2025
82	बिल्हा	कडरी	ग्राम पंचायत कडरी	402001121	14/04/2025
83	बिल्हा	सरवनदेवरी	ग्राम पंचायत सरवन देवरी	402001151	19/04/2025
84	बिल्हा	रामपुर	ग्राम पंचायत रामपुर	402001162	14/04/2025
85	बिल्हा	नवागांव	किसानी मितानी महिला स्व सहायता समूह नवागांव	402001163	19/04/2025
86	बिल्हा	परसदा	ग्राम पंचायत परसदा	402001070	19/04/2025
87	बिल्हा	बिलासपुर	बिलासा महिला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी सोसाइटी राज	401001128	5/4/2025


सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
 संचालनालय, नवा रायपुर


अनुभाग अधिकारी
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 संचालनालय, नवा रायपुर, अटल भवन

प्रपत्र - व

बेहततरा विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन म कम पाये गये राशन सामग्री की जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत एवं वार्ड का नाम	दुकान क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	कम पाई गई खाद्यान्न की मात्रा किलो में				उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
					चावल	शक्कर	नमक	चना	
1	कोटा	कलमीटार	402003066	महामाया महिला स्व सहायता समूह कीटार	90	0	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 24-11-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	कोटा	करा	402003075	कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह रतनपुर	71	1	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 24-11-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	कोटा	नवागांव करी	402003068	लक्ष्मी महिला समूह नवागांव करी	22	0.6	1.23	1.34	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 24-11-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	बिलासपुर	मोपका	402001076	महिला शक्ति खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मोपका	325	3	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 18-06-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
5	बिल्वा	गतीरी	402001072	किसानी मितानी महिला स्व सहायता समूह नवगावा	251	2	2	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 09-04-2026 को निर्दिष्ट किया गया है।
6	बिल्वा	मटियारी	402001079	ग्राम पंचायत मटियारी	191	1	1	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 23-09-2026 को निर्दिष्ट किया गया है।

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत एवं वार्ड का नाम	दुकान क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	कम पाई गई खाद्यान्न की मात्रा किटल में				उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
					चावल	शक्कर	नमक	चना	
7	बिल्हा	बाम्हू	402001112	जय नरसिंह नाथ महिला स्व सहायता समूह बाम्हू	299	1	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 23-06-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8	बिल्हा	नगोई	402001010	सेवा सहकारी समिति नगोई	136	1.96	3.93	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 25-08-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली हेतु आर आर सी जारी किया गया है।
9	बिल्हा	उर्तुम	402001078	सेवा सहकारी समिति उर्तुम	157	0	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 18-08-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
10	बिल्हा	सेमरा	402001089	जय अर्ध महिला स्व सहायता समूह सेमरा	51	0	0.44	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 23-06-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
11	बिल्हा	फरहदा	402001091	ग्राम पंचायत खैरा एल.	293	0	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को दिनांक 23-06-2025 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान संचालन एजेंसी से कम पाए गए खाद्यान्न के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

अनुभाग अधिकारी
ग्राम नगरिक आपूर्ति एवं उपभोगिता सल्लाह दि.ग
मन्त्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभ
संचालनालय, नवा रायपुर

मार्च 2024 एवं जून 2026 में महतारी वंदन योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	मार्च 2024 में प्रथम किश्त में सहायता राशि प्रेषित हितग्राहियों की संख्या	जून 2026 की स्थिति में 28 वीं किश्त की सहायता राशि प्रेषित हितग्राहियों की संख्या
1	बलोद	252645	247113
2	बलौदाबाजार	330631	323858
3	बलरामपुर	214951	209707
4	बस्तर	193973	188008
5	बेमेतरा	254728	249754
6	बीजापुर	38554	41151
7	बिलासपुर	426266	417380
8	दंतेवाड़ा	54874	53500
9	धमतरी	235897	230809
10	दुर्ग	404477	396353
11	गारियाबंद	183818	179744
12	गौरैला पेंड्रा मारवाही	96158	93716
13	जांजगीर-चंपा	291202	283632
14	जशपुर	232785	226312
15	कबीरधाम	255282	250342
16	कांकेर	185001	180661
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	117172	114896
18	कोण्डागाँव	140978	137594
19	कोरबा	295250	289016
20	कोरिया	59992	58848
21	महासमुंद	325806	317201
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	101549	99286
23	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी	82462	80667
24	मुंगेली	214215	209759
25	नारायणपुर	27616	27171
26	रायगढ़	306758	297888
27	रायपुर	534710	522667
28	राजनांदगाँव	258509	253151
29	सक्ति	199935	195564
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	190710	185677
31	सुकमा	52388	52015
32	सूरजपुर	217042	212323
33	सरगुजा	233324	228240
	कुल	7009658	6854003

प्रपत्र 'ब'

मार्च 2024 के उपरांत महतारी वंदन योजना अंतर्गत अपात्र किए गए हितग्राहियों की जिलेवार जानकारी

क्रं.	जिला का नाम	मार्च 2024 प्रथम भुगतान के उपरांत कुल अपात्र किए गए हितग्राहियों की संख्या	अपात्र हुए हितग्राहियों का कारणवार विवरण						
			दो या दो से अधिक आवेदन होने कारण निरस्त प्रकरण की संख्या	अपात्रता की शर्त अनुसार शासकीय सेवक अथवा परिजन के प्रकरण	आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होने संबंधी प्रकरण	आवेदक के अविवाहित होने संबंधी प्रकरण	आवेदक के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी न होने संबंधी प्रकरण	आवेदक के आयकर दाता होने संबंधी प्रकरण	योजना के मापदंड के अनुसार पात्र न होने के कारण
1	बलोद	497	177	233	1	5	3	29	49
2	बलौदाबाजार	1254	575	384	58	58	3	106	70
3	बलरामपुर	931	671	113	20	12	15	3	97
4	बस्तर	1362	448	400	95	130	28	122	139
5	बेमेतरा	753	389	194	14	12	1	42	101
6	बीजापुर	259	97	72	1	3	4	0	82
7	बिलासपुर	1984	1331	377	66	40	4	26	140
8	दंतेवाड़ा	216	122	52	0	6	8	0	28
9	धमतरी	855	568	195	1	17	1	9	64
10	दुर्ग	1006	711	143	4	10	3	35	100
11	गारियाबंद	491	233	124	4	15	1	19	95
12	गौरैला पैड़ा मारवाही	364	225	73	2	12	5	2	45
13	जांजगीर-चंपा	1637	992	337	6	76	7	10	209
14	जशपुर	1227	412	576	0	33	6	18	182
15	कबीरधाम	486	264	121	6	10	3	37	45
16	कांकेर	682	208	270	3	28	0	84	89
17	खैरागढ़- छुईखदान- गंडई	311	184	95	4	8	0	2	18
18	कोण्डागाँव	908	310	494	2	22	1	10	69
19	कोरबा	948	666	175	1	9	18	8	71
20	कोरिया	173	104	46	0	1	0	3	19
21	महासमुंद	974	468	201	10	48	1	87	159
22	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर	337	179	111	1	0	1	2	43

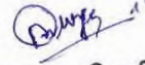
क्रं.	जिला का नाम	मार्च 2024 प्रथम भुगतान के उपरांत कुल अपात्र किए गए हितग्राहियों की संख्या	अपात्र हुए हितग्राहियों का कारणवार विवरण						
			दो या दो से अधिक आवेदन होने कारण निरस्त प्रकरण की संख्या	अपात्रता की शर्त अनुसार शासकीय सेवक अथवा परिजन के प्रकरण	आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होने संबंधी प्रकरण	आवेदक के अविवाहित होने संबंधी प्रकरण	आवेदक के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी न होने संबंधी प्रकरण	आवेदक के आयकर दाता होने संबंधी प्रकरण	योजना के मापदंड के अनुसार पात्र न होने के कारण
23	मोहला- मानपुर- अम्बागढ़चौकी	258	116	98	3	8	4	3	26
24	मुंगेली	819	473	195	17	36	1	11	86
25	नारायणपुर	404	55	327	0	2	1	14	5
26	रायगढ़	1017	668	185	26	21	23	6	88
27	रायपुर	2883	2295	168	6	18	20	38	338
28	राजनांदगाँव	682	410	161	2	13	4	10	82
29	सक्ती	482	363	48	1	22	1	1	46
30	सारंगढ़- बिलाईगढ़	509	190	190	0	21	1	59	48
31	सुकमा	392	127	139	1	39	10	5	71
32	सूरजपुर	1166	508	502	8	17	4	12	115
33	सरगुजा	783	497	147	7	13	1	6	112
	कुल	27050	15036	6946	370	765	183	819	2931

परिशेष - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 473) की जानकारी

प्रपत्र-अ

धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकानों की विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	संचालित उचित मूल्य दुकानों की संख्या		
		वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1	धमतरी	150	151	156
2	कुरूद	114	140	144
3	मगरलोड	72	76	77
4	नगरी	115	116	117
	योग	451	483	494



अनुभाग अधिकारी
टाच नागरिक आभूति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, छटन नगर

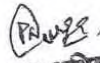
प्रपत्र-ब

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान आबंटन प्रक्रिया की जानकारी

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9 में उचित मूल्य दुकान आबंटन के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:-

1. उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। इच्छुक संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में आबंटन प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
2. उचित मूल्य दुकान का आबंटन जिला मुख्यालय में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा तथा जिले के शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा।
3. उचित मूल्य दुकान का आबंटन लैम्प्स (वृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों) पेक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों), वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों को आबंटित की जायेगी।
4. उचित मूल्य दुकानों का आबंटन एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित अभिकरणों को किया जायेगा -
 1. लैम्प्स
 2. ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय
 3. महिला स्व सहायता समूह
 4. वन सुरक्षा समिति
 5. अन्य सहकारी समितियां
 6. राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम
5. अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निम्नलिखित अभिकरणों को किया जायेगा:-
 1. ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय
 2. महिला स्व सहायता समूह
 3. प्राथमिक कृषि साख समितियां
 4. अन्य सहकारी समितियां
 5. राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम
 6. वन सुरक्षा समिति
6. सामान्यतः किसी भी अभिकरण को उसके क्षेत्र में केवल एक उचित मूल्य दुकान आबंटित की जा सकेगी। किन्तु राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु दुकान आबंटन प्राधिकारी विधि मान्य कारण दर्शाते हुए एक से अधिक दुकान आबंटित कर सकेगा। किन्तु किसी भी परिस्थिति में 02 से अधिक दुकानें आबंटित नहीं की जायेगी।

7. उचित मूल्य दुकानों का आवंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को किया जायेगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम 03 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा जिसे सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।


अनुभाग अधिकारी
अध्य. नागरिक आवास एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

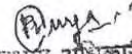
प्रपत्र-स

धमतरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों की विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखंड का नाम	प्राथमिकता राशनकार्ड	निः शक्तजन राशनकार्ड	निराश्रित राशनकार्ड	अन्त्योदय राशनकार्ड	योग
1	2023-24	धमतरी	49699	198	237	16875	67009
2		कुरूद	52431	125	313	13431	66300
3		मगरलोड	28501	20	45	6719	35285
4		नगरी	36220	65	111	11239	47635
योग			166851	408	706	48264	216229

1	2024-25	धमतरी	54063	238	179	17580	72060
2		कुरूद	54826	125	272	14657	69880
3		मगरलोड	30270	24	42	7472	37808
4		नगरी	37556	70	79	11319	49024
योग			176715	457	572	51028	228772

1	2025-26	धमतरी	55468	249	152	17901	73770
2		कुरूद	55404	144	233	16303	72084
3		मगरलोड	30935	77	26	8174	39212
4		नगरी	39260	80	73	11726	51139
योग			181067	550	484	54104	236205


 अनुपमा अधिकारी
 ग्राम नागरिक आवास एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

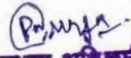
परीशेष - पॉव

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 996) की जानकारी

प्रपत्र

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण किये जाने वाले चावल के अवैध विक्रय के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	प्राप्त शिकायत का विवरण	अनियमितता	की गई कार्यवाही
1	शासकीय उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक 431004262 तारणी महिला स्व सहा समूह	स्टाक में कमी एवं अन्य अनियमितता	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी दिनांक 24.06.2026 को निरस्त किया गया।
2	श्री गोवर्धन देवांगन द्वारा पीडीएस चावल का अवैध परिवहन	वाहन क्र. सीजी 07 सी क्यू 9172 में पीडीएस चावल का अवैध परिवहन	खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहन क्र. सीजी 07 सी क्यू 9172 एवं 11 क्विंटल चावल राजसात किया गया
3	श्री राकेश साव द्वारा पीडीएस चावल का अवैध परिवहन	वाहन क्र. सीजी 07 बी ई 9873 में पीडीएस चावल का अवैध परिवहन	खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहन क्र. सीजी 07 बी ई 9873 एवं 21 क्विंटल चावल राजसात किया गया
4	श्री सुरेश कश्यप एवं कन्हैया यादव द्वारा पीडीएस चावल का अवैध परिवहन	वाहन क्र. सीजी 07 सी ई 2901 सीजी 07 सी टी 3766 में पीडीएस चावल का अवैध परिवहन	खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहन क्र. सीजी 07 सी ई 2901 सीजी 07 सी टी 3766 एवं 22 क्विंटल चावल राजसात किया गया


अनुभाग अधिकारी
 नगर निगम अर्थ एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 कार्यालय, नया राजपुर, जटल नगर

परिशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क. 956) की जानकारी

प्रपत्र - अ

समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक उपार्जित धान की मात्रा, निराकृत धान की मात्रा तथा शॉर्टेज की कुल मात्रा तथा राशि सहित जानकारी

(धान की मात्रा लाख मेट्रिक टन में, राशि रूपये करोड़ में)

खरीफ विपणन वर्ष	उपार्जित धान की मात्रा	निराकृत धान की मात्रा	उपार्जन केन्द्रों में बचत/ शॉर्टेज धान की मात्रा	उपार्जन केन्द्रों में शॉर्टेज धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार राशि	संग्रहण केन्द्रों में बचत/ शॉर्टेज धान की मात्रा	संग्रहण केन्द्रों में शॉर्टेज धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार राशि	रिमार्क
2020-21	92.02	89.32	1.77	331.22	0.93	198.81	
2021-22	97.99	97.31	0.05	9.68	0.61	135.18	
2022-23	107.54	107.46	0.01	1.17	0.07	-	अंतिम लागत पत्रक तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2023-24	144.92	144.30	0.39	86.22	0.05	-	अंतिम लागत पत्रक तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2024-25	149.25	147.01	0.66	152.68			निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2025-26 (दिनांक 03.07.2026 तक की स्थिति में)	141.05	139.30					निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

Dr. Jyoti
अनुभाग अधिकारी

राष्ट्र नागरिक शक्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया सहायपुर, अटल नगर

Dr. Jyoti

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सहकार्य विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

५५५-ब

कमांक एफ 4-4/खाद्य/2013/29/2345
प्रति,

रायपुर, दिनांक 18 जून, 2014

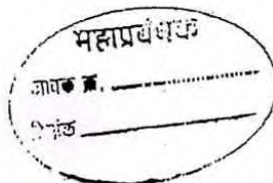
- | | |
|--|---|
| 1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ | 3. पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं
रायपुर |
| 2. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ,
रायपुर | 4. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या,
रायपुर |

विषय :- धान उपार्जन में एक सहकारी समिति में आई धान की शॉर्टेज को अन्य सहकारी समिति को देय कमीशन की राशि से भरपाई न करने के संबंध में।

संदर्भ :- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या, रायपुर का पत्र कमांक छन / मुख्यालय/रायपुर कं. 2774 दिनांक 02.01.2014

खरीद विपणन वर्ष 2013-14 से सहकारी समितियों को धान उपार्जन हेतु कमीशन भुगतान के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. जिले में एक सहकारी समिति की शॉर्टेज की राशि को विपणन संघ द्वारा दूसरी सहकारी समिति से समायोजित नहीं की जावे।
2. उपार्जन समाप्त होने पर समिति एवं विपणन संघ के मध्य हिसाब के मिलान होने के पश्चात् समिति को भुगतान योग्य समस्त राशि का भुगतान हिसाब मिलान पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर कर दिया जाना चाहिये।
3. जिन समिति में शॉर्टेज की राशि उन्हें मिलने वाले कमीशन की राशि से अधिक है ऐसी समिति हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को देय बैंक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि से भी समायोजित की जावे।
4. इसके पश्चात् भी उक्त समिति के शॉर्टेज की भरपाई नहीं होने पर शॉर्टेज की राशि को अगले धान उपार्जन सत्र हेतु कैरी फॉरवर्ड कर आगामी वर्ष में समिति के कमीशन की राशि में से समायोजित किया जावे।
5. समिति में शॉर्टेज को रोकने हेतु उपार्जन केन्द्रों से धान का त्वरित परिवहन किया जावे एवं वेहत सुरक्षा व्यवस्था अपनायी जावे। लगातार दो वर्षों से 2.5 प्रतिशत से अधिक शॉर्टेज वाली सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी नहीं किया जावे। ऐसे समितियों के स्थान पर समीप की दूसरी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति के माध्यम से धान की खरीदी की जावे।



विपणन कक्ष
आयक नं. ...

40(6)
24/6

सहकारी

6. शार्टेज करने वाली सहकारी समिति जिस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध है उसे बैंकों द्वारा राशि समिति से वसूली कर राशि विपणन संघ को उपलब्ध कराई जाए।
7. जिले की समस्त समितियों का हिसाब होने पर बैंक को देय व्यय की पूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित बैंक को जिले का हिसाब पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर किया जाना चाहिये।

(विकास शीले)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

रायपुर, दिनांक 18 जून, 2014

पृ. क्रमांक एफ 4-4/खाद्य/2013/29/2346

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. समस्त संभायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर।
6. टेक्नीकल डायरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर।
7. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

(सचिव)

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

(अनुभाग अधिकारी)

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवः रायपुर, अटल नगर

परीक्षेष्ट - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क. 937) की जानकारी

प्रपत्र

भुगतान प्रेषित किए जाने के उपरांत भुगतान सफल न होने संबंधी जानकारी

जिले का नाम	जून 2026 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों की संख्या	जून 2026 में सहायता राशि प्रेषित हितग्राहियों की संख्या	योजना प्रारंभ से अब तक नियमित रूप से लाभ प्रेषित हितग्राही	योजना प्रारंभ से अब तक लाभ प्रेषण उपरांत निरंतर भुगतान सफल हितग्राही	प्रारंभ तिथि से अब तक लगातार लाभ प्रेषण उपरांत भुगतान असफल हुए हितग्राहियों	
					संख्या	कारण
बस्तर	189535	188008	187741	185964	1	बैंक खाता आधार लिंक न होना
बीजापुर	41740	41151	37133	36450	10	आधार निष्क्रिय होने, बैंक खाता आधार लिंक न होना, खाता ब्लॉक होना
दंतेवाड़ा	54254	53500	52987	51912	6	आधार निष्क्रिय होने
कांकेर	181267	180661	180324	179294	5	आधार निष्क्रिय होने, बैंक खाता आधार लिंक न होना
कोंडागाँव	138218	137594	137411	135975	18	आधार निष्क्रिय होने, बैंक खाता आधार लिंक न होना
नारायणपुर	27489	27171	26577	26328	7	आधार निष्क्रिय होने, बैंक खाता आधार लिंक न होना
सुकमा	53767	52015	49317	48526	11	आधार निष्क्रिय होने, बैंक खाता आधार लिंक न होना
कुल	686270	680100	671490	664449	58	

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

बैमासिक जिला स्तरीय कार्ययोजना (माह अप्रैल-जून 2026)

स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता माह

माह	शीर्ष/गतिविधि	मुख्य कार्ययोजना	गतिविधि आयोजन का स्तर	सहयोगी विभाग/संस्था
अप्रैल 2026 (6 से 30 अप्रैल 2026)	7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस	प्रत्येक जिलों में 9 अप्रैल से पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान कलस्टर स्तर पर पोषण जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। इस अवसर पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत निम्नानुसार गतिविधियां संपादित की जायेगी -	कलस्टर स्तर पर	स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
		स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर किशोरी बालिकाओं का 100 प्रतिशत एच.बी. टेस्ट एवं बी. एम. आई. मापन ।		
		पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता अंतर्गत सार्वभौमिक जानकारी का प्रदाय ।		
	24 अप्रैल पंचायती राज दिवस	नये 03 कानूनों क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का आयोजन।	आंगनवाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत स्तर	स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला विधिक सेवा एवं प्राधिकरण

(बाल पंचायत, दहेज प्रतिषेध एवं बाल विवाह जागरूकता माह)

माह	शीम/गतिविधि	सूक्ष्म कार्ययोजना	गतिविधि आयोजन का स्तर	सहयोगी विभाग/संस्था
1 मई 2026	अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस	मिशन शक्ति की सश्री योजनाओं से संबंधित सेमीनार का आयोजन एवं श्रम संबंधी कानूनों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम ।	आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत स्तर	स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला विधिक सेवा एवं प्राधिकरण
14 मई 2026	अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस	बाल पंचायत को प्रोत्साहित करना एवं पंचायत में बालिकाओं के साथ ही उनके परिजनो की भागीदारी सुनिश्चित करना। दहेज प्रतिषेध तथा बाल विवाह प्रतिषेध के संबंध में जन समुदाय को जागरूक किया जाना।	आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत स्तर	जिला विधिक सेवा एवं प्राधिकरण
28 मई 2026	विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस	आंगनवाड़ी केंद्रों एवं ग्राम पंचायतों में किशोरी बालिकाओं व संभावित माताओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम एवं सेनेटरी पैड वितरण ।	आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत स्तर	स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला विधिक सेवा एवं प्राधिकरण

(अभिभावक, शाला पंजीयन एवं पर्यावरण जागरूकता माह)

माह	धीमा/गतिविधि	सूक्ष्म कार्ययोजना	गतिविधि आयोजन का स्तर	सहयोगी विभाग/संस्था
1 जून 2025	ग्लोबल डे ऑफ पैरेंट्स	अभिभावकों को बच्चियों के सुरक्षित भविष्य हेतु संदेश प्रदान किया जाना।	ग्राम पंचायत स्तर	वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग
5 जून-2025	विश्व पर्यावरण दिवस	वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के साथ समन्वय करते हुए सभी आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर किशोरी बालिकाओं द्वारा पौधरोपण अभियान का क्रियान्वयन।	आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर	वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग
14 जून-2025	वर्ल्ड ब्लड डोनर डे	किशोरी बालिकाओं का सिकल सेल/एनीमिया परीक्षण एवं जागरूकता/ विशेष रूप से भावी माताओं के लिए, उन्हें मातृत्व से जुड़ी सावधानियों के विषय में जानकारी दिया जाना।	सेक्टर स्तर/ ग्राम पंचायत स्तर	
21 जून-2025	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए सभी स्कूलों में बालिकाओं की सहभागिता से योग दिवस का आयोजन किया जावेगा।	स्कूल स्तर पर	
15 से 30 जून-2025	एनरोलमेंट माह	1. “स्कूल चलो अभियान” के अंतर्गत विशेष रूप से शाला त्याग चुकी बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु जागरूकता अभियान एवं स्कूल में दाखिला कराया जाना। 2. शाला त्यागी बालिकाओं के स्कूल में दाखिला लेने पर बालिकाओं को कापी, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, टीफिन बॉटल का प्रदाय किया जाना।	आंगनवाड़ी/ स्कूल स्तर	वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग

प्रपत्र-ब

वर्ष- 2024-25 की जानकारी

क्र	जिले का नाम	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि का विवरण		
			योजनांतर्गत प्रशिक्षण/कार्यशाला/कार्यक्रमों के आयोजन पर किया गया व्यय	प्रचार प्रसार पर किया गया व्यय	कुल व्यय
1	बिलासपुर	175745	79265	96480	175745
2	बलौदाबाजार	1100000	105870	50588	156458
3	बालोद	1015000	415000	0	415000
4	बलरामपुर	1300000	1097920	0	1097920
5	बस्तर	500000	0	500000	500000
6	बेमेतरा	1093940	505393	103940	609333
7	बीजापुर	904000	304000	0	304000
8	दुर्ग	1100000	1100000	0	1100000
9	धमतरी	1100000	707250	22750	730000
10	दंतेवाड़ा	1100000	620842	118000	738842
11	जांजगीर-चांपा	1100000	796857	88540	885397
12	जशपुर	1025000	400500	24500	425000
13	गरियाबंद	1250000	700829	394217	1095046
14	कोरबा	600000	0	0	0
15	कोरिया	623580	419283	0	419283
16	कांकेर	600000	600000	0	600000
17	कोण्डागांव	752910	706611	45868	752479
18	कबीरधाम	1100000	203718	0	203718
19	मुंगेली	649152	49152	0	49152
20	महासमुंद	945000	503250	141750	645000
21	नारायणपुर	1100000	211780	0	211780
22	रायगढ़	600000	313241	126000	439241
23	रायपुर	1100000	440000	26550	466550
24	राजनांदगांव	600000	47927	0	47927
25	सूरजपुर	1100000	414795	82100	496895
26	सुकमा	600000	3450	0	3450
27	सरगुजा	500000	238049	108990	347039
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	1720000	1120000	0	1120000
29	सक्ती	600000	0	0	0
30	मोहला-मानपुर-चौकी	600000	400000	200000	600000
31	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	1100000	1097480	0	1097480
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	600000	600000	0	600000
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	600000	0	0	0
	योग	28854327	14202462	2130273	16332735

वर्ष- 2025-26 की जानकारी

क्र	जिले का नाम	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि का विवरण		
			योजनागत प्रशिक्षण/कार्यशाला/कार्य क्रमों के आयोजन पर किया गया व्यय	प्रचार प्रसार पर किया गया व्यय	कुल व्यय
1	बिलासपुर	1825000	1642500	182500	1825000
2	बलौदाबाजार	1825000	1312698	467659	1780357
3	बालोद	1725000	1724528	0	1724528
4	बलरामपुर	725000	705859	0	705859
5	बस्तर	1552000	980609	571254	1551863
6	बेमेतरा	3000000	2244954	753988	2998942
7	बीजापुर	1425000	1424324	0	1424324
8	दुर्ग	1665000	1461400	203574	1664974
9	धमतरी	1225000	1143900	81000	1224900
10	दंतेवाड़ा	1875000	1666887	208113	1875000
11	जांजगीर-चांपा	1225000	1102500	122500	1225000
12	जशपुर	1975000	1777500	196835	1974335
13	गरियाबंद	1675000	1088529	586131	1674660
14	कोरबा	1925000	1705821	216422	1922243
15	कोरिया	1825000	1327224	0	1327224
16	कांकेर	1975000	1974615	0	1974615
17	कोण्डागांव	1175000	850203	324562	1174765
18	कबीरधाम	1775000	1341215	20640	1361855
19	मुंगेली	800000	798226	0	798226
20	महासमुंद	2000000	1115829	883794	1999623
21	नारायणपुर	2025000	1791694	116000	1907694
22	रायगढ़	1450000	940920	413546	1354466
23	रायपुर	2475000	2473400	0	2473400
24	राजनांदगांव	2075000	1815255	0	1815255
25	सूरजपुर	2475000	2063953	410350	2474303
26	सुकमा	1525000	1262708	182032	1444740
27	सरगुजा	2125000	2070325	54380	2124705
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	2000000	1999982	0	1999982
29	सक्ती	875000	875000	0	875000
30	मोहला-मानपुर-चौकी	1350000	700000	650000	1350000
31	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	1350000	1009425	333390	1342815
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1175000	1089000	0	1089000
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1727000	1682253	44304	1726557
	योग	55819000	47163236	7022974	54186210

परीक्षण - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 916) की जानकारी

प्रपत्र- अ

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के प्रति व्यक्ति दी जाने वाली पेंशन राशि एवं
बस्तर संभाग के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश विवरण सहित)

क्र.	योजना का नाम		प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दी जाने वाली पेंशन राशि		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 से 79 वर्ष आयुवर्ग हेतु	200/-	300/-	500/-
		80 वर्ष या अधिक आयुवर्ग हेतु	500/-	150/-	650/-
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		-	500/-	500/-
5.	सुखद सहारा योजना		-	500/-	500/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना		-	500/-	500/-
योग -					

बस्तर संभाग के लाभान्वित हितग्राही

क्र.	जिला का नाम	पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राही						
		इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	योग
1	बस्तर	16773	8629	777	8102	4266	18035	56582
2	कौडागांव	14090	7799	865	7441	3394	14077	47666
3	दत्तेवाड़ा	4580	4883	656	2012	944	8752	21827
4	सुकमा	5301	3519	46	2473	2256	9972	23567
5.	कांकिर	11777	7203	1414	9233	6347	23290	59264
6.	बीजापुर	2621	2566	348	1913	1562	3369	12379
7.	नारायणपुर	3480	1596	258	925	667	6020	12946
योग-		58622	36195	4364	32099	19436	83515	234231

Y. Motam
अनुभाग जम्हियारी
समाज कल्याण विभाग,
नवालय, नवा रायपुर जटल नगर

प्रपत्र- ब

बस्तर संभाग में माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक प्रतिमाह कुल वितरित राशि एवं हितग्राहियों की जिलेवार तथा योजनावार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक प्रतिमाह कुल वितरित राशि एवं हितग्राही राशि रुपये लाख में)												
		बस्तर	कौडागांव		दंतेवाड़ा		सुकमा		कोकर		बीजापुर		नारायणपुर	
			हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि		हितग्राही संख्या
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	88.15	16773	74.95	14090	24.10	4580	28.53	5301	62.62	11777	2621	18.33	3480
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	43.15	8629	39.00	7799	24.42	4883	17.60	3519	36.02	7203	2566	7.98	1596
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	3.89	777	4.33	865	3.28	656	0.23	46	7.07	1414	348	1.29	258
4.	सामाजिक सुक्षा पेंशन योजना	40.51	8102	37.21	7441	10.06	2012	12.37	2473	46.17	9233	1913	4.625	925
5.	सुखद सहारा योजना	21.33	4266	16.97	3394	4.72	944	11.28	2256	31.74	6347	1562	3.335	667
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	90.18	18035	70.39	14077	43.76	8752	49.86	9972	116.45	23290	16.845	30.1	6020
	योग -	287.21	56582	242.85	47666	110.34	21827	119.87	23567	300.07	59264	62.66	12379	12946

केन्द्रीय योजनाओं में माह मई-जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

Yashwanth
अनुपम जयिंदर
समीक्षक कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर जिला नगर

परीशेष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 1031) की जानकारी

प्रपत्र-अ

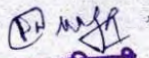
राजिम विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की विकासखण्डवार, संचालन एजेंसीवार जानकारी

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम
1	गरियाबंद	पाथरमोहदा	442011002	बिन्दानवागढ सह. विप. एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-पाथरमोहदा
2		कोकड़ी	442011003	बिन्दानवागढ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-कोकड़ी
3		आमदी	442011004	बिन्दानवागढ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-आमदी "म"
4		मालगांव	442011006	संलग्न आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली-मालगांव
5		कोचवाथ	442011015	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली-कोचवाथ
6		बहेराबुड़ा	442011016	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली-बहेराबुड़ा
7		बारूका	442011017	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली- बारूका
8		हरदी	442011019	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली-हरदी
9		घुटकू नवापारा	442011037	बिन्दानवागढ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-घुटकू नवापारा
10		कस	442011039	बिन्दानवागढ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-कस
11		कसेरू	442011042	संलग्न आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसुली-कसेरू
12		बरबहरा	442011048	ग्राम पंचायत, बरबहरा
13		कोदोबत्तर	442011055	बिन्दानवागढ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-कोदोबत्तर
14		1 - साई नगर बार्ड	442011001	बिन्दानवागढ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद-गरियाबंद
15		6 - राम जानकी वार्ड	511013002	बिन्दानवागढ विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति गरियाबंद
16		5 - सिविल लाईन वार्ड	511013004	बिन्दानवागढ विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति गरियाबंद
17	छुरा	टेंगनाबासा	442012002	विपणन सहकारी समिति(छुरा), टेंगनाबासा
18		खरखरा	442012003	विपणन सहकारी समिति(छुरा), खरखरा
19		हरदी	442012004	विपणन सहकारी समिति छुरा, हरदी
20		खडमा	442012005	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खडमा, खडमा
21		पंक्तिया	442012006	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खडमा, पंक्तिया
22		पीपरछेड़ी	442012007	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खडमा, पीपरछेड़ी
23		कनेसर	442012008	सेवा सहकारी समिति खडमा, कनेसर
24		लोहझर	442012009	जय मां शीतला स्व सहायता समूह, लोहझर
25		रवेली	442012011	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खडमा, रवेली
26		पाण्डुका	442012012	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाण्डुका, पाण्डुका
27		पोड	442012013	आदिम जाति सेवा सहकारी समितिपोड, पोड
28		घटकरा	442012014	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पोड, घटकरा
29		खट्टी	442012015	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति. पाण्डुका अतरमरा, खट्टी
30		सांकरा	442012016	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सांकरा, सांकरा
31		कुरूद	442012017	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सांकरा, कुरूद
32		मुरमुरा	442012018	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति.सांकरा, मुरमुरा
33		दादरगांव	442012019	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति.छुरा, दादरगांव
34		पिपराही	442012021	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति.छुरा, पिपराही
35		दुल्ला	442012022	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला, दुल्ला
36		सारागांव	442012023	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति.दुल्ला, सारागांव
37		टोनहीडबरी	442012024	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, दुल्ला टोनहीडबरी
38		कोसमी	442012025	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला, कोसमी
39		चुरकीदादर	442012026	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला, चुरकीदादर
40		सिवनी	442012027	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिवनी, सिवनी

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम
41		कामराज	442012028	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिवनी द्वारा संचालित दुकान पेन्डू-कामराज
42		पाटसिवनी	442012031	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाटसिवनी
43		परसदाखुर्द	442012032	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाटसिवनी, परसदाखुर्द
44		रानीपरतेवा	442012033	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोरिदखुर्द, रानीपरतेवा
45		द्वारतरा	442012034	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खड्डमा, द्वारतरा
46		मुडागांव	442012035	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रानीपरतेवा, मुडागांव
47		अकलवारा	442012036	मौ चंद्रहासिनी उपभोक्ता भंडार -अकलवारा
48		सोरिदखुर्द	442012037	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोरिदखुर्द, सोरिदखुर्द
49		चरोदा	442012038	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चरोदा, चरोदा
50		मोंगरा	442012039	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चरोदा, मोंगरा
51		अमलोर	442012043	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाटसिवनी, अमलोर
52		कसेकेरा	442012044	जय मां शीतला स्व सहायता समूह, कसेकेरा
53		तौरंगा	442012045	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सांकरा, तौरंगा
54		मडेली	442012049	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खड्डमा, मडेली
55		खेरझिटी	442012051	ग्राम पंचायत खेरझिटी
56		भेसामुडा	442012052	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्ला, भेसामुडा
57		नवापारा	442012053	ग्राम पंचायत नवापारा
58		देवरी	442012054	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सिवनी, देवरी
59		नवापारा	442012057	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रानीपरतेवा, नवापारा भेरा
60		साजापाली	442012058	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, सोरिदखुर्द, साजापाली
61		बिरनीबाहरा	442012059	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चरोदा, बिरनीबाहरा
62		अमेठी	442012060	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोरिदखुर्द, अमेठी
63		कुसुमबुडा	442012061	ग्राम पंचायत, कोसमबुडा
64		गायडबरी	442012062	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खड्डमा-गायडबरी
65		बोडराबांधा	442012064	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पोड, बोडराबांधा
66		अतरमरा	442012065	सेवा सहकारी समिति पाण्डुका अतरमरा
67		सडकडा	442012066	सेवा सहकारी समिति पाण्डुका, सडकडा
68		कुटेना	442012067	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाण्डुका, कुटेना
69		पिपरहट्टा	442012068	आदिम जाति सेवा सहकारी पाटसिवनी, पिपरहट्टा
70		करकरा	442012069	आदिम जाति सेवा सहकारी खड्डमा, करकरा
71		गाडाघाट	442012070	आदिम जाति सेवा सहकारी सांकरा, गाडाघाट
72		कुकदा	512012071	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पोड (कुकदा)
73		फुलझर	512012072	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सांकरा (फुलझर)
74		गोंदलाबाहरा	512012073	ग्राम पंचायत गोंदलाबाहरा
75		जामली	512012074	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाटसिवनी (जामली)
76		करचाली	512012075	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खड्डमा (करचाली)
77		केवटीझर	512012076	ग्राम पंचायत केवटीझर
78		पटपरपाली	512012077	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चरोदा (पटपरपाली)
79		बोडराबांधा	512012078	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पाटसिवनी (बोडाबांधा)
80		बिरोडार	512012079	उजाला स्व. सहायता समूह, बिरोडार पं. क्र. 64531
81		दीवना	512012081	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. सांकरा पं. क्र. 41
82		1 - आमपारा संजय नगर वार्ड	442012001	जय मां शीतला स्व सहायता समूह
83		5 - राजा सिधल साह वार्ड	511015002	अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह
84	फिंगश्वर	बारूला	442013002	महिला जागरण स्वयं सहायता समूह, बारूला
85		बोरसी	442013003	सेवा सहकारी समिति बोरसी
86		भसेरा	442013004	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भसेरा, प.क्र. 808- भसेरा
87		रोबा	442013005	संत कबीर महिला स्व सहायता समूह, रोबा
88		सिरिकला	442013006	सूर्य महिला स्व सहायता समूह, सिरिकला
89		लचकेरा	442013007	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति लचकेरा प.क्र. 994-लचकेरा
90		जामगांव	442013008	बहुरानी महिला स्व सहायता समूह, जामगांव
91		बेलर	442013009	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बेलर
92		पसरदाकला	442013010	जय सतनाम महिला स्व. सहायता समूह, परसदाकला

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम
93		पतौरा	442013011	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बेलर
94		गुण्डरदेही	442013012	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गुण्डरदेही
95		बोरिद	442013013	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गुण्डरदेही
96		चरोदा	442013014	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चरोदा
97		छुईहा	442013015	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति चरोदा-छुईया
98		खुटेरी	442013016	ग्राम पंचायत-खुटेरी
99		बरोण्डा	442013017	शिव शंकर महिला स्वयं सहायता समूह, बरोंडा
100		किरवई	442013018	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित .राजिम-किरवई
101		बेलटुकरी	442013019	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित .राजिम-बेलटुकरी
102		लफंदी	442013020	जय माँ शारदा महिला स्व. सहायता समूह, लफंदी
103		सिंधोरी	442013021	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित .राजिम-सिंधोरी
104		सुरसाबांधा	442013023	कृषक सेवा सहकारी समिति कोपरा सुरसाबांधा
105		देवरी	442013024	कृषक सेवा सहकारी समिति कोपरा -देवरी
106		तर्रा	442013025	कृषक सेवा सहकारी समिति कोपरा-तर्रा
107		रक्शा	442013026	माता कर्मा महिला स्व. सहायता समूह, पोखरा
108		अरंड	442013027	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित . रक्शा-अरंड
109		परसदा जोशी	442013028	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोखरा -परसदाजोशी
110		रावड़	442013029	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोखरा-रावड़
111		कोदकेरा	442013030	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कोन्दकेरा
112		लोहरसी	442013031	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति लोहरसी
113		बासीन	442013032	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बासिन-बासिन
114		कोमा	442013033	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित .बासिन-कोमा
115		बकली	442013034	ज्योति महिला स्व सहायता समूह, बकली
116		टेका	442013035	एक आँकार प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार-टेका
117		परतेवा	442013036	एक आँकार प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार-परतेवा
118		श्यामनगर चचोद	442013037	एक आँकार प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार-श्यामनगर चचोद
119		भेंडरी	442013038	मां पावागढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता .भंडार बिनोरी -भेंडरी
120		चरभट्टी	442013039	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति - चरभट्टी
121		जैजरा	442013040	जय गायत्री माँ विधवा महिला स्व. सहायता समूह, जैजरा
122		पसोद	442013041	मां शारदा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित
123		सैंदर	442013042	ग्राम पंचायत-सैंदर
124		चैतरा	442013043	ग्राम पंचायत-चैतरा
125		सिराखुर्द	442013044	ग्राम पंचायत-सिराखुर्द
126		पेंडा	442013045	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भसेरा, प.क्र. 808 -पेंडा
127		बोडकी	442013046	ग्राम पंचायत-बोडकी
128		चोबेबांधा	442013047	ग्राम पंचायत-चोबेबांधा
129		तरीघाट	442013048	जय मां संतोषी स्व. सहायता समूह, तरीघाट
130		रजकट्टी	442013049	जय माता रानी महिला स्व सहायता समूह खैरझिटी -रजकट्टी
131		बिनोरी	442013050	राजीव लोचन स्वयं सहायता समूह, पुरेना
132		कोसमखुटा	442013051	जय सतबिहिनिया महिला स्व. सहायता समूह, कोसमखुटा
133		भेण्डी	442013052	ग्रामीण सेवा सहकारी समिती -भेण्डी(जामगाँव)
134		बहरापाल	442013053	सेवा सहकारी समिती-बहरापाल
135		सड़कड़ा	442013054	राधा कृष्ण महिला स्व सहायता समूह, सरकड़ा
136		कुंडेल	442013055	ताज महिला स्व सहायता समूह, कुंडेल
137		रक्शा	442013056	जय माँ शारदा स्व सहायता समूह -रक्शा
138		धमनी	442013057	ग्रामीण सेवा सहकारी समिती-धमनी
139		हथखोज	442013058	भारती महिला स्व. सहायता समूह, हथखोज
140		धुरसा	442013059	ग्रामीण सेवा सहकारी समिती-धुरसा
141		सहसपुर	442013060	ग्रामीण सेवा सहकारी समिती-सहसपुर
142		रवेली	442013061	ग्रामीण सेवा सहकारी समिती-रवेली
143		सेम्हरतरा	442013062	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्या.बासिन -सेम्हरतरा
144		रोहीना	442013063	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कोन्दकेरा-रोहीना

क्र	विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम
145		बरभाठा	442013064	ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बासिन-बरभाठा
146		पितईबंद	442013065	रामजानकी महिला स्व सहायता समूह पितईबंद
147		विजली	442013066	जय दुर्गा मां महिला स्व सहायता समूह-विजली
148		कुरुसकेरा	512013067	दिव्या प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार-कुरुसकेरा
149		सोनासिल्ली	512013068	जय राजीव लोचन महिला स्व. सहायता समूह, सोनासिल्ली
150		कुम्ही	512013069	राम जानकी स्व सहायता समूह पितईबंद-कुम्ही
151		गनियारी	512013070	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति परसदा -गनियारी
152		खेरझिटी	512013071	जय माता रानी महिला स्व सहायता समूह खेरझिटी
153		पाली	512013072	जय सतनाम स्व सहायता समूह-पाली
154		भेसातरा	512013073	ग्राम पंचायत-भेसातरा
155		बासीन	512013074	जय अम्बे महिला स्व. सहायता समूह मौलीपारा बासीन
156		मुड़तराई	512013075	जय बुढादेव स्व सहायता समूह मुड़तराई
157		कोदकेरा	512013078	मारुति नंदन महिला स्व सहायता समूह कोदकेरा
158		कोदकेरा	512013079	शिवशक्ति महिला स्व सहायता समूह, भेसातरा
159		रोहीना	512013080	जय माँ चंडी महिला स्व सहायता समूह सेम्हराडीह
160		बिड़ोरा	512013081	सूर्या महिला स्व. सहायता समूह, सिरीकला
161		पीपरछेड़ी	512013082	जय लक्ष्मी माँ महिला स्व सहायता समूह, पीपरछेड़ी
162		बेलदुकरा	512013083	माँ शीतला स्व सहायता समूह राजिम
163		जोगीडीपा	512013084	जय माँ कर्मा स्व सहायता समूह जोगीडीपा
164		बोरसी	512013085	जय माँ महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह बोरसी
165		खुड़सा	512013086	जय मौली मां महिला स्व सहायता समूह खुड़सा (परसदाकला)
166		1 - ब्रम्हचारी आश्रम वार्ड	441012001	जय बाबा महाकाल महिला स्व. सहायता समूह, राजिम
167		3 - सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	441012002	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्यादित .राजिम -राजिम 2
168		1 - संत कर्मा माता वार्ड	442013001	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति फिंगेश्वर
169		1 - गुरू घोंसीदास वार्ड	442013022	कृषक सेवा सहकारी समिति कोपरा- कोपरा
170		7 - महामाया वार्ड	511012003	अम्बर महिला स्व सहायता समूह राजिम
171		1 - ब्रम्हचारी आश्रम वार्ड	511012004	राजीव लोचन महिला स्व सहायता समूह राजिम
172		14 - राजिम भक्ति वार्ड	511012005	रामजानकी महिला स्व सहायता समूह राजिम
173		11 - शिवाजी वार्ड	511012006	जय शारदा महिला स्व सहायता समूह, राजिम
174		1 - संत कर्मा माता वार्ड	511014003	पार्वती महिला स्व सहायता समूह फिंगेश्वर
175		4 - पं. श्यामचरण शुक्ल वार्ड	511014004	जागरण महिला स्व सहायता समूह फिंगेश्वर
176		9 - राम नगर वार्ड	511014005	माँ भगवती महिला स्व सहायता समूह फिंगेश्वर
177		5 - परसूराम वार्ड	511014002	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
178		11 - शिव मंदिर वार्ड	512013076	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह कोपरा
179		6 - भक्त माता कर्मा वार्ड	512013077	जय कोपेश्वरनाथ महिला स्व सहायता समूह, कोपरा


अनुभाग अधिकारी
 जय नगरिक अखति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

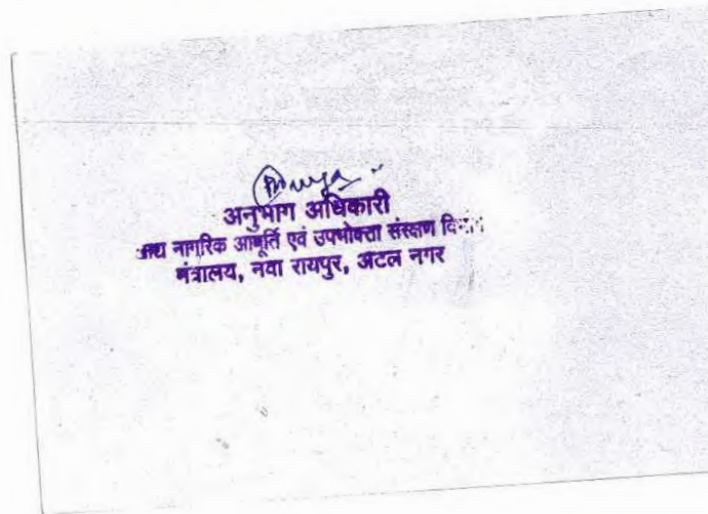
प्रपत्र-ब

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान आबंटन प्रक्रिया की जानकारी

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9 में उचित मूल्य दुकान आबंटन के लिए निम्नानुसार प्रावधान है:-

1. उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। इच्छुक संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में आबंटन प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
2. उचित मूल्य दुकान का आबंटन जिला मुख्यालय में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा तथा जिले के शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा।
3. उचित मूल्य दुकान का आबंटन लैम्प्स (बृहदाकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियों) पेक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों), वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों को आबंटित की जायेगी।
4. उचित मूल्य दुकानों का आबंटन एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित अभिकरणों को किया जायेगा -
 1. लैम्प्स
 2. ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय
 3. महिला स्व सहायता समूह
 4. वन सुरक्षा समिति
 5. अन्य सहकारी समितियां
 6. राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम
5. अन्य क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निम्नलिखित अभिकरणों को किया जायेगा:-
 1. ग्राम पंचायत/स्थानीय नगरीय निकाय
 2. महिला स्व सहायता समूह
 3. प्राथमिक कृषि साख समितियां
 4. अन्य सहकारी समितियां
 5. राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम
 6. वन सुरक्षा समिति
6. सामान्यतः किसी भी अभिकरण को उसके क्षेत्र में केवल एक उचित मूल्य दुकान आबंटित की जा सकेगी। किन्तु राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित वितरण सुनिश्चित करने हेतु दुकान आबंटन प्राधिकारी विधि मान्य कारण दर्शाते हुए एक से अधिक दुकान आबंटित कर सकेगा। किन्तु किसी भी परिस्थिति में 02 से अधिक दुकानें आबंटित नहीं की जायेगी।

7. उचित मूल्य दुकानों का आबंटन ऐसे अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को किया जायेगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम 03 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा जिसे सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।



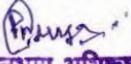
परीशेष - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 899) की जानकारी

प्रपत्र

**खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में उपार्जन
केन्द्रवार रकबा का समर्पण जानकारी**

क्र.	समिति / उपार्जन केंद्र (ID)	रकबा समर्पित करने वाले किसानों की संख्या	समर्पित रकबा (हे.मं)
1	आतरगांव / आड़ेसर (42008202)	723	328
2	आतरगांव / आतरगांव (42008201)	1026	410
3	आमाटोला / आमाटोला (42009801)	1119	578
4	आमाटोला / रंगाकठेरा (42009802)	832	437
5	औंधी / औंधी (42009001)	1388	395
6	औंधी / सरखेड़ा (42009002)	903	228
7	कौडीकसा / कौडीकसा (42008501)	1302	872
8	खरदी / खरदी (42013301)	1239	638
9	खरदी / मुरागोटा (42013302)	409	343
10	गोटाटोला / गोटाटोला (42008801)	1531	810
11	गोटाटोला / मोहभट्टा (42008802)	564	447
12	चिल्हाटी / चिल्हाटी (42008301)	1394	669
13	चिल्हाटी / परसाटोला (42008302)	618	305
14	चौकी / चौकी (42008101)	1666	661
15	छछानपहरी / छछानपहरी (42009601)	1257	316
16	ढाढूटोला / ढाढूटोला (42008401)	1230	499
17	भरीटोला / भरीटोला (42009101)	1535	1021
18	भोजटोला / भोजटोला (42012301)	1134	680
19	मटेवा / मटेवा (42011101)	1312	900
20	मानपुर / मानपुर (42008901)	1241	480
21	मोहला / एकटकन्हार (42008602)	597	375
22	मोहला / मोहला (42008601)	1476	958
23	रंगाकठेरा / रंगाकठेरा (42008701)	1131	673
24	बिचारपुर / बिचारपुर (42009701)	1240	491
25	सीतागांव / सीतागांव (42013401)	1088	561
26	सोमाटोला / पुतरगोदीकला (42011202)	648	408
27	सोमाटोला / सोमाटोला (42011201)	973	531
योग:-		29576	15012


अनुभाग अधिकारी
खरफ नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

प्रश्नांश 'क' अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसी, निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत दर संबंधी जानकारी

क्र.	जिला का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन तिथि	आयोजन स्थल	सामग्री प्रदायकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम	खरीदी, आपूर्ति एवं गुणवत्ता परीक्षण करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	6	10
1	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	10.02.2026	महामाया मंदिर परिसर, चनवारीडांड, वि.खं.खड़गवां, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	आशी गिफ्ट गैलरी, बस स्टैंड रोड, अम्बिकापुर	सामग्री खरीदी, आपूर्ति एवं गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व गठित क्रय समिति का है, अपितु यह कार्य जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा किया गया है।

परीक्षण - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 908) की जानकारी

प्रश्न-अ

प्रश्नांश 'क' अंतर्गत प्रश्नाधीन अवाधे में वर्षवार, जिलावार विवाह हेतु पंजीकृत आवेदन, विवाह सम्पन्न हुए जोड़ों की संख्या तथा आबंटित, व्यय राशि की जानकारी

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26					टिप्पणी
		विवाह हेतु पंजीकृत आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न हुए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न हुए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न हुए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न हुए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	बालोद	234	234	11850000	11685032			10000000	9999875	200	200	10000000	9995419				वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामूहिक विवाह आयोजन के देयक राशि 2,65,039/- रुपये कोषालय से पारित नहीं हो पाये थे उनका मुग्तान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि 1,44,000/- रुपये कोषालय से पारित नहीं हो पाये थे उनका मुग्तान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है।
2	बलीदाबाजार-माटापाड़ा	389	389	19415039	19361047	281	281	14194000	14194000	287	287	14350000	14349759				
3	बलसपुर-समानुजगंज	400	400	20000000	19971678	300	300	15000000	14999750	350	350	17500000	17500000				
4	बंसर	340	340	17000000	17000000	280	280	14000000	14000000	280	280	14000000	14000000				
5	बेमरगा	180	180	9000000	9000000	167	167	9000000	9000000	214	214	10000000	10000000				वित्तीय वर्ष 2024-25 में 180 जोड़ों की राशि आबंटित राशि में से 167 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 13 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।
6	बीजापुर	280	280	14000000	13786883	280	280	14000000	14000000	305	305	15250000	15250000				वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामूहिक विवाह आयोजन के देयक कोषालय से पारित नहीं हो पाये थे उनका मुग्तान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया है।
7	बिलासपुर	0	0	1438653	1438653	200	200	10000000	9999983	200	200	10000000	9994950				
8	दत्तवाड़ा	300	300	15000000	15000000	240	240	12000000	12000000	325	325	16250000	16245800				
9	धमतरी	240	240	12000000	11989133	239	239	12000000	11943556	172	172	8600000	8599758				
10	दुर्ग	480	480	24500000	24439127	278	278	13900000	13900000	231	231	12000000	11381839				
11	गिरियाबन्द	220	220	11000000	11000000	303	303	15150000	15150000	307	307	15350000	15350000				
12	गिरिजा पेड़ा मरवाही	100	100	5000000	4997359	150	150	7500000	7499777	300	300	15000000	14989576				वित्तीय वर्ष 2024-25 में 180 जोड़ों की राशि आबंटित राशि में से 179 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 1 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।
13	जानगीर-शाम्पा	191	191	9550000	9488459	179	179	9000000	8961000	216	216	10750000	10749999				
14	जशपुर	480	480	24000000	24000000	411	411	20550000	20550000	300	300	15000000	15000000				

	जिले का नाम	वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				रिमाक
		विवाह हेतु पंजीकृत हुए आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न करार गए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत हुए आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न करार गए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत हुए आवेदनों की संख्या	विवाह सम्पन्न करार गए जोड़ों की संख्या	आबंटित राशि	व्यय राशि	
15	कबीरखान	290	290	14500000	14490896	325	325	17000000	17000000	380	380	18250000	18249947	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 340 जोड़ों की राशि आहरित राशि में से 325 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 15 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।
16	कांकेर	0	0	10000000	7450085	454	454	15250000	15249746	248	248	12550000	12357107	विगत वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु 197 जोड़ों की सामग्री का क्रय किया गया था। चुनाव आचार संहिता के कारण विवाह सम्पन्न नहीं हो पाया। उक्त विवाह आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष में राशि रु. 7450085 की राशि आहरित किया गया तथा सामग्री का देयक राशि 2549746 कोषालय से आहरित न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदाय बजट से आहरित किया गया है। उक्त 197 जोड़ों का विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पन्न कराया गया।
17	खैरागढ़ छुईखदान गडहई	0	0	3000000	0	37	37	2000000	1849965	115	115	5750000	5750000	वित्तीय वर्ष 2024-25 की 48 जोड़ों की बचत राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विवाह सम्पन्न कराया गया है।
18	कोण्डागांव	240	240	12000000	11376969	360	360	20500000	20426340	353	353	15250000	15250000	वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रु. 1.39 करोड़ का उपलब्ध प्राप्त हुआ था। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 का लक्षित देयक राशि 9.00 लाख रुपये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 255 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आहरित 05 जोड़ों की राशि से इन 05 जोड़ों का विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराया गया है।
19	कोरवा	260	255	13900000	13900000	265	265	13000000	13000000	260	260	13000000	13000000	
20	कोरिया	60	60	3000000	3000000	120	120	6000000	5999922	100	100	5000000	4999645	
21	महारामपुर	160	160	8000000	8000000	160	160	8000000	8000000	220	219	11000000	10944583	
22	मनेन्द्रगढ़ चित्तमिरी भरतपुर	120	120	6000000	6000000	160	160	8000000	8000000	184	184	9200000	9200000	
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	105	105	5250000	5250000	150	150	7500000	7500000	187	187	9350000	9350000	
24	मुंगेली	0	0	0	0	206	206	10300000	10300000	140	140	7000000	7000000	
25	नारायणपुर	0	0	1500000	0	120	120	6000000	6000000	170	170	8500000	8499988	
26	रायगढ़	291	291	14550000	14543131	375	375	18750000	18749869	300	300	15000000	15000000	
27	रायपुर	440	440	22000000	21825283	331	331	16550000	16549946	731	731	36550000	36549856	

जिले का नाम	वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				टिप्पणियाँ
	विवाह हेतु पंजीकृत हुए आवेदनों की संख्या	विवाह समन्वय कार्यक्रम जोड़ों की संख्या	आवृत्ति राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत हुए आवेदनों की संख्या	विवाह समन्वय कार्यक्रम जोड़ों की संख्या	आवृत्ति राशि	व्यय राशि	विवाह हेतु पंजीकृत हुए आवेदनों की संख्या	विवाह समन्वय कार्यक्रम जोड़ों की संख्या	आवृत्ति राशि	व्यय राशि	
28 राजनांदगांव	194	194	10000000	10000000	204	204	10000000	9963132	200	200	10000000	10000000	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 जोड़ों की राशि आवृत्ति राशि में से 194 जोड़ों का विवाह समन्वय हुआ। शेष 06 जोड़ों का विवाह 2024-25 में सम्पन्न कराया गया।
29 सक्ती	0	0	0	0	130	130	6500000	6491390	140	140	7000000	7000000	
30 सारंगढ़ जिलाईगढ़	222	222	11000000	11093999	221	221	11050000	11050000	200	200	10000000	9997406	
31 सुकमा	223	223	10000000	8974894	140	140	8974000	8972508	113	113	5650000	5299526	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्षित देयक राशि रु. 19,74,000/- जिसका की आहरण कोषालय से नहीं हो पाया को वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है।
32 सूरजपुर	200	200	10000000	9999806	200	200	10000000	10000000	250	250	12500000	12411514	
33 सरगुजा	440	440	22000000	22000000	362	362	18300000	18298860	264	264	13000000	12999196	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 366 जोड़ों की राशि आवृत्ति राशि में से 362 जोड़ों का विवाह समन्वय हुआ। शेष 04 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।
योग	7089	7084	370553692	361072434	7828	7828	389968000	389599619	8242	8241	408600000	407265868	

प्रपत्र - ब

प्रश्नांश 'ख' अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में वैवाहिक जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री व निर्धारित राशि की जानकारी

क्र.	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
	वैवाहिक जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री	निर्धारित व्यय राशि	वैवाहिक जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री	निर्धारित व्यय राशि	वैवाहिक जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री	निर्धारित व्यय राशि
1	उपहार सामग्री :- मंगलसूत्र, वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी साफा इत्यादि	6000/-	उपहार सामग्री :- वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जैसा क्रय समिति उचित समझे	7,000/-	उपहार सामग्री :- वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जैसा क्रय समिति उचित समझे	7,000/-
2	अन्य उपहार सामग्री की सुझावात्मक सूची अनुसार व्यय योग्य राशि के अन्तर्गत:- स्टील अलमारी (मीडियम साईज/छोटा साईज), प्रेशर कुकर (न्यूनतम 5 लीटर BIS Mark), स्टील/एंगल आयरन रैक, स्टील थाली, स्टील ग्लास, स्टील कटोरी, स्टील चम्मच, स्टील ड्रम, स्टील लोटा, स्टील परात, स्टील टिफिन बॉक्स, मसाला डिब्बा + ट्रे (6+1) (स्टील/प्लास्टिक), टीन की पेटी/सूटकेस, टेबल पंखा (BIS Mark), गद्दा/चादर/तकिया सेट (1 गद्दा, 2 चादर, 2 तकिया), हाथ की घड़ी (वर एवं वधु के लिए), बड़ी टार्च, मोबाईल (अधिकतम राशि रु. 15000/-)	15,000/-		-	-	-

प्रपत्र - स

प्रश्नांश 'ग' अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	वर्ष	जिले का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	जांच की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2023-24	-	-	निरंक	-	-
2	2024-25	दुर्ग	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	श्री राजेश प्रजापति कैम्प-01, भिलाई	जांच की कार्यवाही पूर्ण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक किया गया, संबंधित पर्यवेक्षक क्षेत्र-तीनदर्शन मंदिर का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया।
		सरगुजा	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	ग्रामीण महिला	जांच की कार्यवाही पूर्ण	संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक किया गया तथा संबंधित पर्यवेक्षक क्षेत्र-भगवानपुर जिला-सरगुजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
		कांकेर	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शासन दिशा निर्देशों के विपरीत योजना का क्रियान्वयन किये जाने बाबत।	विभागीय जानकारी में प्राप्त अनियमितता के आधार पर	जांच की कार्यवाही पूर्ण	तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्बंधित किया गया। विभागीय जांच उपरांत तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया।
		जांजगीर-चांपा	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	1. समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत एवं 2. पर्यवेक्षक सेक्टर-राहौद, पामगढ़ के द्वारा	जांच की कार्यवाही पूर्ण	संबंधित महिलाओं से राशि एवं सामग्री की वसूली करते हुए राशि शासन के खाते में जमा की गई।

क्र	वर्ष	जिले का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	जांच की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
3	2025-26	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	विवाह आयोजन में वित्तीय अनियमितता के संबंध में।	भरतपुर-सोनहत माननीय भूतपूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो	संबंधित अधिकारी को कारण बताओं जारी नोटिस करतें हुए प्राप्त जवाब कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परोशेष्ट - चौदह

परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 476) की जानकारी

2

प्रपत्र

जिला धमतरी में वर्ष 2024-25 से जून 2026 तक प्राप्त राशि, कार्य एवं व्यय की मदवार जानकारी

प्रारूप

क्र. सं.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर रु.	गडबडी / अनिमित्यता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2024-25	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		सामर्थ्य विकास	5.00	5.00	सहायक उपकरण कय	ट्रायसायकल	8500			
02						ट्रायसायकल चार्ज्ड	6900			
03						व्हील चेयर	12300			
04		कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण	3.00	3.00	सहायक उपकरण कय	वाकींग स्टीक	300			
05						बैसाखी	1095			
06						श्रवण यंत्र पाकेट	1200			
07						एमआरकीट	3800			
08		दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन	18.00	12.50	दिव्यांग दंपति को विवाह प्रोत्साहन प्रदाय	-	01 दिव्यांग होने पर 50000 एवं दोनो दिव्यांग होने पर 100000			
09		दिव्यांग छात्रवृत्ति	8.40	8.40	अध्ययनस्त छात्र/छात्राओं को प्रदाय	-	कक्षा 01-05 तक 1500, कक्षा 06 से 08 तक 1700 एवं कक्षा 09-12 तक 1900 रु.			
10		उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	0.42	0.42	उच्च शिक्षा अध्ययनस्त छात्र/छात्राओं को प्रदाय	-	6000			
11	2025-26	दिव्यांग छात्रवृत्ति	8.00	7.71	अध्ययनस्त छात्र/छात्राओं को प्रदाय	-	कक्षा 01-05 तक 1500, कक्षा 06 से 08 तक 1700 एवं कक्षा 09-12 तक 1900 रु.			
12		उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	0.48	0.36	उच्च शिक्षा अध्ययनस्त छात्र/छात्राओं को प्रदाय	-	6000			
13		सिविल सेवा प्रोत्साहन	0.20	0.20	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रदाय	-	20000			
14	जून 2026 तक	-	-	-	-	-	-			

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
संयोजक कल्याण विभाग,
राजराज, नवा सखर अटल नगर

क्र.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी / अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2322-04-007				पेपर ए4 साईज				
2						जावक रजिस्टर				
3						फाईल पैड				
4						फाईल कवर				
5						पलैंग				
6						पेन				
7						आलपिन				
8						स्टॉम्प पैड				
9						गवरमेंट कैशबुक				
10						यू पिन				
11	2024-25	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	79000	78879	-	स्टेपलर	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	-
12						सफेदा				
13						फेवीस्टीक				
14						मार्कर पेन				
15						रजिस्टर 100 पेज				
16						आवक पंजी				
17						जावक पंजी				
18						गोंद				
19						बिल रजिस्टर				
20						हाइलाईटर पेन				
21						लिफाफा ए4				
22						फोटो पेपर				

Mahesh
 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नयी रायपुर अटल नगर

क.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी / अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		795-04-007				पेपर ए4 साईज पेन				
2						फाईल कवर				
3						फाईल पैड				
4						रजिस्टर 200 पेज				
5	2024-25	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	40000	40000	-	रजिस्टर 400 पेज	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	-
6						आलपिन				
7						फ्लैग				
8						स्टॉम्प पैड				
9						स्पाईरल डायरी				
10										

क.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी / अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2024-25	2517-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	5000	4950	-	पेपर ए4 साईज	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	-

क.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी / अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2322-04-007				पेन (पेन्टानिक)				
2						पेन				
3	2025-26	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	60000	59987	-	फाईल पैड	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित दरें।	निरंक	निरंक	-
4						फाईल कवर (आफिस नाम प्रिंट सहित)				
5						यू पिन				
6						स्टेपलर छोटा				

Yashwan
अनुभाग अधिकारी
समेन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

7	स्टेपलर बड़ा				
8	स्टेपलर पिन				
9	साफेदा				
10	फेवीस्टीक				
11	मार्कर पेन				
12	व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन				
13	नोटपेड मोटा				
14	पेपर ए4 साईज				
15	पेन पेन्टानिक				
16	फाईल पेड				
17	फाईल कवर				
18	स्पाइरल डायरी				
19	फोटो पेपर सुपर				
20	स्टेबलिसमेंट रजिस्टर				
21	बिल रजिस्टर				
22	फाईल				
23	मार्कर पेन मोटा				

क्र.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी/ अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		795-04-007				रजिस्टर 96 पेज				
2						रजिस्टर 180 पेज				
3						पेपर ए4 साईज				
4	2025-26	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	10000	9864	-	फोल्डर प्लास्टिक	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	-
5						सेलोटैप				
6						डबल साइड टेप				
7						पोकर स्टील				

Modam
 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

क.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी/ अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2517-04-007								
1	2025-26	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	5000	4814	—	पेपर ए4 साईज	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	—

क.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी/ अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		34-2235-02-001-0000-2322-04-001 डाकतार पर व्यय	10000	0						
2		34-2235-02-001-0000-2322-04-002 दुरभाष पर व्यय	40000	21226						
3		34-2235-02-001-0000-2322-04-003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	20000	20000						
4	2025-26	34-2235-02-001-0000-2322-04-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	11000	10959	—	कार्यालयीन लेखन एवं आवश्यक सामग्री।	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमोदित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	—
5		34-2235-02-001-0000-2322-04-005 बिजली एवं जल प्रभार	60000	1540						
6		34-2235-02-001-0000-2322-04-006 वर्दियों	12000	7568						
7		34-2235-02-001-0000-2322-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	79000	78879						

Handwritten signature
 अनुभाग अधिकारी
 संचालन कक्ष, विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

8	34-2235-02-001-0000-2322-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	40000	40000
9	34-2235-02-001-0000-2322-04-009 सूचना प्रौद्योगिकी	36000	35990
10	34-2235-02-106-0000-2517-04-001 डाकतार पर व्यय	2000	0

क.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी / अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2025-26	34-2235-02-106-0000-2517-04-002 दुरमाष पर व्यय	3000	0						
12		34-2235-02-106-0000-2517-04-003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	4000	3999						
13		34-2235-02-106-0000-2517-04-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	1000	970						
14		34-2235-02-106-0000-2517-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	5000	4950						
15		34-2235-02-106-0000-2517-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	3000	2940						
16		34-2235-02-106-0000-2517-04-009 सूचना प्रौद्योगिकी	6000	6000						
17		34-2235-02-200-0000-0795-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	40000	40000						
18		34-2235-02-200-0000-0795-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	20000	19940						

Handwritten signature
 अनुभाग अधिकारी
 सामाजिक कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

क्र.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गडबडी/ अनियमित ता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2025-26	34-2235-02-001-0000-2322-04-001 डाकतार पर व्यय	10000	10000	-	कार्यालयीन लेखन एवं आवश्यक सामग्री।	कलेक्टर महोदय जिला धमतरी द्वारा लेखन सामग्री हेतु अनुमानित न्यूनतम दरें।	निरंक	निरंक	-
2		34-2235-02-001-0000-2322-04-002 दुरभाष पर व्यय	40000	21226						
3		34-2235-02-001-0000-2322-04-003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	30000	29998						
4		34-2235-02-001-0000-2322-04-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	3000	2920						
5		34-2235-02-001-0000-2322-04-005 बिजली एवं जल प्रभार	60000	0						
6		34-2235-02-001-0000-2322-04-006 वर्दियों	12000	11999						
7		34-2235-02-001-0000-2322-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	60000	59987						
8		34-2235-02-001-0000-2322-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	110000	109985						
9		34-2235-02-001-0000-2322-04-009 सूचना प्रौद्योगिकी	40000	39820						
10		34-2235-02-001-0000-2322-04-011 पेट्रोल तेल आदि	100000	99940						

Wastan
अनुभाग अधिकारी
संनधि कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	वर्ष	मद का नाम	प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि	कार्य का नाम	सामग्री का प्रकार	दर	गड़बड़ी/ अनियमितता	की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		34-2235-02-001-0000-2322-04-014 वाहन किराया	30000	29961						
12		34-2235-02-001-0000-2322-24-001 मोटर गाड़ी	50000	49968						
13		34-2235-02-106-0000-2517-04-001 डाकतार पर व्यय	2000	0						
14		34-2235-02-106-0000-2517-04-002 दुरभाष पर व्यय	3000	0						
15		34-2235-02-106-0000-2517-04-003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	4000	3999						
16		34-2235-02-106-0000-2517-04-004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	1000	990						
17		34-2235-02-106-0000-2517-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	5000	4814						
18		34-2235-02-106-0000-2517-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	3000	2973						
19		34-2235-02-106-0000-2517-04-009 सूचना प्रौद्योगिकी	6000	6000						
20		34-2235-02-200-0000-0795-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	10000	9864						
21		34-2235-02-200-0000-0795-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	20000	19207						

System
अनुभाग अधिकारी
समीक्षा कल्याण विभाग,
मंत्रालय, गंवा रायपुर अटल नगर

पॉरीशेष्ट - पन्द्रह

परिवर्तित अतारारकेत प्रश्न संख्या 11 (क. 697) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत देखरेख (स्पॉन्सरशिप/फास्टर केयर/आफ्टर केयर) कार्यक्रम हेतु प्रावधानित बजट की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि रुपये करोड़ में)	रिमार्क
01	2021-22	44.26	वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तक स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के लिए बजट मिशन वात्सल्य योजना के बजट प्रावधान में शामिल था।
02	2022-23	44.26	
03	2023-24	5.45	
04	2024-25	7.20	
05	2025-26	5.00	
06	2026-27	5.00	

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत देखरेख (स्पॉन्सरशिप/फास्टर केयर/आफ्टर केयर) कार्यक्रम हेतु जिलो को आबंटित राशि

क्रमांक	जिला का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	बालोद	70960	349556	720000	860000	312000
2	बलौदाबाजार	614960	1289556	2232000	4964000	3436000
3	बलरामपुर	326960	605556	216000	480000	532000
4	बस्तर	0	145550	80000	672000	1224000
5	बेमेतरा	70960	201556	36000	468000	2444000
6	बीजापुर	0	169550	264000	988000	1040000
7	बिलासपुर	638960	1029556	1212000	2036000	1378000
8	दंतेवाड़ा	70960	173556	44000	244000	296000
9	धमतरी	206960	881556	1776000	3412000	2638000
10	दुर्ग	542960	965556	1576000	5404000	2324000
11	गरियाबंद	70960	477556	5324000	9636000	6342000
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	0	0	0	0	168000
13	जांजगीर-चंपा	1454960	1813556	1088000	3932000	2548000
14	जशपुर	70960	261556	360000	616000	372000
15	कबीरधाम	134960	421556	192000	360000	376000
16	कांकेर	70960	257556	356000	1604000	1272000
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	0	0	0	176000	112000
18	कोंडागांव	70960	233556	340000	904000	1148000
19	कोरबा	70960	345556	640000	2420000	2294000
20	कोरिया	182960	505556	368000	1012000	712000
21	महासमुंद	70960	313556	924000	5332000	3726000
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	0	0	0	40000	96000

क्रमांक	जिला का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	0	0	0	492000	392000
24	मुंगेली	206960	533556	628000	1748000	1104000
25	नाराय.ापुर	70960	233556	152000	1068000	1760000
26	रायगढ़	446960	885556	1512000	1944000	922000
27	रायपुर	686960	1265556	3216000	4840000	3192000
28	राजनंदगांव	302960	673556	1816000	2240000	1932000
29	सक्ती	0	0	0	372000	392000
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	0	0	0	220000	196000
31	सरगुजा	134960	393556	84000	3196000	1334000
32	सुकमा	70960	217556	240000	992000	2242000
33	सूरजपुर	86960	513556	1892000	8032000	2224000

प्रपत्र-ब

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	पात्र हितग्राहियों की संख्या	पात्र हितग्राहियों में से सहायता राशि प्राप्त हितग्राहियों की संख्या	सहायता राशि कब से प्रदान की जा रही है।	पात्र हितग्राहियों को कब तक सहायता राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
1	2	3	4	6	7
1	2021-22	-	-	-	बालक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रदान करने का प्रावधान है।
2	2022-23	22	22	अप्रैल 2022	
3	2023-24	20	20	अप्रैल 2022	
4	2024-25	16	16	अप्रैल 2022	
5	2025-26	12	12	अप्रैल 2022	
6	2026-27 (प्रश्नांश दिवस की स्थिति में)	68	0	भारत सरकार से आंबटन प्राप्त होने पर सहायता राशि उपलब्ध कराया जायेगा।	

पॉरीशेष्ट - सोलह

परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 12 (क. 708) की जानकारी

प्रपत्र

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 2023 से अब तक				
क्र.	जिले का नाम	पंजीकृत हितग्राही की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	लाभान्वितों को भुगतान की गई राशि
1	बालोद	23479	19908	97133000
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	30236	24578	114170000
3	बलरामपुर	18994	15474	67730000
4	बस्तर	24853	20769	99061000
5	बेमेतरा	24466	19922	94091000
6	बीजापुर	5301	4113	17808000
7	बिलासपुर	41574	31822	147202000
8	दन्तेवाड़ा	7372	5764	25742000
9	धमतरी	22894	19664	94010000
10	दुर्ग	37239	31191	148790000
11	गरियाबन्द	14913	12416	57152000
12	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	9614	7750	36661000
13	जांजगीर-चाम्पा	28266	23667	113683000
14	जशपुर	36911	18461	82146000
15	कबीरधाम	22808	18286	84916000
16	कांकेर	15500	12906	59238000
17	खैरागढ़ छुईखदान गड़ई	10835	8457	38901000
18	कोण्डागांव	14724	9912	46109000
19	कोरबा	32269	27319	127740000
20	कोरिया	6291	5123	22431000
21	महासमुन्द	26857	21450	98955000
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	6941	4714	19872000
23	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	8258	6214	28441000
24	मुंगेली	21304	17372	82932000
25	नारायणपुर	2716	2114	9425000
26	रायगढ़	24969	20394	96099000
27	रायपुर	50646	40551	192574000
28	राजनांदगांव	24696	20106	94425000
29	सक्ती	12826	9730	44306000
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	14941	12526	57880000
31	सुकमा	4392	3733	15752000
32	सूरजपुर	22061	18590	84661000
33	सरगुजा	22315	17674	81665000
	योग	671461	532670	2481701000

पारिशेष - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क. 709) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मार्च 2024 की स्थिति में प्रचलित राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र	जिला	प्राथमिकता	अन्त्योदय	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य	कुल
1	बस्तर	136050	47085	72	613	22205	206025
2	बीजापुर	42935	24342	43	10	4145	71475
3	दन्तेवाड़ा	44927	28762	417	87	6666	80859
4	कोकर	126547	35290	274	362	25527	188000
5	कोंडागांव	102668	33427	54	460	10939	147548
6	नारायणपुर	14748	17340	31	68	4122	36309
7	सुकमा	45714	30628	18	98	2423	78881
8	बिलासपुर	368827	95227	918	3661	69677	538310
9	गौरला-पन्डू-मरवाही	76877	28409	132	317	6058	111793
10	जाजगीर-चाम्पा	243509	48504	858	2100	28955	323926
11	कोरबा	239822	55913	1264	2021	37446	336466
12	मुरेली	168596	51817	386	1224	11968	233991
13	रायगढ़	216228	67439	255	1646	46732	332300
14	बालोद	160578	30260	1072	796	29103	221809
15	बेमेतरा	204614	43116	342	3205	16857	268134
16	दुर्ग	271921	74075	2857	2169	123594	474616
17	कवर्धा	199239	64329	270	948	16568	281354
18	राजनांदगांव	165379	37367	321	355	35190	238612
19	बलोदा बाजार-भाटापारा	273072	48409	748	1966	28544	352739
20	धमतरी	166851	48264	408	706	26091	242320
21	गरियाबंद	143409	50062	628	973	11462	206534
22	महासमुंद	237364	49784	1134	2520	42309	333111
23	रायपुर	406958	67191	1100	2923	124162	602334
24	बलरामपुर	150550	58481	78	776	13034	222919
25	जशपुर	170860	58950	197	785	18396	249188
26	कोरिया	54138	18301	39	181	9438	82097
27	सरगुजा	180809	76728	131	909	22454	281031
28	सुरजपुर	158129	58308	601	969	17612	235619
29	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	82784	17057	52	424	7218	107535
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	50319	16779	70	48	5071	72287
31	सक्ती	165208	40998	486	2261	19709	228662
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	148734	48946	118	1766	15795	215359
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	62411	27686	64	305	17564	108030
	कुल	5280775	1499274	15438	37652	877034	7710173

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मार्च 2025 की स्थिति में प्रचलित राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र	जिला	प्राथमिकता	अन्त्योदय	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य	कुल
1	बस्तर	140687	46726	78	530	22381	210402
2	बीजापुर	46468	24760	44	11	3912	75195
3	दन्तेवाड़ा	46524	28153	408	86	7066	82237
4	कांकेर	136700	35546	318	355	24942	197861
5	कोंडागांव	109700	33672	63	428	10658	154521
6	नारायणपुर	15604	17569	39	58	4184	37454
7	सुकमा	48419	30833	21	101	2476	81850
8	बिलासपुर	389971	98055	923	3420	71320	563689
9	गोरिला-पेन्हा-मरवाही	80750	28366	175	273	6142	115706
10	जांजगीर-चाम्पा	261301	48731	871	1668	29020	341591
11	कोरबा	256044	57056	1313	1969	37958	354340
12	मंगेली	185278	54203	338	1063	10716	251598
13	रायगढ़	222253	66619	280	1446	43208	333806
14	बालोद	172045	30421	1119	632	28437	232654
15	बेमेतरा	219896	45710	314	2879	15500	284299
16	दुर्ग	292587	75428	2961	2020	120567	493563
17	कवर्धा	209275	64688	363	832	16182	291340
18	राजनांदगांव	178160	37505	1246	338	34816	252065
19	बलोदा बाजार-भाटापारा	294428	49989	721	1687	28752	375577
20	धमतरी	176715	51028	457	572	25070	253842
21	गरियाबंद	147871	53654	653	779	10922	213879
22	महासमूंद	270465	49436	1332	2167	38889	362289
23	रायपुर	440626	69220	1151	2727	125447	639171
24	बलरामपुर	158546	58156	89	607	12592	229990
25	जशपुर	180642	60784	216	683	17598	259923
26	कोरिया	58940	19948	42	168	9086	88184
27	सरगुजा	189071	84736	130	855	21955	296747
28	सुरजपुर	167369	59488	639	721	15177	243394
29	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	92525	17498	52	398	7242	117715
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	53294	16596	87	34	5047	75058
31	सक्ती	180105	42929	493	1745	17059	242331
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	153631	49542	110	1348	14664	219295
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	66869	28877	59	298	16845	112948
	कुल	5642759	1535922	17105	32898	855830	8084514

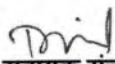
सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. संचालनालय,
नवा रायपुरअनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संचालन, नवा रायपुर, अटल नगर

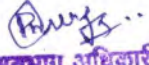
प्रपत्र-स

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जून 2026 की स्थिति में प्रचलित राशनकार्डों की जिलेवार जानकारी

क्र	जिला	प्राथमिकता	अन्त्योदय	निःशक्तजन	निराश्रित	सामान्य	कुल
1	बस्तर	149236	46502	90	494	22220	218542
2	बीजापुर	51322	24914	42	14	3658	79950
3	दन्तेवाड़ा	46745	26574	337	76	6993	80725
4	कोकर	141977	35357	354	335	25007	203030
5	कोडागांव	117827	34049	80	414	10365	162735
6	नारायणपुर	16532	18055	53	49	4281	38970
7	सुकमा	51683	30484	26	96	2489	84778
8	बिलासपुर	398199	100428	909	3055	71535	574126
9	गोरिला-पेन्हा-मरवाही	81065	27909	189	272	6241	115676
10	जांजगीर-चाम्पा	271071	50948	896	1682	29295	353892
11	कोरबा	263197	57659	1326	1611	37435	361228
12	मुंगेली	188837	58288	265	782	10572	258744
13	रायगढ़	228337	66063	394	1391	44382	340567
14	बालोद	179791	31577	1212	542	28239	241361
15	बेमेतरा	229309	47370	303	2368	15235	294585
16	दुर्ग	301552	75919	3004	1930	115979	498384
17	कवर्धा	214448	64485	445	806	16192	296376
18	राजनंदगांव	192761	37564	1284	296	33965	265870
19	बलौदा बाजार-भाटापारा	305706	49714	781	1624	29103	386928
20	धमतरी	181896	56098	450	453	24644	263541
21	गरियाबंद	150521	56586	749	680	10830	219366
22	महासमुंद	261279	47688	1387	1922	40621	352897
23	रायपुर	453939	72759	1206	2472	127684	658060
24	बलरामपुर	166596	58855	101	609	12103	238264
25	जशपुर	187494	63150	213	633	16736	268226
26	कोरिया	61574	21437	42	170	9205	92428
27	सरगुजा	191237	90898	162	859	20636	303792
28	सूरजपुर	175021	60387	661	643	15215	251927
29	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	95012	17474	58	374	7368	120286
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	55607	16708	96	34	4957	77402
31	सक्ती	182816	42326	501	1423	15638	242704
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	158731	51155	115	1131	14331	225463
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	69159	30213	64	298	16279	116013
	कुल	5820477	1569593	17795	29538	849433	8286836


 सहायक संचालक

 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.सं. संचालनालय,
 नवा रायपुर


 अनुभाग अधिकारी
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि. वि.
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-द

मार्च 2024 से जून 2026 तक नवीन राशनकार्ड जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन एवं निराकृत तथा शेष आवेदन की जिलेवार जानकारी

क्र	जिला	मार्च 2024		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 में जून 2026 तक		
		प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	निराकरण हेतु शेष आवेदन
1	बस्तर	129	129	7320	7320	12604	12604	0
2	बीजापुर	253	253	4427	4427	6432	6432	0
3	दन्तेवाड़ा	42	42	3455	3455	3837	3837	0
4	कांकेर	946	946	10626	10626	7599	7599	0
5	कौडागांव	485	485	8602	8602	10364	10364	0
6	नारायणपुर	0	0	1272	1272	2348	2348	0
7	सुकमा	135	135	3377	3377	4212	4212	0
8	बिलासपुर	2551	2551	27751	27751	29891	29891	0
9	गोरिला-पेन्ड्रा-मरवाही	789	789	4214	4214	2109	2109	0
10	जांजगीर-चाम्पा	2756	2756	21502	21502	19014	19014	0
11	कोरबा	266	266	19155	19155	23881	23881	0
12	मुंगेली	1855	1855	20290	20290	19045	19045	0
13	रायगढ़	382	382	10515	10515	12474	12474	0
14	बालोद	311	311	15108	15108	17162	17162	0
15	बेमेतरा	982	982	19762	19762	18056	18056	0
16	दुर्ग	2367	2367	28361	28361	21823	21760	63
17	कवर्धा	1038	1038	14189	14189	11738	11738	0
18	राजनांदगांव	613	613	15172	15172	20266	20266	0
19	बलौदा बाजार-भाटापारा	269	269	25083	25083	19768	19768	0
20	धमतरी	605	605	16076	16076	18245	18245	0
21	गरियाबंद	159	159	13418	13418	10625	10625	0
22	महासमुंद	1354	1354	36008	36008	10852	9814	1038
23	रायपुर	1852	1852	43587	43587	47421	47134	287
24	बलरामपुर	529	529	11823	11823	8538	8538	0
25	जशपुर	115	115	14149	14149	14120	14120	0
26	कोरिया	292	292	7351	7351	5389	5389	0
27	सरगुजा	1178	1178	18397	18397	17545	17545	0
28	सुरजपुर	1120	1120	15191	15191	14007	14007	0
29	खैरागढ़-खईखदान-गडई	415	415	10646	10646	5668	5668	0
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	34	34	3694	3694	5526	5526	0
31	सक्ती	3557	3557	16751	16751	9992	9992	0
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	204	204	10136	10136	13092	13092	0
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	104	104	7192	7192	8383	8383	0
	कुल	27687	27687	484600	484600	452026	450638	1388

अनुभाग अधिकारी
साथ नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिलासपुर, नवा रायपुर, जिला रायपुर

सहायक संचालक
साथ नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. संचालनालय, नवा रायपुर

राशनकार्डधारियों को वितरित खाद्यान्न सामग्री की मात्रा एवं दर की जानकारी

राज्य में खाद्यान्न की यात्रा (CGFSA) एवं दर								
क्र.	कार्ड का प्रकार	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में यात्रा एवं दर	चावल	शक्कर	नमक	चना	गुद (बस्तर से भाग के बिलों में)	केरोसिन
1	अन्त्योदय	35 किलो ग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क	35 किलो ग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क	1 किलो ग्राम, प्रतिकार्ड प्रतिमाह दर 17 रु. प्रति किलो	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलोग्राम तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलोग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क	अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह 5 रुपये प्रति किलो की दर से	2 किलोग्राम गुद प्रतिकार्ड प्रतिमाह दर 17 रुपये प्रतिकिलो	अधिकतम 2 लीटर प्रति राशनकार्ड 60-65 रुपये (अनुमानित) की दर से
2	प्राथमिकता	05 किलो ग्राम प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क	एक सदस्य 10 किलो ग्राम, दो सदस्य 20 किलो ग्राम, तीन से पांच सदस्य तक 35 किलो ग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह एवं 05 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो ग्राम निःशुल्क					
3	निःशक्कजन		10 किलो ग्राम, प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
4	निराश्रित		11 किलो ग्राम, प्रतिकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क					
5	सामान्य परिवार		एक सदस्य 10 किलो ग्राम, दो सदस्य 20 किलो ग्राम, तीन या तीन से अधिक सदस्य पर 35 किलो ग्राम, प्रतिकार्ड प्रतिमाह दर 10 रु. प्रति किलो					

संवादात्मक
साधनात्मक

अनुभाग अधिकारी

पारिशेष - अट्टारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 757) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बिलासपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

क्र	विधानसभा का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	स्वयं के भवन संचालित केन्द्र	किराये के भवन में संचालित केन्द्र	अन्य भवनों में संचालित केन्द्र	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रिक्त पद	आंगनबाड़ी सहायिका का रिक्त पद
1	बिलासपुर	213	8	196	9	0	5
2	बेलतरा	304	213	67	24	2	7
3	बिल्हा	277	215	43	19	1	1
4	मस्तूरी	442	339	58	45	1	2
5	कोटा	324	224	39	61	2	4
6	तखतपुर	370	284	41	45	1	4
योग		1930	1283	444	203	7	23

प्रपत्र-ब

बिलासपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

क्र	विधानसभा का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	पेयजल सुविधाएं					शौचालय सुविधाएं			
			रनिंग वाटर	टेप नल	हैण्डपम्प	अन्य	योग	शौचालय उपयोगी	शौचालय अनुउपयोगी	शौचालय नहीं	योग
1	बिलासपुर	213	1	212	0	0	213	212	1	0	213
2	बेलतरा	304	163	37	46	58	304	232	40	32	304
3	बिल्हा	277	104	70	80	23	277	214	42	21	277
4	मस्तुरी	442	111	2	282	47	442	245	92	105	442
5	कोटा	324	19	67	79	159	324	175	49	100	324
6	तखतपुर	370	47	67	117	139	370	200	112	58	370
योग		1930	445	455	604	426	1930	1278	336	316	1930

पारोशेष्ट - उन्नीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क. 790) की जानकारी

प्रपत्र - अ

क्र .	परियोजना का नाम	ग्राम/वार्ड का नाम	केंद्र का नाम	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	जैजैपुर	किकिरदा	किकिरदा 04 (शिकायत की विषय वस्तु अनुसार किकिरदा 03)	आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में भारी भ्रष्टाचार एवं अवैध लेन-देन की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	अपर कलेक्टर जिला सूक्ष्म को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जाँच प्रक्रियाधीन है।
2	जैजैपुर	किकिरदा	किकिरदा 04 (शिकायत की विषय वस्तु अनुसार किकिरदा 03)	आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में भारी भ्रष्टाचार एवं अवैध लेन-देन की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	
3	जैजैपुर	अरसिया	अरसिया 2	श्रीमती रीता बाई के फर्जी अंकसूची के संबंध में प्राप्त शिकायत।	संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को अंक सूची जाँच हेतु लेख किया गया है।
4	जैजैपुर	बरेकेलखुर्द	बरेकेलखुर्द नायकपारा	नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान शकुन्तला भारद्वाज पति सौखी लाल के द्वारा फर्जी परित्यक्ता प्रमाण पत्र के माध्यम से सहायिका पद की नौकरी हथियाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति गठित किया गया था। समिति द्वारा परित्यक्ता प्रमाण पत्र अमान्य किया गया। मेरिट आधार पर पात्र अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई।

प्रपत्र - ब

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम/वार्ड का नाम	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	रिक्त पद का नाम (सहायिका)
1	2	3	4	5
1	जैजैपुर	बोड़सरा	बोड़सरा 01	सहायिका
2	जैजैपुर	कचंदा	कचंदा 02	सहायिका
3	जैजैपुर	आमगांव	कारीभांवर 01	सहायिका
4	जैजैपुर	ठठारी	ठठारी 1	सहायिका
5	जैजैपुर	दर्दाभांठा	दर्दाभांठा 3	सहायिका

पारिशेष - बीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क. 812) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की

जानकारी

क्र.	परियोजना	पर्यवेक्षक के रिक्त पद	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद	आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद
1	बिलाईगढ़ (सारंगढ़)	1	0	2
2	भटगांव (सारंगढ़)	2	0	1
3	कसडोल (बलौदाबाजार)	1	0	1
4	सोनाखान (बलौदाबाजार)	1	0	3
योग		5	0	7

प्रपत्र-ब

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता की जानकारी

क्र.	परियोजना	अनियमितता का विवरण	दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण
1	बिलाईगढ़ (सारंगढ़)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पवनी 06 के केंद्र का संचालन आंगनबाड़ी भवन में नहीं किया जाना।	पवनी 06 के केंद्र की संबंधित कार्यकर्ता को नोटिस जारी कर सेवा समाप्त किया गया।
2	बिलाईगढ़ (सारंगढ़)	बेलटिकरी 01 की कार्यकर्ता द्वारा पूरक पोषण आहार से हितग्राहियों को वंचित रखा जाना।	पूरक पोषण आहार से हितग्राहियों को वंचित रखने के कारण संबंधित को नोटिस जारी कर मानदेय कटौती कर भविष्य के लिए चेतावनी पत्र जारी किया गया।
योग		2	

पारिशेष - इक्कोस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 821) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रश्नाधीन वर्ष में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम एवं लाभान्वित कन्याओं की जानकारी

क्र	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26	
		वर्ष में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम की संख्या	वर्ष में लाभान्वित कन्याओं की संख्या	वर्ष में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम की संख्या	वर्ष में लाभान्वित कन्याओं की संख्या
1	बालोद	5	200	2	200
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	9	281	9	287
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	1	300	2	350
4	बस्तर	7	280	1	280
5	बेमेतरा	1	167	2	214
6	बीजापुर	9	280	1	305
7	बिलासपुर	1	200	2	200
8	दंतेवाड़ा	2	240	3	325
9	धमतरी	8	239	2	172
10	दुर्ग	9	278	4	231
11	गरियाबंद	3	303	2	307
12	गौरैला पेण्ड्रा भरवाही	1	150	1	300
13	जांजगीर-चांपा	6	179	5	216
14	जशपुर	5	411	3	300
15	कबीरधाम	6	325	3	380
16	कांकेर	8	454	1	248
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	1	37	2	115
18	कोण्डागांव	2	360	2	353
19	कोरबा	4	265	1	260
20	कोरिया	1	120	1	100
21	महासमुंद	1	160	1	219
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2	160	1	184
23	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	1	150	3	187
24	मुंगेली	1	206	3	140
25	नारायणपुर	1	120	1	170
26	रायगढ़	8	375	5	300
27	रायपुर	15	331	2	731
28	राजनांदगांव	13	204	14	200
29	सक्ती	2	130	1	140
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1	221	1	200
31	सुकमा	2	140	2	113
32	सूरजपुर	1	200	1	250
33	सरगुजा	1	362	1	264
योग		138	7828	85	8241

प्रपत्र-ब

प्राप्त शिकायत एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	वर्ष	जिले का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत किनके विरुद्ध किया गया	जांच की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2024-25	दुर्ग	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	श्री राजेश प्रजापति कैम्प-01, भिलाई	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक किया गया, संबंधित पर्यवेक्षक क्षेत्र-तीनदर्शन मंदिर का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया।
			विवाह में हुई कमीया एवं पद का दुरुपयोग करने, धांधली करने बाबत	श्री शुभम शर्मा	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	शिकायत निराधार पाया गया।
		सरगुजा	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	ग्रामीण महिला	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक किया गया तथा संबंधित पर्यवेक्षक क्षेत्र-भगवानपुर जिला-सरगुजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
		कांकेर	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शासन दिशा निर्देशों के विपरीत योजना का क्रियान्वयन किये जाने बाबत।	विभागीय जानकारी में प्राप्त अनियमितता के आधार पर	तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी	जांच की कार्यवाही पूर्ण	तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित किया गया। विभागीय जांच उपरांत तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया।

क्र	वर्ष	जिले का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत किनके विरुद्ध किया गया	जांच की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
		जांजगीर-चांपा	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	1. समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत एवं 2. पर्यवेक्षक सेक्टर-राहौद, पामगढ़ के द्वारा	विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	संबंधित महिलाओं से राशि एवं सामग्री की वसूली करते हुए राशि शासन के खाते में जमा की गई।
2	2025-26	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	विवाह आयोजन में वित्तीय अनियमितता के संबंध में।	भरतपुर-सोनहत माननीय भूतपूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो	तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी	संबंधित अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए प्राप्त जवाब पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

परोशेष्ट - बाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क. 829) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में मूलभूत सुविधा से संबंधित जानकारी

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
1	रायपुर 01	पुरैना बस्ती	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
2	रायपुर 01	इंदिरा आत्म नगर	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	नहीं
3	रायपुर 01	महावीर नगर	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
4	रायपुर 01	शहीद राजीव पांडे नगर	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
5	रायपुर 02	संजीव नगर	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
6	रायपुर 02	चंडीनगर 1	स्कूल	उपलब्ध	है	नहीं
7	रायपुर 02	चंडीनगर 2	किराए	उपलब्ध	है	है
8	रायपुर 02	सीतानगर	किराए	उपलब्ध	है	है
9	रायपुर 02	कांपा नहरपारा	किराए	उपलब्ध	है	है
10	धरसीवा 1	घनेली-2	किराए	उपलब्ध	है	है
11	धरसीवा 1	माना केम्प-6	स्वयं	उपलब्ध	है	है
12	धरसीवा 1	बनरसी-1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
13	धरसीवा 1	सेजबहार 1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
14	धरसीवा 1	कान्दुल 3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
15	धरसीवा 1	मानाबस्ती-3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
16	धरसीवा 1	मानाबस्ती-4	स्वयं	उपलब्ध	है	है
17	धरसीवा 1	भटगाँव - 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
18	धरसीवा 1	घरमपुरा 3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
19	धरसीवा 1	लालपुर 03	स्वयं	उपलब्ध	है	है
20	धरसीवा 1	मुजगहन 1	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	है
21	धरसीवा 1	पुरैना 1	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	है
22	धरसीवा 1	काठाडीह 1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
23	धरसीवा 1	टेमरी 1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
24	धरसीवा 1	डूण्डा 6	स्वयं	उपलब्ध	है	है
25	धरसीवा 1	कान्दुल 1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
26	धरसीवा 1	मानाबस्ती-2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
27	धरसीवा 1	मानाबस्ती-5	स्वयं	उपलब्ध	है	है
28	धरसीवा 1	भनपुरी 14	स्वयं	उपलब्ध	है	है
29	धरसीवा 1	पुरैना 3	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
30	धरसीवा 1	पुरैना 2	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	है
31	धरसीवा 1	भनपुरी 10	स्वयं	उपलब्ध	है	है
32	धरसीवा 1	माना केम्प-5	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
33	धरसीवा 1	बोरियाकला-4	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
34	धरसीवा 1	बोरियाकला-5	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
35	धरसीवा 1	टेमरी 2	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
36	धरसीवा 1	टेमरी 3	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
37	धरसीवा 1	गोगांव 3	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
38	धरसीवा 1	गोगांव 4	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
39	धरसीवा 1	गोगांव 11	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
40	धरसीवा 1	कान्दुल 2	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
41	धरसीवा 1	डोमा 1	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
42	धरसीवा 1	डोमा 2	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
43	धरसीवा 1	दतरेंगा 4	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
44	धरसीवा 1	सोनडोगरी 3	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
45	धरसीवा 1	सोनडोगरी 4	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
46	धरसीवा 1	मानाबस्ती-1	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
47	धरसीवा 1	बनरसी-2	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
48	धरसीवा 1	सेजबहार 4	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
49	धरसीवा 1	बोरियाकला-2	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	नहीं
50	धरसीवा 1	दतरेंगा 1	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
51	धरसीवा 1	अमलीडीह 01	स्वयं	उपलब्ध	है	है
52	धरसीवा 1	मोवा-8	स्वयं	उपलब्ध	है	है
53	धरसीवा 1	दलदल सिवनी-1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
54	धरसीवा 1	सेजबहार 5	स्वयं	उपलब्ध	है	है
55	धरसीवा 1	लाभाण्डी 1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
56	धरसीवा 1	माना केम्प-2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
57	धरसीवा 1	माना केम्प-7	स्वयं	उपलब्ध	है	है
58	धरसीवा 1	घनेली-1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
59	धरसीवा 1	सेजबहार 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
60	धरसीवा 1	मोवा-3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
61	धरसीवा 1	मोवा-7	स्वयं	उपलब्ध	है	है
62	धरसीवा 1	सड्डु-3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
63	धरसीवा 1	भनपुरी 17	स्वयं	उपलब्ध	है	है
64	धरसीवा 1	सड्डु-2	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	है
65	धरसीवा 1	डूण्डा 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
66	धरसीवा 1	देवपुरी 02	स्वयं	उपलब्ध	है	है
67	धरसीवा 1	माना केम्प-4	स्वयं	उपलब्ध	है	है
68	धरसीवा 1	मोवा-1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
69	धरसीवा 1	देवपुरी 04	स्वयं	उपलब्ध	है	है
70	धरसीवा 1	दतरेंगा 3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
71	धरसीवा 1	दलदल सिवनी-3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
72	धरसीवा 1	दलदल सिवनी-4	स्वयं	उपलब्ध	है	है
73	धरसीवा 1	डुमरतराई 02	स्वयं	उपलब्ध	है	है

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
74	धरसीवा 1	लाभाण्डी 2	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	है
75	धरसीवा 1	गोदवारा 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
76	धरसीवा 1	घरमपुरा 1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
77	धरसीवा 1	फुण्डहर 02	स्वयं	उपलब्ध	है	है
78	धरसीवा 1	फुण्डहर 01	स्वयं	उपलब्ध	है	है
79	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 4	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
80	धरसीवा 1	देवपुरी 01	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
81	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 2	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
82	धरसीवा 1	डुमरतराई 01	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
83	धरसीवा 1	देवपुरी 05	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
84	धरसीवा 1	माना केम्प-1	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
85	धरसीवा 1	डुमरतराई 03	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
86	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 3	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
87	धरसीवा 1	देवपुरी 03	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
88	धरसीवा 1	भनपुरी 6	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
89	धरसीवा 1	गोदवारा 3	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	नहीं
90	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 5	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
91	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 6	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
92	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 1	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	नहीं
93	धरसीवा 1	डूण्डा 3	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	नहीं
94	धरसीवा 1	हथबंद...2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
95	धरसीवा 1	काठाडीह 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
96	धरसीवा 1	लाभाण्डी 4	स्वयं	उपलब्ध	है	है
97	धरसीवा 1	लाभाण्डी 6	स्वयं	उपलब्ध	है	है
98	धरसीवा 1	सेजबहार 3	स्वयं	उपलब्ध	है	है
99	धरसीवा 1	हथबंद..1	स्वयं	उपलब्ध	है	है
100	धरसीवा 1	घरमपुरा 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
101	धरसीवा 1	भनपुरी 19	किराए	उपलब्ध	है	है
102	धरसीवा 1	भनपुरी 20 दुर्गा नगर	किराए	उपलब्ध	है	है
103	धरसीवा 1	भनपुरी 21 गंगा नगर	किराए	उपलब्ध	है	है
104	धरसीवा 1	डूण्डा 7	किराए	उपलब्ध	है	है
105	धरसीवा 1	बोरियाकला-10 हा.बो	किराए	उपलब्ध	है	है
106	धरसीवा 1	बोरियाकला-11 शदाणी दरबार	किराए	उपलब्ध	है	है
107	धरसीवा 1	भनपुरी 1	किराए	उपलब्ध	है	है
108	धरसीवा 1	भनपुरी 2	किराए	उपलब्ध	है	है
109	धरसीवा 1	भनपुरी 3	किराए	उपलब्ध	है	है
110	धरसीवा 1	भनपुरी 4	किराए	उपलब्ध	है	है

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
111	धरसीवा 1	भनपुरी 7	किराए	उपलब्ध	है	है
112	धरसीवा 1	भनपुरी 8	किराए	उपलब्ध	है	है
113	धरसीवा 1	भनपुरी 9	किराए	उपलब्ध	है	है
114	धरसीवा 1	भनपुरी 12	किराए	उपलब्ध	है	है
115	धरसीवा 1	भनपुरी 15	किराए	उपलब्ध	है	है
116	धरसीवा 1	भनपुरी 16	किराए	उपलब्ध	है	है
117	धरसीवा 1	भनपुरी 18	किराए	उपलब्ध	है	है
118	धरसीवा 1	गोदवारा 1	किराए	उपलब्ध	है	है
119	धरसीवा 1	माना केम्प-3	किराए	उपलब्ध	है	है
120	धरसीवा 1	माना केम्प-9	किराए	उपलब्ध	है	है
121	धरसीवा 1	लाभाण्डी 5	किराए	उपलब्ध	है	है
122	धरसीवा 1	माना केम्प-8	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
123	धरसीवा 1	बोरियाकला-1	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
124	धरसीवा 1	बोरियाकला-3	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
125	धरसीवा 1	बोरियाकला-6	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
126	धरसीवा 1	लालपुर 01	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
127	धरसीवा 1	मुजगहन 2	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
128	धरसीवा 1	सड्डु-5 खालबाड़ा	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
129	धरसीवा 1	सड्डु-6 वृंदावन	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
130	धरसीवा 1	भनपुरी 5	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
131	धरसीवा 1	भनपुरी 11	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
132	धरसीवा 1	भनपुरी 13	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
133	धरसीवा 1	लालपुर 02	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
134	धरसीवा 1	गोगांव 7	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
135	धरसीवा 1	कचना 06	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
136	धरसीवा 1	कचना 07	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
137	धरसीवा 1	गोगांव 9	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
138	धरसीवा 1	गोगांव 5	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
139	धरसीवा 1	गोगांव 10	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
140	धरसीवा 1	भटगाँव - 1	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
141	धरसीवा 1	अमलीडीह 03	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
142	धरसीवा 1	अमलीडीह 04	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
143	धरसीवा 1	अमलीडीह 05	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
144	धरसीवा 1	पुरैना 5	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
145	धरसीवा 1	मोवा-9	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
146	धरसीवा 1	गोगांव 13	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
147	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 7	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
148	धरसीवा 1	बोरियाखुर्द 8	किराए	उपलब्ध	है	नहीं

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
149	धरसीवा 1	लालपुर 04	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
150	धरसीवा 1	लालपुर 05	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
151	धरसीवा 1	अमलीडीह 02	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
152	धरसीवा 1	अमलीडीह 06	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
153	धरसीवा 1	पुरैना 4	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
154	धरसीवा 1	सोनडोगरी 5	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
155	धरसीवा 1	कबीर नगर	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
156	धरसीवा 1	डुमरतराई 04	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
157	धरसीवा 1	डूण्डा 1	पंचायत	उपलब्ध	नहीं	नहीं
158	धरसीवा 1	डूण्डा 5	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
159	धरसीवा 1	सेजबहार 6	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	नहीं
160	धरसीवा 1	गोगांव 1	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
161	धरसीवा 1	गोगांव 2	पंचायत	उपलब्ध	है	नहीं
162	धरसीवा 1	सोनडोगरी 2	पंचायत	उपलब्ध	है	नहीं
163	धरसीवा 1	सोनडोगरी 1	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
164	धरसीवा 1	डूण्डा 4	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	नहीं
165	धरसीवा 1	सड्डु-1	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
166	धरसीवा 1	मोवा-2	पंचायत	उपलब्ध	नहीं	है
167	धरसीवा 1	मोवा-4	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
168	धरसीवा 1	मोवा-5	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
169	धरसीवा 1	मोवा-6	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
170	धरसीवा 1	दलदल सिवनी-5	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
171	धरसीवा 1	दलदल सिवनी-6	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
172	धरसीवा 1	लाभाण्डी 3	स्कूल	उपलब्ध	नहीं	है
173	धरसीवा 1	दलदल सिवनी-2	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
174	धरसीवा 1	सड्डु-4	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
175	धरसीवा 1	लाभाण्डी 7	किराए	उपलब्ध	है	है
176	धरसीवा 1	आमासिवनी 4	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
177	धरसीवा 2	उरला 10	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
178	धरसीवा 2	उरला 11	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	नहीं
179	धरसीवा 2	उरला 12	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
180	धरसीवा 2	उरला 13	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
181	धरसीवा 2	उरला 14	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
182	धरसीवा 2	उरला 15	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
183	धरसीवा 2	अछोली 1	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	नहीं
184	धरसीवा 2	अछोली 2	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
185	धरसीवा 2	अछोली 3	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
186	धरसीवा 2	अछोली 4	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
187	धरसीवा 2	उरला 01	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
188	धरसीवा 2	उरला 02	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
189	धरसीवा 2	उरला 03	किराए	उपलब्ध	हाँ	नहीं
190	धरसीवा 2	उरला 04	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
191	धरसीवा 2	उरला 05	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
192	धरसीवा 2	उरला 06	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
193	धरसीवा 2	अछोली 5	सामुदायिक	उपलब्ध	नहीं	है
194	धरसीवा 2	अछोली 6	किराए	उपलब्ध	है	है
195	धरसीवा 2	अछोली 7	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
196	धरसीवा 2	बीरगांव 1	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
197	धरसीवा 2	बीरगांव 2	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
198	धरसीवा 2	बीरगांव 3	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
199	धरसीवा 2	बीरगांव 4	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
200	धरसीवा 2	बीरगांव 5	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
201	धरसीवा 2	बीरगांव 6	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
202	धरसीवा 2	बीरगांव 7	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
203	धरसीवा 2	बीरगांव 8	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
204	धरसीवा 2	बीरगांव 9	किराए	उपलब्ध	है	है
205	धरसीवा 2	बीरगांव 10	किराए	उपलब्ध	है	है
206	धरसीवा 2	बीरगांव 11	किराए	उपलब्ध	है	है
207	धरसीवा 2	सरोरा 1	स्वयं	उपलब्ध	नहीं	नहीं
208	धरसीवा 2	सरोरा 2	स्वयं	उपलब्ध	है	है
209	धरसीवा 2	सरोरा 3	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
210	धरसीवा 2	सरोरा 4	स्वयं	उपलब्ध	है	है
211	धरसीवा 2	सरोरा 5	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
212	धरसीवा 2	सरोरा 6	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
213	धरसीवा 2	सरोरा 7	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
214	धरसीवा 2	सरोरा 8	किराए	उपलब्ध	नहीं	नहीं
215	धरसीवा 2	सरोरा 9	किराए	उपलब्ध	है	है
216	धरसीवा 2	सरोरा 10	किराए	उपलब्ध	नहीं	है
217	धरसीवा 2	सरोरा 11	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
218	धरसीवा 2	बीरगांव 1	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
219	धरसीवा 2	बीरगांव 2	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
220	धरसीवा 2	बीरगांव 3	किराए	उपलब्ध	है	नहीं

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
221	धरसीवा 2	बीरगांव 4	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
222	धरसीवा 2	बीरगांव 5	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
223	धरसीवा 2	बीरगांव 6	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
224	धरसीवा 2	बीरगांव 7	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
225	धरसीवा 2	बीरगांव 8	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
226	धरसीवा 2	बीरगांव 9	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
227	धरसीवा 2	बीरगांव 10	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
228	धरसीवा 2	बीरगांव 11	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
229	धरसीवा 2	बीरगांव 12	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
230	धरसीवा 2	बीरगांव 13	स्वयं	उपलब्ध	है	नहीं
231	धरसीवा 2	बीरगांव 14	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
232	धरसीवा 2	बीरगांव 15	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
233	धरसीवा 2	बीरगांव 16	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
234	धरसीवा 2	बीरगांव 17	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
235	धरसीवा 2	बीरगांव 18	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
236	धरसीवा 2	बीरगांव 19	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
237	धरसीवा 2	बीरगांव 20	स्वयं	उपलब्ध	है	है
238	धरसीवा 2	बीरगांव 21	सामुदायिक	उपलब्ध	है	नहीं
239	धरसीवा 2	बीरगांव 22	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
240	धरसीवा 2	बीरगांव 23	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
241	धरसीवा 2	बीरगांव 24	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
242	धरसीवा 2	बीरगांव 25	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
243	धरसीवा 2	बीरगांव 26	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
244	धरसीवा 2	बीरगांव 27	किराए	उपलब्ध	है	नहीं
245	धरसीवा 2	रावांभाठा 01	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
246	धरसीवा 2	रावांभाठा 02	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
247	धरसीवा 2	रावांभाठा 03	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	हाँ
248	धरसीवा 2	रावांभाठा 04	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
249	धरसीवा 2	रावांभाठा 05	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
250	धरसीवा 2	रावांभाठा 06	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
251	धरसीवा 2	रावांभाठा 07	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
252	धरसीवा 2	रावांभाठा 08	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
253	धरसीवा 2	रावांभाठा 09	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
254	धरसीवा 2	रावांभाठा 10	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
255	धरसीवा 2	रावांभाठा 11	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं

क्र.	परियोजना	आं.बा. केंद्र का नाम	किराए/स्वयं/सामुदायिक	पेयजल	शौचालय	आहाता
256	धरसीवा 2	रावांभाठा 12	किराए	उपलब्ध	हाँ	नहीं
257	धरसीवा 2	रावांभाठा 13	किराए	उपलब्ध	हाँ	नहीं
258	धरसीवा 2	उरकुरा 01	किराए	उपलब्ध	हाँ	नहीं
259	धरसीवा 2	उरकुरा 02	स्कूल द्धारा प्रदत्त 3 रुम	उपलब्ध	हाँ	नहीं
260	धरसीवा 2	उरकुरा 03	सामुदायिक	उपलब्ध	हाँ	नहीं
261	धरसीवा 2	उरकुरा 04	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
262	धरसीवा 2	उरकुरा 05	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
263	धरसीवा 2	उरकुरा 06	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
264	धरसीवा 2	उरकुरा 07	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
265	धरसीवा 2	उरकुरा 08	किराए	उपलब्ध	हाँ	नहीं
266	धरसीवा 2	उरकुरा 09	किराए	उपलब्ध	हाँ	नहीं
267	धरसीवा 2	उरला 07	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	नहीं
268	धरसीवा 2	उरला 08	किराए	उपलब्ध	हाँ	हाँ
269	धरसीवा 2	उरला 09	स्वयं	उपलब्ध	हाँ	हाँ

परीशेष - तेईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 832) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत नियम, शर्तें एवं मापदण्ड

पात्रता/शर्तें:-

1. कन्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत जारी राशन कार्ड धारित की होनी चाहिए।
2. एक ही परिवार की अधिकतम दो कन्या लाभान्वित की जा सकेगी।
3. कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
4. कन्या प्रथम विवाह के लिए इस सहायता की पात्र होगी।
5. सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्या को ही उक्त सहायता की पात्रता होगी।
6. कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए।
7. साक्षर कन्याओं को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।
8. कन्या को छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना नियम 2005 अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी।

वर्ष 2014-15 से विधवा, अनाथ एवं निराश्रित कन्याओं को भी पात्रता अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय सहायता/मदवार व्यय मापदण्ड:-

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत प्रति कन्या विवाह हेतु 50,000/- रुपये की व्यय सीमा निर्धारित है। प्रति कन्या निर्धारित व्यय सीमा अंतर्गत विभिन्न मदों में व्यय का मापदण्ड निम्नानुसार है:-

क्र.	मद का विवरण	प्रावधानित राशि
1	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	8,000/- रुपये
2	उपहार सामग्री अंतर्गत वर-वधु के श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जैसे क्रय समिति उचित समझे पर व्यय	7,000/- रुपये
3	वधु को ड्राफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान	35,000/- रुपये
	योग	50,000 /- रुपये

प्रपत्र-ब

वर्षवार प्राप्त शिकायत एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	वर्ष	जिले का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत किनके विरुद्ध किया गया	जांच की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2024-25	दुर्ग	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	श्री राजेश प्रजापति कैम्प-01, भिलाई	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक किया गया, संबंधित पर्यवेक्षक क्षेत्र-तीनदर्शन मंदिर का एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया।
			विवाह में हुई कमीया एवं पद का दुरुपयोग करने, धांधली करने बाबत	श्री शुभम शर्मा	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	शिकायत निराधार पाया गया।
		सरगुजा	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	ग्रामीण महिला	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पद से पृथक किया गया तथा संबंधित पर्यवेक्षक क्षेत्र-भगवानपुर जिला-सरगुजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
		कांकेर	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शासन दिशा निर्देशों के विपरीत योजना का क्रियान्वयन किये जाने बाबत।	विभागीय जानकारी में प्राप्त अनियमितता के आधार पर	तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी	जांच की कार्यवाही पूर्ण	तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित किया गया। विभागीय जांच उपरांत तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया।

क्र	वर्ष	जिले का नाम	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत किनके विरुद्ध किया गया	जांच की स्थिति	की गई कार्यवाही का विवरण
		जांजगीर-चांपा	पूर्व से विवाहित कन्या का योजनांतर्गत पुनः विवाह कराये जाने के संबंध में।	1. समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायत एवं 2. पर्यवेक्षक सेक्टर- राहौद, पामगढ़ के द्वारा	विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध	जांच की कार्यवाही पूर्ण	संबंधित महिलाओं से राशि एवं सामग्री की वसूली करते हुए राशि शासन के खाते में जमा की गई।
2	2025-26	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	विवाह आयोजन में वित्तीय अनियमितता के संबंध में।	भरतपुर-सोनहत माननीय भूतपूर्व विधायक श्री गुलाब कमरो	तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी	संबंधित अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए प्राप्त जवाब पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

पारिशेष्य - चौबीस

पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 31 (क्र. 844) की जानकारी

प्रपत्र -अ

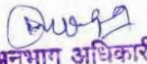
ड्रम /कैन में डीजल उपलब्ध नहीं कराये जाने सम्बन्धी वर्ष 2026 में जिले में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

[illegible]

Onuff.

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संयन्त्र नरेश शरणार अटल नगर

क्र.	शिकायत विवरण	पेट्रोल पंप का नाम	की गई कार्यवाही
13	नगर पंचायत देवकर में शिकायत डब्बे में डीजल नहीं देने सम्बन्धी	अद्य पेट्रोल पंप देवकर, साजा	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
14	श्री साई पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं देने सम्बन्धी	श्री साई पेट्रोल पंप बेरला	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
15	शिकायत मुन्सी साह पेट्रोल पंप में डीजल नहीं मिलने सम्बन्धी	मुन्सी साह पेट्रोल पंप नवागढ़	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
16	पेट्रोल पंप में बिना ट्रेक्टर ले जाये पेट्रोल नहीं देने के सम्बन्धी में	शिकायतकर्ता द्वारा किसी पेट्रोल पंप का नाम उल्लेख नहीं किया गया है।	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
17	शिकायत कृषि के लिए डीजल डब्बे में नहीं देने सम्बन्धी	हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं अन्य पेट्रोल पंप नवागढ़	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
18	शिकायत इंडियन पंप कुसमी सोला चौक पेट्रोल पंप (नाम एवं स्थान) से डब्बे में डीजल नहीं देने सम्बन्धी	इंडियन आयल पेट्रोल पंप कुसमी सोला चौक बेरला	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
19	शिकायत ...डीजल उपलब्ध रहने पर भी नहीं दिया जा रहा है	कपिल पेट्रोल पेट्रोल पंप नवागढ़	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
20	डीजल वाहन ट्रेक्टर में दिया जा रहा है डब्बे में नहीं दिया जा रहा है जिससे खेत जोतने के लिए बचा है	शिकायतकर्ता द्वारा किसी पेट्रोल पंप का नाम उल्लेख नहीं किया गया है।	आवेदक से सम्पर्क कर खाद्य विभाग, के पत्र दिनांक 22/05/2026 अनुसार कृषकों तथा अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से स्वीकृति प्राप्त कर जरीकेन / ड्रम में डीजल प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।


अनुभाग अधिकारी
 नगर नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
-:: मंत्रालय ::-
महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर

-:आदेश:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/5/2026

क्रमांक GENS-2302/7/2025-FOOD:: राज्य शासन एतद्वारा पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट से उपभोक्ताओं को इसके विक्रय के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी करता है:-

1. राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा समानांतर विपणनकर्ता कंपनी के पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट संचालक द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति/विक्रय सीधे उपभोक्ता के वाहन की टंकी में किया जावे। रिटेल आउटलेट संचालक द्वारा ड्रम, बोतल, जेरीकेन में पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय नहीं किया जावे। इस निर्देश का उल्लंघन मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खंड 2 के उपखंड (थ) के अंतर्गत "अप्राधिकृत विक्रय" मान्य किया जाकर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
2. रबी सीजन की फसल कटाई तथा आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों के संदर्भ में प्रदेश के कृषकों की डीजल की मांग तथा जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित ऐसे समस्त रेल्वे, सड़क निर्माण, भवन निर्माण संबंधी समय-सीमा में पूर्ण किये जाने वाले शासकीय कार्यों तथा कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित अत्यावश्यक सेवाओं, (यथा - अस्पताल, मोबाईल टॉवर आदि) बिन्दु क्रमांक 1 के निर्देश के प्रावधानों से छूट दी जाती है।
3. कृषकों तथा कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय कार्यों एवं अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत मांग के परीक्षण उपरान्त रिटेल आउटलेट संचालक से सुरक्षा मानको के अनुरूप बिंदु क्रमांक (2) के ग्राहकों हेतु विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

Digitally signed by
Reena Kangale
Date: 22-05-2026
15:20:39

(रीना बाबा साहेब कंगाले)
सचिव

छ.ग. शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क्रमांक GENS-2302/7/2025-FOOD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22-05-2026
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, महानदी भवन, नवा रायपुर,
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
4. राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
6. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/0/-

सचिव

छ.ग. शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

अनुभाग अधिकारी

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 857) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राज्य में वर्तमान में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटरों की संख्या कितनी है? जिला-वार जानकारी प्रदान करें।

क्र.	जिले का नाम	जिले में संचालित केन्द्र की संख्या
1	2	3
1	बस्तर	1
2	बीजापुर	1
3	बिलासपुर	2
4	बेमेतरा	1
5	बालोद	1
6	बलरामपुर	1
7	बलौदाबाजार	2
8	दुर्ग	2
9	दंतेवाड़ा	1
10	धमतरी	1
11	गरियाबंद	1
12	जशपुर	1
13	जांजगीर	2
14	कोरबा	2
15	कोरिया	1
16	कांकेर	2
17	कबीरधाम	1
18	कोण्डागांव	1
19	महासमुंद	1
20	मुंगेली	1
21	नारायणपुर	1
22	रायपुर	2
23	रायगढ़	2
24	राजनांदगांव	2
25	सुकमा	1
26	सूरजपुर	1
27	सरगुजा	1
28	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1
29	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	1
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1
31	सक्ती	1
32	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	1
33	मोहला-मानपुर-चौकी	1
कुल योग:-		42

प्रपत्र-ब
विगत तीन वर्षों में सखी वन स्टॉप सेंटर्स में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न एवं अन्य महिला हिंसा संबंधी कितने प्रकारण प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रकारणों का निराकरण किया गया? जिला-वार एवं वर्ष-वार जानकारी प्रदान करें।

क्र०	जिले का नाम	वर्ष	घरेलू हिंसा		दहेज प्रताड़ना		यौन उत्पीड़न		अन्य महिला हिंसा	
			प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण
1	बस्तर	2023-24	40	40	0	0	1	1	15	150
		2024-25	41	41	0	0	1	1	157	157
		2025-26	46	46	0	0	4	4	368	368
2	बीजापुर	2023-24	31	31	0	0	5	5	70	70
		2024-25	40	40	0	0	5	2	78	78
		2025-26	54	48	0	0	22	21	88	81
3	बिलासपुर	2023-24	133	133	3	3	15	15	74	74
		2024-25	163	163	9	9	17	17	96	96
		2025-26	411	213	5	5	25	14	148	118
4	बैसतेरा	2023-24	58	58	0	0	0	0	203	203
		2024-25	80	80	0	0	2	2	181	181
		2025-26	73	73	0	0	1	1	194	194
5	बालोद	2023-24	22	22	0	0	0	0	0	0
		2024-25	22	22	0	0	2	1	12	12
		2025-26	28	28	0	0	0	0	17	17
6	बलसामपुर	2023-24	70	70	5	5	9	9	61	61
		2024-25	75	75	9	9	5	5	112	112
		2025-26	113	113	12	12	7	7	127	127
7	बलौदाबाजार	2023-24	90	90	2	2	0	0	116	116
		2024-25	90	62	1	0	0	0	162	104
		2025-26	166	57	1	0	1	0	179	87
8	दुर्ग	2023-24	241	241	2	2	8	8	271	271
		2024-25	261	261	0	0	6	6	316	316
		2025-26	1910	1910	0	0	22	22	545	545
9	दंतेवाड़ा	2023-24	75	75	0	0	5	5	62	62
		2024-25	55	55	0	0	7	7	131	131
		2025-26	73	73	0	0	8	8	88	88
10	धमतरी	2023-24	136	136	1	1	0	0	116	116
		2024-25	135	135	0	0	0	0	127	127
		2025-26	101	101	0	0	0	0	168	168
11	गरियाबंद	2023-24	195	195	0	0	0	0	86	86
		2024-25	147	147	0	0	0	0	70	70
		2025-26	186	186	0	0	0	0	104	103
		2023-24	109	109	0	0	0	0	73	73

क्र0	जिले का नाम	वर्ष	घरेलू हिंसा		दहेज प्रताड़ना		यौन उत्पीड़न		अन्य महिला हिंसा	
			प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण
12	जशपुर	2024-25	108	108	0	0	0	0	63	63
		2025-26	115	66	0	0	0	0	79	79
		2023-24	86	86	0	0	2	2	151	151
13	जांजगीर	2024-25	39	39	0	0	0	0	106	106
		2025-26	190	181	1	1	2	2	172	170
		2023-24	126	126	2	2	6	6	81	81
14	कोरवा	2024-25	139	139	1	1	6	6	94	94
		2025-26	449	449	5	5	6	6	202	202
		2023-24	45	45	0	0	0	0	155	155
15	कोरिया	2024-25	165	165	2	2	0	0	85	85
		2025-26	128	119	0	0	7	7	89	83
		2023-24	71	71	3	3	0	0	82	82
16	कांकेर	2024-25	82	82	1	1	0	0	83	83
		2025-26	80	80	2	2	0	0	83	83
		2023-24	56	56	3	3	1	1	156	156
17	कबीरधाम	2024-25	51	51	2	2	1	1	135	135
		2025-26	115	30	1	1	0	0	140	122
		2023-24	77	77	0	0	0	0	115	115
18	कोण्डागांव	2024-25	88	88	0	0	2	2	126	126
		2025-26	92	92	0	0	1	1	96	96
		2023-24	62	62	0	0	0	0	32	32
19	महासमुंद	2024-25	84	84	0	0	0	0	39	39
		2025-26	117	117	0	0	3	3	59	59
		2023-24	43	43	1	1	1	1	102	102
20	मुंगेली	2024-25	64	64	0	0	0	0	85	85
		2025-26	83	54	0	0	0	0	79	66
		2023-24	67	67	0	0	7	7	51	51
21	नारायणपुर	2024-25	52	52	0	0	10	10	66	66
		2025-26	80	79	0	0	16	16	118	118
		2023-24	367	219	0	0	3	2	3	3
22	रायपुर	2024-25	340	178	0	0	4	4	2	2
		2025-26	722	175	2	1	16	8	45	43
		2023-24	139	139	0	0	1	1	47	47
23	रायगढ़	2024-25	138	138	0	0	2	2	67	67
		2025-26	268	264	0	0	0	0	100	94
		2023-24	99	97	0	0	2	2	66	66
24	राजनांदगांव	2024-25	119	117	1	1	5	5	104	104
		2025-26	438	190	0	0	6	4	136	100

क्र०	जिले का नाम	वर्ष	घरेलू हिंसा		दहेज प्रताड़ना		यौन उत्पीड़न		अन्य महिला हिंसा	
			प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण	प्राप्त प्रकरण	निराकरण
25	सुकमा	2023-24	25	25	0	0	2	2	13	13
		2024-25	19	19	0	0	1	1	16	16
		2025-26	30	20	0	0	2	2	18	10
26	सूरजपुर	2023-24	186	186	5	5	30	30	48	78
		2024-25	167	167	0	0	32	32	56	56
		2025-26	178	145	0	0	50	50	51	51
27	सरगुजा	2023-24	77	77	1	1	3	3	90	90
		2024-25	72	72	1	1	4	4	84	84
		2025-26	349	300	1	1	2	2	148	134
28	मनमदनगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025-26	78	32	0	0	0	0	22	21
29	खैरागढ़-छुईखदान-वाडई	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025-26	28	11	0	0	2	2	24	18
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025-26	0	0	0	0	0	0	0	0
31	सक्ती	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025-26	72	72	1	1	0	0	45	45
32	गौरैला-पेण्ड्रा-भरवाही	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025-26	46	21	1	0	3	2	5	1
33	मोहला-मानपुर-चौकी	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0	0	0	0
		2025-26	9	9	0	0	1	1	11	11
कुल योग:-		2023-24	2695	2545	28	28	96	95	2269	2434
		2024-25	2836	2644	27	26	112	108	2653	2595
		2025-26	6828	5354	32	29	207	183	3748	3502
महायोग:-			12359	10543	87	83	415	386	8670	8531

विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु कोई नई कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

1	मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)	-	प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के कार्याधित्व को सनिश्चित करने एवं केन्द्र के सुचारु संचालन के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर (SOP) पुस्तिका के रूप में प्रत्येक सखी केन्द्र में प्रदाय की गई है।
2	क्रॉस लर्निंग	-	एक जिले की सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम को दूसरे जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर का भ्रमण कर वहां उपलब्ध संसाधनों का आकलन/मूल्यांकन, केन्द्र की कार्यप्रणाली, चुनौतियां एवं उनसे निपटने के तरीके और सफल प्रकरणों का गहराई से अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष क्रॉस लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने की योजना है। वर्ष 2025-26 में इसे प्रारंभ किया जाकर प्रतिवदन पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है जिसे सभी सखी वन स्टॉप सेंटर को उपलब्ध कराया गया है।
3	महिला कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका का प्रकाशन एवं वितरण	-	महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें/कार्यक्रम संचालित हैं। इन योजनाओं की जानकारी को संकलित कर महिला कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका के रूप में तैयार कर प्रत्येक सखी वन स्टॉप सेंटर में वितरित की गई है, ताकि केन्द्र में आने वाली महिला को महिलाओं के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा सके।
4	15 नवीन संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के 181, 1098 एवं 112 से इन्टीग्रेशन की कार्यवाही हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित की गई है।		

पारोशेट - छब्बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क. 871) की जानकारी

GSTIN : 22AAKFJ3302Q1ZB

Mob : 9926003290,9977956116



J N RICE MILL

Ward No.15,Gandai-Pin.491888

Teh - Gandai,Distt - Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai(C.G.)



Date 04.06.2026

प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारण निगम
प्रधान कार्यालय, सेक्टर-24 अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय : SWC-खैरागढ़ प्रबंधक द्वारा मनमाने ढंग से वजन में की गई कटौती के संबंध में।

महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के SWC-खैरागढ़ प्रबंधक (सुनील कुमार गुप्ता) के द्वारा वेयरहाउस के धर्मकांटा से कभी 34 kg कभी 44 kg तो कभी 100 kg तक मनचाहे अनुसार वजन में कटौती किया गया है जिससे सी.एम.आर लॉट का पेपर कम वजन का बन रहा है एवं SWC-खैरागढ़ प्रबंधक के द्वारा 750/- रुपये प्रति लॉट अतिरिक्त विशेष शुल्क लिया जा रहा है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

:: धन्यवाद ::

संलग्न : सी.एम.आर की जानकारी एवं वजन में अंतर का विवरण।

आवेदक

J N RICE MILL
जे एन राईस मिल, गंडई

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारण निगम, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय, खाद्य शाखा, खैरागढ़-छुई0-गंडई(छ.ग.)
3. जिला विपणन अधिकारी, खैरागढ़-छुई0-गंडई(छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी

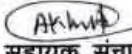
राज्य नगरिक जागरूकता एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र -ब

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में खरीफ वर्ष 2023-24 से जून 2026 तक भण्डार गृह निगम के गोदाम में जमा किये गये कस्टम मिलिंग चावल की जानकारी

क्रमांक	खरीफ वर्ष	कस्टम मिलिंग उपरांत जमा किये गए चावल के लाट संख्या	जमा किये गये चावल स्टॉक की मात्रा (टन में)	चावल जमा करने वाले राइस मिलरो की संख्या
1	2023-24	1714	4 8500	86
2	2024-25	1454	4 1163	15
3	2025-26 (जून 2026 तक)	835	24,094	13


अनुभाग अधिकारी
शास्य नागरिक जागरूकता एवं संप्रशोधन संरक्षण विभाग
संचालन, नवा रायपुर, जिला नगर


सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

परोशेष्ट - सत्ताईस

परोशेष्ट अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क. 874) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2025-26 में धान खरीदी केन्द्रों में की गई अनियमितता पर की गई कार्यवाही की जानकारी

(मात्रा किलो में राशि लाख में)

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपजने केन्द्र का नाम	अनियमितता का विवरण	शतेज/कमी		देवी कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम	पद	कर्मचारी को नोटिस जारी		निलंबन	विभागीय जांच	कार्य से आदे		सेवा से आदे		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज	वर्तमान स्थिति
					मात्रा	राशि			आदे	दिनांक			आदे	दिनांक	आदे	दिनांक		
1	राजनांद गाँव	कुहीक ला	कुहीकला	धान में कमी	2039.86	63.24	श्री हरनारायण समरटेके	समिति प्रबंधक	-	-	-	-	-	-	-	-	गैदाटोला	
							श्री धनेश्वर केकर	कण्ट्रोलर ऑपरटर	-	-	-	-	-	-	-	-		
							श्री रामकुमार मंजुवी	प्राधिकृत अधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	-		
							श्री संतोष वर्मा	समिति प्रबंधक	-	-	-	-	-	-	-	-		
		मोहरा	मोहरा	धान में कमी	995.68	30.87	श्री वेद प्रकाश साहू	कण्ट्रोलर ऑपरटर	-	-	-	-	-	-	-	-	मोहरा चौकी	
							श्री राजू वर्मा	कौचवा ग्राम खेरी	-	-	-	-	-	-	-	-		

क्र. जिले का नाम	समिति का नाम	उपाजनेन्द्र केंद्र का नाम	अनियमितता का विवरण	शाटोज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	कर्मचारी को नोटिस जारी		निलंबन आदेश का क्र.	विभागीय जांच आदेश का क्र.	कार्य से पृथक आदेश का क्र.		सेवा से पृथक आदेश का क्र.	पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज	
				मात्रा	राशि			आदेश का क्र.	दिनांक			आदेश का क्र.	दिनांक		पुलिस थाने का नाम	वर्तमान स्थिति
2 खेरागढ़ दुईखदान	ब्यारेक सा	धान में कमी		1696.06	52.58	श्री नोलकठ साहू श्री ओम कुमार यादव	समिति प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर	892	25/05/2026	-	-	-	-	-	-	प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में प्रक्रियाधीन
	सीतागोटा	धान में कमी		1899.51	58.88	प्रकाश बैचारे	समिति प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर	908	29/05/2026	-	-	-	-	-	-	प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में प्रक्रियाधीन
	आमदनी	धान में कमी		2390.39	74.1	विनय कुमार सिन्हा योगेश सिंह	समिति सहायक समिति प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर	-	-	-	-	-	-	-	-	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
	बैठाटोला	धान में कमी		1606.48	49.8	अखिलेश कुमार श्रुते शानसिंह राजपूत जितेन्द्र देवांगन	समिति प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर	-	-	-	-	-	-	-	-	कार्यवाही प्रक्रियाधीन

पारिवारिक अंतराधिकृत प्रश्न संख्या 38 (क्र. 875) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रश्नांश 'क' अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में वर्षवार, जिलावार विवाह की संख्या एवं स्वीकृत तथा व्यय राशि की जानकारी

	जिले का नाम	वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26					वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक)			टिप्पणियाँ
		स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक)	वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	बालोद	10000000	9999875	200	10000000	9995419	200	5000000	1149974	23					
2	बलीदाबाजार-भाटापारा	14194000	14194000	281	14350000	14349759	287	5000000	3456350	69	वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामूहिक विवाह आयोजन के देयक राशि 1.44,00,000/-रुपये कोषाख्य से पारित नहीं हो पाये थे उनका मुताबान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है।				
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	15000000	14999750	300	17500000	17500000	350	5000000	0	0					
4	बस्तर	14000000	14000000	280	14000000	14000000	280	7000000	850000	17					
5	बेनेतरा	9000000	9000000	167	10000000	10000000	214	4000000	1213000	23	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 180 जोड़ों की राशि आहरित राशि में से 167 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 13 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।				
6	बीजापुर	14000000	14000000	280	15250000	15250000	305	5000000	4354984	100					
7	बिलासपुर	10000000	9999983	200	10000000	9994950	200	5000000	0	0					
8	दन्तवाड़ा	12000000	12000000	240	16250000	16245800	325	6000000	0	0					
9	धमतरी	12000000	11943556	239	8600000	8599758	172	6000000	4850000	97					
10	दुर्ग	139000000	13900000	278	12000000	11381839	231	6000000	4317727	91					
11	गरियाबन्द	15150000	15150000	303	15350000	15350000	307	4000000	700000	14					
12	गोरिला पण्ड्रा मरवाही	7500000	7499777	150	15000000	14989576	300	5000000	3645122	73	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 180 जोड़ों की राशि आहरित राशि में से 179 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 1 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।				
13	जांजगीर-चाम्पा	9000000	8961000	179	10750000	10749999	216	5000000	4111000	81					
14	जशपुर	20550000	20550000	411	15000000	15000000	300	7500000	3250000	65	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 340 जोड़ों की राशि आहरित राशि में से 325 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 15 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।				
15	कबीरधाम	17000000	17000000	325	18250000	18249947	380	8500000	7022000	107					

	जिले का नाम	वर्ष 2024-25			वर्ष 2025-26			वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक)			टिप्पणियाँ
		स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	कांकेर	15250000	15249746	454	12550000	12357107	248	6000000	2422968	52	विगत वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु 197 जोड़ों की सामग्री का क्रय किया गया था। चुनाव आचार संहिता के कारण विवाह सम्पन्न नहीं हो पाया। उक्त विवाह आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष में राशि रु. 7450085 की राशि आवंटित किया गया तथा सामग्री का देयक राशि 2549746 कोषालय से आवंटित न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-26 में प्रदाय बजट स आवंटित किया गया है। उक्त 197 जोड़ों का विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पन्न कराया गया।
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	2000000	1849965	37	5750000	5750000	115	2000000	0	0	वित्तीय वर्ष 2024-25 की 48 जोड़ों की बचत राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विवाह सम्पन्न कराया गया है।
18	कोण्डागांव	20500000	20426340	360	15250000	15250000	353	6000000	2830625	120	
19	कोरवा	13000000	13000000	265	13000000	13000000	260	6500000	0	0	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 255 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित 05 जोड़ों की राशि से इन 05 जोड़ों का विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराया गया है।
20	कोरिया	6000000	5999922	120	5000000	4999645	100	2000000	1678280	40	
21	महासमुन्द	8000000	8000000	160	11000000	10944583	219	4000000	2700000	54	
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	8000000	8000000	160	9200000	9200000	184	3500000	0	0	
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	7500000	7500000	150	9350000	9350000	187	3000000	1400000	28	
24	मुंगेली	10300000	10300000	206	7000000	7000000	140	5000000	2125000	50	
25	नारायणपुर	6000000	6000000	120	8500000	8499988	170	4000000	499996	10	
26	रायगढ़	18750000	18749869	375	15000000	15000000	300	7500000	7500000	150	
27	रायपुर	16550000	16549946	331	36550000	36549856	731	12150000	8520238	243	
28	राजनांदगांव	10000000	9963132	204	10000000	10000000	200	5000000	3100000	62	वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 जोड़ों की राशि आवंटित राशि में से 194 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 06 जोड़ों का विवाह 2024-25 में सम्पन्न कराया गया।
29	सक्ती	6500000	6491390	130	7000000	7000000	140	3500000	3500000	70	
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	11050000	11050000	221	10000000	9997406	200	6000000	3844927	95	

	जिले का नाम	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				वर्ष 2026-27 (जून 2026 तक)				रिमांक
		स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31	सुकमा	8974000	8972508	140	5650000	5299526	113	5750000	3220000	105	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित देयक राशि रु. 19,74,000 / - जिसका की आहरण कोषालय से नहीं हो पाया को वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है।			
32	सूरजपुर	10000000	10000000	200	12500000	12411514	250	6000000	3360000	103				
33	सरगुजा	18300000	18298860	362	13000000	12999196	264	6500000	2380000	126	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 366 जोड़ों की राशि आहरित राशि में से 362 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ। शेष 04 जोड़ों का विवाह 2025-26 में सम्पन्न कराया गया।			
	योग	389968000	389599619	7828	408600000	407265868	8241	1784000000	88002191	2068				

प्रश्नांश 'क' अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में वर्षवार, जिलावार सामग्री आपूर्तिवर्ता एजेंसी की जानकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संकेत में

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में प्रस्तावीन अवधि तक	
		सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के चयन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के चयन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के चयन की प्रक्रिया
1	बालोद	हरिवाज इंटरप्राइजेस, शारदा ट्रेडर्स फर्म का नाम	छ.ग. भंडार कय नियम 2002 अनुसार	श्री श्याम इंटरप्राइजेस एवं बालाजी कॉन्फ़ैरेंस, हनुमान इंटरप्राइजेस	छ.ग. भंडार कय नियम 2002 अनुसार	शारदा ट्रेडर्स	छ.ग. भंडार कय नियम 2002 अनुसार
2	बलौदाबाजार	बजरंग रेडीमेड, काशी ज्वेलर्स, चित्रा सेल्स, एस.के. सेल्स बलौदाबाजार	—	मनीष ट्रेडर्स, ओम सलावर्स, एस.के.सेल्स, आकषेण रेडीमेड, राजू बूट हाउस, मोतीलाल दीपचंद, काशी ज्वेलर्स, बजरंग रेडीमेड, चित्रा सेल्स बलौदाबाजार, राजू शूल कलेक्शन अर्जुनी, जानिया फ़ैसी, अशोक कपड़ा कोलियारी, जैन फ़ैसी एंड जनरल स्टोर्स भाटापारा	—	मनीष ट्रेडर्स, ओम सलावर्स, एस.के. सेल्स, आकषेण रेडीमेड, बजरंग रेडीमेड, काशी ज्वेलर्स बलौदाबाजार	—
3	बलरामपुर	शुभम ज्वेलर्स रमानुजंग	—	शुभम ज्वेलर्स रमानुजंग श्री श्याम ज्वेलर्स बाइकनगर	—	—	—
4	बरतार	बाहुबली मार्केटिंग जगदलपुर	—	बाहुबली मार्केटिंग जगदलपुर	—	पदमावती ट्रेडर्स, जगदलपुर	छ.ग. भंडार कय नियम 2002 अनुसार
5	बेमेतरा	सैयल मार्केटिंग, राजनांदगांव, दउडी इंटरप्राइजेस रायपुर	—	सैयल मार्केटिंग, राजनांदगांव, दउडी इंटरप्राइजेस रायपुर, सिसम मार्केटिंग, रायपुर, गोल्डन मार्केटिंग रायपुर	—	फोनो रायगढ़	—
6	बीजापुर	चंदन इंटरप्राइजेस जगदलपुर, बाहुबली मार्केटिंग जगदलपुर पदमावती ट्रेडर्स जगदलपुर	—	गणेश ज्वेलर्स बीजापुर अंकज इंटरप्राइजेस दत्तेवाड़ा बाहुबली मार्केटिंग जगदलपुर पदमावती ट्रेडर्स जगदलपुर	—	पारस ट्रेडर्स बीजापुर जैन ज्वेलर्स जगदलपुर पदमावती ट्रेडर्स जगदलपुर	—
7	विलासपुर	मुरली जनरल स्टोर, विलासपुर, लक्ष्मण दास विलासपुर, गणपति ज्वेलर्स विलासपुर	—	गुप्ता एण्ड संस विलासपुर, गोल्डन मोमेंटर्स रायपुर, छेदीलाल मोतीलाल ज्वेलर्स विलासपुर, डुको आर्ट्स प्रॉपर्टी लिमिटेड, रायपुर, पारेख ज्वेलर्स विलासपुर	—	—	—
8	दत्तेवाड़ा	जस्ट आरक सलावर्स एण्ड वर्क्स, गीदम एवं पार्सनाथ ट्रेडर्स, जगदलपुर	—	जनेक्स चेंबर, रायपुर एवं अंकज इंटरप्राइजेस दत्तेवाड़ा	—	—	—
9	धमतरी	सूरज इंटरप्राइजेस धमतरी, अंकज इंटरप्राइजेस दत्तेवाड़ा, श्रद्धा ज्वेलर्स नगरी, सैयल मार्केटिंग राजनांदगांव	—	सूरज इंटरप्राइजेस धमतरी, दौडी इंटरप्राइजेस रायपुर, सैयल मार्केटिंग राजनांदगांव, धनेश ज्वेलर्स रायपुर	—	दौडी इंटरप्राइजेस रायपुर, सैयल मार्केटिंग राजनांदगांव,	छ.ग. भंडार कय नियम 2002 अनुसार
10	डुर्ग	अमृत ट्रेडर्स गिलाई, दालदी इंटरप्राइजेस रायपुर, सैयल इंटरप्राइजेस राजनांदगांव, श्री जी एजेंसी धक्का, मेस एंड कॉनरेड इंटरप्राइजेस, गोल्डन मोमेंटर्स रायपुर	—	मेतर्स हरिवाज इंटरप्राइजेस गिलाई, सैयल इंटरप्राइजेस राजनांदगांव, दालदी इंटरप्राइजेस रायपुर	—	सैयल इंटरप्राइजेस राजनांदगांव, हरिवाज इंटरप्राइजेस गिलाई	—

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में प्रस्तावीन अवधि तक	
		सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के चयन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के चयन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के चयन की प्रक्रिया
11	गरियाबंद	दाउली इंटरप्राइजेस, रायपुर	---	दाउली इंटरप्राइजेस, रायपुर	---	दाउली इंटरप्राइजेस, रायपुर	---
12	गोरेला-पेपड़ा-मरवाही	रिसम मार्केटिंग रायपुर गोल्डन मोमेंट रायपुर	---	रिसम मार्केटिंग रायपुर गोल्डन मोमेंट रायपुर पारख एडविक ब्राइट एंड ग्रीन	---	रिसम मार्केटिंग रायपुर गोल्डन मोमेंट रायपुर	---
13	जाजगीर चापा	साई ज्वेलर्स जाजगीर	---	साईदीप ज्वेलर्स जाजगीर	---	साईदीप ज्वेलर्स जाजगीर	---
14	जशपुर	मेसर्स एम.एस.वाई इंटरप्राइजेस जशपुर शुभाक जशपुर आकर्षण जीन्स कलेक्शन जशपुर गर्म इंटरप्राइजेस जशपुर शिव ज्वेलर्स जशपुर दीप ज्वेलर्स बगीचा रोशनलाल एंड संस कुनकुरी ए.वाई इंटरप्राइजेस गणपति ज्वेलर्स कोसाबेल गोयल कलेक्शन कोसाबेल शारदा आभूषण बगीचा उमेश कुमार गुप्ता बगीचा	---	श्री अग्रसेन ट्रेडर्स पब्लिंगांव श्री ओम इंटरप्राइजेस पब्लिंगांव विकास इफो पब्लिंगांव	---	मेसर्स तिरुपति इंटरप्राइजेस अबिकापुर रोड पब्लिंगांव	---
15	कबीरधाम	गुला ट्रेडर्स, रायपुर, सत्यम जनरल स्टोर कर्वा, भारती पर्य विजना दुकान कवर्वा, चरमा घर कवर्वा,	---	अजय बोधरा ज्वेलर्स कवर्वा, उमेश बाजार कवर्वा, बबलू जनरल एवं बैंगल स्टोर कवर्वा, स्वास्तिक बूट हाउस कवर्वा, चरमा घर कवर्वा, दाउली इंटरप्राइजेस रायपुर, रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव, भारती पर्य विजना दुकान कर्वा	---	देवलहरा ज्वेलर्स कवर्वा, वर्धमान इंटरप्राइजेस कवर्वा, महावीर वैवर्स कवर्वा, रॉयल मार्केटिंग राजनांदगांव, दाउली इंटरप्राइजेस राजनांदगांव, लक्ष्मी ब्यूटी कॉस्मेटिक कवर्वा	---
16	कांकेर	अलंकार ज्वेलर्स अंतागढ़, अद्वैतान मेस वियर पंछापुर, न्यू अद्वैतान मेस वियर, न्यू लोकनाथ ज्वेलर्स, अजय ट्रेडर्स कांकेर, अशि फैशन, ज्योति सेल्स, अलंकार ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स धनतरी, शीतल पश्चिम नरहरपुर, रुमारेल बाजार अंतागढ़	---	डुकोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, गोल्डन मोमेंट्स रायपुर, प्रकाश सलायर दुर्ग, ऋषभ मार्केटिंग रायपुर, अद्वैत सेल्स केशकाल, पारस सलायर, एम/एस आदिती	---	मेसर्स मजीसा ज्वेलर्स, रुमारेल बाजार, अजय बूट हाउस अंतागढ़, साह फेसी स्टोर्स, अशि फैशन, सिन्हा ज्वेलर्स कांकेर	---
17	खैरागढ़-छुईखदान-ग पडई	रॉयल इंटरप्राइजेस, राजनांदगांव	---	दाउली इंटरप्राइजेस, रायपुर	---	---	---
18	कोण्डगांव	जे.सी.इमरजिंग रिसम नगर रायपुर	---	जे.सी.इमरजिंग रिसम नगर रायपुर	---	दोशरी एसोसिएट्स मर्दनाल जिला कोण्डगांव	छ.ग. मंडार कय नियम 2002 अनुसार
19	कोरेवा	सरोज सिपल कंपनी एंड कोरेवा तुलसी कलेक्शन कोरेवा	---	श्वाम ट्रेडर्स कंपनी, सर्वमंगला ट्रेडर्स कोरेवा	---	---	---

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अवधि तक	
		सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/अभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के धन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/अभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के धन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/अभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के धन की प्रक्रिया
20	कोरिया	मेवाताल बैकुण्ठपुर, खान कन्द्रेक्टर एंड सप्लायर बैकुण्ठपुर, जय बालाजी टेलिंग एवं मैनिंग सेंटर बैकुण्ठपुर, बजला शूल सेंटर बैकुण्ठपुर, सुदीप ज्वेलर्स बैकुण्ठपुर	---	मनोज मेटल पटना, आयुष ट्रेडिंग अधिकार, अलंकार बैकुण्ठपुर, अर्पी निपट अधिकार, सराजु	---	मनोज मेटल पटना, खान कन्द्रेक्टर बैकुण्ठपुर	छ.ग. मंडार कय नियम 2002 अनुसार
21	महासमुंद	मे. सुरेन्द्र कुमार गर्ग सराजु	---	मे. सुरेन्द्र कुमार गर्ग सराजु, मे. जिनेन्द्र ज्वेलर्स महासमुंद	---	मे. सुरेन्द्र कुमार गर्ग सराजु, मे. जिनेन्द्र ज्वेलर्स महासमुंद	---
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-नर तपुर	JDBIZ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, मंगल ट्रेडर्स, नित्या इंटरप्राइजेस	---	आयुष ट्रेडर्स, आर्पी निपट गैलरी अधिकार	---	-	-
23	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	किरण ड्रेसिंस कुचवारी बाजार सक्ती, श्री शुभम ज्वेलर्स विजय नगर, अर्नव ट्रेडिंग विजय नगर	---	सलीम बुक डिपो एवं जनरल स्टोर मोहला, साई माकैटिंग डोंगरगढ़ एवं सदगुरु माकैटिंग डोंगरगढ़	---	समदेव फर्नीचर दुर्ग, रोशन ट्रेडिंग कम्पनी अम्बागढ़ चौकी	छ.ग. मंडार कय नियम 2002 अनुसार
24	मुंगेली	सोनी ज्वेलर्स मुंगेली	---	छेदी लाल मोती लाल ज्वेलर्स, विलासपुर, साह ज्वेलर्स डिडीरी, पारख ज्वेलर्स विलासपुर	---	सोनी ज्वेलर्स मुंगेली	---
25	नारायणपुर	बाहुबली माकैटिंग जगदलपुर, चंदन इंटरप्राइजेस जगदलपुर, पदमावती ट्रेडर्स जगदलपुर	---	अरिहन्त सेल्स एंड ज्वेलर्स नारायणपुर, बाहुबली माकैटिंग जगदलपुर, यक्षित सेल्स नारायणपुर	---	अरिहन्त सेल्स एंड ज्वेलर्स नारायणपुर	---
26	रायगढ़	बाजाली ज्वेलर्स घरघोड़ा, कुत्की केंसी स्टोर रायगढ़, गंगा सहाय महावीर प्रसार रायगढ़, मनोज जनरल स्टोर्स धरमजयगढ़, विककी साखी, प्लेटिनम निपट रायगढ़, रायल बूट हाउस, राजधानी होजरी रायगढ़, सुमन सेंटर खरसिया, उमा शंकर रेडिमेन्ट स्टोर रायगढ़, न्यू फेशन ज्वेलरी खरसिया, नानक जनरल स्टोर खरसिया, नवरंग स्टोर रायगढ़, अंश पलेक्स धरमजयगढ़, रायगढ़, अंश पलेक्स धरमजयगढ़, अशोक पूजा दुकान खरसिया, अग्रवाल बूट हाउस खरसिया, लक्ष्मी ज्वेलर्स खरसिया	---	बालाजी ज्वेलर्स घरघोड़ा, रिजक कंस्ट्रक्शन एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर, विकास साखी, हीरा इंटरप्राइजेस कवर्वा, रायल बूट हाउस रायगढ़, राजधानी होजरी रायगढ़, सानू क्लथ घरघोड़ा, उमाशंकर रेडिमेन्ट स्टोर रायगढ़, फार्मो गैलवरी मॉल रायगढ़, नेतराम लक्ष्मीराम ज्वेलर्स रायगढ़, अग्रवाल बूट हाउस खरसिया, लक्ष्मी ज्वेलर्स खरसिया, गंगा सहाय महावीर प्रसार रायगढ़,	---	रिजक कंस्ट्रक्शन एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर, फार्मो गैलवरी मॉल रायगढ़	---
27	रायपुर	गोल्डन मोमेंट्स, सदर बाजार रायपुर	---	गोल्डन मोमेंट्स, सदर बाजार रायपुर, साई माकैटिंग गोलबाजार, डोंगरगढ़ राजनांदगांव, हरिशज मिलाई	---	गोल्डन मोमेंट्स, सदर बाजार रायपुर, साई माकैटिंग गोलबाजार, डोंगरगढ़ राजनांदगांव, हरिशज मिलाई	---
28	राजनांदगांव	निर्मल राजनांदगांव	---	निर्मल, आदर्श ज्वेलर्स, रॉयल माकैटिंग राजनांदगांव	---	आदर्श ज्वेलर्स, रॉयल माकैटिंग राजनांदगांव, सचदेव फर्नीचर दुर्ग	---
29	सक्ती	साईदीप ज्वेलर्स, सुभाष चौक चापा	---	श्री ज्योति इंटरप्राइजेस सक्ती	---	श्री ज्योति इंटरप्राइजेस सक्ती	---

ii=&I

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में प्रस्तावीन अवधि तक	
		सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के धयन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के धयन की प्रक्रिया	सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंगलसूत्र/आभूषण एवं गृहस्थी सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी, फर्म का नाम	एजेंसी, फर्म के धयन की प्रक्रिया
30	सारांगढ़-विलाईगढ़	ब्यूटी सेंटर सारांगढ़, पुरुषोत्तम बलौध स्टार्टर्स सरसीवा, अनुत्पन ज्वेलर्स सारांगढ़, सैथल शूज रायगढ़	—”—	गोल्डन मोनेट्स सदर बाजार रायपुर, परख सन्तावर दुर्ग, अद्विक केशकाल कोण्डगांव, ऋषन मार्केटिंग गोलबाजार रायपुर	—”—	फोमो फर्स्ट बलौर गैलेक्सी माल रायगढ़	—”—
31	सुकमा	महेश मोबाइल एंड गिफ्ट कॉर्नर	—”—	बालाजी ज्वेलर्स सुकमा	—”—	अंकज इंटरप्राइजेस दरवाड़ा	—”—
32	सूरजपुर	मंगलम स्टोर्स मेन रोड, मंगलम मेयाखान रोड, मनीष ट्रेडर्स अंबिकापुर, जेडी बिज प्रॉपर्टि लिमिटेड	—”—	ओम इंटरप्राइजेस	—”—	ओम इंटरप्राइजेस, बिग स्काई इंटरप्राइजेस, बसल इंटरप्राइजेस	—”—
33	सरगुजा	मे. आयुष ट्रेडिंग अंबिकापुर	—”—	मे. आयुष ट्रेडिंग अंबिकापुर	—”—	मे. शंकर ट्रेडर्स सूरजपुर, नित्या इंटरप्राइजेस कोटा	—”—

परोशेष्ट - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 882) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खरीफ विपणन 2025-26 में मिलरवार समिति से धान उठाव की जानकारी

(मात्रा मे. टन में)

क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
1	आदित्य राइस प्रोडक्ट्स (MA401644)	314.32
2	अग्रसेन राइस मिल (MA401802)	140.00
3	अग्रवाल एग्रो (MA401126)	476.44
4	आंबिका एंटरप्राइजेज (MA405462)	339.54
5	अन्नपूर्णा एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA401041)	205.35
6	बालाजी एग्रो (MA403367)	695.68
7	बालाजी इंडस्ट्रीज़ (MA402968)	272.18
8	बाल-कृष्ण फूड्स (MA409885)	787.40
9	बोलबम एग्रो टेक (MA409066)	291.33
10	बोलबम इंडस्ट्रीज़ (MA401387)	303.05
11	जी. बी. एग्रो प्रोडक्ट (MA408717)	341.48
12	जी. बी. एग्रो प्रोडक्ट (MA401110)	337.88
13	गोयल राइस मिल, बिल्हा (MA402790)	308.03
14	गोयल राइस मिल (MA40400)	27.72
15	हरि ओम राइस प्रोडक्ट, सकरी (MA401434)	722.80
16	जायसवाल राइस मिल (MA402674)	374.87
17	कनक कपिशा राइस मिल (MA405239)	349.51
18	कन्हैया एग्रो उद्योग (MA401478)	513.04
19	कीर्ति एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड (MA407282)	719.00
20	कृष्णा इंडस्ट्रीज़ (MA402019)	277.36
21	एल. आर. एग्रोटेक (MA406704)	841.94
22	लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स (MA401024)	537.67
23	मेसर्स गोयल एग्रोटेक (MA404483)	250.72
24	मेसर्स पंकज राइस मिल (MA402329)	340.06
25	मेसर्स राधिका एग्रो (MA403157)	339.49
26	मेसर्स शंकर राइस प्रोडक्ट्स (MA409252)	300.77



क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
27	मौ कैलाशवती एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA402180)	1216.56
28	महामाया फूड प्रोडक्ट्स (MA408044)	283.33
29	महामाया राइस मिल (MA404246)	175.00
30	मेसर्स जायसवाल राइस इंडस्ट्रीज़ (MA408090)	715.37
31	मेसर्स कान्हा इंडस्ट्रीज़ (MA402679)	517.96
32	मेसर्स राधा रानी राइस मिल (MA401572)	1262.87
33	मेसर्स शंकर राइस प्रोडक्ट्स (MA402341)	130.00
34	नवरंग राइस मिल (MA405920)	275.15
35	ओम इंडस्ट्रीज़ (MA407752)	210.00
36	ओम राइस मिल (MA404460)	332.96
37	आकार फूड्स (MA405165)	1264.29
38	पंकज एग्रो (MA405402)	613.03
39	राघव राइस प्रोडक्ट (MA401784)	174.78
40	रघवीर राइस मिल (MA407380)	241.60
41	एस. डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट्स (MA403144)	524.90
42	सरस्वती एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA401193)	1368.11
43	शंकर पोहा उद्योग (MA401352)	407.93
44	शिव शंकर एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA405330)	653.34
45	शिव शंकर राइस प्रोडक्ट यूनिट-II (MA404766)	237.70
46	शिव शंकर राइस प्रोडक्ट (MA401514)	340.27
47	शिवम राइस इंडस्ट्रीज़ (MA401154)	932.41
48	शिवम राइस इंडस्ट्रीज़ (MA406971)	623.40
49	श्री गणपति एग्रो (MA401271)	4945.55
50	श्री जगन्नाथ एगरोटेक (MA403693)	303.49



क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
51	श्री खांड राइस मिल (MA407795)	345.96
52	श्री शिवायम राइस मिल (MA408041)	342.58
53	श्री श्याम एग्रो (MA409472)	683.04
54	श्री श्याम सखा राइसिंग प्रोडक्ट (MA405763)	407.27
55	श्री अंबिका एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA404463)	684.66
56	श्री बाबा फूड्स (MA401743)	447.57
57	श्री भगवती राइस मिल (MA40700)	309.20
58	श्री दुर्गा राइस मिल, बिल्हा (MA40660)	548.86
59	श्री जगदीश राइस इंडस्ट्रीज़ (MA402753)	855.49
60	श्री कैलाश राइस दाल मिल (MA402356)	492.66
61	श्री कमल राइस मिल (MA401189)	339.48
62	श्री केशव राइस इंडस्ट्रीज़ (MA405285)	175.00
63	श्री राम गोल्डन ग्रेन (MA404561)	34.04
64	श्री रानीसती एग्रोटेक (MA404286)	517.00
65	श्री शंकर राइस एंड ऑयल मिल (MA401735)	446.52
66	श्री शिव गंगा ट्रेडिंग कंपनी (MA401939)	1029.21
67	श्री श्यामजी एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA403073)	344.89
68	सिंह एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA407841)	1326.75
69	अग्रसेन राइस मिल (MA421617)	2804.51
70	अग्रवाल प्रोसेस (MA422050)	5948.63
71	अग्रवाल राइस इंडस्ट्रीज़ (MA424260)	3602.82
72	एग्रोविल मिलर्स (MA426822)	3576.91
73	अनिल राइस मिल (MA424065)	1597.91
74	अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (MA421471)	9555.28

क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
75	अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (MA422319)	11898.80
76	अरोड़ा एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA421231)	7959.65
77	अरोड़ा फूड प्रोडक्ट (MA425313)	6452.37
78	अरोड़ा फूड प्रोडक्ट (MA429556)	5177.92
79	अरोड़ा इंडस्ट्रीज़ (MA42319)	7267.10
80	अतुल राइस इंडस्ट्रीज़ (MA422166)	10257.95
81	बालाजी राइस इंडस्ट्रीज़ (MA427999)	4936.41
82	सी. एम. एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA425236)	4276.38
83	डी. एम. एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA425205)	12406.68
84	गायत्री फूड्स (MA421669)	4994.99
85	गायत्री राइस मिल (MA424372)	2482.49
86	जय भगवान इंडस्ट्रीज़ (MA421437)	3577.13
87	जेन एंड संस (MA425682)	3296.20
88	जालाराम राइस इंडस्ट्रीज़ (MA428871)	3867.74
89	जनता इंडस्ट्रीज़ (MA424497)	1275.93
90	जिंदल एग्रो इंडस्ट्री (MA428105)	2648.14
91	जिन्दत फूड प्रोसेसिंग यूनिट (MA424995)	4912.57
92	ज्योति राइस इंडस्ट्रीज़ (MA427254)	2625.06
93	कमला एग्रो इंडस्ट्री (MA421399)	3894.65
94	ककरिया फूड्स (MA423673)	11059.45
95	ककरिया प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ (MA421234)	9746.68
96	करण ट्रेडर्स (MA425708)	1463.52
97	खालसा राइस मिल (MA421971)	3279.53
98	के. के. एंटरप्राइजेज (MA426478)	1635.03
99	के. एस. इंडस्ट्रीज़ (MA421693)	6620.58
100	कुशल राइस इंडस्ट्रीज़ (MA428153)	1249.74
101	लल्ली राइस मिल (MA424540)	1664.79
102	लक्ष्मी ट्रेडर्स (MA42761)	4463.58
103	मेसर्स ए. आर. राइस इंडस्ट्री (MA423742)	2790.66

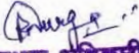
क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
104	मेसर्स अग्रवाल राइस प्रोडक्ट (MA427347)	7696.05
105	मेसर्स हिरवानी राइस मिल (MA426991)	964.70
106	मेसर्स कृष्णा राइस मिल (MA427240)	5867.73
107	मेसर्स पारख फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ (MA426369)	9634.59
108	मेसर्स पूजा एग्रो टेक (MA426166)	2802.05
109	मेसर्स पुष्पा इंडस्ट्रीज़ (MA423143)	3334.26
110	मेसर्स आर. एस. फूड प्रोसेसिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-III (MA424000)	7469.60
111	मेसर्स सुरेश राइस मिल (MA427469)	8991.12
112	मेसर्स सुरेश राइस मिल (MA427904)	7215.11
113	मेसर्स ताज एग्रो इंडस्ट्री (MA425909)	5307.30
114	मौ पीताम्बरा राइस मिल (MA421757)	8072.29
115	मौ लक्ष्मी राइस मिल (MA422481)	8577.64
116	मौ पद्मावती राइस प्रोसेस एलएलपी (MA42374)	4586.69
117	मौ पद्मावती राइस प्रोसेस एलएलपी (MA427472)	4104.36
118	मौ परमेश्वरी राइस मिल (MA426037)	2132.59
119	माधवी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2) (MA425044)	7508.67
120	महावीर राइस मिल (MA423114)	4356.39

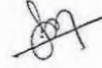


क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
121	मेरावी राइस इंडस्ट्रीज़ (MA427552)	961.11
122	मोहन एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA427168)	7593.44
123	मेसर्स जे. आर. राइस इंडस्ट्रीज़ (MA427354)	5115.00
124	मेसर्स कमल राइस मिल (MA422424)	10561.29
125	मेसर्स रूंगटा राइस मिल्स (MA42225)	4430.00
126	नमो ओवरसीज़ यूनिट-II (MA428474)	9759.49
127	प्रतीक फूड प्रोडक्ट्स (MA425891)	5222.20
128	पंजाब एग्रो (MA424231)	7856.13
129	आर. एस. फूड प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MA423088)	13958.34
130	राधा इंडस्ट्रीज़ (MA422851)	9926.21
131	राजा राइस मिल (MA423254)	7968.06
132	ऋची राइस मिल (MA421569)	3411.96
133	ऋषभ राइस मिल (MA429701)	4979.21
134	शांति विजय राइस मिल (MA421181)	1652.86
135	शिव शक्ति एंटरप्राइज (MA423996)	2963.46
136	शौर्य राइस मिल (MA426813)	3771.24
137	श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-II (MA424409)	9607.94
138	श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड (MA426181)	9644.80
139	श्री लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज़ (MA42370)	7099.02
140	श्री मोती राइस मिल (MA428505)	4289.11
141	श्री नकोड़ा राइस इंडस्ट्रीज़ (MA422208)	10530.70
142	श्री रानी सती राइस मिल (MA422979)	3316.10
143	श्री शिव शंकर राइस मिल (MA422455)	3576.81



क्र.	मिलर का नाम	सोसायटी से प्रदाय धान की मात्रा
144	श्री श्याम इंडस्ट्री (MA428571)	7309.77
145	श्रेया एग्रो इंडस्ट्रीज़ (MA424987)	5944.84
146	श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MA424154)	9566.42
147	श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-II (MA426135)	18878.07
148	श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज़ (MA423656)	9396.95
149	श्री हनुमान राइस मिल (MA422618)	6649.65
150	श्री साई राइस मिल (MA421680)	1610.37
151	सिद्धिविनायक राइस मिल (MA422369)	3281.99
152	स्काई एग्रो टेक (MA425849)	1482.48
153	तिरुपति एग्रो (MA429844)	15415.56
154	उर्मिला इंडस्ट्रीज़ (MA429346)	3863.00
155	वधमान राइस मिल (MA425090)	4969.62
	योग	547939.88


अनुभाग अधिकारी
 आद्य नवसिंह अन्नमिति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर



प्रपत्र-ब

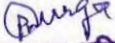
खरीफ विपणन 2025-26 में मिलरवार जिले के संग्रहण केंद्र से धान उठाव की जानकारी

(मात्रा मे. टन में)

क्र.	मिलर का नाम	जिले के संग्रहण से प्रदाय धान की मात्रा
1	अग्रसेन राइस मिल - MA421617	82.77
2	अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड - MA421471	15685.59
3	गायत्री फूड्स - MA421669	2012.49
4	जनता इंडस्ट्रीज़ - MA424497	1436.68
5	खालसा राइस मिल - MA421971	380.00
6	कुशल राइस इंडस्ट्रीज़ - MA428153	473.79
7	मेसर्स अग्रवाल राइस प्रोडक्ट - MA427347	3.24
8	मेसर्स हिरवानी राइस मिल - MA426991	89.89
9	मेसर्स कृष्णा राइस मिल - MA427240	9.12
10	मेसर्स आर. एस. फूड प्रोसेसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-III - MA424000	733.96
11	मेसर्स सुरेश राइस मिल - MA427469	81.00
12	माँ पीताम्बरा राइस मिल - MA421757	945.00
13	माँ लक्ष्मी राइस मिल - MA422481	628.18
14	मेसर्स जे. आर. राइस इंडस्ट्रीज़ - MA427354	95.86
15	मेसर्स रंगटा राइस मिल्स - MA42225	16.94
16	मेसर्स रंगटा राइस मिल्स - MA42226	2882.18
17	आर. एस. फूड प्रोसेसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - MA423088	6255.63



क्र.	मिलर का नाम	जिले के संग्रहण से प्रदाय धान की मात्रा
18	ऋची राइस मिल - MA421569	288.81
19	श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-II - MA424409	24.90
20	श्री शिव शंकर राइस मिल - MA422455	186.48
21	श्री श्याम इंडस्ट्री - MA428571	1036.75
22	श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट-II - MA426135	6553.77
23	श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज़ - MA423656	261.23
24	श्री हनुमान राइस मिल - MA422618	443.41
25	स्काई एग्रो टेक - MA425849	1.76
योग		40609.42


अनुभाग अधिकारी
 राज्य नागरिक अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर



पारिशेष - तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 884) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में नशामुक्ति केन्द्र के संचालन हेतु प्राप्त नवीन अनुदान प्रस्ताव
स्वीकृत/अस्वीकृत प्रस्ताव, अस्वीकृति के कारण की वर्षवार, जिलेवार, संस्थावार जानकारी

--0--

क्र.	जिला	वित्तीय वर्ष	नवीन अनुदानित संस्था का नाम	अनुदान की स्थिति	लम्बित
1	2		3	4	5
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	2024-25	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान,	स्वीकृत	-
2	जांजगीर-चांपा		स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति	स्वीकृत	-
3	सक्ति		स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति	स्वीकृत	-
4	कोरिया		स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति	स्वीकृत	-
5	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति	स्वीकृत	-
6	जशपुर		स्वैच्छिक संस्था ग्राम विकास समिति	स्वीकृत	-
7	गरियाबंद		स्वैच्छिक संस्था शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान	स्वीकृत	-
8	महासमुन्द		स्वैच्छिक संस्था महासमुन्द सृजन वेलफेयर सोसायटी	अस्वीकृत	संस्था का संचालन नहीं किया जा रहा है
9	सुकमा		स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान	अस्वीकृत	संस्था द्वारा नशामुक्ति संचालन हेतु असहमति व्यक्त की गई
1	बीजापुर	2025-26	स्वैच्छिक संस्था गुण्डाधूर सेवा शिक्षण संस्थान	स्वीकृत	-
2	गौरेले-पेण्ड्रा-मरवाही		स्वैच्छिक संस्था समाज सेवी संस्था, सरगुजा ज्ञानोदय एसोशिएशन नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	स्वीकृत	-
3	महासमुन्द		स्वैच्छिक संस्था शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान	स्वीकृत	-
4	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी		स्वैच्छिक संस्था समता जन कल्याण समिति	शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन	-
5	धमतरी		स्वैच्छिक संस्था शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान	स्वीकृत	-
6	सारंगढ़-बिलाईगढ़		स्वैच्छिक संस्था उन्नायक सेवा समिति	स्वीकृत	-
7	बस्तर		स्वैच्छिक संस्था बस्तर सामाजिक जनविकास समिति	स्वीकृत	-
8	नारायणपुर		स्वैच्छिक संस्था गुण्डाधूर सेवा शिक्षण संस्थान	स्वीकृत	-
9	बिलासपुर		स्वैच्छिक संस्था छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान	स्वीकृत	-


अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - इकतीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 44 (क. 909) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर संभाग के जिलों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदामों की संख्या, भण्डारण क्षमता, भण्डारित खाद्यान्न की मात्रा, खराब अथवा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की जिलेवार जानकारी

क्रमांक	जिला	वर्तमान में भण्डारित खाद्यान्न की मात्रा (टन में) (दिनांक 06-07-2026 की स्थिति में)	खाद्यान्न गोदामों की संख्या	भण्डारण क्षमता (मात्रा में टन में)	विगत तीन वर्षों में खराब अथवा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की मात्रा
1	नारायणपुर	3832	9	9512	निरंक
2	दंतेवाड़ा	6694	16	24708	प्रदाय केन्द्र गौदम में वर्ष 2025-26 में उपार्जित चावल कुल बोरो की संख्या 65540 वजन 32734.85 क्विंटल को बी.आर.एल. घोषित किया गया। संबंधित राइस मिलरो से चावल का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।
3	बस्तर	15537	37	72152	निरंक
4	बीजापुर	1828	10	12760	निरंक
5	कांकेर	10722	61	94378	निरंक
6	कोण्डागांव	11412	40	48024	निरंक
7	सुकमा	5149	12	17168	निरंक

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नगरिक अर्थवृत्ति एवं उत्प्रेक्षा संख्या केन्द्र
बस्तर, नवा रायपुर, जटल पत्त

परिशेष - बत्तीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 45 (क्र. 924) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रश्नांश 'क' अंतर्गत सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसी, निविदा प्रक्रिया, स्वीकृत दर संबंधी जानकारी

क.	जिला का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन तिथि	आयोजन स्थल	वर-वधु को प्रदाय श्रृंगार सामग्री का नाम	सामग्री प्रदायकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम	क्रय की प्रक्रिया	सामग्री का स्वीकृत दर	आपूर्ति की गई सामग्री की मात्रा	गुणवत्ता-मानकों का विवरण
1	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	10 फरवरी 2026	विकासखण्ड खड़गवां, ग्राम चनवारीडांड	1. शर्ट	आयुष ट्रेडर्स अम्बिकापुर	जेम पोर्टल में उपलब्ध सामग्री का जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय एवं शेष सामग्री का सीमित निविदा से क्रय	233 /—	184	व्यय सीमा के अंतर्गत जेम पोर्टल में उपलब्ध गुणवत्ता मापदण्ड अनुसार
				2. पैन्ट			210 /—	184	
				3. साड़ी सिन्थेटिक			720 /—	184	
				4. साड़ी फैसी (सिन्थेटिक)			720 /—	184	
				5. जूता			499 /—	184	
				6. कुर्ता पैजामा सेट			599 /—	184	
				7. चुनरी दुपट्टा			357 /—	184	
				8. गमछा			160 /—	184	
				9. चूड़ी			100 /—	184	
				10. आईना			140 /—	184	
				11. श्रृंगार पेटी			399 /—	184	
				12. सैन्डल (चपल)			399 /—	184	
				1. मंगलसूत्र एवं बिछिया	आशी गिफ्ट गैलरी, अम्बिकापुर		1903 /—	184	व्यय सीमा के अंतर्गत प्राप्त कोटेशन के अनुसार चयन कर L1 दर पर
				2. दूल्हे का पगड़ी			300 /—	184	
				3. दुल्हन का मोर			15 /—	184	
				4. आलता			15 /—	184	
				5. सिन्दूर (01 बड़ी डिब्बी)			15 /—	184	
				6. बिन्दी			15 /—	184	
				7. कंधी (बड़ा साईज)			30 /—	184	
				8. माला सेट			50 /—	184	
				9. टेलकम पाउडर			100 /—	184	
							प्रति सेट कुल राशि	6979 /—	

प्रपत्र-ब

प्रश्नांश 'ख' अंतर्गत प्रति हितग्राही स्वीकृत राशि, निर्धारित बजट एवं व्यय विवरण संबंधी जानकारी

क्र.	जिला का नाम	सामूहिक विवाह आयोजन तिथि	आयोजन स्थल	योजनांतर्गत प्रति हितग्राही स्वीकृत राशि	सामग्री क्रय हेतु निर्धारित बजट	व्यय के मद का विवरण	मदवार वास्तविक व्यय राशि (रूपये में)
1	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	10 फरवरी 2026	विकासखण्ड खड़गवां, ग्राम चनवारीडांड	50,000/- प्रति जोड़े	7,000/-	विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय	14,72,000/-
						उपहार सामग्री पर व्यय	11,04,000/-
						वधु को ड्रॉफ्ट/बैंक खाते के माध्यम से भुगतान	66,24,000/-
	कुल व्यय					92,00,000/-	

प्रपत्र-‘स’

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत सामग्री के गुणवत्ता परीक्षण, सामग्री सत्यापन एवं वितरण पूर्व निरीक्षण हेतु जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद एवं दायित्व

क्र.	पदनाम	पद	क्रय समिति का दायित्व
1	अपर कलेक्टर (आई.आई.सी महिला एवं बाल विकास)	अध्यक्ष	समग्री क्रय की अनुशंसा, क्रय सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण/भौतिक सत्यापन
2	जिला कोषालय अधिकारी	सदस्य	
3	प्रबन्धक जिला उद्योग या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य	
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी, मबावि	सदस्य/संयोजक	
5	जिला महिला एवं बाल विकास	सदस्य	
6	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मनेन्द्रगढ़	सदस्य	

नोट:- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा गठित समिति से क्रय सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण/ भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

पारोशेष्ट - तैतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 925) की जानकारी

प्रपत्र - अ

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित, मिलरों एवं क्रेताओं को प्रदाय,
सूखत/अमानक तथा सूखत/अमानक से शासन को संभावित वित्तीय हानि की जानकारी

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	संग्रहण केन्द्र का नाम	भण्डारित धान की मात्रा	आवक हेतु औसत वजन प्रति बोरा (वजन कि.ग्रा. में)	निर्गमित धान की मात्रा
1	दुर्ग	अरसनारा (4312)	32242	39.72	30134
2	दुर्ग	कौडिया (4309)	78229	39.71	72749
3	दुर्ग	जेवरा सिरसा (4302)	29372	39.42	28531
4	दुर्ग	सेलूद फड (4303)	111884	39.31	108765
5	कवर्धा	बघरो (5704)	15704	38.97	15237
6	कवर्धा	बाजार चारभाठा (5702)	64649	39.80	62349
7	रायपुर	कुरूदभाटा (लाखौली) (4411)	5957	37.56	5852
8	रायपुर	जौदा (राजिम) (4405)	169405	39.42	162412
9	रायपुर	तिल्दा (4404)	252792	39.39	244460
10	रायपुर	बकतरा (मंदिरहसौद) (4412)	20020	38.61	19631

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर



प्रपत्र - ब

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 01 अप्रैल, 2025 से 31 मई 2026 तक दुर्ग, रायपुर एवं कबीरधाम जिले के धान संग्रहण केन्द्र में भण्डारित धान, आवक में प्राप्त औसत प्रति बोरा वजन तथा निर्गमित धान का संग्रहण केन्द्रवार जानकारी

मात्रा मे.टन में

क्र.	जिला	संग्रहण केन्द्र का नाम	भण्डारित धान की मात्रा	आवक हेतु औसत वजन प्रति बोरा (वजन कि.ग्रा. में)	निर्गमित धान की मात्रा
1	दुर्ग	जेवरा सिरसा (4302)	21900	38.66	14386
2	दुर्ग	सेलूद फड (4303)	39339	39.18	24517
3	रायपुर	जौदा (राजिम) (4405)	95549	39.05	68361
4	रायपुर	तिल्दा (4404)	111561	39.16	60194
5	रायपुर	नेवरा (4413)	226	39.97	0
6	कवर्धा	बघरी (5704)	9828	39.40	5149
7	कवर्धा	बाजार चारभाठा (5702)	52197	39.23	19027

जन्मभाग अधिकारी
राज्य नगरिक आभूति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि.
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - स

अनियमितता पर की गई कार्यवाही की जिलेवार, समितिवार जानकारी

क्र.	जिला	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	अनियमितता का विवरण	दोषी कर्मचारी का नाम	पद नाम	की गई कार्यवाही		
							नोटिस	एफआईआर	थान का नाम
1	दुर्ग	रौदा	रौदा	भौतिक सत्यापन में 560.28 किटल धान एवं 2103 नया बाउटने काम पाया गया।	श्री जगदीश कुमार नौरो	समिति प्रबंधक	-	एफआईआर दर्ज	धमवा
2		कुम्हाली	कुम्हाली	भौतिक सत्यापन में 690.70 किटल धान कम पाया गया।	श्री अतुल वर्मा	समिति प्रबंधक	-	एफआईआर दर्ज	जामनांद अर
3		कोडिया	कोडिया	भौतिक सत्यापन में 1289.48 किटल धान कम पाया गया।	श्री रियाजुद्दीन खान	समिति प्रबंधक	शर्टेस धान की मात्रा वगैरह गई।	-	-
1		खौना	खौना	धान में कमी	श्री पवन कुमार देवाय	समिति प्रबंधक	नोटिस जारी	-	-
2		टिकारी	टिकारी	धान में कमी	श्री देवानंद शर्मा	प्रभारी समिति प्रबंधक	नोटिस जारी	-	-
3		दोहरा	दोहरा	धान में कमी	श्री अजय कुमार सिन्हा	प्रभारी समिति प्रबंधक	नोटिस जारी	-	-
4	रायपुर	देवरी दिव्दा	देवरी	धान में कमी	श्री गजुलाल सोनवानी	प्रभारी समिति प्रबंधक	नोटिस जारी	-	-
5		सरफोग	सरफोग	धान में कमी	श्री पुन लुक्कोर वर्मा	समिति प्रबंधक	नोटिस जारी	-	-
6		बेत्तारसिबनी	नवागांव	धान में कमी	श्री प्रभातवद प्रतापहरे	प्रभारी समिति प्रबंधक	नोटिस जारी	-	-
7		बेत्तारसिबनी	बेत्तार	धान में कमी	श्री भूषण वर्मा	फंड प्रभारी	नोटिस जारी	-	-
1		पेड़िकला	पेड़िकला	धान में कमी	विवेक चन्द्रकर	विवेक	-	एफआईआर दर्ज	कुंडा
2		कुकरूर	कुकरूर	धान में कमी	अमित बाजपेयी	कम्प्यूटर अपरेटर खरीदी प्रभारी	-	एफआईआर दर्ज	कुकरूर
3		समनापुर	बहनी	धान में कमी	अनिल कुमार चन्द्रकर	समिति प्रबंधक	-	-	रेमखर
				धान में कमी	मतुलाल झारिया	धान खरीदी प्रभारी	-	एफआईआर दर्ज	-
				धान में कमी	छनराम साहू	कम्प्यूटर अपरेटर	-	-	-
				धान में कमी	मंगादास मानिकपुरी	समिति प्रबंधक	-	-	सहसपुर तोहरा
4	कवर्धा	सहसपुर तोहरा	सहसपुर तोहरा	धान में कमी	बबदाउ डंडरेना	धान खरीदी प्रभारी	-	एफआईआर दर्ज	-
				धान में कमी	बिरीराम साहू	कम्प्यूटर अपरेटर	-	-	-
				धान में कमी	गंगादास मानिकपुरी	समिति प्रबंधक	-	-	सहसपुर तोहरा
5		सहसपुर तोहरा	बासिनझोरी	धान में कमी	तुकाराम साहू	धान खरीदी प्रभारी	-	एफआईआर दर्ज	-
				धान में कमी	पीतु राम पटेल	कम्प्यूटर अपरेटर	-	-	-
				धान में कमी	गंगादास मानिकपुरी	समिति प्रबंधक	-	-	सहसपुर तोहरा
6		बिरनपुरकला	बिरनपुरकला	धान में कमी	महावीर साहू	कम्प्यूटर अपरेटर	-	एफआईआर दर्ज	-

Page

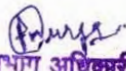
अनुभाग अधिकारी

खाद्य नॉटिफिकेशन एवं उपभोगिता संरक्षण
कमिशनर, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - चौतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 931) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	विकासखण्ड	मंडी का नाम	दर्ज प्रकरण संख्या	जप्त धान की मात्रा (क्विंटल में)	परिवहन में लिप्त वाहन एवं वाहन चालको पर कार्यवाही
1	अभनपुर	अभनपुर	11	329.20	निरंक
		नवापरा	16	1195.80	निरंक
2	आरंग	आरंग	27	1011.60	निरंक
3	तिल्दा	नेवरा	19	411.80	निरंक
4	धरसीवा	रायपुर	33	2591.80	निरंक
योग			106	5540.20	


अनुभाग अधिकारी
ग्राम नागरिक अखुति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - पेंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 939) की जानकारी

प्रपत्र- अ

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं से बस्तर संभाग के लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार व योजनावार जानकारी तथा प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति दी जाने वाली केन्द्रांश एवं राज्यांश पेंशन राशि की जानकारी

बस्तर संभाग के लाभान्वित हितग्राही

क्र.	जिला का नाम	पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राही						
		इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	योग
1	बस्तर	16773	8629	777	8102	4266	18035	56582
2	कौडागांव	14090	7799	865	7441	3394	14077	47666
3	दंतेवाड़ा	4580	4883	656	2012	944	8752	21827
4	सुकमा	5301	3519	46	2473	2256	9972	23567
5	कांकेर	11777	7203	1414	9233	6347	23290	59264
6	बीजापुर	2621	2566	348	1913	1562	3369	12375
7	नारायणपुर	3480	1596	258	925	667	6020	12946
	योग-	58622	36195	4364	32099	19436	83515	234231

प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश विवरण सहित)

क्र.	योजना का नाम		प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दी जाने वाली पेंशन राशि		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 से 79 वर्ष आयुवर्ग हेतु	200/-	300/-	500/-
		80 वर्ष या अधिक आयुवर्ग हेतु	500/-	150/-	650/-
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		-	500/-	500/-
5.	सुखद सहारा योजना		-	500/-	500/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना		-	500/-	500/-



अनुभाग अधिकारी
समोज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया दिल्ली जटल नगर

प्रपत्र- ब

बस्तर संभाग में माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक भुगतान किये जाने वाली राशि तथा किया गया भुगतान की योजनावार जानकारी

माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक भुगतान किये जाने वाली राशि तथा किया गया भुगतान (राशि रुपये लाख में)															
क्र.	योजना का नाम	बस्तर	कोंडागांव				देतेवाड़ा		सुकमा		काकिर		बीजापुर		नारायणपुर
			भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	528.88	352.58	449.68	299.79	144.63	96.42	171.21	114.14	375.71	250.47	83.22	55.48	109.95	73.30
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	258.87	172.58	233.97	155.98	146.49	97.66	105.57	70.38	216.09	144.06	76.98	51.32	47.88	31.92
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	23.31	15.54	25.95	17.30	19.68	13.12	1.38	0.92	42.42	28.28	10.44	6.96	7.74	5.16
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	243.06	243.06	223.23	223.23	60.36	60.36	74.19	74.19	276.99	276.99	57.39	57.39	27.75	27.75
5.	सुखद सहारा योजना	127.98	127.98	101.82	101.82	28.32	28.32	67.68	67.68	190.41	190.41	46.86	46.86	20.01	20.01
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	541.05	541.05	422.31	422.31	262.56	262.56	299.16	299.16	698.70	698.70	101.07	101.07	180.60	180.60
योग -		1723.15	1452.79	1456.96	1220.43	662.04	558.44	719.19	626.47	1800.32	1588.91	375.96	319.08	393.93	338.74

केन्द्रीय योजनाओं में माह मई-जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। तकनीकी समस्या दूर कर ली गई है। भविष्य में नियमित भुगतान की जावेगी।

अनुभाग अधिकारी
समीक्षा कक्ष, विभाग,
बस्तर, नवल पुर जिला नगर

परोशिष्ट - छत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 943) की जानकारी

क्र	संभाग	जिला का नाम	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				वर्ष 2026-27 में 15 जून तक			
			विकासखण्ड का नाम	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन का स्तर	विवाह समन्वयन कार्य जोड़ों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन का स्तर	विवाह समन्वयन कार्य जोड़ों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन का स्तर	विवाह समन्वयन कार्य जोड़ों की संख्या
1		सूरजपुर	भैयाथान	28.03.2025	जिला स्तरीय आयोजन	35	भैयाथान	10.02.2026	जिला स्तरीय आयोजन	45	भैयाथान	08.05.2026	जिला स्तरीय आयोजन	24
			ओझी			25	ओझी			35	ओझी			14
			प्रतापुर			40	प्रतापुर			33	प्रतापुर			16
			प्रेमनगर			15	प्रेमनगर			20	प्रेमनगर			4
			समानुजनगर			25	समानुजनगर			40	समानुजनगर			10
2		जरापुर	सिलकिली	29.03.2025	जिला / विकासखण्ड स्तरीय आयोजन	25	सिलकिली	28.03.2026	जिला / विकासखण्ड स्तरीय आयोजन	35	सिलकिली	08.05.2026	जिला स्तरीय आयोजन	23
			सूरजपुर			35	सूरजपुर			42	सूरजपुर			12
			कुनकुसी			350	जरापुर			49	परखनाथ			32
			जरापुर			14	फरसावाहर			11	बगीचा			20
			दुलदुला			17	जरापुर			240	कोसावल			13
3		बलरामपुर-समानुजन	बगीचा	29.03.2025	जिला स्तरीय आयोजन	11	-	-	-	-	-	-	-	-
			बारावाहर			19	-			-	-			-
			बलरामपुर			300	बलरामपुर			200	-			-
			बलरामपुर			14.01.2025	बलरामपुर			150	-			-
			बलरामपुर			10.02.2026	बलरामपुर			184	-			-
4	सरगुजा	नरेंद्रगढ़-बिरी मरी-नरतपुर	खड़गावां	23.03.2025 एवं 26.03.2025	जिला / विकासखण्ड स्तरीय आयोजन	160	खड़गावां	10.02.2026	जिला स्तरीय आयोजन	184	-	-	-	-
			बलरामपुर			35	बलरामपुर			50	-			40
			बलरामपुर			21.03.2025	बलरामपुर			50	-			-
			बलरामपुर			22.03.2025	बलरामपुर			50	-			-
			बलरामपुर			22.03.2025	बलरामपुर			50	-			-
5		कोरिया	बैकुण्ठपुर	22.03.2025	जिला / विकासखण्ड स्तरीय आयोजन	43	बैकुण्ठपुर	10.02.2026	जिला स्तरीय आयोजन	50	-	09.05.2026	जिला स्तरीय आयोजन	-
			बैकुण्ठपुर			42	बैकुण्ठपुर			50	-			-
			बैकुण्ठपुर			36	बैकुण्ठपुर			50	-			-
			बैकुण्ठपुर			49	बैकुण्ठपुर			50	-			-
			बैकुण्ठपुर			37	बैकुण्ठपुर			50	-			-
6		ससुजा	बैकुण्ठपुर	16.01.2025	जिला स्तरीय आयोजन	115	बैकुण्ठपुर	10.02.2026	जिला स्तरीय आयोजन	115	-	-	-	-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
7		ससुजा	बैकुण्ठपुर	16.01.2025	जिला स्तरीय आयोजन	115	बैकुण्ठपुर	10.02.2026	जिला स्तरीय आयोजन	115	-	-	-	-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-
			बैकुण्ठपुर			115	बैकुण्ठपुर			115	-			-

प्रश्नांश 'क' अंतर्गत तिथिवार/विकासखण्डवार विवाह समन्वयन कार्य जोड़ों की जानकारी

प्रश्न-अ

[illegible]

क्र	सभाग	जिला का नाम	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				वर्ष 2026-27 में 15 जून तक			
			विकासखण्ड का नाम	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	विवाह आयोजन का स्तर	विवाह सम्पन्न करार गए जोड़ों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन का स्तर	विवाह सम्पन्न करार गए जोड़ों की संख्या	विकासखण्ड का नाम	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	सामूहिक विवाह आयोजन का स्तर	विवाह सम्पन्न करार गए जोड़ों की संख्या
7	जॉर्जनीर-चाम्पा	दरुनीडीह	23.12.2024	12	दरुनीडीह	26.06.2025	17	दरुनीडीह	13.05.2026			17		
			06.01.2025	18		10.02.2026	27		08.05.2026				14	
			23.12.2024	20		04.07.2025	11		08.05.2026				9	
			06.01.2025	10		10.02.2026	21		13.05.2026				16	
			23.12.2024	21		04.07.2025	6		15.05.2026				15	
		जॉर्जनीर	06.01.2025	9	जॉर्जनीर	10.02.2026	26	अकलतरा	11.05.2026		10			
		पामाढ़	15.07.2024	15	जिला / विकासखण्ड पण्ड स्तरीय आयोजन	23.06.2025	8	-	-	-	-			
		23.12.2024	15	10.02.2026		26	-	-	-	-				
		दरौदा	15	21.06.2025		17	-	-	-	-				
		पामाढ़	15	10.02.2026		17	-	-	-	-				
		दरौदा	06.01.2025	8		23.06.2025	16	-	-	-	-			
8	बिलासपुर	अकलतरा	06.01.2025	6	अकलतरा	10.02.2026	24	-	-	-	-			
			19.03.2025	15		-	-	-	-					
			रायगढ़	16.07.2024		82	जिला / विकासखण्ड पण्ड स्तरीय आयोजन	22.05.2025	75	जिला स्तरीय आयोजन	30			
			23.02.2025			10.02.2026								
			पुसौर	16.07.2024		39		22.05.2025	30			15		
		23.02.2025		10.02.2026										
		09.07.2024	30	27.06.2025	30			15						
		खरसिया	28.03.2025	जिला / विकासखण्ड पण्ड स्तरीय आयोजन	10.02.2026	जिला / विकासखण्ड पण्ड स्तरीय आयोजन	08.05.2026			15				
		घरघोड़ा	22.03.2025		37		10.02.2026				25		15	
		तमनार	13.07.2024		37		02.06.2025				25		15	
		22.03.2025			10.02.2026									
लैलूंगा	29.03.2025	74	10.02.2026		60						30			
15.07.2024		22.06.2025												
घरमजमगढ़	22.03.2025	76	घरमजमगढ़	10.02.2026	55	घरमजमगढ़		30						

प्रश्नांश 'ख' अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री एवं राशि का विवरण

क्र	वैवाहिक जोड़ों को दिये जाने वाली सामग्री/भुगतान का विवरण	राशि का विवरण
1	उपहार सामग्री अंतर्गत वर-वधु के श्रृंगार सामग्री, जुँतै-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री जिसे क्रय समिति उचित समझे ।	7,000 / – रुपये
2	वधु को ड्राफ्ट / बैंक खाते के माध्यम से भुगतान	35,000 / – रुपये

प्रशांश 'ग' अंतर्गत कार्यक्रमवार व्यय राशि की जानकारी

प्रपत्र-स

क्र	संभाग	जिला का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में 15 जून तक	
			सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय राशि	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय राशि	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय
1	सरगुजा	सुरजपुर	28.03.2025	10000000	10.02.2026	12411514	08.05.2026	3360000
2		जशपुर	08.03.2025	2450000	10.02.2026	343000	08.05.2026	455000
			29.03.2025	427000	15.02.2026	77000		
					28.03.2026	1680000		
		वलरामपुर-सोमनाथगंज	14.01.2025	2100000	14.01.2026	1400000	-	0
3					10.02.2026	1050000		
4		मनेन्द्रगढ़-दिरमि से-भरतपुर	23.03.2025 एवं 26.03.2025	8000000	10.02.2026	9200000	-	-
5								
6		कोरिया	21.03.2025	3899922	10.02.2026	4999645	09.05.2026	1678280
			22.03.2025					
			22.03.2025					
7		सरगुजा	16.01.2025	18298860	10.02.2026	9682400	08.05.2026	2380000

क्र	संभाग	जिला का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में 15 जून तक	
			सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय राशि	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय राशि	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय
1	बिलासपुर	बिलासपुर	21.03.2025	9999983	5882025	175000	-	0
					10.02.2026	9819950	-	0
			18.06.2024	250000	10.02.2026	13000000	-	0
			12.12.2024	4800000	-		-	0
2		कोरवा	15.01.2025	850000	-		-	0
			28.03.2025	7350000	-		-	0
			25.11.2024	700000	06.04.2025	750000	08.05.2026	2125000
3		मुंगेली	27.03.2025	9600000	26.04.2025	1550000	-	0
					10.02.2026	4700000	-	0
4		सारंगढ़-विलाईगढ़	25.03.2025	1547000	10.02.2026	1398606	08.05.2026	301000
5		गौरेला पेंड्रा मरवाही	03.01.2025	7499777	10.02.2026	14989576	08.05.2026	3645122
6		सदकी	16.01.2025	5992050	11.12.2025	7000000	08.05.2026	3500000
			18.01.2025	499340				

क्र	संभाग	जिला का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2026-27 में 15 जून तक	
			सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय राशि	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय राशि	सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की तिथि	व्यय
7	बिलासपुर	जांजगीर-बाम्ना	23.12.2024	600000	26.06.2025	850000	5६13९2026	850000
			06.01.2025	861000	10.02.2026	1350000	08.05.2026	721000
			23.12.2024	1000000	04.07.2025	550000	08.05.2026	470000
			06.01.2025	500000	10.02.2026	1050000	13.05.2026	771000
			23.12.2024	1050000	04.07.2025	300000	15.05.2026	750000
			06.01.2025	450000	10.02.2026	1300000	11.05.2026	549000
			15.07.2024	750000	23.06.2025	400000	—	0
			23.12.2024	750000	10.02.2026	1300000	—	0
			23.12.2024	750000	21.06.2025	850000	—	0
			06.01.2025	750000	10.02.2026	849999	—	0
			23.12.2024	400000	23.06.2025	800000	—	0
			06.01.2025	300000	10.02.2026	1186000	—	0
8	बिलासपुर	रायभाढ़	19.03.2025	764000	—	0	—	0
			16.07.2024 एवं 23.02.2025	6049974	22.05.2025 एवं 10.02.2026	525000	08.05.2026	4800000
			09.07.2024 एवं 28.03.2025	1499895	27.05.2025 एवं 10.02.2026	1500000		
			22.03.2025	1850000	10.02.2026	1250000		
			13.07.2024 एवं 22.03.2025	1850000	02.06.2025 एवं 10.02.2026	1250000		
			29.03.2025	3700000	10.02.2026	3000000		
			15.07.2024 एवं 22.03.2025	3800000	22.05.2025 एवं 10.02.2026	2750000		

पारिशेष - सैंतीस

परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 944) की जानकारी

प्रपत्र-अ

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु यूनिफार्म (साड़ी) क्रय

क्र.	वित्तीय वर्ष	यूनिफार्म/साड़ी प्रदाय हेतु स्वीकृत		केन्द्रांश	राज्यांश
		संख्या	राशि		
1	2024-25	194590	97295000	58377000	38918000
2	2025-26	203483	101741000	61044600	40696400
3	2026-27	207453	103726600	62236000	41490600

वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूनिफार्म/साड़ी प्रदाय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रपत्र-६

[illegible]

पॉरीशेष्ट - अडतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 949) की जानकारी

प्रपत्र-‘अ’

प्रश्नांश ‘क’ अंतर्गत विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	विवाह आयोजन दिनांक	विवाह सम्पन्न कराए गए जोड़ों की संख्या
1	2	3	4
1	खरसिया	09.07.2024	15
		28.03.2025	15
		27.06.2025	15
		10.02.2026	15
		08.05.2026	15
2	तमनार	13.07.2024	15
		22.03.2025	22
		02.06.2025	10
		10.02.2026	15
		08.05.2026	15
3	धरमजयगढ	15.07.2024	27
		22.03.2025	49
		22.06.2025	25
		10.02.2026	30
		08.05.2026	30
4	रायगढ	16.07.2024	30
		23.02.2025	52
		22.05.2025	45
		10.02.2026	30
		08.05.2026	30
5	पुसौर	16.07.2024	15
		23.02.2025	24
		22.05.2025	15
		10.02.2026	15
		08.05.2026	15
6	घरघोडा	22.03.2025	37
		10.02.2026	25
		08.05.2026	15
7	लैलूंगा	29.03.2025	74
		10.02.2026	60
		08.05.2026	30
	महायोग		825

प्रपत्र-‘ब’

प्रश्नांश ‘ख’ अंतर्गत फर्मवार भुगतान राशि की जानकारी

स.क्र	फर्म का नाम	फर्म को भुगतान राशि (रूपये में)
1	बाजाली ज्वेलर्स घरघोड़ा	540150.00
2	कुतबी फैसी स्टोर रायगढ़	124200.00
3	मे. गंगा सहाय महावीर प्रसाद, रायगढ़	1086000.00
4	प्लेटिनम गिफ्ट रायगढ़	28350.00
5	रॉयल बूट हाउस	217940.00
6	राजधानी होजरी रायगढ़	164250.00
7	सुमन सेंटर खरसिया	14730.00
8	उमा शंकर रेडिमेंट स्टोर रायगढ़	849000.00
9	न्यू फैशन ज्वेलरी खरसिया	12750.00
10	नवरंग स्टोर रायगढ़	102397.00
11	नेतराम लखीराम ज्वेलर्स रायगढ़	367200.00
12	विकास सारथी	5000.00
13	सोनू क्लॉथ घरघोड़ा	121250.00
14	हीरा इंटरप्राइजेस कवर्धा	97525.00
15	अग्रवाल बूट हाउस खरसिया	31500.00
16	लक्ष्मी ज्वेलर्स खरसिया	80685.00
17	रिजक कंस्ट्रक्शन एण्ड जनरल ऑर्डर सप्लायर	410025.00
18	फामो गैलेक्सी मॉल रायगढ़	1521785.00
कुल राशि		5774737.00

परिशेष - उनतालीस

परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क. 957) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि रुपये लाख में)

माह नवम्बर, 2025 से मई, 2026 तक प्रतिमाह कुल वितरित राशि एवं हितग्राहियों की योजनावार संख्या

क्र.	योजना का नाम	नवंबर 2025		दिसम्बर 2025		जनवरी 2026		फरवरी 2026		मार्च 2026	
		हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि
1	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	577370	3044.69	570626	3010.97	568457	2989.88	562858	2961.88	559905	2944.31
2	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	205641	1028.21	203785	1018.93	203591	1017.96	202240	1011.20	201424	1007.12
3	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	31594	157.97	31410	157.05	31392	156.96	31327	156.64	31327	156.64
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	414216	2071.08	413381	2066.91	412395	2061.98	411942	2059.71	411456	2057.28
5	सुखद सहारा योजना	215074	1075.37	215054	1075.27	214440	1072.20	214642	1073.21	214656	1073.28
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	746659	3733.30	749311	3746.56	751723	3758.62	752474	3762.37	754492	3772.46
	योग -	2190554	11110.62	2183567	11075.69	2181998	11057.60	2175483	11025.01	2173260	11011.09

2...

Y. Motan

अनुभाग अधिकारी

समय कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया दिल्ली अटल नगर

11/21

क्र.	योजना का नाम	अप्रैल 2026		मई 2026	
		हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि	हितग्राही संख्या	प्रतिमाह वितरित राशि
1	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	558411	2936.84	558321	2949.87
2	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	201281	1006.41	201551	1007.76
3	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	31229	156.15	31441	157.21
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	410731	2053.66	409993	2049.97
5	सुखद सहारा योजना	214334	1071.67	213529	1067.65
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	756230	3781.15	754690	3773.45
योग -		2172216	11005.88	2169525	11005.91

केन्द्रीय योजनाओं में माह मई-जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

Ms. Anurag
अनुभाग अधिकारी
 समीक्ष कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया संसद भवन, नए कालोनी

पारांशेष्ट - चालीस

परावर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क. 982) की जानकारी

प्रपत्र

(मात्रा किटल में)

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भौतिक सत्यापन में पाये गये धान की कमी/अनियमितता की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम	अनियमितता का विवरण	शॉर्टज/कमी की राशि		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	नोटिस जारी		निलंबित की स्थिति		विभागीय जांच संस्थित		सेवा से पृथक्		कार्य से पृथक् किया		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर.)			
					मात्रा	राशि			पत्र क्र.	दिनांक क्र.	पत्र क्र.	दिनांक क्र.	पत्र क्र.	दिनांक क्र.	पत्र क्र.	दिनांक क्र.	पत्र क्र.	दिनांक क्र.	प्रकरण	दिनांक	पुलिस थाने का नाम	बर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	दुर्ग	रौदा	रौदा	धान में कमी	560.28	—	श्री जगदीश नवरंगे	सहायक समिति प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	06/06/2026	धममा	विवेचना जारी
2	दुर्ग	कुम्हली	कुम्हली	धान में कमी	690.70	—	श्री अतुल कुमार वर्मा	समिति प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	21/05/2026	जामगांव-आर	विवेचना जारी
3	दुर्ग	कोडिया	कोडिया	धान में कमी	1292.48	—	श्री रियाजुद्दीन खान	समिति प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	दुर्ग योग				2543.46	—																

रिमाक :- उपार्जन केंद्र कोडिया का भौतिक सत्यापन के पश्चात् आये शॉर्टज की राशि को जमा कर देने के कारण FAR नहीं हुयी है।

(Signature)
अनुमोदित अधिकारी
साष्ट नामिक अफ़सरी एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भौतिक सत्यापन में पाये गये धान की कमी/अनिश्चितता की जानकारी (मात्रा क्विंटल में राशि लाख में)																						
क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम	अनिश्चितता का विवरण	शार्टेज / कमी		दोसी कर्मचारी पदाधिकारी का नाम	पद	कर्मचारी को नोटिस जारी		निलवन		विभागीय जांच संस्थित		कार्य से पृथक		सेवा से पृथक		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ आई आर.)		पुलिस थाने का नाम	वर्तमान स्थिति
					मात्रा	राशि			आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		पेड़ीकला	पेड़ीकला	धान में कमी	2272.00	73.50	विक्रम चंद्रकर	विकेला	—	—	—	—	—	—	—	13.01.2026	—	—	15	30.01.2026	कुंडा	जांच जारी
		कुकरूर	कुकरूर	धान में कमी	628.00	15.00	अमित बाजपेयी	कम्यूटर ऑपरेटर सरीदी प्रमारी	—	—	स.प. 15.01.2026 दुसास/55/1 दिनांक 06-01-	—	—	—	—	—	—	—	4	16.01.2026	कुकरूर	विवेचनाधीन
		समनापुर	बहनी	धान में कमी	2386.52	73.96	मनमोहन शरिया	धान सरीदी प्रमारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0014	18/06/2026	रैगाखार	विवेचना जारी
							धनराज साहू	कम्यूटर ऑपरेटर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							गंगादास मनिनपुरी	समिति प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							बलराम साहू	धान सरीदी प्रमारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	कबीरधाम	सहसपुर लोहरा	सहसपुर लोहरा	धान में कमी	823.58	25.53	विहारीराम साहू	कम्यूटर ऑपरेटर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0079	24/06/2026	सहसपुर लोहरा	विवेचना जारी
							गंगादास मनिनपुरी	समिति प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

अनुभाग अधिकारी
सहसपुर जिला एवं उपखेती संरक्षण निगम
मन्त्रालय, नवा राधपुर, खंडा नगर

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केंद्र का नाम	अनिवार्यता का विवरण	शार्टब / कमी		दोषी कर्मचारी/ पदाधिकारी का नाम	पद	कर्मचारी को नोटिस जारी		निलंबन		विभागीय जांच संस्थित		कार्य से प्रथक		सेवा से प्रथक		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर.)			
					मात्रा	राशि			आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		सहसपुर तालास	बासिनछोरी	धान में कमी	585.98	18.17	तुकाराम साहू	धान खरीदी प्रभारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0080	24/06/2026	सहसपुर तालास	निवेदना जारी
		बिरनपुर कला	बिरनपुर कला	धान में कमी	1032.36	32	गंगाधर मणिकपुरी	समिति प्रबंधक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0081	24/06/2026	सहसपुर तालास	निवेदना जारी
	योग				7728.44	238.18																

अनुभाग अधिकारी
उप नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - इकतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क. 986) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सुपोषण योजना में लाभान्वित बच्चे

क्र.	जिला	कुपोषित बच्चों की संख्या	अतिकुपोषित बच्चों की संख्या
1	बालोद	2488	440
2	बलौदाबाजार	3207	756
3	बलरामपुर	4419	1863
4	बस्तर	3456	1195
5	बेमेतरा	2370	683
6	बीजापुर	2265	1378
7	बिलासपुर	4577	1346
8	दंतेवाड़ा	1445	756
9	धमतरी	1476	489
10	दुर्ग	1202	282
11	गरियाबंद	2412	783
12	गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	1412	461
13	जांजगीर-चांपा	2589	748
14	जशपुर	3539	1339
15	कबीरधाम	3247	983
16	कांकेर	2881	969
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	718	215
18	कोण्डागांव	2806	1063
19	कोरबा	2281	435
20	कोरिया	637	172
21	महासमुन्द	2839	562
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	1307	650
23	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	1403	186
24	मुंगेली	1773	592
25	नारायणपुर	775	390
26	रायगढ़	2445	822
27	रायपुर	4740	1178
28	राजनांदगांव	873	134
29	सक्ती	2217	1053
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1163	367
31	सुकमा	1966	1047
32	सूरजपुर	4166	1705
33	सरगुजा	3610	1519
कुल		78704	26561

डाटा स्रोत- जून 2026 के अनुसार पोषण ट्रेकर में 0 से 05 वर्ष के बच्चों में दुर्बलता

प्रपत्र-ब

सुपोषण योजना में लाभान्वित बच्चे

क्र.	जिला	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ कार्यक्रम	सुपोषण चौपाल
1	बालोद	4778000	1051000	0	0
2	बलौदाबाजार	21185000	928000	0	0
3	बलरामपुर	13702517	948000	7098000	0
4	बस्तर	19500000	1191000	0	0
5	बेमेतरा	5200000	790000	0	0
6	बीजापुर	9167185	790000	3538000	0
7	बिलासपुर	7914000	1068000	0	0
8	दंतेवाड़ा	12389453	1033000	3181000	0
9	धमतरी	6333793	662000	0	0
10	दुर्ग	14735109	1051000	0	0
11	गरियाबंद	13903297	674000	0	0
12	गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	3254205	403000	0	0
13	जांजगीर	6742000	793000	0	0
14	जशपुर	14652048	2226000	5895000	0
15	कबीरधाम	15398698	1179000	0	0
16	कांकेर	7160052	1070000	0	0
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	5291230	273000	0	0
18	कौडागांव	7838535	1051000	0	0
19	कोरबा	37423442	1333000	0	0
20	कोरिया	2606478	269000	0	0
21	महासमुंद	17162303	809000	0	0
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	4776635	533000	0	0
23	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	4192673	401000	0	0
24	मंुगेली	20540661	667000	0	0
25	नारायणपुर	4652415	511000	1751000	0
26	रायगढ़	21421503	1330000	0	0
27	रायपुर	10336000	1067000	0	0
28	राजनांदगांव	9282461	927000	0	0
29	सक्ती	3900000	530000	0	0
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	3516000	784000	0	0
31	सुकमा	3992353	661000	3219000	0
32	सूरजपुर	18852000	947000	7200000	0
33	सरगुजा	11204683	1196000	6310000	0
	कुल योग	363004729	29146000	38192000	0

प्रपत्र-स

सुपोषण योजना में लाभान्वित बच्चे

क्र.	जिला	विगत 03 वर्षों में कुल सुपोषित बच्चों की संख्या
1	बालोद	4151
2	बलौदाबाजार	7234
3	बलरामपुर	4334
4	बस्तर	5327
5	बेमेतरा	6502
6	बीजापुर	465
7	बिलासपुर	12387
8	दंतेवाड़ा	2782
9	धमतरी	2924
10	दुर्ग	4645
11	गरियाबंद	11767
12	गौरैला-पेन्झा-मरवाही	1576
13	जांजगीर	4727
14	जशपुर	3525
15	कबीरधाम	4727
16	कांकेर	2661
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	2317
18	कोंडागांव	1116
19	कोरबा	4705
20	कोरिया	684
21	महासमुंद	4202
22	मनैंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	892
23	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	888
24	मुंगेली	2167
25	नारायणपुर	1387
26	रायगढ़	4872
27	रायपुर	9539
28	राजनांदगांव	5592
29	सक्ती	2920
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1950
31	सुकमा	1133
32	सूरजपुर	4383
33	सरगुजा	6114
योग		134595

पॉरीशेष्ट - बयालीस

पॉरीशेष्ट अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 997) की जानकारी

प्रपत्र

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

क्र	संचालित केन्द्र की संख्या	केन्द्र का संचालन			
		स्वयं के भवनों में संचालित केन्द्र के नाम	किराये के भवनों में संचालित केन्द्र के नाम	अन्य शासकीय भवनों में संचालित केन्द्र के नाम	सामदायिक भवनों में संचालित केन्द्र के नाम
1	2	3	4	5	6
1	106	माडल टाउन	लक्ष्मी नगर सुपेला-01	सुन्दर नगर कोहका-1	शारदापारा-1
2		जूनवानी	देवांगन पारा सुपेला	हाउसिंग बोर्ड-2	बीएसपी स्कूल
3		जूनवानी-02	पाण्डे पारा सुपेला	इंदिरा अवास	श्यामनगर-1
4		कृष्णा नगर - अ	इंदिरा नगर सुपेला	-	महावीर चौक
5		कृष्णा नगर - ब	सुपेला बाजार-2	-	तीनदर्शन मंदिर
6		संजय नगर सुपेला	दुर्गापारा लक्ष्मी नगर	-	-
7		राधिका नगर	उड़ियाबस्ती	-	-
8		लक्ष्मी नगर सुपेला-02	पदरेशी चौक	-	-
9		राजीव नगर सुपेला	आनंद चौक	-	-
10		गणेश नगर सुपेला	खम्हरिया भांटा	-	-
11		रावण भांटा सुपेला	कोहका-01	-	-
12		पांच रास्ता सुपेला	कोहका-02	-	-
13		सुपेला बाजार-1	करुद-1	-	-
14		काटिकटर कालोनी-1	राम नगर	-	-
15		काटिकटर कालोनी-2	सुन्दर नगर कोहका-2	-	-
16		काटिकटर कालोनी-3	राजीव गांधी नगर-1	-	-
17		सतनाम धाम कोहका	राजीव गांधी नगर-2	-	-
18		बजरंगपारा कोहका	आजाद चौक कैप-1	-	-
19		सुन्दर नगर कोहका	वृन्दानगर-2	-	-
20		मुरुम खदान	गोडपारा करुद	-	-
21		फरीद नगर - 1	गांधी चौक	-	-
22		फरीद नगर - 2	कृष्ण कालोनी	-	-
23		करुद-2	शारदापारा-2	-	-
24		करुद-3	संतोषीपारा-2	-	-
25		अंबेडकर नगर-1	शिवाजीनगर	-	-
26		अंबेडकर नगर-2	संत रविदास नगर-01	-	-
27		अंबेडकर नगर-3	संत रविदास नगर-02	-	-
28		वृन्दानगर-1	संत रविदास नगर-03	-	-
29		वृन्दानगर-3	अहमदनगर	-	-
30		तेलगुपारा 18 नंबर	सुन्दर नगर -1	-	-
31		हाउसिंग बोर्ड कोहका	शर्माकालोनी संतोषीपारा	-	-
32		स्टील नगर	कैलाश चौक	-	-
33		शांतिपारा	घासीदास नगर	-	-
34		प्रगतिनगर-3	लक्ष्मी नगर सुपेला	-	-
35		विवेकानंदनगर	हाउसिंग बोर्ड-1	-	-
36		संतोषीपारा कैप-2 क्र.-1	प्रगतिनगर-1	-	-
37		शारदापारा नंदिनी रोड	प्रगतिनगर-2	-	-
38		श्यामनगर-2	शास्त्रीनगर-1	-	-
39		जे. पी. नगर	शास्त्रीनगर-2	-	-
40		बैकुण्ठ नगर	प्रेमनगर-2 उड़ियापारा	-	-
41		फौजी नगर	मदर टेरेसा नगर	-	-
42		गुरुदासी दास नगर-1	ढांचा भवन करुद	-	-
43		गुरुदासी दास नगर-2	-	-	-

क्र	संचालित केन्द्र की संख्या	केन्द्र का संचालन			
		स्वयं के भवनों में संचालित केन्द्र के नाम	किराये के भवनों में संचालित केन्द्र के नाम	अन्य शासकीय भवनों में संचालित केन्द्र के नाम	सामदायिक भवनों में संचालित केन्द्र के नाम
1	2	3	4	5	6
44		गुरुघासी दास नगर-3	-	-	-
45		लक्ष्मी नगर सुपेला-3	-	-	-
46		अटल आवास	-	-	-
47		आरक्षी नगर	-	-	-
48		सुन्दर नगर -2	-	-	-
49		कोसानगर मराठी मोहल्ला	-	-	-
50		कोसानगर सतनामी मोहल्ला	-	-	-
51		कोसानगर-1	-	-	-
52		कोसानगर-2	-	-	-
53		शास्त्री चौक	-	-	-
54		मशानघाट	-	-	-
55		अम्बेडकर नगर कैप-1	-	-	-
56		प्रेमनगर - 1	-	-	-
योग:-	106	56	42	3	5

परिशेष - तिराहोस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 61 (क. 1006) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खरीफ वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ऋण / ब्याज की जानकारी
(राशि करोड रूपए में)

2023-24							
क्र.	ऋण राशि (प्रारंभिक शेष + नवीन ऋण)	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है	दर (प्रतिवर्ष)	ऋण की अवधि	पुनर्भुग तान	शेष राशि	ब्याज भुगतान
1	18990.00	एन.सी.डी.सी.	8.75%	01 वर्ष	18990.00	0.00	2595.74
2	6200.00	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	7.62%	01 वर्ष	15.00	6185.00	
3	6300.00	नाबार्ड	8.10%	01 वर्ष	0.00	6300.00	
4	500.00	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	7.95%	01 वर्ष	0.00	500.00	
5	2500.00	इंडियन बैंक	7.95%	01 वर्ष	2500.00	0.00	
6	2000.00	यूको बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	8.00%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
7	1000.00	यूको बैंक	8.09%	01 वर्ष	0.00	1000.00	
8	2000.00	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	7.80%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
9	2000.00	बैंक ऑफ बड़ौदा (शास. प्रत्याभूति पर)	7.60%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
10	2000.00	पंजाब नेशनल बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	7.89%	01 वर्ष	0.00	2000.00	
11	3500.00	पंजाब नेशनल बैंक	8.08%	01 वर्ष	0.00	3500.00	
योग	46990.00				21505.00	25485.00	
2024-25							
क्र.	ऋण राशि (प्रारंभिक शेष + नवीन ऋण)	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है	दर (प्रतिवर्ष)	ऋण की अवधि	पुनर्भुगता न	शेष राशि	ब्याज भुगतान
1	23000.00	एन.सी.डी.सी.	8.75%	01 वर्ष	23000.00	0.00	3324.33
2	6200.00	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	7.62%	01 वर्ष	84.18	6115.82	
3	5600.00	नाबार्ड	8.10%	01 वर्ष	0.00	5600.00	
4	800.00	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	7.95%	01 वर्ष	0.00	800.00	



5	2500.00	इंडियन बैंक	7.95%	01 वर्ष	1575.82	924.18
6	3000.00	यूको बैंक	8.09%	01 वर्ष	0.00	3000.00
7	4000.00	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	7.80%	01 वर्ष	0.00	4000.00
8	0.00	बैंक ऑफ बड़ौदा (शास. प्रत्याभूति पर)	7.60%	01 वर्ष	0.00	0.00
9	4000.00	पंजाब नेशनल बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	7.89%	01 वर्ष	0.00	4000.00
10	6300.00	पंजाब नेशनल बैंक	8.08%	01 वर्ष	0.00	6300.00
योग	55400.00				24660.00	30740.00

2025-26 (15.06.2026 की स्थिति में)

क्र.	ऋण राशि (प्रारंभिक शेष + नवीन ऋण)	संस्था का नाम जहां से ऋण प्राप्त किया गया है	दर (प्रतिवर्ष)	ऋण की अवधि	पुनर्भुगतान	शेष राशि	ब्याज भुगतान
1	20300.00	एन.सी.डी.सी.	8.75%	01 वर्ष	18150.00	2150.00	1958.22
2	8574.07	भारतीय स्टेट बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	7.62%	01 वर्ष	0.00	8574.07	
3	9600.00	नाबार्ड	8.10%	01 वर्ष	3400.00	6200.00	
4	0.00	नाबार्ड (शास. प्रत्याभूति पर)	7.95%	01 वर्ष	0.00	0.00	
5	2500.00	इंडियन बैंक	7.95%	01 वर्ष	0.00	2500.00	
6	4000.00	यूको बैंक	8.09%	01 वर्ष	0.00	4000.00	
7	4000.00	बैंक ऑफ इंडिया (शास. प्रत्याभूति पर)	7.80%	01 वर्ष	0.00	4000.00	
8	800.00	बैंक ऑफ बड़ौदा (शास. प्रत्याभूति पर)	7.60%	01 वर्ष	0.00	800.00	
9	4000.00	पंजाब नेशनल बैंक (शास. प्रत्याभूति पर)	7.89%	01 वर्ष	0.00	4000.00	
10	6300.00	पंजाब नेशनल बैंक	8.08%	01 वर्ष	0.00	6300.00	
11	3705.19	इंडियन ओवरसीज बैंक	8.00%	01 वर्ष	0.00	3705.19	
योग	63779.26				21550.00	42229.26	

अनुभाग अधिकारी

जन नगरिक अधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-अ

मदवार हानि प्रतिपूर्ति तथा अतिरिक्त व्यय का विवरण

वर्ष	वैधानिक मूल्य	मण्डी सेवर चार्ज	सूक्ष्म	कस्टडी पण्ड मेटनेस	ब्याज	परिवहन	परिवहन लोडिंग/अ नलोडिंग	प्रशास निक व्यय	बारदाना लागत	बारदाना परिवहन	सिंतिंग प्रोसाहन	बारदाना लागत हानि HDCF/PP/ Gem	बारदाना परिवहन HDCF/PP/ eM	अमानक धान विद्युत हानि	मीलामी से धान शुल्क हानि	संमिति ऑरिटर वेतन प्रोसाहन दिक प्रशासकीय व्यय	मिलर के पास अतिरिक्त बायल ड्रप से हानि	हानि प्रतिप पूर्ति व अतिरिक्त बाय का कुल योग	राज्य से खासन से प्राप्त राशि का समायोजन	राज्य खासन से प्रतिप योग्य रूप राशि
खरीफ वर्ष 2000-01 से 2025- 26 तक	2,192.47	324.83	1,672.23	1,020.57	18,686.38	6,507.49	685.27	51.88	2,054.18	69.61	8573.36	492.05	86.40	92.59	2346.91	1049.98	20.95	45,927.15	24,597.46	21,329.69

नोट-उक्त जानकारी प्राथमिक लागत पर आधारित है, भारत सरकार से अतिरिक्त होने पर निष्पत्ति होने पर अंकड़े परिवर्तनीय है।



अनुभाग अधिकारी

श्री नगरिक अभूति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग
मन्त्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर



परिशेष - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 1007) की जानकारी

प्रपत्र

परिवहन कार्य हेतु कार्य आदेश की जानकारी

द्वारा प्रदाय परिवहन कार्य

जिले का नाम	क	बेस डिपो	कार्य आदेश दिनांक
रायपुर	1	रायपुर	05.06.2026
	2	नैवरा	10.03.2026
	3	खरोरा	04.05.2026
	4	अभनपुर	22.06.2026
	5	नयापारा	22.06.2026
	6	मंदिरहसौद	12.02.2026
	7	धरसीवा	10.06.2026
बलौदाबाजार	8	बलौदाबाजार	13.02.2026
	9	भाटापारा	13.02.2026
	10	अजुनी	13.02.2026
	11	कसडोल	13.02.2026
गरियाबंद	12	राजिम	10.06.2026
	13	देवभाग	27.02.2026
धमतरी	14	धमतरी	12.02.2026
	15	कुरुद्व	12.02.2026
	16	नगरी सिहावा	16.02.2026
महासमुंद	17	महासमुंद	11.03.2026
	18	पिथीरा	24.02.2026
	19	सरायपाली	10.02.2026
	20	बागबहारा	10.02.2026
	21	बसना	30.03.2026
बेमेतरा	22	बेरला	03.03.2026
	23	बेमेतरा	05.05.2026
	24	साजा	03.03.2026
बालोद	25	डोणडीलोहारा	17.03.2026
	26	डोणडी	10.06.2026
	27	चिटोद	16.02.2026
	28	गुण्डरदेही	17.03.2026
	29	बालोद	11.02.2026
दुर्ग	30	दुर्ग / करजा भिलाई	16.02.2026
	31	धमधा / कोडिया	16.02.2026
	32	पाटन	19.03.2026



जिले का नाम	क	बेस डिपो	कार्य आदेश दिनांक
राजनांदगांव	33	डोंगरगढ़	16.02.2026
	34	छुरिया	25.02.2026
	35	राजनांदगांव	16.02.2026
	36	तिलई	16.02.2026
	37	डोंगरगांव	12.02.2026
मानपुर-मोहला-चौकी	38	मानपुर	19.02.2026
	39	मोहला	25.02.2026
	40	चौकी	27.02.2026
खैरागढ़-छुईखदा-गंडई	41	खैरागढ़	05.05.2026
कवर्धा	42	कवर्धा	16.03.2026
	43	पंडरिया	16.03.2026
	44	बोडला	19.03.2026
	45	हथलेवा / चारभाठा	10.03.2026
गोरला-पेन्डा-मरवाही	46	पेन्डारोड	10.03.2026
	47	मरवाही	10.03.2026
बिलासपुर	48	बिल्हा	11.03.2026
	49	सैदा	16.02.2026
	50	बिलासपुर	11.03.2026
	51	जयरामनगर	07.05.2026
	52	करगीरोड	16.02.2026
	53	तखतपुर	13.02.2026
मुर्गेली	54	मुर्गेली धूपई	30.03.2026
	55	लोरमी	19.03.2026
	56	गितपुरी / बरेला	08.04.2026
	57	गितपुरी / सरगांव	30.03.2026
सारंगढ़-बिलाईगढ़	58	बरमकेला	04.05.2026
	59	सारंगढ़	13.02.2026
	60	बिलाईगढ़	17.04.2026
रायगढ़	61	लैलुंगा	23.04.2026
	62	रायगढ़	08.04.2026
सक्ती	63	बोडासागर	17.04.2026
	64	बाराद्वार	17.04.2026
	65	चंद्रपुर	31.03.2026
	66	सक्ती	31.03.2026
	67	डभरा	31.03.2026

जिले का नाम	क	बेस डिपो	कार्य आदेश दिनांक
जांजगीर	68	चांपा	19.03.2026
	69	नैला	01.04.2026
	70	अकलतरा	01.04.2026
कोरबा	71	कोरबा	24.02.2026
	72	कटघोरा	16.02.2026
	73	पाली	06.04.2026
जशपुर	74	जशपुर	16.04.2026
	75	बगीचा	27.04.2026
	76	पथलगाव	16.04.2026
	77	कुनकुरी	27.04.2026
	78	फरसाबहार	27.04.2026
सूरजपुर	79	सूरजपुर	04.05.2026
	80	विश्रामपुर	04.05.2026
अंबिकापुर	81	अंबिकापुर	04.05.2026
	82	सीतापुर	11.05.2026
	83	लखनपुर	04.05.2026
बलरामपुर	84	कुसमी	29.01.2026
	85	बलरामपुर	16.01.2026
	86	रामानुजगंज	05.05.2026
	87	राजपुर	17.02.2026
	88	सनावल	29.01.2026
	89	वाडूफनगर	29.01.2026
मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी -भरतपुर	90	मनेन्द्रगढ़	20.04.2026
	91	चिरमिरी	05.05.2026
	92	जनकपुर	05.05.2026
कौरिया	93	कौरिया	17.04.2026
जगदलपुर	94	करपावड	10.02.2026
	95	जगदलपुर	10.02.2026
	96	घाटलोहागाँ	13.02.2026
	97	केशलूर	17.02.2026
कोण्डागाँव	98	कोण्डागाँव	04.05.2026
	99	केशकाल / सिधनपुर	07.04.2026
	100	बड़डोगर	04.05.2026
	101	माकड़ी	04.05.2026

जिले का नाम	क	बेस डिपो	कार्य आदेश दिनांक
नारायणपुर	102	नारायणपुर	12.03.2026
दंतेवाड़ा	103	दंतेवाड़ा	03.04.2026
	104	गोदम	03.04.2026
	105	कुआकोण्डा	03.04.2026
	106	बीजापुर	27.02.2026
बीजापुर	107	भोपालपट्टनम	27.02.2026
	108	भैरमगढ़	27.02.2026
	109	उसूर	27.02.2026
	110	सुकमा	11.05.2026
सुकमा	111	दोरनापाल	11.05.2026
	112	कांकेर	20.03.2026
कांकेर	113	नरहरपुर	11.02.2026
	114	अंतागढ़ / आमाबेड़ा	20.04.2026
	115	पेखाजूर	07.04.2026
	116	भानुप्रतापपुर	29.01.2026
लंबी दूरी परिवहन कार्य	117	बलौदाबाजार&भाटापारा	13.03.2026
	118	राजनादगांव	05.05.2026
	119	बिलासपुर	11.03.2026
	120	सारंगढ़-बिलाईगढ़	30.03.2026
	121	रायगढ़	08.04.2026
	122	सक्ती	24.04.2026
	123	जशपुर	27.04.2026
	124	अंबिकापुर	04.05.2026
	125	मनेन्द्रगढ़-चिरामिरी-भरतपुर	05.05.2026
	126	बीजापुर	16.04.2026
	127	कांकेर	20.04.2026

टीप:- कुल 157 निविदा में 133 निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हुई है जिसमें 127 में कार्य आदेश जारी किया गया है। शेष 6 निविदा स्वीकृति उपरांत निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादन नहीं करने के कारण कार्य आदेश जारी नहीं किया गया।

अनुभाग अधिकारी
उप नगरिक आशुति एवं संप्रभोवता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट - पैतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 108) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कांकेर जिले में पंजीकृत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	पंजीकृत दिव्यांगजनों की संख्या	पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की संख्या
1	2	3	4
1	कांकेर	3485	5506
2	भानुप्रतापपुर	1425	2532
3	चारामा	2089	4689
4	अंतागढ	1280	1650
5	कोयलीबेडा	945	3534
6	नरहरपुर	2038	5118
7	दुर्गकोदल	1034	2837
	योग	12296	25866


अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नंदा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

विगत तीन वर्षों में दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों तथा व्यय राशि की विकासखण्डवार जानकारी

1	योजना का नाम	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
		लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
विकासखण्ड- कोकर							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	198	1188000	198	1188000	267	1602000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3272	16442400	3272	16442400	675	4222800
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1132	4754400	1132	6792000	695	4170000
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3942	16556400	3952	23712000	693	4158000
5	सुरक्षित सहायता पेंशन योजना	1346	5653200	1365	8190000	542	3252000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	3942	16556400	4593	27558000	2486	14916000
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	34	680000	20	400000	25	500000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	80	481595	60	381785	42	452590
9	सामर्थ्य विकास योजना	25	7652	7	8960	0	0
10	वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	12	306096	12	306096	12	306096
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	2	100000	2	100000	0	0
12	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	152	253400	179	298300	158	264100
13	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	3	18000	1	6000	2	12000
14	शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम	51	3329401	50	2902529	42	3754856
15	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	117	96510
16	मोटोसाइकल ट्रायसायकल प्रदाय योजना	4	240000	3	180000	5	300000


अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

17	नशामुक्ति कार्यक्रम	177	2252340	179	2252340	111	2252340
	योग	14372	68819284	15025	90718410	5872	40259292
विकासखण्ड- चारामा							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	51	306000	51	306000	52	312000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1958	1483768	1970	1577368	1960	1499368
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1131	4750200	1138	6828000	1125	6750000
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1062	4460400	1064	6384000	1004	6024000
5	सुरखद सहारा पेंशन योजना	1064	4468800	1064	6384000	1026	6156000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	3404	14296800	3748	22488000	3730	22380000
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	8	160000	25	500000	18	360000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	25	450119	42	452590	36	319143
9	सामर्थ्य विकास योजना	34	65223	4	6956	0	0
10	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	2	100000	0	0	6	300000
11	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	52	86800	63	59600	62	102200
12	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	58	45364
13	मोटरसाइज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	2	120000	1	60000	4	240000
	योग	8793	30748110	9170	45046514	9081	44488075
विकासखण्ड- भानुप्रतापपुर							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	289	1734000	289	1734000	267	1602000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	867	593591	891	780791	887	749591
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	738	3099600	738	4428000	695	4170000
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	742	3116400	742	4452000	693	4158000
5	सुरखद सहारा पेंशन योजना	550	2310000	557	3342000	542	3252000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	2348	9861600	2473	14838000	2486	14916000


अनुराग अधिकारी
 सर्वांग कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	3	60000	4	80000	7	140000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	60	381785	25	450119	55	351697
9	सामर्थ्य विकास योजना	31	9562	6	5723	0	0
10	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	0	0	2	100000	0	0
11	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	147	247300	174	296400	189	319300
12	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	47	47500
13	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	3	180000	2	120000	3	180000
	योग	5778	21593838	5903	30627033	5871	29886088
विकासखण्ड-अंतागढ							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	101	606000	101	606000	99	594000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	643	336000	643	336000	637	289200
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	464	1948800	490	2940000	465	2790000
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1159	4867800	1165	6990000	1089	6534000
5	सुरखद सहारा पेंशन योजना	649	2725800	649	3894000	633	3798000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1348	5661600	1624	9744000	1739	10434000
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	7	140000	5	100000	4	80000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	55	351697	36	319143	45	323263
9	सामर्थ्य विकास योजना	18	7125	4	4652	0	0
10	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	109	186100	79	133100	99	164900
11	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	41	43514
12	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	1	60000	2	120000	2	120000
	योग	4554	16890922	4798	25186895	4853	25170877
विकासखण्ड-नरहरपुर							


अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 नया रायपुर अटल नगर

1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	233	1398000	242	1452000	229	1374000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3178	4846357	3239	5322157	3288	5704357
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1874	7870800	1874	11244000	1796	10776000
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	436	1831200	436	2616000	446	2676000
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	304	1276800	307	1842000	295	1770000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	3950	16590000	4091	24546000	4114	24684000
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	20	84000	32	192000	16	96000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	70	431622	55	351679	43	354189
9	सामर्थ्य विकास योजना	30	3615	5	7560	0	0
10	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	0	0	1	50000	1	50000
11	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	147	239300	193	321700	147	240300
12	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	1	6000
13	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	85	100404
14	मोटोराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	1	60000	2	120000	4	240000
	योग	10243	34631694	10477	48065096	10465	48071250
विकासखण्ड-दुर्गुकोदल							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	209	1254000	209	1254000	201	1206000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	891	1396912	891	1396912	891	1396912
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	179	1396200	179	1396200	179	1396200
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	484	2032800	484	2904000	454	2724000
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	670	2814000	670	4020000	669	4014000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	719	3019800	797	4782000	705	4230000

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 नगर विकास अटल नगर

7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2674	11230800	2968	17808000	2853	17118000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	7	140000	4	80000	8	160000
9	सामर्थ्य विकास योजना	70	421682	55	351697	25	450119
10	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	40	67400	43	72500	54	90200
11	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	29	29142
12	मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	2	120000	1	60000	4	240000
	योग	5945	23893594	6301	34125309	6072	33054573
विकासखण्ड-कोयलीबेडा							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	88	528000	93	558000	81	486000
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2014	3035825	2325	5461625	2071	3480425
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	389	3034200	700	5460000	446	3478800
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	860	3612000	920	5520000	805	4830000
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	1063	4464600	1251	7506000	1137	6822000
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1035	4347000	1193	7158000	1023	6138000
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2090	8778000	2310	13860000	2253	13518000
8	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना	42	840000	38	760000	62	1240000
9	सामर्थ्य विकास योजना	70	421682	60	381785	30	319143
10	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	41	66700	9	63000	91	148700
11	मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना	0	0	0	0	44	99544
12	मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदाय योजना	2	120000	3	180000	4	240000
	योग	7694	29248007	8902	46908410	8047	40800612

Prof. M.
अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

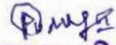
पॉरीशेष्ट - छेयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 474) की जानकारी

प्रपत्र

राशनकार्डधारियों को वितरित खाद्यान्न सामग्री की मात्रा की जानकारी

क्र.	कार्ड का प्रकार	खाद्यान्न सामग्री की मात्रता एवं दर				
		चावल	शक्कर	नमक	चना	केरोसिन
1	अन्योदय	35 किलो ग्राम	1 किलो ग्राम	1 किलो ग्राम	अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में 2 किलोग्राम	अधिकतम 2 लीटर प्रति राशनकार्ड
2	प्राथमिकता	एक सदस्य 10 किलो ग्राम, दो सदस्य 20 किलो ग्राम, तीन या पांच सदस्य तक 35 किलो ग्राम एवं 05 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो ग्राम	1 किलो ग्राम	1 किलो ग्राम	अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में 2 किलोग्राम	अधिकतम 2 लीटर प्रति राशनकार्ड
3	निःशक्तजन	10 किलो ग्राम				
4	निराश्रित	10 किलो ग्राम				
5	सामान्य परिवार	एक सदस्य 10 किलो ग्राम, दो सदस्य 20 किलो ग्राम, तीन या तीन से अधिक 35 किलो ग्राम				



अनुभाग अधिकारी

नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परीशेष - सेंतालौस

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 670) की जानकारी

राज्य में "नशामुक्त भारत अभियान" अंतर्गत पिछले 02 वर्षों में केन्द्रीय अनुदान प्राप्त 02 नशामुक्ति केन्द्र संचालित है। इन संस्थाओं को प्राप्त राशि, व्यय एवं मदवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	मदवार विवरण	जिला - रायपुर				जिला - दुर्ग			
		स्वैच्छिक संस्था संकल्प सांस्कृतिक समिति नशामुक्ति केन्द्र, रायपुर में संचालित है।				स्वैच्छिक संस्था कल्याणी सोशल वेलफेयर सोसायटी एण्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दुर्ग में संचालित है।			
		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
		प्रदत्त राशि	व्यय राशि	प्रदत्त राशि	व्यय राशि	प्रदत्त राशि	व्यय राशि	प्रदत्त राशि	व्यय राशि
01	कर्मचारियों का मानदेय व्यय	21,60,000	21,60,000	17,28,000	17,28,000	24,00,000	24,00,000	21,00,000	21,00,000
02	भवन किराया व्यय	1,94,400	1,94,400	1,55,520	1,55,520	2,16,000	2,16,000	2,00,000	2,00,000
03	दवाईयां व्यय	1,51,200	1,51,200	1,20,960	1,20,960	1,68,000	1,68,000	1,00,000	1,00,000
04	विविध व्यय	86,400	86,400	69,120	69,120	96,000	96,000	53,000	53,000
05	रसोई व्यय	5,34,600	5,34,600	4,27,680	4,27,680	2,97,224	2,97,224	1,00,120	1,00,120
06	परिवहन/पेट्रोल एवं वाहन रखरखाव व्यय	64,800	64,800	51,840	51,840	0	0	0	0
07	गैर आवर्ती व्यय	0	0	1,76,400	1,76,400	0	0	0	0
	योग	31,91,400	31,91,400	27,29,520	27,29,520	31,77,224	31,77,224	25,53,120	25,53,120

अनुभाग अधिकारी
समीक्षा कल्याण विभाग,
रायपुर, रा. रा. रा. रा. रा. रा.

पॉरीशेष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 711) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	कार्यरत आं.बा. कार्यकर्ताओं की संख्या	कार्यरत आं.बा. सहायिकाओं की संख्या
1	2	3	4
1	बालोद	1523	1520
2	बलौदाबाजार	1624	1603
3	बलरामपुर	2360	2286
4	बस्तर	1990	1986
5	बेमेतरा	1196	1187
6	बीजापुर	1186	1172
7	बिलासपुर	1923	1907
8	दंतेवाड़ा	1059	1049
9	धमतरी	1160	1155
10	दुर्ग	1545	1533
11	गरियाबंद	1514	1489
12	गौरेला	829	806
13	जांजगीर	1362	1347
14	जशपुर	4094	4047
15	कबीरधाम	1736	1723
16	कांकेर	2121	2112
17	खैरागढ़	651	636
18	कोण्डागांव	1827	1814
19	कोरबा	2591	2558
20	कोरिया	796	688
21	महासमुंद	1790	1778
22	मनेन्द्रगढ़	981	945
23	मोहला	900	901
24	मुंगेली	1139	1134
25	नारायणपुर	598	596
26	रायगढ़	2705	2692
27	रायपुर	1935	1923
28	राजनांदगांव	1506	1505
29	सक्ती	918	913

क्र.	जिले का नाम	कार्यरत आं.बा. कार्यकर्ताओं की संख्या	कार्यरत आं.बा. सहायिकाओं की संख्या
1	2	3	4
30	सांरगढ़	1127	1110
31	सुकमा	1029	1024
32	सूरजपुर	2067	1998
33	सरगुजा	2523	2468
योग		52305	51605

परीक्षित - उन्नास

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 726) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	विकासखण्ड का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	स्वयं के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या	भवन विहीन केन्द्र	जर्जर भवनों की संख्या
1	धरमजयगढ़	592	463	129	87
2	खरसिया	421	280	141	74
3	लैलूंगा	467	315	152	81
4	रायगढ़	434	236	198	37
5	पसान	331	262	69	45
6	घरघोड़ा	226	168	58	27
7	तमनार	238	201	37	28
योग		2709	1925	784	379

परीशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 735) की जानकारी

प्रपत्र

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में से स्वयं के दुकान सह गोदाम, किराए के भवन में संचालित एवं जर्जर उचित मूल्य दुकान भवन की जानकारी

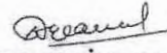
क्र.	दुकान की आई.डी.	दुकान का नाम	भवन जिसमें दुकान संचालित है
1	402004001	आदर्श महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति पकरिया	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
2	402004003	नर्मदा स्व सहायता समूह तखतपुर निगारबंद	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
3	402004008	विद्या महिला स्व सहायता समूह मुडपार बेलमान	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
4	402004009	महामाया महिला स्व सहायता समूह पुरा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
5	402004010	नव जाग्रति महिला स्व सहायता समूह ठाकुरकापा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
6	402004011	प्रगति महिला स्व सहायता समूह पौडी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
7	402004012	सेवा सहकारी समिति, जरौधा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
8	402004013	खपरी संलग्न माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह जरेली	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
9	402004015	गंगा महिला स्व सहायता समूह, केकती	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
10	402004016	माँ संतोषी महिला स्व सहायता समूह पेंडी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
11	402004019	खुशी महिला स्व सहायता समूह हरदी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
12	402004026	महामाया महिला स्व सहायता समूह चनाडोगरी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
13	402004027	संलग्न मोछ ग्राम पंचायत लिदरी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
14	402004031	ग्राम पंचायत, पंचबहरा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
15	402004032	सेवा सहकारी समिति नेवरा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन

क्र.	दुकान की आई.डी.	दुकान का नाम	भवन जिसमें दुकान संचालित है
16	402004033	सुकन्या महिला स्व सहायता समूह समडीह	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
17	402004038	ग्राम पंचायत पाली	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
18	402004042	बेलसरा संलग्न मां लक्ष्मी महिला समूह दर्री	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
19	402004043	शीतला महिला स्व सहायता समूह सफरीभाठा (विजयपुर)	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
20	402004046	तुलसी स्व सहायता समूह हांफा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
21	402004051	सागर संलग्न जय महामाया महिला स्व सहायता समूह काठाकोनी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
22	402004052	ग्राम पंचायत मेडपार बाजार	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
23	402004054	हिरी माईनस प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित खरकेना	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
24	402004056	मरही माता महिला स्व सहायता समूह लाखासार (केकराड)	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
25	402004059	जागो महिला स्व सहायता समूह लमेर	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
26	402004061	जय शाकम्बरी महिला स्व सहायता समूह लोखण्डी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
27	402004066	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह अमसेना	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
28	402004069	ग्राम पंचायत चोरभट्टी खुर्द	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
29	402004071	गंगा महिला स्व सहायता समूह मेण्डरा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
30	402004072	माँ काली महिला स्व सहायता समूह परसदा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
31	402004073	सत्य महिला स्व सहायता समूह पेण्डारी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
32	402004074	सावित्री बाई फुले महिला स्व सहायता समूह भिलौनी (बिनौरी) बिनौरी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
33	402004075	सुजनानंद महिला सहकारी समिति संबलपुरी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
34	402004080	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह काठाकोनी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन

क्र.	दुकान की आई.डी.	दुकान का नाम	भवन जिसमें दुकान संचालित है
35	402004081	जय भवानी महिला स्व सहायता समूह जोंकी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
36	402004082	नवजागृति महिला स्व सहायता समूह तुरकाडीह	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
37	402004085	भाडम संलग्न जगत जननी महिला स्व सहायता समूह नारोतीकापा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
38	402004086	जय बोल बम महिला स्व सहायता समूह भरनी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
39	402004087	आदर्श महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति परसाकापा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
40	402004091	माँ सक्ती महिला स्व सहायता समूह घोंघाडीह	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
41	402004093	बेलगहना संलग्न नव जागृति महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति भकुरानवापारा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
42	402004095	नव जागृति महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
43	402004096	माँ काली महिला स्व सहायता समूह परसदा (पथर)	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
44	402004100	जय मां लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह दर्री	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
45	402004101	ग्राम पंचायत, घोघरा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
46	402004107	जय महावीर स्व सहायता समूह विंध्यासार	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
47	402004108	भवानी महिला स्व. सहायता समूह चितावर	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
48	402004112	जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह सलहैया	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
49	402004115	एकता महिला बहुउद्देश्यीयसहकारी समिति मर्यादित कपसियाखुर्द	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
50	402004120	माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह जरेली	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
51	402004123	ग्राम पंचायत चोरमा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
52	402004130	जगत जननी महिला स्व सहायता समूह नारोतीकापा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
53	402004070	महामाया महिला स्व सहायता समूह बेलटुकरी	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन

क्र.	दुकान की आई.डी.	दुकान का नाम	भवन जिसमें दुकान संचालित है
54	402004097	समृद्धि महिला स्व सहायता समूह टाडा	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम भवन
55	401004001	प्रा.सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित तखतपुर	किराए का भवन
56	401004002	प्रा.सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित तखतपुर	किराए का भवन
57	401004003	माँ लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह तखतपुर	किराए का भवन
58	401004004	स्व छितीय बाई स्व सहायता समूह बेलसरी तखतपुर	किराए का भवन
59	402004007	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह दैजा	किराए का भवन
60	402004018	जय मां शक्ति महिला स्व सहायता समूह ग्राम बीजा	किराए का भवन
61	402004023	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह सोनबंधा	किराए का भवन
62	402004039	माँ चण्डी महिला स्व सहायता समूह बांधा	किराए का भवन
63	402004040	जयमां तुलसी महिला स्व सहायता समूह डोमनपुर	किराए का भवन
64	402004063	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार हिरीमाईस छतौना	किराए का भवन
65	402004064	तारा महिला स्व सहायता समूह बोडसरा	किराए का भवन
66	402004088	महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति अरईबंद	किराए का भवन
67	402004098	महामाया स्व सहायता समूह भीमपुरी	किराए का भवन
68	402004110	सत्य ज्योति महिला स्व सहायता समूह गुनसरी	किराए का भवन
69	402004114	राजपुर संलग्न बुढा देव महिला स्व सहायता समूह खमहरिया	किराए का भवन
70	402004116	स्वामी विवेकनन्द महिला स्व सहायता समूह सफरीभाठा	किराए का भवन
71	402004126	जागृति महिला स्व सहायता समूह गोकुलपुर	किराए का भवन
72	402004129	सूर्याश बहुउद्देश्यीय समिति मर्यादित पंडरीपार (घुटकू)	किराए का भवन

क्र.	दुकान की आई.डी.	दुकान का नाम	भवन जिसमें दुकान संचालित है
73	401001136	जय मिनी माता श्री महिला स्व सहायता समूह दलदरिहा पारा सकरी	किराए का भवन
74	401001137	संतोषी महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्यादित	किराए का भवन
75	402004102	सुधाराम खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी मर्यादित बिलासपुर	किराए का भवन
76	402004103	अरुंधतीराय महिला स्व सहायता समूह अमेरी	किराए का भवन
77	402004104	महामाया ज्योति महिला स्व. सहायता समूह	किराए का भवन
78	401001120	संगवारी मिलन जन कल्याण समिति	किराए का भवन
79	401001124	जै मां दुर्गे महिला स्व सहायता समूह अमेरी	किराए का भवन
80	401001155	जय भारती महिला स्व सहायता समूह	किराए का भवन
81	402004005	जय माँ भवानी स्व सहायता समूह करनकांपा	PDS सह गोदाम भवन जर्जर है (वर्तमान में दुकान सामुदायिक भवन में संचालित है)
82	402004044	जय माँ लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह रानीडेरा	PDS सह गोदाम भवन जर्जर है (वर्तमान में दुकान सामुदायिक भवन में संचालित है)


सहायक संचालक

अनुभाग अधिकारी
खाद्य वित्तियक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि.
मंचालय, नया रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - इन्क्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 751) की जानकारी

प्रपत्र

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पंजीकृत हितग्राहियों की विकासखंडवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत कानाम	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	योग
विकासखंड - बिल्हा					
1	अकलतरी	82	27	0	109
2	बैमा	84	45	3	132
3	बाम्हू	80	12	0	92
4	बांका	50	8	5	63
5	बेसहा	41	96	5	142
6	बेलतरा	156	69	11	236
7	भाड़ी	56	31	0	87
8	भरारी	88	59	0	147
9	भरवाडीह	108	38	0	146
10	भिल्मी	56	27	2	85
11	बिटकुली(न.)	31	61	3	95
12	चोरहादेवरी	64	30	2	96
13	डगनिया	21	131	10	162
14	धौरामुड़ा	40	60	5	105
15	गढ़वट	56	112	0	168
16	गतौरी	20	56	1	77
17	गिधौरी	34	68	1	103
18	गोंदैया	73	15	0	88
19	जलसो	61	66	6	133
20	कछार	115	27	2	144
21	कदारी	21	81	2	104
22	कर्मा	32	28	0	60
23	खैरा (डी)	94	20	3	117
24	खैरा(एल)	106	5	3	114
25	खैरखुंडी	20	27	0	47
26	कोरबी	67	23	3	93
27	लगरा	94	5	0	99
28	लखराम	116	41	11	168
29	लिम्हा	133	57	1	191
30	लोफंदी	42	226	2	270
31	मदनपुर	109	55	1	165

क्रमशः...2

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
समोज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	ग्राम पंचायत कानाम	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	योग
32	मंजूरपहरी	53	34	0	87
33	मटियारी	90	87	21	198
34	मोहरा	78	95	2	175
35	मोहतराई	67	10	0	77
36	नगोई	107	154	3	264
37	नवागांव	48	24	0	72
38	नेवसा	71	171	8	250
39	परसदा(से)	24	118	5	147
40	परसाही	85	10	1	96
41	पेंडरवा(यू)	79	9	1	89
42	फरहदा	38	41	0	79
43	पौंसरा	223	25	2	250
44	रामपुर	34	23	0	57
45	रमतला	60	54	1	115
46	सल्खा	41	104	3	148
47	सरवनदेवरी	20	33	0	53
48	सेलर	24	165	4	193
49	सेमरताल	80	59	5	144
50	सेमरा	22	46	0	68
51	सेंदरी	37	124	7	168
52	सिंघरी	103	32	3	138
53	टेकर	69	60	2	131
54	उच्चबट्टी	84	104	4	192
55	उरतुम	72	21	1	94
योग -		3759	3209	155	7123
विकासखंड - कोटा					
1	भरवीडीह	36	5	0	41
2	जाली	99	31	8	138
3	कलमीटार	96	34	3	133
4	कर्मा	127	45	7	179
5	मेलनाडीह	46	13	3	62
6	नवागांवकर्मा	85	41	0	126
7	रानीगांव	246	54	2	302
8	सीस	184	28	7	219
योग -		919	251	30	1200
महायोग -		4678	3460	185	8323

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 758) की जानकारी

जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्य।

प्रपत्र-अ

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष	डीएमएफ अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को स्वीकृत किये गये कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	कार्यकारी एजेंसी का नाम	स्वीकृत कार्य की स्थिति			व्यय राशि
							अप्रारंभ	प्रगतिरत	पूर्ण	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्लास्टिक फूड कंटेनर प्रदाय	11663190	10496871	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	-	पूर्ण	10496871
1	समस्त जिला- बिलासपुर	2023-24	80 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल/आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन/विकसित कराने बाबत	20152000	10076000	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	-	-	प्राप्त राशि डीएमएफ को वापस कर दी गई है।
2		2024-25								
3	योग			76000000	30400000	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	प्रगतिरत	-	क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		2025-26	जिले के 04 परियोजनाओं बिल्हा, सरकंडा, मस्तुरी एवं सीपत में संयोजित 800 आंगनबाड़ी केन्द्रों में रसोई गैस का वितरण कार्य	39415190	23612871					10496871

जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्य।

क्र.	जिला	वित्तीय वर्ष	कार्य का स्वरूप (प्रस्तावित कार्य)	प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक/ दिनांक	प्रस्तावित राशि
1	2	3	4	5	6
1	बिलासपुर	2023-24	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना अंतर्गत जिले में 17434 गर्भवती माताओं को को माह अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक कुल 145 दिवस हेतु (15/- प्रति गर्भवती माता के मान से) गरम भोजन का वितरण बाबत	966/05.07.23	37918950
2	बिलासपुर	2023-24	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना अंतर्गत जिले में 06 माह से 03 वर्ष के कुपोषित बच्चों (कुल 10284 कुपोषित बच्चों) को 8/- प्रति कुपोषित बच्चों के मान से माह अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक कुल 145 दिवस हेतु गरम भोजन का वितरण बाबत	965/05.07.23	11929440
3	बिलासपुर	2023-24	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना अंतर्गत जिले में 06 माह से 06 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों (कुल 4580 कुपोषित बच्चों) को 6/- प्रति कुपोषित बच्चों के मान से माह अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक कुल 48 दिवस हेतु अतिरिक्त आहार पौष्टिक लड्डू धुड़बला अपड़ा का वितरण बाबत	967/05.07.23	1319040
4	बिलासपुर	2023-24	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना अंतर्गत जिले में 15 से 49 आयु वर्ग की 1000 एनीमिक किशोरी/महिलाओं को 15/- प्रति हितग्राही के मान से माह अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक कुल 148 दिवस हेतु गरम भोजन का वितरण बाबत	4078/07.03.23	2200000
5	बिलासपुर	2024-25	निरंक		
योग					
					53367430

परीशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 765) की जानकारी

प्रपत्र -अ

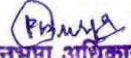
अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों एवं संबद्ध राशनकार्डों की जानकारी

स.क्र	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम	कुल राशनकार्डों की संख्या
1	अकलतरा नगर पंचायत	541005001	सेवा सहकारी समिति अकलतरा	786
2	अकलतरा नगर पंचायत	541005002	विपणन सहकारी संस्था अकलतरा	1042
3	अकलतरा नगर पंचायत	541005003	सर्वोदय महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार अकलतरा	1088
4	अकलतरा नगर पंचायत	541005004	उत्थान महिला स्व. सहायता समूह अकलतरा	963
5	अकलतरा नगर पंचायत	541005005	साथिया महिला स्व. सहायता समूह अकलतरा	603
6	अकलतरा नगर पंचायत	541005006	संलग्न उत्सव महिला स्व सहायता समूह अकलतरा	721
7	अकलतरा नगर पंचायत	541005007	उत्सव महिला स्व सहायता समूह अकलतरा	749
8	अकलतरा नगर पंचायत	541005008	उत्थान महिला स्व सहायता समूह अकलतरा	744
9	अकलतरा नगर पंचायत	541005009	गरिमा महिला स्व. सहायता समूह अकलतरा	628
10	बलौदा नगर पंचायत	541007001	सेवा सहकारी समिति बलौदा	700
11	बलौदा नगर पंचायत	541007002	विपणन सहकारी समिति बलौदा	902
12	बलौदा नगर पंचायत	541007003	लक्ष्मी बाई महिला सहकारी समिति बलौदा	867
13	बलौदा नगर पंचायत	541007004	सफुरा बाई महिला स्व सहायता समूह बलौदा	593
14	बलौदा नगर पंचायत	541007005	चंद्रहासिनी महिला स्व सहायता समूह बलौदा	602
15	बलौदा नगर पंचायत	541007006	जय माँ संतोषी महिला स्व सहायता समूह बलौदा	879
16	नरियरा नगर पंचायत	541014002	सुगंधित महिला स्व सहायता समूह नरियरा	540
17	नरियरा नगर पंचायत	541014006	मनिषा महिला स्व सहायता समूह नरियरा	478
18	कोटमीसोनार	542003001	संलग्न मां बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कोटमीसोनार	1774
19	अकलतरी	542003002	सेवा सहकारी समिति अकलतरी	662
20	करूमहूँ	542003003	बंजारे महिला स्व सहायता समूह करूमहूँ	980
21	पकरिया (ल.)	542003004	सेवा सहकारी समिति पकरिया (ल.)	684
22	अर्जुनी	542003005	सती महिला स्व सहायता समूह अर्जुनी	1332
23	खिसोरा	542003006	सेवा सहकारी समिति अकलतरा उपकेन्द्र खिसोरा	776
24	खोंड	542003007	सेवा सहकारी समिति खटोला उपकेन्द्र खोंड	536
25	खटोला	542003008	सेवा सहकारी समिति खटोला	753
26	साजापाली	542003009	सी जी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह मौहाडीह	712
27	कोटगढ़	542003010	जय ठाकुर देव महिला स्व सहायता समूह कोटगढ़	935
28	परसाही (बाना)	542003011	कल्पना महिला स्व सहायता समूह बाना	870
29	बम्हनी	542003012	सतनाम महिला स्व. सहायता समूह बम्हनी	538

स.क्र	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम	कुल राशनकार्डों की संख्या
30	कटघरी	542003013	सेवा सहकारी समिति कोटगढ उपकेन्द्र कटघरी	1134
31	कल्याणपुर	542003014	जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह कल्याणपुर	778
32	पडरिया	542003015	सेवा सहकारी समिति कोटगढ उपकेन्द्र पडरिया	833
33	पोड़ीदल्हा	542003016	सेवा सहकारी समिति पोड़ीदल्हा	2098
34	चंगोरी	542003017	सेवा सहकारी समिति पोड़ीदल्हा उपकेन्द्र चंगोरी	994
35	तरौद	542003018	सेवा सहकारी समिति तरौद	1401
36	अमोरा	542003019	माँ चंद्रहासिनी स्व सहायता समूह अमोरा	1720
37	तिलई	542003020	अन्नधरी महिला स्व सहायता समूह तिलई	2015
38	मुडपार	542003021	सेवा सहकारी समिति तिलई उपकेन्द्र मुडपार	753
39	तागा	542003022	जय माँ सरस्वती महिला स्व.सहायता समूह तागा	1209
40	पकरिया झू	542003023	सेवा सहकारी समिति पकरिया झू	1613
41	भैसतरा दमामी	542003024	सेवा सहकारी समिति भैसतरा	787
42	बूचीहरदी	542003025	सेवा सहकारी समिति भैसतरा उपकेन्द्र बूचीहरदी	668
43	कटनई	542003026	बजरंग चौक महिला स्व सहायता समूह कटनई	828
44	हरदी	542003027	सेवा सहकारी समिति हरदी	1621
45	बरपाली	542003028	जय गुरुदेव महिला स्वसहायता समूह बरपाली	646
46	रसेडा	542003029	जय अम्बे स्व.सहायता समूह रसेडा	1015
47	बनाहिल	542003030	महामाया महिला स्वसहायता समूह बनाहिल	647
48	लटिया	542003031	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह लटिया	709
49	अमलीपाली	542003032	गंगा महिला स्व सहायता समूह अमलीपाली	549
50	मधुवा	542003033	सेवा सहकारी समिति अकलतरी उपकेन्द्र मधुवा	580
51	झलमला	542003034	ज्योति महिला स्व सहायता समूह झलमला	1348
52	फरहदा	542003035	मां शुक्ला महिला स्व सहायता समूह फरहदा	545
53	परसदा	542003036	मरकिन माता महिला स्व सहायता समूह परसदा	946
54	सोनादूला	542003037	आदर्श महिला स्व सहायता सोनादूला	479
55	किरारी	542003038	मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह किरारी	1539
56	कापन	542003039	जय माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह कापन	1534
57	नरियरा	542003040	अन्नदाता महिला स्व सहायता समूह नरियरा	1154
58	बरगांव	542003041	अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह बरगांव	920
59	मुरलीडीह	542003042	प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति मर्यादित अमोरा	881
60	पचरी	542003043	जय गुरुदेव महिला स्व सहायता समूह बरपाली (पचरी)	696
61	बिरकोनी	542003044	मा अम्बे महिला स्व सहायता समूह बिरकोनी	673
62	परसाही (नाला)	542003045	पारस धाम महिला स्व.सहा समूह परसाही नाला	663
63	सांकर	542003046	मां शुक्ला महिला स्वास्थ्य, समुह ग्राम फरहदा (संलग्न संकर)	743
64	सोनसरी	542003047	जयमाता रानी महिला स्व सहायता समूह सोनसरी	1016
65	पौना	542003048	संतोषी माता महिला स्व सहायता समूह पौना	1292
66	पिपरसत्ती	542003049	संलग्न कल्पना महिला स्व सहायता समूह बाना (पिपरसत्ती)	1300
67	पिपरदा	542003050	शारदा महिला स्व सहायता समूह पिपरदा	397
68	आरसमेटा	542003051	जागृति महिला स्व सहायता समूह आरसमेटा	762

स.क्र	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम	कुल राशनकार्डों की संख्या
69	अमरताल	542003052	ग्राम पंचायत अमरताल	1001
70	नरियरा	542003053	जागृति महिला स्व सहायता समूह नरियरा	821
71	बाना	542003054	कल्पना महिला स्व सहायता समूह बाना	702
72	रोगदा	542003055	सेवा सहकारी समिति तरौद उपकेन्द्र रोगदा	403
73	महमदपुर	542003056	वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह महमदपुर	346
74	चंदिनया	542003057	दुर्गा महिला स्व सहायता समूह चंदिनया	399
75	करहीडीह	542003058	जीवन ज्योति महिला स्व सहायता समूह करहीडीह	339
76	कोटमीसोनार	542003059	माँ बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कोटमीसोनार	1464
77	खैजा	542004001	संलग्न जय सतनाम महिला स्व सहायता समूह परसदा	994
78	बोकरेल	542004002	देविका स्व सहायता समूह बोकरेल	661
79	बेलदुकरी	542004003	रमा महिला स्व सहायता समूह बेलदुकरी	614
80	बक्सरा	542004004	जय बजरंग स्व सहायता समूह बक्सरा	570
81	अंगारखार	542004005	संलग्न मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह पुरेना गतवा	744
82	करमा	542004006	सेवा सहकारी समिति बक्सरा (करमा)	582
83	गतवा	542004007	मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह पुरेना गतवा	448
84	महुदा (ब)	542004008	सेवा सहकारी समिति महुदा ब	462
85	नवापारा (ख)	542004009	संलग्न खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित रसौटा	781
86	चारपारा	542004010	सेवा सहकारी समिति (महुदा ब) चारपारा	1236
87	ढोरला	542004011	जय दुर्गे मां महिला स्व सहायता समूह ढोरला	688
88	बिरगहनी (ब.)	542004012	बिहारीदाई महिला स्व सहायता समूह बुडगहन (संलग्न)	570
89	जर्वे (ब)	542004013	सेवा सहकारी समिति (जर्वे ब) जर्वे ब	1013
90	औरईकला	542004014	सेवा सहकारी समिति (जर्वे ब) औराईकला	1112
91	जावलपुर	542004015	सेवा सहकारी समिति (जावलपुर) जावलपुर	1401
92	रसौटा	542004016	खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित रसौटा	730
93	पोन्च	542004017	सचिव ग्राम पंचायत पोन्च	541
94	दहकोनी	542004018	माँ शारदा महिला स्व सहायता समूह दहकोनी	432
95	नवापारा (ब)	542004019	माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह नवापारा (ब)	725
96	पहरीया	542004020	सेवा सहकारी समिति पहरीया	807
97	नवगावां	542004021	संलग्न माँ खमदेश्वरी महिला स्व सहायता समूह बगडबरी	676
98	परसदा	542004022	जय सतनाम महिला स्व सहायता समूह परसदा	467
99	करमन्दा	542004023	माता दाई महिला स्व सहायता समूह करमन्दा	524
100	बोकरामुड़ा	542004024	माँ अन्नधरी महिला स्व सहायता समूह बोकरामुड़ा	508
101	बछौद	542004034	जय महामाया महिला स्व सहायता समूह बछौद	768
102	हेडसपुर	542004035	सेवा सहकारी समिति बक्सरा (हेडसपुर)	798
103	रैनपुर	542004036	संलग्न मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह पुरेना गतवा	533
104	खोहा	542004041	ग्राम पंचायत खोहा	564
105	नवागांव	542004043	संलग्न देविका स्व सहायता समूह बोकरेल	713

स.क्र	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय	उचित मूल्य दुकान आई डी क्रमांक	दुकान संचालन एजेंसी का नाम	कुल राशनकार्डों की संख्या
106	बगडबरी	542004044	माँ खग्देश्वरी महिला स्व. सहायता समूह बगडबरी	387
107	खिसोरा	542004046	संलग्न खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित रसोटा	1248
108	कच्छरा	542004047	संलग्न रमा महिला स्व सहायता समूह बेलटुकरी	667
109	कुरमा	542004048	सदाबहार महिला स्व सहायता समूह कुरमा	624
110	कोरबी	542004049	संलग्न सफुरा बाई महिला स्व सहायता समूह बलौदा	654
111	भिलाई	542004050	संलग्न ममता महिला स्व सहायता समूह डोंगरी	639
112	डोंगरी	542004051	ममता महिला स्व सहायता समूह डोंगरी	979
113	बुडगहन	542004052	बिहारीदाई महिला स्व सहायता समूह बुडगहन	1298
114	हरदीविशाल	542004053	विजय लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह हरदीविशाल	641
115	औरईखुर्द	542004054	जय मां संतोषी स्व सहायता समूह औराईखुर्द	569
116	देवरी	542004057	अटल महिला स्व सहायता समूह देवरी	516
117	पनोतरा	542004058	संलग्न रमा महिला स्व सहायता समूह बेलटुकरी	1025
118	सोनबरसा	542004059	सफूरामाता स्व सहायता समूह सोनबरसा	258
119	झपेली	542004060	अटल महिला स्व सहायता समूह झपेली	377
120	पनोरा	542004061	बिहारी दाई महिला स्व सहायता समूह बुडगहन पनोरा	483
121	केराकछार	542004062	संलग्न मां गायत्री महिला स्व सहायता समूह पुरेना गतवा	570
122	जुनाडीह	542004063	खुशबू महिला स्व सहायता समूह जुनाडीह	377
123	पुरेना	542004064	जय छत्तीसगढ़ महिला स्व सहायता समूह पुरेना	426
124	बैजलपुर	542004065	ज्योति नाबार्ड स्व सहायता समूह बैजलपुर	357
योग				101155

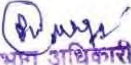

अनुभाग अधिकारी
 श्रम न्यायिक आकृति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

उचित मूल्य की दुकानों की संख्या एवं स्थिति

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 8- उचित मूल्य की दुकानों की संख्या एवं स्थिति - उचित मूल्य दुकानों की संख्या तथा स्थिति, जिला कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी, तथा वह निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-

- (क) सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में 500 राशन कार्ड वाले क्षेत्र के लिये एक उचित मूल्य दुकान की दुकान होगी। दुकानें उन क्षेत्रों में स्थापित की जायेंगी, जहाँ हितग्राहियों के लिये खाद्यान्न प्राप्त करना सुविधाजनक हो।
- (ख) दुकानों की संख्या तथा स्थिति ऐसे अवधारित की जाये, जिससे हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े।
- (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः, ग्राम पंचायत को इकाई के रूप में विचार करते हुए, उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जायेगी।


अनुभवा अधिकारी
जन नगरिक आर्कृति एवं उपयोगिता संस्कार विभाग
मंत्रालय, नया राधुद, अटल नगर

परिशेष - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 783) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना अंतर्गत सामग्री प्राप्त दिव्यांग हितग्राहियों की ग्रामवार जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	सामग्री प्राप्त दिव्यांगजनों की संख्या	क्र.	ग्राम का नाम	सामग्री प्राप्त दिव्यांगजनों की संख्या
1	भडोरा	1	29	करिगांव	1
2	बड़े मुडपार	10	30	कांशीडीह	6
3	मालखरोदा	8	31	कांसा	3
4	नावापारा	1	32	तुलसीडीह	2
5	रेडा	1	33	गोविन्दपुर	1
6	हरदी	3	34	सकर्वा	2
7	बंदोरा	1	35	बुंदेली	1
8	कसमुल	1	36	पिरदा	2
9	करापाली	1	37	सुकलीपाली	1
10	सिंघीतराई	3	38	अचरितपाली	1
11	पोता	1	39	सुखदा	1
12	मोहतरा	2	40	चरौदा	1
13	निमोही	1	41	दरौ	1
14	दरभांठा	7	42	आडिल	2
15	अण्डी	2	43	नरियरा	2
16	कलमी	2	44	कटेकोनी	1
17	मन्द्रागोडी	2	45	कुरदा	1
18	छपोरा	2	46	कुधरी	1
19	सकर्वा	1	47	औरदा	1
20	धकुनाभांठा	2	48	किरकार	1
21	गिरगिरा	1	49	परसी	1
22	सिंघरा	3	50	बघौद	1
23	मिरौनी	1	51	कलमा	1
24	सोनादुला	1	52	खोरसिया	1
25	बड़े सीपत	3	53	खैरामुडा	1
26	पेण्डरुवां	1	54	नगर पंचायत चन्द्रपुर	5
27	भगौद	1	55	नगर पंचायत अडभार	10
28	छुछुभांठा	1	56	नगर पंचायत डभरा	9
				कुल-	125

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पॉरीशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 799) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नांश-क अनुसार खरीदी गई प्यूरीफायर के संबंध में मद का नाम क्रय की दर, प्यूरीफायर कंपनी, वारंटी अवधि, सप्लायर की जानकारी का विवरण

स.क्र.	वॉटर प्यूरीफायर क्रय का वर्ष	मद का नाम जिससे क्रय किया गया	सामग्री की दर(रूपये में)	सामग्री की संख्या (नग में)	कंपनी का नाम	प्यूरीफायर का विवरण	प्रदायकर्ता फर्म का नाम	गारंटी/ वारंटी की अवधि (वर्ष में)
1	2024-25	डी.एम.एफ मद	49850	320	एक्वाफ्रेश	प्यूरीफिकेशन क्षमता 100 लीटर प्रति घंटा, प्रेशर टैंक 20 ली. के साथ	वर्धमान टेक्नोलॉजिस एंड ऑटोमेशन भिलाई	3
2	2024-25	सक्षम आंगनबाड़ी	8490	600	प्यूरैला	प्यूरीफिकेशन क्षमता 10 लीटर प्रति घंटा, स्टोरेज क्षमता 8 लीटर	रिद्धि सिद्धि सॉल्यूशन्स	1
3	2025-26	डी.एम.एफ मद	49650	320	एक्वाफ्रेश	प्यूरीफिकेशन क्षमता 125 लीटर प्रति घंटा, प्रेशर टैंक 20 ली. के साथ	वर्धमान टेक्नोलॉजिस एंड ऑटोमेशन भिलाई	3

परिशेष - छप्पन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 37 (क्र. 822) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2024-25 एवं में राज्य में दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही एवं वितरित राशि की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
		लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	53590	2821.23	50562	733.12
2	महासमुन्द	72807	4443.14	70471	4304.14
3	धमतरी	52113	2479.08	47917	2384.24
4	बालौदा बाजार	25430	750.24	24188	20.53
5	गरियाबंद	42407	3574.08	40701	1613.46
6	दुर्ग	44368	1685.52	38701	12.69
7	बेमेतरा	42956	2603.68	39744	2377.15
8	बालोद	52137	3149.91	53814	3184.41
9	राजनादगांव	36712	2228.01	33805	2036.65
10	खैरागढ़-छईखदान-गंडई	18651	99.80	19068	103.78
11	मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी	17380	1038.35	17716	1073.76
12	कबीरधाम	61563	319.13	60261	220.31
13	बस्तर	36977	2286.65	35180	1275.05
14	कोण्डागांव	36989	2226.71	38232	2254.66
15	नारायणपुर	9561	580.32	8522	510.13
16	दंतेवाड़ा	6426	151.08	4695	15.36
17	सुकमा	13562	836.38	13417	795.71
18	बीजापुर	7116	166.38	6959	174.02
19	कांकेर	49308	2961.40	47232	2805.29
20	बिलासपुर	111494	6670.19	105342	6309.04
21	मुंगेली	59014	2744.55	60619	26312.44
22	गैरेला-पेण्ड्रा-मारवाही	9866	306.35	8500	6.30
23	रायगढ़	83707	5098.10	78383	4759.66
24	सारंगढ़-बिलाईगढ़	93752	2438.50	87304	865.31
25	कोरबा	64103	364.02	65895	415.26
26	सक्ती	53117	2182.60	48981	2057.14
27	जांजगीर-चांपा	55268	2300.32	50342	3082.34
28	सरगुजा	74417	3237.74	71587	15.34
29	जशपुर	39456	976.80	32978	2613.99
30	सूरजपुर	40780	2347.98	36647	2112.54
31	बलरामपुर	56075	3420.79	55262	3379.03
32	कोरिया	13900	4081.17	15350	163.49
33	मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	21457	1400.49	19644	1188.37
	योग	1456459	71970.69	1388019	79174.71

अनुमान अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

पारिशेष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 831) की जानकारी

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 15.06.2026 तक वर्षवार, योजनावार, मदवार प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की जानकारी

प्रपत्र अ' राशि रुपये में

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष का विवरण	योजना क्रमांक	योजना का नाम	मद का नाम	योजनांतर्गत जिले को प्राप्त राशि	योजनांतर्गत प्राप्त राशि में से रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत व्यय की गई राशि की जानकारी	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आजीवनवाडी भवन की संख्या	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभान्वित हितधारियों की संख्या	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2023-24	2023-24	9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	गर्भ पका भोजन	98098000	878236	114	13069	
2			5354	पोषण अभियान	सुपोषण चौपाल, डाटा रियाज, पोस्ताहन, पोषण मॉड, पोषण पखवाड़ा	20389750	2912821		3450	
3			9369	महिला जागृति शिविर	शिविर कार्यक्रम (तीजा पंथा, सम्मेलन मद)	49877779	7132973		5529	
4			1206	ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशा दर्शन व क्षमता	दिशा दर्शन व क्षमता	656250	10500		3	
5			9050	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (बाल सेटअप योजना)	दर्जायां पर व्यय एवं कार्यशाला, परिवहन, चिकित्सक पर व्यय, बच्चों को लेब टेस्ट	1750496	242598		485	
6			5645	न्यूनतम आवश्यकता योजना	आयोजन, श्रृंगार सामग्री एवं उपहार सामग्री	22000000	3087476		62	
7			6642	बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ	प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रचार-प्रचार	2000000	286423		2012	
8			6359	मध्यमश्रेी सुपोषण अभियान	केन्द्रों में प्रोटीन बार वित्की	85843000	865768		3811	
9			8957	नौवो सुरक्षा योजना	कार्यालय व्यय	60800	8694		256	
10			7884	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	डीबीटी के माध्यम से भ्रमंतान	0	0		1479	
रायपुर	11		7048	महंतारी वंदना योजना	डीबीटी के माध्यम से भ्रमंतान	0	0	114	73168	योजनांतर्गत प्राप्त नहीं होता अपितु जिलेवार प्राप्त होता है। विधानसभा क्षेत्र में हितधारियों की संख्या के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाता है।
12	2024-25	2024-25	9050	सक्षम आजीनवाडी किन्नर एवं पोषण-2.0 पोषण आहार योजना	गर्भ पका भोजन	280676075	15425489	114	103324	
13			5354	पोषण अभियान	सुपोषण चौपाल, डाटा रियाज, पोस्ताहन, पोषण मॉड, पोषण पखवाड़ा	98313000	13432515		8406	
14			7090	महिला जागृति शिविर एवं दिशा दर्शन	शिविर कार्यक्रम (तीजा पंथा, सम्मेलन मद)	57125200	8167885		2353	
15			7096	नौवो सुरक्षा योजना	दिशा दर्शन क्षमता	450000	17500		7652	
16			5645	मध्यमश्रेी कन्या विवाह योजना	दर्जायां पर व्यय एवं कार्यशाला, परिवहन, चिकित्सक पर व्यय, बच्चों को लेब टेस्ट	1486915	164285		5	
17			6651	पालना	आयोजन, श्रृंगार सामग्री एवं उपहार	16550000	2348269		47	
18			6642	बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ	मानदेय, पोस्ताहन एवं गर्भ पका भोजन	2350000	0		0	
19			7048	महंतारी वंदना योजना	प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रचार-प्रचार	1100000	66650		1331	
20			7884	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	डीबीटी के माध्यम से भ्रमंतान	0	0		3811	
						योग	208973865		27288855	

राशि रूपरे में

राशि रूप से										
स.क्र.	जिले का नाम	वर्ष का विवरण	योजना क्रमांक	योजना का नाम	मद का नाम	योजनामंत जिले को प्राप्त राशि	योजनामंत प्राप्त राशि में से रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत व्यय की गई राशि की जानकारी	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आनबाड़ी भवन की संख्या	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभार्थित हितधारियों की संख्या	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21			9050	सक्षम आनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण- 2.0-पोषण आंदोल योजना	गर्भ पका भोजन सुपोषण पोषाल, डाटा रिकार्ड, पोस्साहल , पोषण माह, पोषण पखवाड़ा	80772500	11408130	114	9146	
22			5354	पोषण अभियान	सुपोषण पोषाल डाटा रिकार्ड, पोस्साहल , पोषण माह, पोषण पखवाड़ा	14708366	1417830		3293	
23			7090	महिला जागृति शिबिर एवं दिशा दर्शन	शिबिर कार्यक्रम (तीजा पर, समसेलन मद)	19107346	2729620		3026	
24			7096	कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (बाल संदर्भ योजना)	दिशा दर्शन भ्रमण	280000	0		0	
25			5645	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	कार्यक्रम आयोजन, श्रृंगार सामग्री एवं उपहार	36550000	5222142		104	
26			6651	पालना	मानदेय, पोस्साहल एवं गर्भ पका भोजन	8010500	870812		65	
27			6642	बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ	प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रचार-प्रसार	2475000	353342		3053	
28			7048	महत्वासे वंदन योजना	डीडीटी के माध्यम से भ्रमण	0	0		7216	
29			7884	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	डीडीटी के माध्यम से भ्रमण	0	0		1478	
30			योग						163618287	
31	रायपुर		9050	सक्षम आनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण- 2.0-पोषण आंदोल योजना	गर्भ पका भोजन सुपोषण पोषाल, डाटा रिकार्ड, पोस्साहल , पोषण माह, पोषण पखवाड़ा	10336000	1468562	114	8809	योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र में हितधारियों की संख्या के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाता है।
32			5354	पोषण अभियान	सुपोषण पोषाल, डाटा रिकार्ड, पोस्साहल , पोषण माह, पोषण पखवाड़ा	1330500	20000		556	
33			7090	महिला जागृति शिबिर एवं दिशा दर्शन	शिबिर कार्यक्रम	200000	25000		1532	
34			7096	कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (बाल संदर्भ योजना)	दिशा दर्शन भ्रमण	175000	0		0	
35			5645	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	कार्यक्रम आयोजन, श्रृंगार सामग्री एवं उपहार	1067000	35737		281	
36			6651	पालना	मानदेय, पोस्साहल एवं गर्भ पका भोजन	12150000	0		0	
37			6642	बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ	प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रचार-प्रसार	2677950	209350		52	
38			7048	महत्वासे वंदन योजना	डीडीटी के माध्यम से भ्रमण	300000	21142		2345	
			7884	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	डीडीटी के माध्यम से भ्रमण	0	0		7216	
			योग						28236450	
	महायोग					681504677	66685356	114	178696	

प्रपत्र 'ब'

(घ) कंडिका 'क' की समयावधि में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला- रायपुर के द्वारा विभिन्न मन्त में क्रय की गई सामग्रियों का विवरण, मात्रा, एजेंसी/फर्म का नाम, क्रय हेतु भुगतान की गई राशि तथा सामग्री क्रय के संबंध में भण्डार एवं क्रय नियमों की पालन की जानकारी

राशि रुपये में												
स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष का नाम	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आगनबाड़ी की संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रय सामग्री	मात्रा	क्रय फर्म/एजेंसी का नाम	भुगतान राशि	क्रय किस माध्यम से किया गया ई मानक/जेम/निविदा/कोटेशन	भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन किया गया है? हां या नहीं?	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	रायपुर	2023-2024	269	6359	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना	गर्भवती महिलाओं एवं 01-06 वर्ष के बच्चों को राशी प्रोटीन बार विक्री	2817608	एमकार मिलेट फूड प्राइवेट लिमिटेड	14257096	निविदा के माध्यम से (संचालनालय मन्त्रालय के पत्र क्रमांक 3697 दिनांक 14.07.2023 द्वारा इम्पेनल्लड फर्म को	हां, पालन किया गया	
2				6642	बैटी बचाओ- बैटी पढ़ाओ	सुपोषण किट, बैनर व प्रमाण पत्र (मराफली चिककी, खजूर, गुड़ शर्ला घना, बचन घी, प्लास्टिक ठोकरें, नेपकीन भीड़ियम, गोलकटर, साबुन, कोरी	1200	राठी डेसी निड्स	294000	कोटेशन के माध्यम से	हां, पालन किया गया	
3						बॉटल स्टील	205	मेसर्स गोल्डन म्यूटिस	46125	एकल निविदा	हां, पालन किया गया	
4						ट्रेनिंग किट (चार पेपर, स्केच, पेड, हाईलाइटर, बटन बैग, पेन, रबर, धागा, मोकर, वाइट बोर्ड	85	मेसर्स महामाया इंटरप्राइजेस	12750	कलेक्टर दर पर	हां, पालन किया गया	
5				5645	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	वर-वधू श्रृंगार सामग्री - चांदी का मंगलसूत्र, चांदी का बिछिया वैवाहिक वस्त्र वधू (2 साड़ी), 2 पेटिकोट, 01 ब्लाउज पीस, 01 चुनरी) वैवाहिक वस्त्र वर (कुर्ता एवं पजामा), 2 श्रृंगार सामग्री (चूड़ी, कंधा, तेल, पावडर, आईना, कजल, आलत, साबुन, चिन्दी, जेल पोलिस, सिंदूर) जूता, सेण्डल (वर-वधू) माला- 2, सेहोरा-2, पगड़ी-1, साफा-1, लिपिस्टिक-1, गद्दा नकिया चादर, मौरी, मुकुट कलगी दर्पण	440	आपस प्रोडिज कपनी अकिपुपुर	2552000	निविदा के माध्यम से	हां, पालन किया गया	
6									अंधाल इंटरप्राइजेस	728202	ई मानक के सीएसआईडीसी के माध्यम से	हां, पालन किया गया
7									उपहार सामग्री- आलमारी-1 टिन बॉक्स- 1	320	श्री सागर सेल्स	1472895

राशि रुपये में											
स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष का नाम	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी की संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रय सामग्री	मात्रा	क्रय फर्म/एजेंसी का नाम	भुगतान राशि	क्रय किस माध्यम से किया गया ई मानक/जेम/निविदा/कोटेशन	अच्छर एवं क्रय नियमों का पालन किया गया है? हां या नहीं?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2023-24	269	5645	9369	महिला जागृति शिबिर (तीजा घरे)	उपहार सामग्री: शाली गिनास - कटेरी- हाफ प्लेट-6 लोटा, भोजाना, बाल्टी पराट, पानी टकी, कुकर, आलमारी, दिन बॉक्स, स्टील भोजन-1	120	अर्या स्टील	2645004	ई मानक के सोएसआईसी के माध्यम से	हां, पालन किया गया
9						छत्तीसगढ़ी व्यंजन	320	ऑरिएंटल सेल्स कापौशेन	4389440	ई मानक के सोएसआईसी के माध्यम से	हां, पालन किया गया
10						उपहार सामग्री	106	गैरनी क्रियण शिबिरा समिति रायपुर	27000	निविदा के माध्यम से	हां, पालन किया गया
11						उपहार सामग्री	7000	मेसेर्स गोल्डन मूवेट्स	2469720	निविदा के माध्यम से	हां, पालन किया गया
12	2024-2025	269	9044	7090	आंगनबाड़ी सेवार्थ (सामान्य)	स्टील आलमारी	1	पाइया इंटरप्राइजेस रायपुर	11500	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
13						रिवांलिंग चेरर	1	सगार इण्टरट्रोज	4740	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
14						केकिबेट	2	सगार इण्टरट्रोज	14740	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
15						(उपहार सामग्री)	4300	मेसेर्स गोल्डन मूवेट्स	1538870	निविदा के माध्यम से	हां, पालन किया गया
16	रायपुर	2024-2025	269	7090	महिला जागृति शिबिर (तीजा घरे)	छत्तीसगढ़ी व्यंजन	4050	रोशनी विरूप शिबिरा समिति रायपुर	1012500	निविदा के माध्यम से	हां, पालन किया गया
17						कम्प्यूटर, प्रिन्टर	1	पैना आई टी हब	74900	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
18						कम्प्यूटर, प्रिन्टर	1	पैना आई टी हब	74900	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
19						कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्केंस	2	पैना आई टी हब	105995	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
20	रायपुर	2024-2025	269	7097	महिला एवं बाल विकास विभाग का डिजीटलाइजेशन	कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्केंस	2	पैना आई टी हब	2758245	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
21						डेस्कटॉप कम्प्यूटर	1	पैना आई टी हब	49999	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
22						प्रिन्टर	1	पैना आई टी हब	16900	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
23						सीरीटीसी	2	पैना आई टी हब	11200	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
24	2025-2026	269	6641	सखी वन-स्टॉप सेंटर		सैमसंग फोन	2	नौलिमा डेजर्स	20989	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
25						रिवांलिंग चेरर	2	नौलिमा डेजर्स	9990	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
26						नीलमल चेरर	12	नौलिमा डेजर्स	16200	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
27						स्टील केबिनेट	2	मुपर सेफ एड स्टील फर्नीचर	30100	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
28	रायपुर	2024-2025	269	6648	महिला सशक्तिकरण केन्द्र	ऑफिस टेबल	7	मुपर सेफ एड स्टील फर्नीचर	83300	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
29						स्टील पैक	3	मुपर सेफ एड स्टील फर्नीचर	21597	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया

राशि रुपये में

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आगनबाड़ी की संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रय सामग्री	मात्रा	क्रय फर्म/एजेंसी का नाम	भुगतान राशि	क्रय किस माध्यम से किया गया ₹ मानक/जेम/निविदा/कोटेशन	भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन किया गया है? हाँ या नहीं?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	रायपुर	2025-2026	269	6648	महिला सशक्तिकरण केन्द्र	विजौर घेयर	5	गुप्ता शेफ एंड स्टील फर्नीचर सोल्य फर्नीचर मार्ट	16600	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
31						रिवोल्विंग घेयर	7		58401	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
32						गंजी 2 सीटर	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
33						बुल्डोर 2 सीटर	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
34						कजई छोटा	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
35						ढकन	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
36						चमच	94			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
37						जिलास	470			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
38						कटोरी	1175			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
39						पानी टकी -10 सीटर	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
40						दरी	94			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
41						झला सोसा (प्लास्टिक)	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
42						पालना	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
43						गद्दा, तखिया, चादर	94			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
44						रैक + फिसलपट्टी	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
45						घेयर प्लास्टिक	235			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
46						इस्टेबिन	47	मेर्स वेस एंड कोमोड इंटरप्राइजेस रायपुर	2047929	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
47						हैडबाथ	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
48						रूमात	94			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
49						बाल्टी प्लास्टिक एव नया	94			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
50						टब प्लास्टिक	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
51						पिनाईत 5 सीटर	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
52						चाटई	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
53						खिलोना, फुटबाल	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
54						टेडी बियर	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
55						गुडिया	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
56						कर प्लास्टिक	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
57						झूलझुला	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
58						बैट बाल	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
59						रबर शीट	47			जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
60	योग					रूमाल टी स्पून	470		2383205	जेम पोर्टल	हां, पालन किया गया
61											

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष का नाम	रायपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अगनबाड़ी की संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रय सामग्री	मात्रा	क्रय फर्म/एजेंसी का नाम	भुगतान राशि	क्रय किस माध्यम से किया गया ई	भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन किया गया है? हाँ या नहीं?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		2025-27 (द्वितीय 15.06.2026 तक)	269			निरंक					
			योग			निरंक					

पॉरीशेष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 834) की जानकारी

प्रपत्र

मार्च 2024 एवं जून 2026 में महतारी वंदन योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार

जानकारी

जिला का नाम	मार्च 2024 में अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या	मार्च 2024 में अनुमोदित राशि	जून 2026 की स्थिति में अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या	जून 2026 की स्थिति में अनुमोदित राशि
बलोद	252645	232515550	247113	228328300
बलौदाबाजार	330631	312481200	323858	306696500
बलरामपुर	214951	199236450	209707	195015950
बस्तर	193973	182382250	188008	176969450
बेमेतरा	254728	241125050	249754	237123100
बीजापुर	38554	36982700	41151	39661550
बिलासपुर	426266	398038800	417380	391188400
दंतेवाड़ा	54874	51983950	53500	50653850
धमतरी	235897	219442700	230809	215102850
दुर्ग	404477	385037250	396353	378179900
गारियाबंद	183818	169774400	179744	165878700
गौरैला पेंड्रा मारवाही	96158	87825750	93716	85935850
जांजगीर-चंपा	291202	271511300	283632	265109550
जशपुर	232785	217285700	226312	211422000
कबीरधाम	255282	237733500	250342	233060000
कांकेर	185001	176196500	180661	172353500
खैरागढ़- छुईखदान-गंडई	117172	110449150	114896	108623100
कोण्डागाँव	140978	132080300	137594	129051800
कोरबा	295250	275239100	289016	269905400
कोरिया	59992	56539700	58848	55588400
महासमुंद	325806	303910800	317201	296913250
मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	101549	97813450	99286	95665050
मोहला-मानपुर- अम्बागढ़चौकी	82462	76513400	80667	75064000
मुंगेली	214215	195667400	209759	192491400
नारायणपुर	27616	25876450	27171	25447950
रायगढ़	306758	279258300	297888	272571350
रायपुर	534710	514829450	522667	504013750

जिला का नाम	मार्च 2024 में अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या	मार्च 2024 में अनुमोदित राशि	जून 2026 की स्थिति में अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या	जून 2026 की स्थिति में अनुमोदित राशि
राजनांदगाँव	258509	243583850	253151	239373050
सक्ति	199935	183010200	195564	179748100
सारंगढ़- बिलाईगढ़	190710	167968950	185677	164763750
सुकमा	52388	49418500	52015	49230200
सूरजपुर	217042	204282300	212323	200320700
सरगुजा	233324	215528400	228240	211327250
कुल	7009658	6551522750	6854003	6422777950

परिशिष्ट - उन्सठ

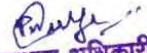
अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 835) की जानकारी

परिशिष्ट-अ

(धान की मात्रा मेटन में)

क्र.	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल धान खरीदी मात्रा	मिलर को जारी मात्रा	संग्रहण केन्द्र को जारी मात्रा	उपार्जन केन्द्र में शेष/सूखत कमी की मात्रा
1	अरकार	अरकार	6,397.28	4,632.86	1,754.50	25.44
2	अरमरीकला	अरमरीकला	5,723.28	5,186.85	536.44	9.92
3	अरमरीकला	कोसागाँदी	4,622.16	4,622.16	-	-
4	कनेरी	कनेरी	4,764.60	4,764.60	-	-
5	करहीभदर	करहीभदर	4,354.68	2,990.98	1,322.21	-
6	करहीभदर	लिमोरा	2,199.28	1,984.42	194.12	-
7	कंवर	कंवर	6,261.76	6,261.76	-	89.59
8	कोचवाही	कोचवाही	1,801.92	1,780.66	-	-
9	खुंदनी	खुंदनी	5,264.76	4,202.42	1,062.35	87.85
10	गुरुर	गुरुर	8,889.80	8,889.80	-	54.44
11	घोघोपुरी	घोघोपुरी	4,413.56	4,375.60	-	84.56
12	तरौद	तरौद	3,984.04	3,944.25	-	-
13	दरा	दरा	5,788.28	5,788.28	-	28.27
14	धनेली	धनेली	5,638.24	4,948.55	634.46	22.19
15	धनोरा	धनोरा	8,797.28	8,746.98	-	34.61
16	निपानी (बालौद)	निपानी	5,521.80	4,395.22	1,112.75	41.49
17	परसोदा	परसोदा	4,505.44	4,489.38	-	20.74
18	पलारी	पलारी	10,231.00	10,231.00	-	-
19	पाररास	पाररास	4,399.84	4,399.84	-	-
20	पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी	5,375.28	4,847.08	493.89	168.46
21	पोंडी	पोंडी	7,162.52	6,157.79	978.05	-
22	फागुनदाह	फागुनदाह	7,617.12	7,617.12	-	-
23	बरही	बरही	4,885.48	4,023.29	768.01	39.30
24	बरही	हराठेमा	1,758.92	1,552.20	173.54	21.26
25	बेलमांड	बेलमांड	4,506.28	4,485.41	-	8.92
26	बालोद	बालोद	5,805.96	5,794.81	-	85.63
27	बासीन	बासीन	5,150.20	5,120.75	-	33.55
28	मेंडकी	मेंडकी	4,078.24	4,078.24	-	27.44
29	मिरीटोला	मिरीटोला	10,307.88	10,307.88	-	32.47
30	मोखा	मोखा	7,227.24	7,183.18	-	-
31	मोहारा	मोहारा	5,414.56	4,029.85	1,334.90	-
32	लाटाबोड़	खपरी	3,479.84	3,462.95	-	24.87
33	लाटाबोड़	लाटाबोड़	6,693.84	6,642.37	-	25.33
34	सुरा	सुरा	4,041.84	2,824.12	1,166.22	30.16
35	सांकरा (ज)	दरबारी नवागांव	4,650.40	2,292.60	2,332.39	31.29
36	सांकरा (ज)	सांकरा (ज)	7,227.12	4,229.09	2,920.21	-

क्र.	सोसायटी	उपार्जन केन्द्र	कुल धान खरीदी मात्रा	मिलर को जारी मात्रा	संग्रहण केन्द्र को जारी मात्रा	उपार्जन केन्द्र में शेष/सूखत कमी की मात्रा
37	सांकरा क	सांकरा क	5,802.64	5,746.68	-	105.71
38	सोरर	सोरर	6,270.56	6,244.05	-	49.07
39	हितेकसा	नारागांव	1,221.80	1,114.23	82.72	24.85
40	हितेकसा	हितेकसा	1,767.80	1,539.96	196.06	31.79
योग:-			214,004.52	195,929.21	17,062.80	1,239.20


 अनुभाग अधिकारी
 नगरिक आर्गुति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

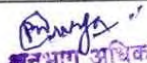
परिशिष्ट- ब

(धान की मात्रा मे.टन में)

क्रं	मिल का नाम	अनुबंधित मात्रा
1	अक्षत एग्रो (MA496000)	9,600.00
2	अंबा फूड्स(MA495517)	12,600.00
3	अंबिका फूड्स(MA437445)	4,800.00
4	आनंद फूड्स (MA492830)	3,200.00
5	आनंद फूड्स यूनिट II (MA495580)	3,600.00
6	अनुराधा राइस मिल (MA493350)	4,800.00
7	अरिहंत फूड्स (MA493793)	7,200.00
8	अरिहंत इंडस्ट्रीज(MA432661)	9,600.00
9	अरिहंत इंडस्ट्रीज II(MA499475)	9,524.28
10	आशापुरा राइस इंडस्ट्रीज (MA498522)	6,096.00
11	अशोक राइस मिल (MA495122)	7,200.00
12	बाबा नरोत्तम राइस मिल (MA499473)	9,600.00
13	बम्लेश्वरी फूड्स (MA492525)	9,600.00
14	बम्लेश्वरी राइस मिल (MA433115)	10,400.00
15	भोमियाजी राइस मिल (MA497300)	4,800.00
16	बिदामी फूड्स(MA498803)	9,600.00
17	दादा जित्त राइस मिल (MA432584)	4,800.00
18	दीपासा राइस पारबॉयलिंग यूनिट (MA431540)	7,200.00
19	दीपासा राइस पारबॉयलिंग यूनिट (MA492379)	9,600.00
20	देव राइस मिल (MA493210)	9,600.00
21	देवेश राइस मिल (MA494895)	3,936.00
22	दिनेश कुमार जैन(MA499842)	7,200.00
23	दुष्यंत राइस मिल (MA499993)	3,600.00
24	गजानंद राइस मिल (MA431579)	6,400.00
25	गंगा मैया पोहा और मुरमुरा उद्योग (MA499100)	7,200.00
26	गंगा मैया ट्रेडर्स यूनिट (MA493625)	4,800.00
27	गंगोत्री उद्योग (MA432667)	6,400.00
28	गंगोत्री उद्योग यूनिट (MA492347)	5,000.00
29	गणपति पोहा उद्योग (MA493435)	7,200.00
30	गणपति राइस मिल (MA498422)	6,000.00
31	गणपति उद्योग (MA494337)	7,200.00
32	गीता राइस इंडस्ट्रीज (MA496553)	12,480.00
33	गोलछा एग्रोटेक(MA499344)	7,200.00
34	गोविंद एग्रो (MA494054)	7,200.00
35	गोविंद राइस मिल (MA436159)	3,200.00
36	गुरुदेव एग्रो इंडस्ट्रीज (MA497992)	14,400.00
37	ज्ञान चावल उद्योग (MA496616)	7,200.00
38	हार्श राइस इंडस्ट्रीज (MA496163)	7,200.00
39	हितेश राइस मिल (MA492472)	4,800.00
40	हितेश राइस मिल यूनिट 02(MA493310)	4,800.00
41	इशांत राइस मिल (MA497575)	7,200.00
42	जय बजरंग उसना राइस इंडस्ट्रीज (MA499043)	9,600.00

क्रं	मिल का नाम	अनुबंधित मात्रा
43	जय चावल उद्योग (MA499424)	4,800.00
44	जय ट्रेडर्स(MA437320)	7,200.00
45	जैन फूड्स (MA499086)	7,200.00
46	जैन राइस इंडस्ट्रीज (MA431070)	10,400.00
47	जैन राइस इंडस्ट्रीज यूनिट (MA492555)	7,200.00
48	जैनम राइस इंडस्ट्रीज (MA498221)	9,600.00
49	जिनकुशल एग्रोटेक (MA495033)	2,112.00
50	केबी एग्रो(MA494581)	28,800.00
51	केबी एग्रो इंडस्ट्रीज (MA495657)	19,200.00
52	कंचन इंडस्ट्रीज(MA495357)	7,200.00
53	केजीएन राइस मिल (MA492357)	6,400.00
54	खंडेलवाल एग्रोटेक (MA499541)	7,440.00
55	खंडेलवाल राइस मिल (MA499372)	2,976.00
56	खेम ट्रेडर्स (MA432640)	9,600.00
57	खेम ट्रेडर्स यूनिट 2(MA495611)	14,400.00
58	खेम ट्रेडर्स यूनिट I(MA493224)	12,800.00
59	किरी एग्रो(MA492051)	7,200.00
60	कुशल मनोहर श्री राइस मिल (MA499664)	6,000.00
61	लकी एग्रो(MA493387)	4,800.00
62	लूनी राइस इंडस्ट्रीज (MA497452)	2,400.00
63	मेसर्स गणपति एग्रो इंडस्ट्रीज (MA495288)	10,752.00
64	मेसर्स मोक्ष चावल उद्योग (MA492514)	7,200.00
65	मेसर्स पन्ना राइस इंडस्ट्रीज (MA495150)	10,752.00
66	मेसर्स शांति विजय एग्रोटेक (MA499570)	9,600.00
67	मेसर्स शिवाजी राइस मिल (MA433127)	4,800.00
68	मेसर्स श्रेयांश इंडस्ट्रीज (MA496504)	7,200.00
69	मेसर्स विजय शांति एग्रोटेक (MA492607)	8,400.00
70	माँ अन्नपूर्णा राइस मिल (MA498740)	4,800.00
71	माँ बंजारी फूड्स (MA496029)	4,800.00
72	माँ दुर्गे राइस इंडस्ट्रीज (MA495276)	6,000.00
73	माँ कर्मा राइस मिल फगुंडा (MA43277)	7,200.00
74	महादेव एग्रोटेक (MA493951)	6,000.00
75	महादेव पेरबोइलिंग (MA498872)	14,400.00
76	महावीर एग्रो (MA494787)	9,792.00
77	माहेश्वरी ट्रेडर्स (MA492690)	7,200.00
78	माहेश्वरी एग्रो फूड इंडस्ट्रीज (MA499970)	9,600.00
79	मणिधारी राइस इंडस्ट्रीज (MA495660)	9,600.00
80	मानिकचंद फूड प्रोडक्ट(MA498702)	4,848.00
81	एमएलजी एग्रो इंडस्ट्रीज (MA497618)	7,200.00
82	मोहन फूड्स (MA439316)	12,064.00
83	मोहन राइस इंडस्ट्रीज (MA491835)	7,296.00
84	मोनिका धन कुटाई केंद्र (MA494689)	8,160.00
85	नानेश एग्रो(MA494859)	4,800.00
86	निर्मला एग्रो इंडस्ट्रीज (MA499836)	7,200.00
87	ओम अरहम राइस इंडस्ट्रीज (MA498287)	12,800.00
88	ओम आशापुरा एंटरप्राइजेज (MA499719)	6,000.00
89	ओम नवकार एग्रो फूड्स (MA499029)	14,400.00

क्रं	मिल का नाम	अनुबंधित मात्रा
90	ओम नवकार ट्रेडर्स (MA433108)	9,600.00
91	ओम नवकार ट्रेडर्स (MA492736)	14,400.00
92	पद्मावती इंडस्ट्रीज (MA496673)	7,392.00
93	प्रेमा एग्रो टेक(MA43169)	9,600.00
94	प्रेमा एग्रो टेक(MA497729)	9,600.00
95	पुरुषोत्तम राइस मिल (MA497620)	7,200.00
96	पूर्वी राइस मिल खप्परवाड़ा (MA43710)	10,400.00
97	रुद्र एग्रोटेक (MA491955)	9,984.00
98	रुद्र फूड्स(MA498848)	9,600.00
99	सद्गुरु राइस इंडस्ट्रीज (MA437351)	6,048.00
100	सांखला चावल उद्योग (MA431535)	3,200.00
101	सर्वेश्वरी एग्रो (MA493974)	7,200.00
102	सर्वमंगला एग्रो इंडस्ट्रीज (MA495906)	7,200.00
103	शांति इंडस्ट्रीज(MA493908)	9,600.00
104	शांति विजय चावल पोहा उद्योग (MA432081)	9,600.00
105	शिव शक्ति राइस मिल (MA495296)	4,800.00
106	शिवनाथ चावल (MA498940)	7,200.00
107	श्री राम राइस मिल (MA495929)	7,200.00
108	श्री सांवरिया राइस प्रोडक्ट्स एलएलपी (MA492843)	4,800.00
109	श्री शिव एग्रो प्रोडक्ट्स (MA496535)	9,600.00
110	श्री शिव उद्योग (MA498428)	14,400.00
111	श्री श्याम ट्रेडर्स (MA498657)	6,000.00
112	श्री सीताराम एग्रो प्रोडक्ट यूनिट 1(MA498906)	2,400.00
113	श्री सीताराम एग्रो प्रोडक्ट इकाई 2(MA499816)	2,400.00
114	श्री विद्या विशुद्ध पैडी प्रोसेसर (MA493352)	9,600.00
115	श्री अग्रसेन राइस मिल (MA493541)	7,200.00
116	श्री बाबा जी चंवल उद्योग (MA495597)	6,400.00
117	श्री बालाजी राइस इंडस्ट्रीज (MA495502)	7,200.00
118	श्री बांके बिहारी फूड्स (MA499341)	4,320.00
119	श्री भगवती फूड्स चिरचारी (MA491869)	4,800.00
120	श्री भगवती राइस मिल गुरुर (MA432110)	9,600.00
121	श्री गंगा फूड्स (MA495791)	7,200.00
122	श्री जिनकुशल इंडस्ट्रीज(MA499713)	4,800.00
123	श्री महालक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज (MA497987)	4,800.00
124	श्री महावीर फूड्स (MA498877)	14,688.00
125	श्री राम राइस मिल (MA432466)	4,800.00
126	श्री रुद्र उसना उद्योग गुरुर (MA432552)	4,800.00
127	श्री साई जय चावल उद्योग (MA4310245)	7,200.00
128	श्री समृद्धि राइस मिल (MA496919)	9,600.00
129	श्री शिवम राइस मिल (MA492087)	7,200.00
130	तरुण राइस मिल यूनिट 2 (MA498952)	8,160.00
131	तिगाला चावल मिल (MA491252)	4,800.00
132	तुलसी राइस मिल (MA498533)	6,000.00
133	विजयाग्रोटेक(MA491720)	14,720.00
134	विक्रम राइस मिल (MA493184)	7,200.00
योग		1,048,740.28


 अनुभाग अधिकारी
 कृषि बाजारिक आभूति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि. वि.
 नगरपालिका, नवा रायपुर, अटल नगर

परीशेष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 847) की जानकारी

प्रपत्र - अ

जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक योजना हेतु स्वीकृत राशि, प्राप्त आबंटन, वास्तविक व्यय, निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विकासखण्डवार विवरण

वित्तीय वर्ष (2023-24 से 2025-26 तक)

(राशि रुपये इकाई में)						
क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	वास्तविक व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
विकासखंड - बेमेतरा						
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2934000	2934000	2934000	163	163
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	234000	234000	234000	13	13
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1206000	1206000	1206000	67	67
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4176000	4176000	4176000	232	232
5	सखद सहारा पेंशन योजना	90000	90000	90000	5	5
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	5670000	5670000	5670000	315	315
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1760000	1760000	1760000	88	88
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	218200	218200	218200	142	142
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2400	2400	2400	4	4
10	सामर्थ्य विकास कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	-	-	20588700	186	186
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	550000	550000	550000	6	6
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	0	0	0	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	0	0	0	402	402
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	0	0	0	42	42
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	0	0	0	9	9
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	317000	317000	317000	13000	13000
18	वृद्धाश्रम का संचालन	1438560	1438560	1438560	6	6
योग-		18596160	18596160	39184860	14680	14680
विकासखंड - नवागढ़						
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0	0	0	0	0
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	0	0	0	0	0
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0	0	0	0	0
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3906000	3906000	3906000	217	217

Moham
अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	वास्तविक व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	0	0	0	0	0
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1872000	1872000	1872000	104	104
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0	0	0	0	0
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	158900	158900	158900	103	103
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	12000	12000	12000	2	2
10	सामर्थ्य विकास कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	-	-	-	94	94
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	850000	850000	850000	9	9
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	0	0	0	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	70000	70000	70000	2	2
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	0	0	0	203	203
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	0	0	0	33	33
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	0	0	0	4	4
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	120000	120000	120000	6900	6900
18	वृद्धाश्रम का संचालन	0	0	0	3	3
योग-		6988900	6988900	6988900	7674	7674

विकासखंड - बेरला

1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6426000	6426000	6426000	357	357
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	72000	72000	72000	4	4
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	774000	774000	774000	43	43
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	360000	360000	360000	20	20
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	396000	396000	396000	22	22
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	8568000	8568000	8568000	476	476
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	40000	40000	40000	2	2
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	143400	143400	143400	90	90
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	12000	12000	12000	2	2
10	सामर्थ्य विकास कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	-	-	-	111	111
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	350000	350000	350000	4	4
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	0	0	0	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	0	0	0	369	369
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	0	0	0	35	35
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	0	0	0	6	6



अनुभाग अधिकारी
समय कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा बखुर अटल नगर

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त आबंटन	वास्तविक व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	180000	180000	180000	8750	8750
18	वृद्धाश्रम का संचालन	0	0	0	4	4
	योग-	17321400	17321400	17321400	10295	10295
विकासखंड - साजा						
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3978000	3978000	3978000	221	221
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	126000	126000	126000	7	7
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	540000	540000	540000	30	30
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	270000	270000	270000	15	15
5	सखद सहारा पेंशन योजना	756000	756000	756000	42	42
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	23076000	23076000	23076000	1282	1282
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	620000	620000	620000	31	31
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	165600	165600	165600	111	111
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	12000	12000	12000	2	2
10	सामर्थ्य विकास कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	-	-	-	101	101
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	400000	400000	400000	4	4
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	850000	850000	850000	1	1
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	0	0	0	338	338
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	0	0	0	36	36
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	0	0	0	4	4
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	150000	150000	150000	7000	7000
18	वृद्धाश्रम का संचालन	0	0	0	2	2
	योग-	30943600	30943600	30943600	9227	9227
	महायोग-	73850060	73850060	94438760	41876	41876

सामर्थ्य विकास योजना अंतर्गत आबंटन एवं व्यय विकासखंडवार नहीं किया गया है उक्त आबंटन जिला स्तर से व्यय किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया सखपुर अटल नगर

प्रपत्र-ब

जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों, निरस्त प्रकरणों, लंबित प्रकरणों एवं लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विकासखण्डवार जानकारी

वित्तीय वर्ष (2023-24 से 2025-26 तक)

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत प्रकरण	निरस्त प्रकरण	लंबित प्रकरण	लाभार्थी संख्या	वंचित प्राप्त आवेदक
1	2	3	4	5	6	7	8
विकासखंड - बेमेतरा							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	173	163	10	0	163	0
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	14	13	1	0	13	0
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	74	67	7	0	67	0
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	277	232	45	0	232	0
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	5	5	0	0	5	0
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	449	315	134	0	315	0
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	97	88	9	0	88	0
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	142	142	0	0	142	0
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	4	4	0	0	4	0
10	सामर्थ्य विकास/कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	186	186	0	0	186	0
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	6	6	0	0	6	0
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	0	0	0	0	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	402	402	0	0	402	0
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	42	42	0	0	42	0
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	9	9	0	0	9	0
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	0	0	0	0	13000	0
18	वृद्धाश्रम का संचालन	6	6	0	0	6	0
योग-		1886	1680	206	0	14680	0
विकासखंड - नवागढ़							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0	0	0	0	0	0
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	0	0	0	0	0	0
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0	0	0	0	0	0
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	326	217	109	0	217	0
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	0	0	0	0	0	0
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	220	104	116	0	104	0
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0	0	0	0	0	0
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	103	103	0	0	103	0
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2	2	0	0	2	0



अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत प्रकरण	निरस्त प्रकरण	लंबित प्रकरण	लाभार्थी संख्या	वंचित प्राप्त आवेदक
1	2	3	4	5	6	7	8
10	सामर्थ्य विकास/कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	94	94	0	0	94	0
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	9	9	0	0	9	0
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	0	0	0	0	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	2	2	0	0	2	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	203	203	0	0	203	0
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	33	33	0	0	33	0
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	4	4	0	0	4	0
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	0	0	0	0	6900	0
18	वृद्धाश्रम का संचालन	3	3	0	0	3	0
योग-		999	774	225	0	7674	0
विकासखंड - बेरला							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	436	357	79	0	357	0
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	12	4	8	0	4	0
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	56	43	13	0	43	0
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	46	20	26	0	20	0
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	50	22	28	0	22	0
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	649	476	173	0	476	0
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2	2	0	0	2	0
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	90	90	0	0	90	0
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2	2	0	0	2	0
10	सामर्थ्य विकास/कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	111	111	0	0	111	0
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	4	4	0	0	4	0
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	0	0	0	0	0	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	369	369	0	0	369	0
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	35	35	0	0	35	0
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	6	6	0	0	6	0
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	0	0	0	0	8750	0
18	वृद्धाश्रम का संचालन	4	4	0	0	4	0
योग-		1872	1545	327	0	10295	0
विकासखंड - साजा							
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	277	221	56	0	221	0
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	14	7	7	0	7	0
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	42	30	12	0	30	0


 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत प्रकरण	निरस्त प्रकरण	लंबित प्रकरण	लाभार्थी संख्या	वंचित प्राप्त आवेदक
1	2	3	4	5	6	7	8
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	26	15	11	0	15	0
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	69	42	27	0	42	0
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1428	1282	146	0	1282	0
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	36	31	5	0	31	0
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	111	111	0	0	111	0
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	2	2	0	0	2	0
10	सामर्थ्य विकास/कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	101	101	0	0	101	0
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	4	4	0	0	4	0
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	1	1	0	0	1	0
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	0	0	0	0
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	338	338	0	0	338	0
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	36	36	0	0	36	0
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	3	3	0	0	3	0
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMB/A)	0	0	0	0	7000	0
18	वृद्धाश्रम का संचालन	2	2	0	0	2	0
	योग-	2490	2226	264	0	9226	0
	महायोग-	7247	6225	1022	0	41875	0

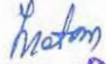

 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

प्रपत्र -स

जिला बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं हेतु विगत तीन वर्षों में स्वीकृत बजट, प्राप्त आबंटन, व्यय, लक्ष्य एवं उपलब्धि का योजनावार विवरण वित्तीय वर्ष (2023-24 से 2025-26 तक)

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आबंटन	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	13338000	13338000	13338000	741	741
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	432000	432000	432000	24	24
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2520000	2520000	2520000	140	140
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8712000	8712000	8712000	484	484
5	सुखद सहारा पेंशन योजना	1242000	1242000	1242000	69	69
6	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	39186000	39186000	39186000	2177	2177
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	2420000	2420000	2420000	121	121
8	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना	686100	686100	686100	446	446
9	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	60000	60000	60000	10	10
10	सामर्थ्य विकास कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय योजना	20588700	20588700	20588676	492	492
11	दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना	2150000	2150000	2150000	23	23
12	दिव्यांगजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	850000	850000	850000	1	1
13	सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	70000	70000	70000	2	2
14	दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण/यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना	0	0	0	1312	1312
15	मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना	0	0	0	146	146
16	उभयलिङ्गी व्यक्तियों का प्रमाणीकरण	0	0	0	22	22
17	नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)	767000	767000	767000	35650	35650
18	वृद्धाश्रम का संचालन	1438560	1438560	1438560	15	15

सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। पात्रताधारी व्यक्ति नहीं होने के कारण कुछ योजनाओं में हितग्राही नगण्य है। इसके लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा राकपुर अटल नगर

पॉरीशेष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 849) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य स्तर से छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कार्यालयों में नियोजित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024 एवं 2025 में जिलों को जारी किए गए पत्रों की सूची:-

1. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक/686/मबावि/मसमि/2024-25 रायपुर दिनांक 18.04.2024।
2. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक/11420/मबावि/मसमि/2024-25 रायपुर दिनांक 13.12.2024।
3. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 6-183/2024/मबावि/50 नवा रायपुर दिनांक 25.04.2025।
4. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/108/रासंके/मबावि/2025-26 रायपुर दिनांक 16.06.2025।
5. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/528/रासंके/मबावि/2025-26 रायपुर दिनांक 21.07.2025।

संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती. भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188(Fax) email : dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक / 69 / मबावि / मसमि / 24-25
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 18/04/2024

कलेक्टर

जिला - सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-चौकी,

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष)
अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में।संदर्भ:- 1. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना क्र.
6-4/2006/मबावि/50, दिनांक 05 सितम्बर 2014
2. मंत्रालयीन पत्र क्र./F6-4/मबावि/2006/50, दिनांक 17.09.2014

कृपया संलग्न संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। अधिसूचना एवं पत्र के माध्यम से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 को प्रदेश में लागू किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। Posh Act प्रदेश के समस्त जिलों में क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत समस्त कार्यस्थलों में जहां कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत हैं वहां आंतरिक शिकायत समिति तथा जिले में स्थानीय शिकायत समिति गठित की जानी है। प्रदेश में 06 नवीन जिलों का गठन किया गया है जिसमें उपरोक्त अधिनियम को क्रियान्वित किया जाना है। अतः आपके जिले में भी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना है।

उक्त अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन व दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना अनुसार जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है। अतः संदर्भित पत्र की छायाप्रति मूलतः अग्रिम कार्यावाही के लिए संलग्न कर प्रेषित है।

अतः कृपया जिले में अधिनियम एवं नियम अंतर्गत धारा 04 के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) तथा जिले में स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का गठन करते हुए कृत कार्यवाही से 30 दिवस के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

108761/2024
18/04/24

(मुलिका प्रजापति)

संचालक

महिला एवं बाल विकास

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक /

687

/मबावि /मसमि /24-25

नवा रायपुर, दिनांक 18/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला - सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया समय सीमा में जिले में स्थानीय शिकायत समितियों का गठन एवं उल्लेखित अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
3. एकीकृत बाल विकास परियोजना, परियोजना- समस्त, जिला- सक्ती, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ।

संचालक

महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती. भवन, ब्लॉक-1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188(Fax) email : dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक 11420/मबावि/मसमि/24-25
प्रति,

रायपुर, दिनांक 13/12/2024

कलेक्टर

जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में।

- संदर्भ:-
- 1.छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास की अधिसूचना क्र. 6-4/2006/मबावि/50, दिनांक 05.09.2014
 - 2.छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास का पत्र क्र. F6-4/मबावि/2006/50, दिनांक 17.09.2014
 - 3.सचिव, भारत शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पत्र क्र. No. WW-13/6/2024-WW दिनांक 28.08.2024
 - 4.संचालनालयीन पत्र क्र. 9199, दिनांक 16.01.2015

विषयांतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार प्राप्त हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को शारीरिक संपर्क और अग्रगमन/लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना/लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना/अश्लील साहित्य दिखाना/लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, इनमें से कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, आदि के रोकथाम हेतु कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू किया गया था।

महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु पत्र क्र. एफ 6-4/2006/मबावि/50, दिनांक 05.09.2014 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल है। इस अधिनियम की धारा 06 के अनुसार जिलों में स्थानीय शिकायत समिति होगी एवं धारा 04 के अनुसार ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, कार्यालय, कोई प्राइवेट सेक्टर के संगठन, अस्पताल, प्रशिक्षण/खेलकूद संस्थान, कोई निवास स्थान या गृह, कोई ऐसा उद्यम जहां 10 से अधिक कर्मचारों को नियोजित करता हो, आंतरिक शिकायत समिति होगी। उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर संचालनालय से पत्रों के माध्यम से लेख किया गया है।

संदर्भित पत्र 1 अनुसार दिनांक 29.08.2024 को भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के तहत डेटा एंट्री एवं शिकायतों की निगरानी के लिए पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (She-box) (www.wcd-shebox.nic.in) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली She-box का नया वर्जन लांच किया गया है।

ऑरिलियानो फर्नान्डिस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य के मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निरंतर प्रकरणों की निगरानी कर रही है।

274

//2//

अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रकरणों पर कार्यवाही संबंधी सुनवाई दिनांक 03.12.2024 के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना है:-

1. सभी राज्य सरकारें 31 दिसंबर 2024 तक हर जिले में अलग से अफसर नियुक्त करें।
2. यह अधिकारी 31 जनवरी 2025 तक लोकल कम्प्लेंट कमेटी (एलसीसी) बनाए।
3. अगर शिकायत स्वयं किसी नियोक्ता के खिलाफ है या आंतरिक शिकायत कमेटी गठित नहीं की गई है तो जिला अधिकारी एक समिति बनाए। यह 31 दिसंबर तक करें।
4. जिला अधिकारी ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक/तहसील/तालुका या शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका में नोडल अफसर नियुक्त करें, ताकि शिकायतें 7 दिन में ही स्थानीय समिति को चली जाएं।
5. पीड़ित कार्यस्थल पर यौन शोषण में शिकायत दर्ज करा सकें, इसके लिए सरकार शी-बॉक्स पोर्टल बनाए।
6. शी-बॉक्स पोर्टल पर मिली शिकायतों को आंतरिक शिकायत कमेटी व लोकल कम्प्लेंट कमेटी को तुरंत भेजें।
7. देश के हर सरकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से आंतरिक शिकायत कमेटी हो।
8. राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का पालन करवाएं।
9. 31 मार्च 2025 तक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए व इसकी रिपोर्ट राज्य सुप्रीम कोर्ट को सौंपें।
10. पीड़ित महिलाएं विधिक सेवा संस्थानों से मदद के लिए भी संपर्क कर सकती हैं।
11. अगर पीड़िता स्थानीय शिकायत समिति तक पहुंच पाने में असमर्थ है तो वह हेलपलाइन 15100 या अन्य तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

अतः इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए जिन जिलों में स्थानीय शिकायत समिति (LCC) का गठन नहीं हुआ है वहां स्थानीय शिकायत समिति (LCC) गठित करने एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013 की धारा 6 (2) के अनुसार ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्र प्रत्येक तहसील/विकासखंड तथा नगरीय क्षेत्रों के निकाय में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम में आंतरिक शिकायत समिति एवं प्रत्येक स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक 03 वर्ष में पुनर्गठित कर एवं आदेश की प्रति संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रधानी संचालक

संचालक

महिला एवं बाल विकास

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 13/12/2024

क्रमांक 11421/मबावि/मसमि/24-25

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, मबावि, जिला-समस्त (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधानी संचालक

महिला एवं बाल विकास

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

:मंत्रालय:

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 6-183/2024 / मबावि/50

नवा रायपुर, दिनांक 25/04/2025

प्रति,

कलेक्टर,

जिला - समस्त, (छ.ग.)

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:- Status Report On Behalf of the Amicus Curiae With Regard to Compliance of the Order Dated 03-12-2024 Passed by this Hon'ble Court के संबंध में ई-मेल दिनांक 22.04.2025।

विषयांतर्गत सुश्री अंकिता शर्मा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, स्टेण्डिंग कॉउंसिल, छत्तीसगढ़ राज्य का ई-मेल दिनांक 22.04.2025 के अनुसार ऑरिलियानो फर्नान्डिस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य के मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर पिटीशन क्र. 1244/2017 के निर्देश दिनांक 03.12.2024 के परिपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों का राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में पालन प्रतिवेदन न्यायालय में जमा किया जाना है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अंतर्गत परिभाषित कार्यस्थल जो -

" कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/सरकारी कम्पनी/निगम/सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन अथवा वित्त पोषित हो। 2. निजी क्षेत्र का संगठन, उपक्रम, उद्यम, संस्थान, प्रतिष्ठान, सोसाइटी, न्यास, गैर-शासकीय संगठन, इकाई अथवा सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवायें अथवा वित्तीय क्रियाकलाप कर रहा हो जिसमें उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय, वितरण, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम, खेलकूद का संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान आदि निजी क्षेत्र जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना है। साथ ही इसके अतिरिक्त उन सभी उद्यमों (छोटे बड़े सभी उद्यम/उद्योग विभाग से पंजीकृत होते हैं) एवं जहां 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं वहां अधिनियम के धारा 04 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित किया जाना है। आंतरिक शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे -

1. पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी। यदि वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न हो तब उसी नियोक्ता अथवा अन्य विभाग अथवा संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से पीठासीन अधिकारी नाम निर्देशित की जायेगी।

// 02 //

2. कर्मचारियों में से महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध अथवा सामाजिक कार्य में अनुभव वाले कम से कम 02 सदस्य।
3. गैर शासकीय संगठन/संघ से 01 सदस्य जो महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हो।

नाम निर्देशित कुल सदस्यों में आधी महिलाएं होंगी तथा समिति के पीठासीन अधिकारी एवं प्रत्येक सदस्य नामांकन की तारीख से 03 वर्ष तक की अवधि के लिए पदधारित करेंगे।

महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु पत्र क्र. एफ 6-4/2006/मबावि/50, दिनांक 05.09.2014 के माध्यम से जारी अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 05 के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल है। POSH अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन का आदेश जारी करने की जिम्मेदारी कार्यस्थल के प्रत्येक नियोक्ता की है, किन्तु यदि वह आंतरिक शिकायत समिति गठन करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा-26 के अनुसार संबंधित कार्यालय को 50,000/- रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

चूंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण की अगली सुनवाई 14.05.2025 को है और राज्य की ओर से अतिरिक्त एफिडेविट 09.05.2025 के पूर्व जमा किया जाना है। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपके जिले में परिभाषित कार्यस्थलों की संख्या एवं उनके विरुद्ध गठित समितियों की संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र में एवं आदेश की प्रति सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को 01.05.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्धारित समय सीमा में पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(अमिताभ जैन)

मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

संचालनालय

महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-01, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर

दूरभाष नं.: 0771-2234192, 2234188 (Fax) E-mail- dirwcd.cg@nic.in

क्रमांक / 108 / रा.सं.के. / मबावि / 2025-26

रायपुर, दिनांक 16.06.2025

प्रति,

कलेक्टर

जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 6-183/2024/मबावि/50, नवा रायपुर दिनांक 25.04.2025।

—00—

विषयांतर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH) के क्रियान्वयन के संबंध में आपके जिले के अंतर्गत ऐसे कार्यालय जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ POSH Act 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किये जाने के निर्देश हैं। आपके जिले में संचालित सभी शासकीय एवं गैरशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों/व्यपारिक प्रतिष्ठानों/अस्पताल इत्यादि जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, में आंतरिक शिकायत समिति गठन की अद्यतन जानकारी मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हो सका है वहाँ समिति गठन की कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें। POSH Act 2013 के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा रही है, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करते हुए अद्यतन जानकारी इस कार्यालय एवं संचालक, राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र।

(पदुम सिंह एल्मा)

संचालक

महिला एवं बाल विकास,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

✓ रायपुर, दिनांक 16.06.2025

पृ.क्र. 109 / रा.सं.के. / मबावि / 2025-26

प्रतिलिपि:-

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।

संचालक

महिला एवं बाल विकास,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/528/रा.सं.के./मबावि/2025-26

रायपुर, दिनांक 21.07.2025

प्रति,

कलेक्टर

जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय:- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संबंध में।

संदर्भ:- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 6-183/2024/मबावि/50, नवा रायपुर दिनांक 25.04.2025।

—00—

विषयांतर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH) के क्रियान्वयन के संबंध में आपके जिले के अंतर्गत ऐसे कार्यालय जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ POSH Act 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किये जाने के निर्देश हैं। आपके जिले में संचालित सभी शासकीय एवं गैरशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/अस्पताल इत्यादि जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, में आंतरिक शिकायत समिति गठन की अद्यतन जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हो सका है, वहाँ समिति गठन की कार्यवाही एक पखवाड़े की समय-सीमा में किये जाने का कष्ट करें। POSH Act 2013 के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा रही है। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करते हुए अद्यतन जानकारी इस कार्यालय को एवं संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर (छ.ग.) को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र।

(शम्मी आशिदी)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग,

पृ.क्र. /रा.सं.के./मबावि/2025-26

रायपुर, दिनांक 07.2025

प्रतिलिपि:-

01. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।

(सचिव)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग,

परीशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 858) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कबीरधाम जिले में खाद्यान्न गोदाम एवं उनकी स्वीकृति भंडारण क्षमता की स्थानवार जानकारी

(मात्रा टन में)

क्र	विकास खण्ड का नाम	गोदाम स्थल का नाम	गोदामों की संख्या	स्वीकृत भण्डारण क्षमता
1	कवर्धा	कवर्धा	3	2320
		मगरदा	5	12615
		डबराभाठ	3	6264
		हथलेवा (बाजार चारभाठा)	12	25056
		योग:-	23	46255
2	पण्डरिया	मोहतरा	4	8352
		सुरजपुरा	4	8352
		योग:-	8	16704
3	बोड़ला	मण्डलाटोला	3	6264
		सिंघारी	3	6264
		योग:-	6	12528
महायोग:-			37	75487

Pnug
अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

Jan
सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

कबीरधाम जिले में विगत 03 वर्षों में स्वीकृत नवीन खाद्यान्न गोदाम, उपार्जन केन्द्र गोदाम एवं खाद्य भवनों की विकासखण्डवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत मद	निर्माणाधीन	पूर्ण	रिमार्क
1	सहसपुर लोहारा	पण्डरिया	मोहगांव	मोहगांव	मण्डी बोर्ड	-	पूर्ण	
2	बोड़ला	कवर्धा	शीतलपानी	शीतलपानी	मनरेगा + 15वें वित्त	-	पूर्ण	-
3	पण्डरिया	कवर्धा	सिंधारी	सिंधारी	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास मनरेगा	निर्माणाधीन	-	-
4	कवर्धा	कवर्धा	खड़ौदाखुर्द	खड़ौदाखुर्द	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास + मनरेगा	निर्माणाधीन	-	-
राज्य भंडार गृह निगम के खाद्यान्न गोदाम								
5	कवर्धा	कवर्धा	डबराभाट	डबराभाट	राज्य भंडार गृह निगम द्वारा	-	-	निविदा की कार्यवाही पूर्ण
6	पण्डरिया	पण्डरिया	पण्डरिया	पण्डरिया	राज्य भंडार गृह निगम द्वारा	-	-	निविदा की कार्यवाही पूर्ण
7	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	बोड़ला	राज्य भंडार गृह निगम द्वारा	-	-	निविदा की कार्यवाही पूर्ण

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नवा रायपुर

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नवा रायपुर, अटल कदम

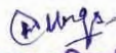
प्रपत्र-स

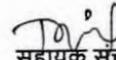
जिला कबीरधाम में वर्तमान में खाद्य गोदामों की स्थिति की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां खाद्य गोदाम जर्जर है
1	स.लोहारा	धरमगढ
2		खोलवा
3		रणवीरपुर
4		दानीघठौली
5		नरोधी
6		बंभी
7		गोछिया
8		चंदेनी
9		छोटूपारा
10		गोरझूमर
11		नवागांवखुद
12		गौरमाटी
13		कुआ
14		हरदी
15		दनियाखुद
16		बडोदाखुद
17		चारभाठा
18		हथलेवा
19		सुरजपुरा हरदी
20		स.लोहारा (शहरी)
21	बोड़ला	कैसमदो
22		छुही
23		बाटीपथरा
24		मडमडा
25		अचानकपुर
26		बैरख
27		बोक्करखार
28		भीरा
29		बोरिया
30		मानिकपुर
31		नेऊरगांवखुद
32		मण्डलाटोला
33		हरिनछपरा
34		राजानवागांव
35		बहो
36		चिमरा
37		बरहट्टी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां खाद्य गोदाम जर्जर है
38	बोड़ला	छपरी
39		राजाढार
40		बरबसपुर
41		तितरी
42		रोल
43		सरईपतेरा
44		भलवाटोला
45		लोहारीडीह
46		घानीखुंटा
47		पण्डरीपानी
48	पण्डरिया	डोगरियाकला
49		पलानसरी
50		रूसे
51		दुल्लापुर बाजार
52		किशुनगढ
53		अमनिया
54		कामठी
55		चतरी
56		कांदावानी
57		बिरहुलडीह
58		दमगढ
59		अमलडीहा
60		रोहरा
61		कोयलारीकापा
62		सेन्हाभाठा
63		जंगलपुर
64		खैलटुकरी
65		मंझोली
66		आगरपानी
67		रापा
68		लिमहईपुर
69		कुल्हीडोगरी
70		रेहुटाकला
71		कवलपुर
72		पंडरिया शहरी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां खाद्य गोदाम जर्जर है
73	कवर्धा	मैनपुरी
74		सेमो
75		कान्हाभैरा
76		भेदली
77		बटुराकछार
78		सोनपुरी रानी
79		सोहागपुर
80		झिरौनी
81		दशरंगपुर
82		केसली
83		हिरापुर
84		बिरनपुर
85		तमरूवा
86		ज्ञानपुर


अनुभाग अधिकारी
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
 संचालनालय, नवा रायपुर

पॉरीशेष्ट - तैरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 859) की जानकारी

प्रपत्र - अ

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की जानकारी वर्ष
2023-24

क्र.	जिला	संस्थागत देखरेख योजना कुल लाभान्वितों की संख्या	स्पांसरशिप कार्यक्रम कुल लाभान्वितों की संख्या	फॉस्टर केयर कार्यक्रम कुल लाभान्वितों की संख्या	दत्तक ग्रहण कार्यक्रम अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	आफ्टर केयर कार्यक्रम कुल लाभान्वितों की संख्या
1	बालोद	0	20	0	0	0
2	बलौदाबाजार भाटापारा	15	60	0	0	0
3	बलरामपुर	30	6	0	0	0
4	बस्तर	341	2	0	1	2
5	बेमेतरा	0	1	1	0	0
6	बीजापुर	54	2	0	0	13
7	बिलासपुर	581	46	1	10	2
8	दंतेवाड़ा	239	1	0	8	2
9	धमतरी	31	49	0	0	0
10	दुर्ग	571	30	3	6	0
11	गरियाबंद	0	183	0	0	0
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	0	0	0
13	जांजगीर	36	30	3	0	2
14	जशपुर	135	10	0	4	0
15	कबीरधाम	39	5	0	2	2
16	कांकेर	53	9	0	8	8
17	कोण्डागांव	87	8	0	0	5
18	कोरबा	449	20	2	3	0
19	कोरिया	41	10	0	0	2
20	खैरागढ़-छुड़खदान-गंडई	0	0	0	0	0
21	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0	0	0	0	0
22	महासमुंद	114	25	0	1	3
23	मुंगेली	16	16	0	0	1
24	मोहला-मानपुर-अ. चौकी	0	0	0	0	0
25	नारायणपुर	100	2	0	0	12
26	रायगढ़	497	39	1	11	0
27	रायपुर	554	92	2	9	0
28	राजनांदगांव	180	51	2	4	0
29	सक्ती	0	0	0	0	0
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0	0	0	0
31	सुकमा	29	6	0	0	1
32	सूरजपुर	0	60	0	0	0
33	सरगुजा	537	1	0	11	2
योग		4729	784	15	78	57

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की जानकारी वर्ष
2024-25

क्र.	जिला	संस्थागत देखरेख योजना कुल लाभान्वितों की संख्या	स्पांसरशिप कार्यक्रम कुल लाभान्वितों की संख्या	फ़ॉस्टर केयर कार्यक्रम कुल लाभान्वितों की संख्या	दत्तक ग्रहण कार्यक्रम अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	आफ्टर केयर कार्यक्रम कुल लाभान्वितों की संख्या
1	बालोद	0	16	0	0	0
2	बलौदाबाजार भाटापारा	64	137	1	0	0
3	बलरामपुर	76	5	0	0	0
4	बस्तर	342	17	2	5	2
5	बेमेतरा	0	9	0	0	0
6	बीजापुर	57	8	0	0	13
7	बिलासपुर	600	47	3	17	2
8	दंतेवाड़ा	413	2	0	6	4
9	धमतरी	36	77	0	0	4
10	दुर्ग	568	65	2	10	1
11	गरियाबंद	0	245	0	0	0
12	गोरेला- पेण्ड्रा- मरवाही	0	0	0	0	0
13	जांजगीर	30	91	4	0	0
14	जशपुर	164	9	0	6	3
15	कबीरधाम	46	5	0	3	0
16	कांकेर	39	30	0	4	9
17	कोण्डागांव	86	16	0	0	6
18	कोरबा	469	45	2	5	0
19	कोरिया	41	18	0	0	4
20	खैरागढ़- छुड़खदान- गंडई	0	4	0	0	0
21	मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी- भरतपुर	0	4	0	0	0
22	महासमुद्र	230	111	0	3	3
23	मुंगेली	18	36	0	0	2
24	मोहला- मानपुर- अ. चौकी	0	14	0	0	0
25	नारायणपुर	100	20	0	0	25
26	रायगढ़	458	33	4	15	0
27	रायपुर	581	126	0	15	12
28	राजनांदगांव	173	68	2	2	0
29	सक्ती	0	14	0	0	0
30	सारगढ़- बिलाईगढ़	0	5	0	0	0
31	सुकमा	35	36	0	0	6
32	सूरजपुर	0	86	0	0	0
33	सरगुजा	511	63	3	17	3
योग		5137	1462	23	108	99

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की जानकारी वर्ष
2025-26

क्र.	जिला	संस्थागत देखरेख योजना अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	स्पांसरशिप कार्यक्रम अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	फ़ॉस्टर केयर कार्यक्रम अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	दत्तक ग्रहण कार्यक्रम अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या	आप्टर केयर कार्यक्रम अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या
1	बालोद	0	12	0	0	0
2	बलौदाबाजार भाटापारा	24	121	0	0	0
3	बलरामपुर	8	19	1	0	0
4	बस्तर	325	54	6	4	1
5	बेमेतरा	0	91	0	0	0
6	बीजापुर	39	6	0	0	17
7	बिलासपुर	654	113	1	18	5
8	दंतेवाड़ा	312	2	0	4	5
9	धमतरी	33	120	0	0	4
10	दुर्ग	729	132	2	9	1
11	गरियांबंद	0	389	0	0	0
12	गौरैला- पेण्ड्रा- मरवाही	0	14	0	0	0
13	जांजगीर	24	102	9	0	0
14	जशपुर	113	7	7	3	3
15	कबीरधाम	46	7	0	10	5
16	कांकेर	50	30	0	11	11
17	कोण्डागांव	78	29	0	0	7
18	कोरबा	695	109	1	11	0
19	कोरिया	24	18	0	0	4
20	खैरागढ़- छुड़खदान- गंडई	0	3	0	0	0
21	मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी- भरतपुर	0	4	0	0	0
22	महासमुद्र	211	154	0	2	3
23	मुंगेली	13	34	0	0	2
24	मोहला- मानपुर- अ. चौकी	0	13	0	0	0
25	नारायणपुर	0	20	0	0	25
26	रायगढ़	569	38	4	8	6
27	रायपुर	573	229	1	15	12
28	राजनांदगांव	265	69	0	1	2
29	सक्ती	0	14	1	0	0
30	सारंगढ़- बिलाईगढ़	0	19	0	0	0
31	सुकमा	33	33	0	0	6
32	सूरजपुर	0	103	0	0	0
33	सरगुजा	632	93	10	13	3
योग		5450	2201	43	109	122

प्रपत्र-ब

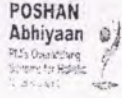
राज्य में वर्तमान में संचालित बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह , विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण, खुला आश्रय, बाल सम्प्रेक्षण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी तथा विशेष गृह) की जिला-वार एवं श्रेणी-वार जानकारी

क्र.	जिला	जिला बाल संरक्षण समिति	बालगृह	खुला आश्रय गृह	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	सम्प्रेक्षण गृह	प्लेस ऑफ सेफ्टी	विशेष गृह
1	बालोद	1	0	0	1	0	0	0
2	बलोदाबाजार	1	0	0	1	0	0	0
3	बलरामपुर	1	1	0	1	0	0	0
4	बस्तर	1	2	1	1	2	1	2
5	बेमेतेरा	1	0	0	1	0	0	0
6	बीजापुर	1	2	0	1	0	0	0
7	बिलासपुर	1	1	1	1	1	1	1
8	दंतेवाड़ा	1	2	1	1	1	0	0
9	धमतरी	1	1	0	1	0	0	0
10	दुर्ग	1	1	1	1	1	1	1
11	गरियाबंद	1	0	0	1	0	0	0
12	गैरला- पेन्द्रा-मरवाही	1	0	0	1	0	0	0
13	जांजगीर- चांपा	1	1	0	1	0	0	0
14	जशपुर	1	2	1	1	1	0	0
15	कांकेर	1	1	0	1	0	0	0
16	कबीरधाम	1	1	0	1	0	0	0
17	कोण्डागांव	1	2	0	1	0	0	0
18	खैरागढ़- छुईखदान- गंडई	1	0	0	1	0	0	0
19	कोरबा	1	2	1	1	1	0	0
20	कोरिया	1	1	0	1	0	0	0
21	महासमुंद	1	1	0	1	1	0	0
22	मनेंद्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर	1	0	0	1	0	0	0
23	मोहला- मानपुर- अम्बागढ़ चौकी	1	0	0	1	0	0	0
24	मुंगेली	1	1	0	1	0	0	0
25	नारायणपुर	1	1	0	1	0	0	0
26	रायगढ़	1	5	1	1	1	0	0
27	रायपुर	1	9	1	1	1	1	0
28	राजनांदगांव	1	1	0	1	2	0	1
29	सारंगढ़- बिलाईगढ़	1	0	0	1	0	0	0
30	सक्ती	1	0	0	1	0	0	0
31	सुकमा	1	1	0	1	0	0	0
32	सूरजपुर	1	0	0	1	0	0	0
33	सरगुजा	1	2	1	1	2	1	2
कुल		33	41	9	33	14	5	7

परीशेष - चौसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 868) की जानकारी

पुष्प-31



कार्यालय परियोजना अधिकारी

(एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना खैरागढ़)
जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.) पिन-491881

नए समाज प
Tg. 10/10/2026 3 11/10

पत्र क्रमांक / 30 / आईसीडीएस / / 2025-26
प्रति,

खैरागढ़, दिनांक

21 / 04 / 2026

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला कैसीजी(छ.ग.)

विषय:- दैनिक समाचार पत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन वितरण के संबंध में प्रकाशित समाचार विषयक।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 12.04.2025 को एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना खैरागढ़ अंतर्गत सेक्टर ठेलकाडीह में आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को प्रदाय करने वाले गरम भोजन के संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ था, तत्संबंध में ठेलकाडीह सेक्टर के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभिलेखों की जांच दिनांक 16.04.2025 को किया गया।

उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- प्रतिवेदन एवं गणना का विवरण।

Rusam

परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
खैरागढ़

548-38

कार्यालय परियोजना अधिकारी

(एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना खैरागढ़)
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.) पिन-491881

//जांच प्रतिवेदन//

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर गरम भोजन संबंधी पर्यवेक्षक स्तरीय देयक व कार्यालय में उपलब्ध देयक(अप्रैल 2023) का मिलान किया गया, जिसमें कुछ केन्द्रों में भिन्नता पायी गयी। टेलकाडीह सेक्टर के मां शारदा महिला स्व. सहायता समूह जुरलाकला द्वारा 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन हेतु कच्ची सामग्री प्रदाय की जाती है, प्रदायित आंगनवाड़ी केन्द्रों के दर्ज, लाभान्वित संख्या तथा कार्यालयीन देयक की संख्या तथा गणना में अंतर पाया गया।

मां शारदा महिला स्व सहायता समूह जुरलाकला द्वारा गरम भोजन, नाश्ते वितरण हेतु कच्ची सामग्री प्रदान की गई इस हेतु समूह को 77743/-रु 10 जून 2023 को पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया गया है। जांच के दौरान 10 आंगनवाड़ी केन्द्र सिंगारपुर 02, गोपालपुर खुर्द, तुलसीपुर, विचारपुर 02, तिलईभाठ, चारभाठा 03, जुरलाकला 01, जुरलाकला 02, रीवागहन एवं खपरीतेली में वास्तविक लाभान्वित हितग्राहियों से अधिक दर्ज संख्या देयक में अंकित पाया गया। पर्यवेक्षक से प्राप्त एवं कार्यालय से प्राप्त देयक के अंतर के विषय में सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी गयी, की उनके द्वारा प्रस्तुत देयक के अंको की प्रविष्टि कार्यालयीन देयक में नहीं है। गरम भोजन एवं नाश्ते का वास्तविक भुगतान 25298/-रु. किया जाना था, किंतु मां शारदा महिला स्व सहायता समूह जुरलाकला के खाते में 77743/- रु. भुगतान किया गया है जो, कि 52445/-रु. अधिक भुगतान है। उक्त राशि की वसूली समूह से किया जाना उचित होगा।

पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत देयक व ऑपरेटर द्वारा प्रविष्ट की गयी अंको का मिलान शाखा संबंधित कार्यालयीन कर्मचारी व तत्कालीन परियोजना अधिकारी, द्वारा किया जाता तो यह स्थिति निर्मित नहीं होती। वर्तमान में तत्कालीन परियोजना अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुकी है, तथा तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर भी कार्यरत नहीं है। यदि पदरथ सभी कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से किया जाता तो यह स्थिति निर्मित नहीं होती। पर्यवेक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न है।

Ramyan

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
खैरागढ़

$$\frac{545}{1}$$

परियोजना अधिकारी
रकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
सुरंगना

उप-अ

// जॉच प्रतिवेदन //

महिला एवं बाल विकास विभाग में गर्भ भोजन योजना में फर्जीवाड़े संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद मेरे द्वारा दिनांक 22.10.2025 को पाड़ादाह रोकट के आं.बा. केन्द्रों के देयको का जॉच किया गया, जिसमें आं.बा. केन्द्र बाकलसर्रा के माह अक्टूबर 2022 के देयक परीक्षण में जय मां सरस्वती स्व सहायता समूह बाकलसर्रा को 1049/-रु. अधिक भुगतान, आं.बा. केन्द्र रेंगाकटेरा मां दुर्गा स्व सहायता समूह रेंगाकटेरा को माह मार्च 2023 के देयक में 64/- रु. अधिक भुगतान, आं.बा. केन्द्र ईटार 02, ईटार 03 जय अम्बे स्व सहायता समूह ईटार को माह अप्रैल 2023 एवं मई 2023 के देयक में 609/- रु का अधिक भुगतान, आं.बा. केन्द्र भरतपुर 01 एवं भरतपुर 02 पदम जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह भरतपुर को माह अप्रैल 2023 एवं मई 2023 के देयक में 497/-रु. का अधिक भुगतान होना पाया गया, जिसकी वसूली किया जाना उचित होगा। आं.बा. केन्द्र सांकरा 01 जय शीतला स्व सहायता समूह सांकरा को माह दिसम्बर 2021 के देयक में 683/- रु. का कम भुगतान, आं.बा. केन्द्र पिरचापहाड पदम जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह को माह सितम्बर, अक्टूबर, दिसम्बर 2022 के देयक में 2838/- रु का कम भुगतान, आं.बा. केन्द्र मंडलाटोला जय मां ज्योति स्व सहायता समूह बांधनवागांव को माह मार्च 2023 के देयक में 1355/- रु. का कम भुगतान, आं.बा. केन्द्र चिचका 01 जय मां शांति स्व. सहायता समूह चिचका को माह अक्टूबर 2022 के देयक में 2689/- रु. का कम भुगतान, आं.बा. केन्द्र अचानकपुर नवागांव जय मां स्व सहायता समूह अचानकपुर नवागांव को माह सितम्बर 2022, नवम्बर 2022, दिसम्बर 2022 एवं अप्रैल 2023 के देयक में कुल 759/- रु. का कम भुगतान, आं.बा. केन्द्र बेंदरीडीह मां शारदा स्व सहायता समूह बेंदरीडीह को माह अप्रैल 2023 एवं मई 2023 के देयक में 3463/- रु. का कम भुगतान, आं.बा. केन्द्र ईटार 01 जय भवानी स्वयं सहायता समूह ईटार का माह अप्रैल 2023 एवं मई 2023 के देयक में 32/- रु. का कम भुगतान किया जाना पाया गया एवं आं.बा. केन्द्र सिवनी मां वैभव लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह चंगुर्दा में माह अप्रैल 2023 के देयक में सही भुगतान होना पाया गया है। गणना पत्रक संलग्न है।

परियोजना कार्यालय में पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत देयक की जानकारी उपलब्ध है किंतु उसमें संबंधित पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर नहीं है। पर्यवेक्षकों से प्राप्त जानकारी अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत दर्ज लाभान्वित एवं पोषण दिवस के अनुसार इन्द्राज नहीं किया जाता था। कार्यालय में पूर्व में दैनिक मजदूरी मद में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर निखिल यादव द्वारा पर्यवेक्षकों द्वारा दिये गये डाटा अनुसार देयक आहरण न करके मन माने तरीके से कार्य किया जाता था। वर्तमान में निखिल यादव कम्प्यूटर ऑपरेटर को दैनिक मजदूरी से हटा दिया गया है।

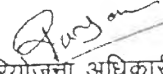
तत्कालीन परियोजना अधिकारी श्रीमती अनिता श्रीवास्तव के द्वारा जो कि आहरण एवं संवितरण भी थी, समुचित दस्तावेज के संधारण एवं अभाव के बिना ही राशि का आहरण एवं संवितरण किया गया है। प्रथम दृष्ट्या गरम भोजन के अनियमित एवं दूषित देयक आहरण एवं संवितरण के लिये दोषी प्रतीत होता है। श्रीमती अनिता श्रीवास्तव वर्तमान में दिनांक 30.11.2023 से सेवा निवृत्त हो चुकी है। तत्कालीन लेखा लिपिक स्व. श्री सुरेश कुलदीप का देहावासन हो चुका है। राशि आहरण संबंधी देयक कार्यालय में उपलब्ध है।

उपरोक्त प्रकरण वर्तमान अधिकारी के पदस्थापना के पूर्व का है, पदस्थापना के पश्चात् गरम भोजन के देयको एवं अन्य अभिलेखों का समुचित संधारण एवं रखरखाव के निर्देश पर्यवेक्षकों को दिये गये हैं एवं समुचित संधारण किया जा रहा है। किसी भी पर्यवेक्षक, आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिका कार्यालयीन स्टॉफ को उनके द्वारा किये गये अनियमित या अविधिकार्यों के लिए कोई संरक्षण नहीं



देया जा रहा है। सेक्टर पाडादाह के तत्कालीन श्रीमती तपस्विनी प्रधान को आं.वा. केन्द्रों में समुचित निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण नहीं होने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र० 186/आईसीडीएस/2025-26 खैरागढ़ दिनांक 20.06.2025 के द्वारा चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

सादर सविनय जांच प्रतिवेदन प्रेषित है।



परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
खैरागढ़, जिला-के.सी.जी. (छ.ग.)

गुरुभोजन व नाश्ते का दैनिक पत्रक

क्र.सं.	केंद्र का नाम	गर्भ मोजन प्रदायकता संकेत का नाम	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे			प्रतिशत	गर्भ मोजन देन प्रति										गणना देन प्रति		कुल प्रति 17+19	अंतर प्रति (20-12)	टिप्पणी
			वर्ष	लिंग	प्रतिशत		3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे		कुल प्रतिशत प्रति 450 क	देन प्रति 240 क	चुपचा प्रतिशत देन प्रति 240 क	कुल प्रति 20-12									
							वर्ष	लिंग					प्रतिशत	देन प्रति							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	बाबुलगाँव	बाबुलगाँव	Oct-22	24	19	23	432	1944	225	540	2484	19	19	23	665	2993	225	540	3533	1049	
2	पैलावली	पैलावली	Mar-23	21	17	20	330	1485	162	389	1874	17	17	20	340	1530	170	408	1938	64	
3	इंदार 02	जब माँ अपने बच्चे को देना शुरू करेगी	Apr-23	39	36	24	889	4001	479	1150	5150	39	37	25	875	4938	410	984	5922	771	
	May-23		39	33	26	883	3974	408	979	4951	42	39	25	857	3857	405	972	4829	-124		
	ईंदार 03		Apr-23	12	10	24	242	1089	132	317	1406	12	10	25	242	1089	132	317	1405	0	
	ईंदार 03		May-23	11	9	26	236	1062	126	302	1364	11	9	25	236	1062	110	264	1326	-38	
4	भरतपुर 01	जब माँ अपने बच्चे को देना शुरू करेगी	Apr-23	16	12	24	321	1445	170	408	1853	16	13	25	321	1445	190	456	1901	49	
	May-23		16	11	27	297	1337	149	358	1694	14	11	25	297	1337	148	355	1692	-2		
	भरतपुर 02		Apr-23	18	12	24	291	1310	136	326	1666	18	12	25	391	1760	136	326	2086	450	
	भरतपुर 02		May-23	18	11	27	305	1373	142	341	1713	18	11	25	305	1373	142	341	1714	1	
5	सांभल 01	जब माँ अपने बच्चे को देना शुरू करेगी	Dec-22	25	23	27	614	2763	321	770	3533	25	23	23	621	2795	23	55	2850	497	
6	सांभल 01	जब माँ अपने बच्चे को देना शुरू करेगी	Sep-22	9	9	26	268	1206	134	322	1528	11	10	26	372	1674	158	379	530	-998	
	Oct-22		9	9	23	196	882	112	269	1151	15	12	23	559	2516	112	269	671	-480		
	नवम्बर 22		13	11	27	310	1395	160	384	1779	13	13	23	405	1823	13	31	418	-1361		
7	सांभल 01	जब माँ अपने बच्चे को देना शुरू करेगी	Mar-23	23	16	20	311	1400	169	406	1805	12	12	20	300	1350	150	360	450	-1355	
8	सांभल 01	जब माँ अपने बच्चे को देना शुरू करेगी	Oct-22	32	28	24	619	2786	285	684	3470	36	30	23	496	2232	285	684	781	-2689	

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
खैरानगर

545-07

कार्यालय परियोजना अधिकारी

(एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना खैरागढ़)

जिला-खैरागढ़- मुखदान-गंडई (छ.ग.) पिन-491881

पत्र क्रमांक 140 /आईसीडीएस/ 2025-26

खैरागढ़, दिनांक 28/04/2025

प्रति,

अध्यक्ष

मां शारदा महिला स्व सहायता समूह

जूरलाकला खैरागढ़

जिला केसीजी(छ.ग.)

विषय:-

गरम भोजन/नाश्ता प्रदायकर्ता समूह से अतिरिक्त राशि वसूल किये जाने बाबत।

संदर्भ:-

जिला कार्यक्रम अधिकारी मबावि के पत्र क्रमांक/92/शिकायत/मबावि/2025-26
खैरागढ़ दिनांक 25.04.2025।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अप्रैल 2023 के गरम भोजन भुगतान के देयक संबंधित समाचार के संबंध में जांच की गयी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार गरम भोजन/नाश्ता प्रदायकर्ता मां शारदा महिला स्व सहायता समूह जूरलाकला को वर्ष अप्रैल 2023 गरम भोजन एवं नाश्ता में मानक राशि से अतिरिक्त राशि 524.5/-रु. (शब्दों में बावन हजार चार सौ पैतालिस रुपये) का भुगतान किया जाना पाया गया है, जिसे अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर जमा करना सुनिश्चित करें। एकमुश्त राशि जमा नहीं करने की स्थिति में गरम भोजन हेतु प्रदायित कच्ची सामग्री की भुगतान राशि से कटौती की जायेगी।

परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
खैरागढ़

खैरागढ़, दिनांक 28/04/2025

पृ.क्र./41 /आईसीडीएस/ 2025-26

प्रतिलिपि:-

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला केसीजी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. सुरेश कुमार कुलदीप सहायक ग्रेड 02 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना खैरागढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

9/c

परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
खैरागढ़

उप-७

प्रति

परिभोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा
परियोजना बैरागढ़

विषय - गरम भोजन/नाश्ता प्रदायकता समूह में शारदा महिला स्व सहायता समूह के स्वार्थ में अतिरिक्त राशि चले जाने के कारण अतिरिक्त मुगलान वापस करने हेतु।

विषयान्तर्गत लेख है कि गरम भोजन/नाश्ता प्रदायकता में शारदा महिला स्व सहायता समूह पुरल कला को वर्ष अक्टूबर 2023 गरम भोजन/नाश्ता में मांग के शीरा से अतिरिक्त राशि 52445/- रु. (शब्दों में बावन हजार चार सौ पैंतालिस रुपये) समूह के स्वार्थ में प्राप्त हुआ था। शारदा महिला स्व सहायता समूह अतिरिक्त राशि का मुगलान अपने दसक गरम भोजन/नाश्ता से कुचैती की जावे। शारदा महिला स्व सहायता समूह को कोई आपत्ति नहीं है इससे समूह एवं डप से समूह है।

दिनांक

01-07-2025

हरद्वय चामलिया वता

अध्यक्ष/सचिव

शारदा महिला स्व.

महा. समूह, पुरल कला

वि.सं. बैरागढ़

परीशेष - पेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 879) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छईखदान गंडई जिले में 01 जनवरी, 2024 से जून 2026 तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आयोजित शिविर, लाभान्वित दिव्यांगजन, आबंटित राशि एवं व्यय की विकासखंडवार व समायोजित जनकारी

विकासखंड - डोंगरगढ़		
शिविर स्थल - डोंगरगढ़, कोनारी, बोरतालव		
शिविर दिनांक -27-01-2024, 04-03-2024, 06-03-2024		
शिविर हेतु व्यय - 36800/-		
क्र.	लाभान्वित/हितग्राही का नाम	सामग्री का नाम
1.	दुलेश्वर कुमार जंघेल	ट्रायसायकल
2.	नरेन्द्र गायकवाड़	व्हीलचेयर
3.	सालिकराम	ट्रायसायकल
4.	भुनेश्वर वर्मा	ट्रायसायकल
5.	राजकुमार बारले	मो.ट्रायसायकल /बैसाखी
6.	रवि कुमार कंवर	ट्रायसायकल
7.	गोविन्द जोशी	बैसाखीजोड़ी
8.	धिरेन्द्र सिन्हा	मो.ट्रायसायकल /बैसाखी
9.	द्रोपति निषाद	बैसाखीजोड़ी
10.	जोहर सिन्हा	श्रवणयंत्र
11.	अमरदास वर्मा	छड़ी
12.	अविन्द्र मेश्राम	वाकर
13.	मदन मानेकर	श्रवणयंत्र
14.	चन्द्रेश साहू	बैसाखी जोड़ी
15.	इन्द्ररासाहू	ट्रायसायकल
16.	ओमकार	बैसाखीजोड़ी
17.	देवलाल यादव	ट्रायसायकल
18.	अंकुस वर्मा	व्हीलचेयर
19.	उत्तम साहू	छड़ी
20.	आर्यन महोबिया	ट्रायसायकल
21.	गंगाराम पटेल	कृत्रिमहाथ
22.	यशोदा साहू	बैसाखी जोड़ी
23.	शांतिस्वरूप दास	व्हीलचेयर
24.	लक्ष्मी साहू	एल बो स्केच
25.	अनुज चन्द्रवंशी	बैसाखी जोड़ी
शिविर स्थल -लाल बहादुर नगर, डोंगरगढ़		
शिविर दिनांक -20-07-2024, 31-07-2024, 22-08-2024		
शिविर हेतु व्यय - 99000/-		
1.	चैतराम जन चौपाल	बैसाखीजोड़ी
2.	पिकी चंदेल	छड़ी

Notom
 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा सय्युर अटल नगर

3.	श्रीमती राधा स्वामी	वाकर
4.	रानु मेश्राम	बैसाखीजोड़ी
5.	शान्तिलाल वर्मा	बैसाखी जोड़ी
6.	ईश्वरलाल साहू	बैसाखीजोड़ी
7.	लक्ष्मण साहू	ट्रायसायकल
8.	देवीलाल ठाकुर	मो.ट्रायसायकल /बैसाखी
9.	रोशन कुमार	मो.ट्रायसायकल /बैसाखी
10.	बलीराम	वाकर
11.	संदीप सिन्हा	व्हीलचेयर
12.	चिन्ताराम पटेल	ट्रायसायकल
13.	हिरेंद्र साहू	श्रवणयंत्र
14.	हर्षगोड़	व्हीलचेयर
शिविर स्थल - डोंगरगढ़		
शिविर दिनांक -20-09-2025		
शिविर हेतु व्यय - 6940/-		
1.	धरु गोड़	व्हीलचेयर
2.	घुरई बाई	बैसाखीजोड़ी
3.	संगीता ठाकुर	श्रवणयंत्र
4.	घोडुराम	व्हीलचेयर
5.	क्रिश् वर्मा	सीपीचेयर
6.	दुलेश्वर कुमार जंघेल	वाकर
7.	धरमु निषाद	छड़ी
8.	घासीराम	श्रवणयंत्र
9.	डामेश्वरी	व्हीलचेयर
10.	राजेन्द्र पटेल	व्हीलचेयर
11.	दुलेश कुमार	वाकर
12.	नर्मदा	श्रवणयंत्र
13.	डावकर यादव	श्रवणयंत्र
14.	वीणा	श्रवणयंत्र
15.	पुजा साहू	श्रवणयंत्र
16.	पुजा चुनारकर	श्रवणयंत्र
17.	अमृतलाल साहू	वा.स्टीक
18.	बंशीराम साहू	वा.स्टीक
19.	बलीराम	व्हीलचेयर
शिविर स्थल - डोंगरगढ़		
शिविर दिनांक -13-01-2026		
शिविर हेतु व्यय - 17400/-		
1.	बलीराम	बैसाखी जोड़ी
शिविर स्थल - डोंगरगढ़		
शिविर दिनांक -11-03-2026		
शिविर हेतु व्यय - 56985/-		
1.	पुनीत राम सतनामी	बैसाखी जोड़ी



अनुभाग अधिकारी
सर्वाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा सक्कर अटल नगर

शिविर स्थल - डोंगरगढ़

शिविर दिनांक -03-04-2026

शिविर हेतु व्यय - निरंक

1.	दयालु चंद्रवंशी	मो.ट्रायसायकल
2.	द्रोपती निषाद	मो.ट्रायसायकल
3.	फूलचंद कैवर	मो.ट्रायसायकल
4.	हरीराम सिन्हा	मो.ट्रायसायकल
5.	कैलाश कैवर	मो.ट्रायसायकल
6.	किशोर कुमार सहारे	मो.ट्रायसायकल
7.	प्रशांत कांडे	मो.ट्रायसायकल
8.	पूरनदास साहू	मो.ट्रायसायकल
9.	राजेशकुमार राजपूत	मो.ट्रायसायकल
10.	राम गोंड	मो.ट्रायसायकल
11.	राहमिन	मो.ट्रायसायकल
12.	रवि कुर्रे	मो.ट्रायसायकल
13.	कुमारी मान	मो.ट्रायसायकल
14.	लेखराज लाऊत्रे	मो.ट्रायसायकल
15.	मीना मरकाम	मो.ट्रायसायकल
16.	देवनाथ छेदिया	मो.ट्रायसायकल
17.	केसरी बाई	मो.ट्रायसायकल
18.	मूलचंद चंद्रवंशी	मो.ट्रायसायकल
19.	पुष्पा कैवर	मो.ट्रायसायकल
20.	राकेशकुमार कैवर	मो.ट्रायसायकल
21.	रामदास वर्मा	मो.ट्रायसायकल
22.	रामलाल बंधे	मो.ट्रायसायकल
23.	शिवरात्रि कुजाम	मो.ट्रायसायकल
24.	सुखचंद कैवर	मो.ट्रायसायकल
25.	सुखबती गोंड	मो.ट्रायसायकल
26.	सुशीला बंजारे	मो.ट्रायसायकल
27.	अनीता	मो.ट्रायसायकल
28.	धीरेन्द्र कुमार गर्जेद्र	मो.ट्रायसायकल
29.	मनोज कुमार गोंड	मो.ट्रायसायकल
30.	सुखित राम कैवर	मो.ट्रायसायकल
31.	देवलाल यादव	मो.ट्रायसायकल
32.	मुकुंदराम कन्नौजे	मो.ट्रायसायकल
33.	परउराम वर्मा	मो.ट्रायसायकल
34.	रानू मेश्राम	मो.ट्रायसायकल
35.	सुरेश गोंड	मो.ट्रायसायकल
36.	फुलेश्वर वर्मा	व्हीलचेयर

Handwritten Signature
अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परीशेष - छेसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 887) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अटल
वयो अभ्युदय योजना के तहत प्राप्त राशि का मद/कार्यक्रम का विवरण

क्र.	कार्ययोजना	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	यदि कोई टिप्पणी हो
A	मोतियाबिन्द सर्जरी	174.90	CGHS दरों के अनुसार।
B	CG का प्रशिक्षण	189.75	1. प्रशिक्षण संस्थान का NISD/MSDE के अंतर्गत सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। 2. प्रशिक्षण का खर्च NISD के अनुसार मापदंड होगा। 3. प्रशिक्षकों की संख्या को NISD दरों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
C	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	11.39	1. प्रशिक्षण संस्थान को NISD/MSDE के अंतर्गत सूचीबद्ध होना चाहिए। 2. NISD लागत मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण। 3. प्रशिक्षकों की संख्या को NISD दरों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
D	उत्पादक उम्र बढ़ने के लिए गतिविधियाँ	22.40	राज्य कार्य योजना के अनुसार 28 OAH के लिए अनुमोदित।
E	संवेदीकरण और जागरूकता	139.325	आधा साल बीत जाने के कारण धनराशि में आनुपातिक रूप से कमी कर दी गई है। राज्य स्तरीय बुजुर्गजन समारोह के लिए निधि पहले ही IDOP के आयोजन हेतु उपलब्ध करा दी गई है।
F	अंतर-पीढ़ीगत बंधन गतिविधियाँ	104.775	आधा साल बीत जाने के कारण धनराशि कम हो गई है।
G	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर	33.00	केवल वृद्धावस्था स्वास्थ्य शिविरों के लिए आनुपातिक रूप से
H	राज्य सरकार का डे केयर सेंटर।	-	यह धनराशि डे केयर सेंटरों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, पैलिएटिव केयर सेंटरों के लिए नहीं।
I	वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	112.00	आधा वर्ष बीत चुका है, इसलिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ही आनुपातिक रूप से धनराशि स्वीकृत की गई है।
J	RVY के लिए शिविर	-	ALIMCO की मदद से शिविरों का आयोजन निःशुल्क किया जाता है।
K	वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल और समग्र कल्याण के लिए मीडिया का उपयोग	100.00	यह DAVP दरों के अनुसार होना चाहिए। तैयार किए गए वीडियो, ऑडियो, बैनर आदि को इस विभाग के साथ साझा किया जाना चाहिए।
L	IDOP का उत्सव	10.00	राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है

---2/1
अनुभाष अधिकारी
समोत कल्याण विभाग,
प्रबालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	कार्ययोजना	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	यदि कोई टिप्पणी हो
M	विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस	-	2025-26 के लिए WEAA दिवस पहले ही बीत चुका है।
N	योग दिवस का उत्सव	-	योग दिवस भी बीत चुका है।
O	स्वच्छता अभियान	-	समय-सीमा पहले ही बीत चुकी है
P	एक पेड़ माँ के नाम	-	समय-सीमा पहले ही बीत चुकी है
Q	स्वयंसेवी गतिविधियों में कम उम्र के बच्चों की भागीदारी	16.50	-
	योग (राशि लाख में)	914.04	

**जिला राजनांदगांव अंतर्गत मद में व्यय, एजेंसी को किए गए भुगतान,
क्रय किये गए सामग्रीवार व राशिवार जानकारी**

क्र.	मद का नाम	एजेंसी का नाम	क्रय सामग्री	व्यय राशि
A	मोतियाँबिन्द सर्जरी	एम्स रायपुर	-	2,33,928/-
E	संवेदीकरण और जागरूकता	मेसर्स खुशबू एंटरटेनमेंट रायपुर	-	1,25,000/-
G	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर	पोलिस कल्याण पेट्रोल पम्प, राजनांदगांव	डीजल क्रय	18,820/-
		आशीवाद ट्रेडर्स छुरिया	वाहन किराया	17,325/-
		एम.जेड प्रिंटर्स राजनांदगांव	फ्लेक्स	720/-
	योग			3,95,793/-

Meston
अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर जटल नगर

परिशिष्ट - सड़सठ
अताराकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 895) की जानकारी

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के स्वीकृत भवन निर्माण कार्य

प्रपत्र-अ

क्र	जिला का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आंगनबाड़ी केंद्र का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अबंटित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य									
वित्तीय वर्ष 2024-25									
1	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	छछानहरी	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	नवीन आंगनबाड़ी भवनो के निर्माण हेतु अधिसूचण की राशि मुख्य कार्यालयन अधिकारी जिला पंचायत को अंतरित की गई ।
2	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	बांधाबाजार	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
3	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	ढाढ़ूढोला	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
4	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	जराहाटोला	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
5	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	तिरपेढा	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
6	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	सियाभोड़ी	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
7	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	हाडोलेला	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
8	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	होडोलेला	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
9	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	चिखली	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
10	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	चिखली 1	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
11	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	चिखली 2	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
12	मोहला-मानपुर-अं चौकी	अं चौकी	2024-25	भड़सेना 1	नवीन आं.बा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
योग :-						2028000.00	2028000.00	2028000.00	
वित्तीय वर्ष 2024-25									
1	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	मोरकुपूथ	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति भवन राशि रूपये 169000/- के मान से एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति भवन राशि रूपये 200000/- के मान से कुल राशि 369000/- मुख्य कार्यालयन अधिकारी जिला पंचायत को अंतरित की गई है।
2	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	लाट्टोला क. 02	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
3	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	बलरंगपुर	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
4	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	गेरुघाट भीमघाटोला	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
5	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	गेरुघाट चिखकाडीटोला	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
6	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	महसजपुर	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
7	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	पंडरपानी	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
8	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	धिरवारीकला	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
9	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	तुरैगढ क. 03	नवीन आंगनबाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	

क्र	जिला का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आवृत्त राशि	व्यय राशि	रिमार्क
10	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	दत्तशेगढोला क. 02	नवीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
11	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	भासुलकरसा क. 02	नवीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
12	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	पद्मर्षी क. 02	नवीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
13	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	पगसेकला क. 02	नवीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
14	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	अरजलपुरछ	नवीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
15	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	दानीढोला	नवीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
योग :-						5535000.00	5535000.00	5535000.00	
वित्तीय वर्ष 2025-26									
1	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	अं.चौकी	2024-25	चौकी 114	नवीन आं.वा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चौकी को राशि अंतरित की गई ।
2	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	अं.चौकी	2024-25	चौकी 05	नवीन आं.वा. भवन	169000.00	169000.00	169000.00	
योग :-						338000.00	338000.00	338000.00	
आंगनवाड़ी भवन भरमत्त कार्य									
वित्तीय वर्ष 2025-26									
1	राजनांदगांव	छुरिया 02	2025-26	केसाल	आ.वा. भवन भरमत्त	89000.00	89000.00	89000.00	आंगनवाड़ी भवन भरमत्त की राशि मुख्य कार्यालयन अधिकारी जनपद पंचायत छुरिया को अंतरित
2	राजनांदगांव	छुरिया 02	2025-26	दैहान 01	आ.वा. भवन भरमत्त	84000.00	84000.00	84000.00	
3	राजनांदगांव	छुरिया 02	2025-26	कोलोयाही 01	आ.वा. भवन भरमत्त	67000.00	67000.00	67000.00	
योग :-						240000.00	240000.00	240000.00	

प्रपत्र-ब

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत नदीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य

क्र	जिला का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	रिमार্ক
वित्तीय वर्ष 2024-25									
1	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	मेरसुलूम	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति भवन राशि रुपये 169000/- के मान से एव वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति भवन राशि रुपये 200000/- के मान से कुल राशि 369000/- मुख्य कार्यभारन अधिकारी जिला प्रशासन को अवस्थित की गई है।
2	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	लाहटोला क. 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
3	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	बजरसपुर	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
4	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	मेरुघाट मीरीयाटोला	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
5	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	मेरुघाट बिल्कालीटोला	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
6	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	महराजपुर	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
7	राजनांदगांव	छुरिया 01	2024-25	पंडरपाणी	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
8	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	चिरवाशैकला	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
9	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	तुरैगाढ क. 03	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
10	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	दत्तसंगटोला क. 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
11	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	मासुलकासा क. 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
12	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	पथरी क. 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
13	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	पांगरीकला क. 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
14	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	अरवाकुण्ड	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
15	राजनांदगांव	छुरिया 02	2024-25	दानीटोला	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000	369000	369000	
योग :-						5535000	5535000	5535000	
वित्तीय वर्ष 2024-25									
1	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	गोहरी 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	नदीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु अभिलेखन की राशि मुख्य कार्यभारन अधिकारी जिला प्रशासन को अवस्थित की गई।
2	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	रियानमेडी 03	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
3	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	धौरामठा 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
4	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	मयानपापर 03	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
5	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	बहन्नीमठा 03	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
6	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	गुनेरी नवागांव 03	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
7	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	कोहेटोला 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
8	राजनांदगांव	डोगरागांव	2024-25	जारावाही	नदीन आंगनवाड़ी भवन	369000.00	369000.00	369000.00	
योग :-						2952000.00	2952000.00	2952000.00	
वित्तीय वर्ष 2025-26									
1	राजनांदगांव	राज. शारही	2025-26	शंकरपुर गार्ड कमांक 03	नदीन आंगनवाड़ी भवन	300000.00	300000.00	300000.00	शारही क्षेत्र में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य हेतु प्रथम चिखत नगर पालिक निगम राजनांदगांव को राशि अवस्थित की गई।
2	राजनांदगांव	राज. शारही	2025-26	गौरीनगर 14 कमांक 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	300000.00	300000.00	300000.00	
3	राजनांदगांव	राज. शारही	2025-26	महावीर 36 कमांक 04	नदीन आंगनवाड़ी भवन	300000.00	300000.00	300000.00	
4	राजनांदगांव	राज. शारही	2025-26	बल्देवप्रसाद कमांक 16 क. 01	नदीन आंगनवाड़ी भवन	300000.00	300000.00	300000.00	
5	राजनांदगांव	राज. शारही	2025-26	गुरुगोविन्द 23 कमांक 02	नदीन आंगनवाड़ी भवन	300000.00	300000.00	300000.00	
6	राजनांदगांव	राज. शारही	2025-26	गुरुगोविन्द 23 कमांक 04	नदीन आंगनवाड़ी भवन	300000.00	300000.00	300000.00	
योग :-						1800000.00	1800000.00	1800000.00	

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत नगीन आंगनवाड़ी भवन निमोष कार्य

क्र	जिला का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
जिला-राजनांदगांव अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों का भरमल कार्य									
वित्तीय वर्ष 2025-26									
1	राजनांदगांव	छुरिया 02	2025-26	केसल	आ.श. भवन भरमल	89000.00	89000.00	89000.00	आंगनवाड़ी भवन भरमल की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मुख्यालय छुरिया को अतिरिक्त किया गया।
2	राजनांदगांव	छुरिया 02	2025-26	दैहान 01	आ.श. भवन भरमल	84000.00	84000.00	84000.00	
3	राजनांदगांव	छुरिया 02	2025-26	कोलीगारी 01	आ.श. भवन भरमल	67000.00	67000.00	67000.00	
योग :-						240000.00	240000.00	240000.00	
वित्तीय वर्ष 2025-26									
1	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	चुरलाछुर्द 01	आ.श. भवन भरमल	46000.00	46000.00	46000.00	आंगनवाड़ी भवन भरमल की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद मुख्यालय राजनांदगांव, डोंगरावा, डोंगराढ को अतिरिक्त किया गया है।
2	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	ईरईछुर्द	आ.श. भवन भरमल	98000.00	98000.00	98000.00	
3	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	छापरीवमार	आ.श. भवन भरमल	117000.00	117000.00	117000.00	
4	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	सहसपुरदली 01	आ.श. भवन भरमल	93000.00	93000.00	93000.00	
5	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	परुमरा 03	आ.श. भवन भरमल	100000.00	100000.00	100000.00	
6	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	महलमछुर्द	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
7	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	वरदपुर 01	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
8	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	बासुला 02	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
9	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	बासुला 01	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
10	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मुहिया 02	आ.श. भवन भरमल	105000.00	105000.00	105000.00	
11	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	जुहिया	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
12	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	करेलपारा	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
13	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	उपरवाढ 02	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
14	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	शिकारीदोला	आ.श. भवन भरमल	100000.00	100000.00	100000.00	
15	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मोथीपारकला महलजपुर	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
16	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	महराजपुर	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
17	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	बोरी	आ.श. भवन भरमल	100000.00	100000.00	100000.00	
18	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	लेकदोला	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
19	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	धामनरावा	आ.श. भवन भरमल	50000.00	50000.00	50000.00	
20	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	जिजाहरी 01	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
21	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	हिलापहरी 03	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
22	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मोखला	आ.श. भवन भरमल	30000.00	30000.00	30000.00	
23	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	छैरछिरी केन्द्र कमांक 01	आ.श. भवन भरमल	100000.00	100000.00	100000.00	
24	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	जुहिया कमांक 01	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
25	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	करेल कमांक 01	आ.श. भवन भरमल	94000.00	94000.00	94000.00	
26	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	बोरेवा 01	आ.श. भवन भरमल	100000.00	100000.00	100000.00	
27	राजनांदगांव	राज. शा. 02	2025-26	तुमहीदोला 01	आ.श. भवन भरमल	100000.00	100000.00	100000.00	

जिला-राजनीदगांव अंतर्गत नदीन आगनवाही भवन निर्माण कार्य

प्रपत्र-ब

क्र	जिला का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आगनवाही केन्द्र का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आवृत्ति राशि	व्यय राशि	निर्णय
28	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	जिलापट्टी 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
29	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	नरैयाव 01	आ.वा. भवन मरम्मत	53000.00	53000.00	53000.00	
30	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	नरैयाव 02	आ.वा. भवन मरम्मत	46000.00	46000.00	46000.00	
31	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	नरैयाव 03	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
32	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	नरैयाव 04	आ.वा. भवन मरम्मत	60000.00	60000.00	60000.00	
33	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मिथवा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	71000.00	71000.00	71000.00	
34	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मिथवा 02	आ.वा. भवन मरम्मत	42000.00	42000.00	42000.00	
35	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मिथवा 03	आ.वा. भवन मरम्मत	44000.00	44000.00	44000.00	
36	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	मिथवा 04	आ.वा. भवन मरम्मत	30000.00	30000.00	30000.00	
37	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	रुमकडा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	46000.00	46000.00	46000.00	
38	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	कुँवरओरकी 01	आ.वा. भवन मरम्मत	30000.00	30000.00	30000.00	
39	राजनीदगांव	राज. शा. 02	2025-26	टेमरी 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
40	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	गोपालपुर 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
41	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	रातोपावली 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
42	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	ढावा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	86000.00	86000.00	86000.00	
43	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	सुखी	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
44	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	छुईखटाव 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
45	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मोथली 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
46	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	करमरा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
47	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	करमरा 02	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
48	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मोथली क. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
49	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	कु. भाठगांव 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
50	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	रैमकडेरा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	113000.00	113000.00	113000.00	
51	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	गाताढोला 01	आ.वा. भवन मरम्मत	113000.00	113000.00	113000.00	
52	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	जोरवाही 01	आ.वा. भवन मरम्मत	80000.00	80000.00	80000.00	
53	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मिथवा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	72000.00	72000.00	72000.00	
54	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	बुद्धरवा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	56000.00	56000.00	56000.00	
55	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मुसुरा क. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	44000.00	44000.00	44000.00	
56	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मुसुरा क. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	44000.00	44000.00	44000.00	
57	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	पुलकी नगर 01	आ.वा. भवन मरम्मत	118000.00	118000.00	118000.00	
58	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मुगलानी 01	आ.वा. भवन मरम्मत	96000.00	96000.00	96000.00	
59	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	मुगलानी 02	आ.वा. भवन मरम्मत	103000.00	103000.00	103000.00	
60	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	पुलकी नगर 02	आ.वा. भवन मरम्मत	115000.00	115000.00	115000.00	
61	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	चरईडरवा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	103000.00	103000.00	103000.00	
62	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	चरईडरवा 02	आ.वा. भवन मरम्मत	104000.00	104000.00	104000.00	
63	राजनीदगांव	राज. शा. 01	2025-26	टपगा 01	आ.वा. भवन मरम्मत	105000.00	105000.00	105000.00	
योग :-						5423000.00	5423000.00	5423000.00	

जिला-राजनांदगांव अंतर्गत नवीन आगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य

क्र	जिला का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष	आगनवाड़ी केन्द्र का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अवधिित राशि	व्यय राशि	रिमार्क
वित्तीय वर्ष 2026- 27									
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	राशि निर्माण एजेंसी जनपद पत्रावली राजनांदगांव एवं डोंगरांव को राशि अंतरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
3	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
4	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
5	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
6	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
7	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
8	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
9	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
10	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
12	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 02	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 02	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
13	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
14	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
15	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	50000.00	50000.00	50000.00	
16	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
17	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	94000.00	94000.00	94000.00	
18	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रા. 01	2026-27	राजनांदगांव ग्रા. 01	आ.वा. भवन मरम्मत	30000.00	30000.00	30000.00	
19	राजनांदगांव	डोंगरांव	2026-27	डोंगरांव	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
20	राजनांदगांव	डोंगरांव	2026-27	डोंगरांव	आ.वा. भवन मरम्मत	100000.00	100000.00	100000.00	
योग :-						1808000.00	1808000.00	1808000.00	

परिशिष्ट - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 897) की जानकारी

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु जिला में क्रय की गई सामग्री

प्रपत्र-अ

विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	निविदा में चयनित एल-1 फर्म का नाम	फर्म का नाम जिसे आदेश दिया गया	सामग्री की दर (रुपये में)	सामग्री की मात्रा (नग में)	स्वीकृत भुगतान राशि	भुगतान की स्वीकृति की तिथि
मोहला	पटा-बेलन	सीमित निविदा	11.01.2025	श्री जी. एजेन्सी महामाया मन्दिर रोड़ धमवा	श्री जी. एजेन्सी महामाया मन्दिर रोड़ धमवा	150	305	45750	4/1/2025
	चिमटा					50	305	15250	
	काड़छुल					100	305	30500	
	हाथ धोने के लिए प्लास्टिक मग					35	284	9940	
	प्लास्टिक पेट जार					100	296	29600	
	डस्टबीन (सूखा कचरा)					150	263	39450	
	डस्टबीन (गीला कचरा)					150	266	39900	
मोहला	पोछा	जेम पोर्टल	28.02.2026	रत्न ट्रेडर्स, डोंगरगांव	रत्न ट्रेडर्स, डोंगरगांव	100	281	28100	4/16/2026
	प्लास्टिक झाड़ू					100	285	28500	
	प्लास्टिक बाल्टी					200	285	57000	
	निरमा पाउडर 4 कि.ग्रा.					320	265	84800	
	फिनाईल 700 एम.एल — 2नग					135.56	265	35923.4	
	हेयर ऑयल 250 एम.एल. — 1नग					37.74	265	10001.1	
	कंधी — 1नग					35.72	265	9465.8	
मानपुर	नेल कट्टर — 1नग	सीमित निविदा	20.01.2025	श्री जी. एजेन्सी महामाया मन्दिर रोड़ धमवा	श्री जी. एजेन्सी महामाया मन्दिर रोड़ धमवा	26.78	265	7096.7	4/9/2025
	डस्टपैन — 1नग					46.44	265	12306.6	
	झाड़ू — 2नग					160	265	42400	
	हॉर्निक 200 एम.एल — 1नग					37.76	265	10006.4	
	पटा-बेलन					150	305	45750	
	चिमटा					50	305	15250	
	काड़छुल					100	305	30500	
	हाथ धोने के लिए प्लास्टिक मग					35	284	9940	
	प्लास्टिक पेट जार					100	296	29600	
	डस्टबीन (सूखा कचरा)					150	263	39450	

विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	निविदा में चयनित एल-1 फर्म का नाम	फर्म का नाम जिसे आदेश दिया गया	सामग्री की दर (रुपये में)	सामग्री की मात्रा (नग मे)	स्वीकृत भुगतान राशि	भुगतान की स्वीकृति की तिथि
मानपुर	निरमा पाउडर 4 कि.ग्रा.	जेम पोर्टल	28.02.2026	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	320	325	104000	4/18/2026
	फिनाईल 700 एम.एल – 2नग					135.56	325	44057	
	हेयर ऑयल 250 एम.एल. – 1नग					37.74	325	12265.5	
	कंधी – 1नग					35.72	325	11609	
	नेल कटर – 1नग					26.78	325	8703.5	
	डस्टबैन – 1नग					46.44	325	15093	
	ब्राडू – 2नग	जेम पोर्टल	28.02.2026	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	160	325	52000	31.01.2025
	हॉबिक 200 एम.एल – 1नग					37.76	325	12272	
	फिनाईल					50	600	30000	
	नेल कटर					50	300	15000	
	कंधी					20	300	6000	
	ब्राडू					80	600	48000	
अं.चौकी	खराटा ब्राडू	सीमित निविदा	16.01.2025	जनता वॉच गिफ्ट जनरल एंव स्टोर अम्बागाढ़ चौकी	जनता वॉच गिफ्ट जनरल एंव स्टोर अम्बागाढ़ चौकी	30	600	18000	31.01.2025
	सुधली					20	300	6000	
	आईना					50	300	15000	
	हॉबिक					100	300	30000	
	प्लास्टिक डिब्बा					30	1800	54000	
	साबुन					10	1800	18000	
अं.चौकी	निरमा पाउडर 4 कि.ग्रा.	जेम पोर्टल	28.02.2026	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	320	300	96000	4/22/2026
	फिनाईल 700 एम.एल – 2नग					135.56	300	40668	
	हेयर ऑयल 250 एम.एल. – 1नग					37.74	300	11322	
	कंधी – 1नग					35.72	300	10716	
	नेल कटर – 1नग					26.78	300	8034	
	डस्टबैन – 1नग					46.44	300	13932	
	ब्राडू – 2नग	जेम पोर्टल	28.02.2026	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	रत्न ट्रेडर्स, जोगरागांव	160	300	48000	4/22/2026
	हॉबिक 200 एम.एल – 1नग					37.76	300	11328	

प्रपत्र-ब
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु संचालनालय द्वारा क्रय की गई सामग्री
विधानसभा आतारक्षित प्रश्न क्रमांक 897 प्रश्नोंश 'क' तथा 'ख' की जानकारी

विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	निविदा में चयनित एल-1 फर्म का नाम	फर्म का नाम जिसे आदेश दिया गया	सामग्री की दर (रुपये में)	सामग्री की मात्रा (नग में)	स्वीकृत भुगतान राशि	भुगतान की स्वीकृति की तिथि
मोहला	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर	जेम पोर्टल	11/14/2024	सिद्धि सिन्धी सॉल्यूशन्स	सिद्धि सिन्धी सॉल्यूशन्स	8490	68	2122500	3/22/2025
मानपुर							100		
अं.चौकी							82		
मोहला	टैबल	जेम पोर्टल	12/20/2024	डेकोरा स्टील इंडस्ट्रीज	डेकोरा स्टील इंडस्ट्रीज	3604	100	1081200	28-03-2025 17-02-2026
मानपुर							100		
अं.चौकी							100		
मोहला	अलमारी (कैबिनेट)	जेम पोर्टल	12/26/2024	सिंधानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज	सुनील स्टील इंडस्ट्रीज	9047	91	1111324	3/11/2026
मानपुर							0		
अं.चौकी							39		
मोहला	अनाज कोठी (ग्रैन स्टोरेज बिन्)	जेम पोर्टल	12/20/2024	नमो इंटरप्राइजेस	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	2150	236	816271	3/27/2026
मानपुर							164		
अं.चौकी							0		
मोहला	कूकर	जेम पोर्टल	12/30/2024	श्री राम क्रिएशन	श्री राम क्रिएशन	2387	166	716100	3/31/2025
मानपुर							0		
अं.चौकी							134		
मोहला	कूकर	जेम पोर्टल	12/30/2024	श्री राम क्रिएशन	विनायक वैयरर्स	2387	50	238700	3/30/2025
मानपुर							0		
अं.चौकी							50		
मोहला	खण्डवाली थाली	जेम पोर्टल	12/23/2024	अर्बन सप्लायर्स	अर्बन सप्लायर्स	190	650	362230	3/27/2026
मानपुर							650		
अं.चौकी							650		
मोहला	कड़ाही	जेम पोर्टल	12/30/2024	आर.एस.एस. माईनिंग	आर.एस.एस. माईनिंग	324	188	64800	3/30/2025
मानपुर							12		
अं.चौकी							0		
मोहला	तवा	जेम पोर्टल	1/16/2025	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	सोनचिरईया कॉर्पोरेशन	169	188	29334	3/24/2026
मानपुर							12		
अं.चौकी							0		

विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	निविदा में चयनित एल-1 फर्म का नाम	फर्म का नाम जिसे आदेश दिया गया	सामग्री की दर (रुपये में)	सामग्री की मात्रा (नमूने में)	स्वीकृत भुगतान राशि	भुगतान की स्वीकृति की तिथि
मोहला	गिलास	जेम पोर्टल	12/23/2024	अर्बन सप्लायर्स	इंडमेट प्रेस मेटल प्रायवेट लिमिटेड	35	666	66250	1/22/2026
मानपुर							667		
अं.चौकी							667		
मोहला	चम्मच	जेम पोर्टल	1/20/2025	अर्बन सप्लायर्स	अर्बन सप्लायर्स	11.8	820	28250	2/17/2026
मानपुर							820		
अं.चौकी							820		
मोहला	कटोरी	जेम पोर्टल	1/19/2025	अर्बन सप्लायर्स	अर्बन सप्लायर्स	24.5	480	33547	2/17/2026
मानपुर							480		
अं.चौकी							480		
मोहला	दरी	छ ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सीधे क्रयारोश	-	-	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2950	135	1194750	23-03-2025, 19-06-2025
मानपुर							135		
अं.चौकी							135		
मोहला	चेयर	जेम पोर्टल	2/15/2025	रिद्धि सिद्धी सॉल्यूशन्स	रिद्धि सिद्धी सॉल्यूशन्स	930	301	930000	3/16/2026
मानपुर							364		
अं.चौकी							335		
मोहला	प्री-स्कूल किट	जेम पोर्टल	3/31/2025	श्री राम क्रिएशन	इंडस इंडस्ट्रीज	2320.2	265	2055440	3/23/2026
मानपुर							325		
अं.चौकी							300		
मोहला	थाली	जेम पोर्टल	1/16/2026	शिवम इंडस्ट्रीज	कृष्णाल हालसवेयर्स प्रा. लिमिटेड	189	500	300960	6/8/2026
मानपुर							600		
अं.चौकी							500		
मोहला	गिलास	जेम पोर्टल	1/16/2026	शिवम इंडस्ट्रीज	शिवम इंडस्ट्रीज	36	533	57600	3/25/2026
मानपुर							534		
अं.चौकी							533		
मोहला	फूड स्टोरेज कंटेनर	जेम पोर्टल	1/16/2026	शिवम इंडस्ट्रीज	शिवम इंडस्ट्रीज	387	66	77400	3/25/2026
मानपुर							67		
अं.चौकी							67		
मोहला	कूकर	जेम पोर्टल	1/12/2026	शालीनो स्कील	कृष्णा नेचुरल मल्टीरिज	2232	158	1057968	3/24/2026
मानपुर							158		
अं.चौकी							158		

विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	क्रय का माध्यम	निविदा दिनांक	निविदा में चयनित एल-1 फर्म का नाम	फर्म का नाम जिसे आदेश दिया गया	सामग्री की दर (रुपये में)	सामग्री की मात्रा (नग में)	स्वीकृत भुगतान राशि	भुगतान की स्वीकृति की तिथि
मोहला	ग्रीन रायटिंग बोर्ड	जेम पोर्टल	1/12/2026	प्रिया इंडस्ट्रीज	प्रिया इंडस्ट्रीज	1570	100	471000	3/24/2026
मानपुर							100		
अं.चौकी							100		
मोहला							530		
मानपुर	टाटपट्टी	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सौंपे क्रयदेश	-	-	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	424.2	650	755076	13-03-2026
अं.चौकी							600		

प्रपत्र-स

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु संचालनालय द्वारा क्रय की गई सामग्री

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 897 प्रश्नांश 'ख' की जानकारी

विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिसे आदेश दिया गया	सामग्री की दर (रुपये में)	सामग्री की मात्रा (नग में)	स्वीकृत भुगतान राशि	उपयोग	भुगतान की तिथि
मोहला	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर	सिद्धि सिद्धी सॉल्यूशन्स	8490	68	2122500	आंगनबाड़ी केन्द्र	3/22/2025
मानपुर				100			
अं.चौकी				82			

परिशेष - उनहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 910) की जानकारी

प्रपत्र अ

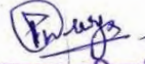
बस्तर संभाग में विगत तीन वर्षों में पाई गई अनियमितता की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	अनियमितताओं की संख्या		
		वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1	बस्तर	निरंक		2
2	बीजापुर			1
3	दत्तेवाड़ा			0
4	कांकेर			0
5	कोडागांव			1
6	नारायणपुर			1
7	सुकमा			0
योग		0	0	5


अनुभाग अधिकारी
राज्य नागरिक आकृति एवं उपभोक्ता संरक्षण दिनांक
मंत्रालय, नया सयपुर, अटल नगर

वर्ष 2025-26 में धान खरीदी में पाई गई अनियमितता की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	धान खरीदी में गड़बड़ी / अनियमितता	कार्यवाही
1	बस्तर	1. समिति रेटावण्ड में सत्यापन के समय तौल में कम पाये जाने के कारण प्रभारी समिति प्रबंधक श्री गौतम तिवारी को निलंबित किया गया। 2. समिति लोहण्डीगुड़ा के उपाजन केन्द्र लोहण्डीगुड़ा में तौल मात्रा में अधिक पाये जाने के कारण प्रभारी समिति प्रबंधक श्री तोपसिंह वर्मा को निलंबित किया गया।	दो प्रभारी समिति प्रबंधकों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
2	बीजापुर	3. समिति धनोरा के धान उपाजन केन्द्र पापनपाल में गेटपास एप में धान खरीदी प्रभारी का फोटो अपलोड एवं छल्ली गलत लगाने के कारण 384.80 क्विंटल धान की कमी परिलक्षित होने से धान खरीदी प्रभारी एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को सेवा से पृथक किया गया है।	एक धान खरीदी प्रभारी एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को सेवा से पृथक किया गया है।
3	कौडागांव	4. समिति गिराला के उपाजन केन्द्र चिलपुटी में प्रभारी सचिव के निरीक्षण के दौरान कृषकों से खरीदी किये गये भरे बोरो में अधिक धान तौल (41.200 कि.ग्रा.) पाया गया जिसके कारण धान खरीदी केन्द्र प्रभारी श्री रती राम शोरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया।	एक धान खरीदी केन्द्र प्रभारी को सेवा से पृथक किया गया है।
4	नारायणपुर	5. धान उपाजन केन्द्र कन्हारगांव में एक साल पुराना 600 बोरी धान को धान खरीदी प्रभारी एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के द्वारा सांठगांठ कर उक्त धान को केन्द्र में खपाने की हेराफेरी का मामला उजागर होने पर धान खरीदी प्रभारी श्री सुदेन सलाम एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री बुकालू राम उसेंडी को धान खरीदी कार्य से पृथक किया गया है एवं 600 बोरी धान की राशि वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।	एक धान खरीदी प्रभारी एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को सेवा से पृथक किया गया है।



अनुभाग अधिकारी

ग्राम नामरिक आश्रुति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परीक्षे - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 911) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर संभाग में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के पंजीकृत हितग्राही तथा विगत तीन वर्षों (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में प्राप्त आवेदन, स्वीकृत तथा लंबित की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	पेंशन योजनाओं के पंजीकृत हितग्राही							विगत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदन एवं निराकरण की स्थिति		
		इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	योग	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत	अपात्र लंबित
1	बस्तर	16773	8629	777	8102	4266	18035	56582	11275	11275	-
2	कौडागांव	14090	7799	865	7441	3394	14077	47666	6348	6348	-
3	दंतेवाड़ा	4580	4883	656	2012	944	8752	21827	4887	4601	286
4	सुकमा	5301	3519	46	2473	2256	9972	23567	3291	3291	-
5	कांकेर	11777	7203	1414	9233	6347	23290	59264	1441	1345	96
6	बीजापुर	2621	2566	348	1913	1562	3369	12379	1043	1043	-
7	नारायणपुर	3480	1596	258	925	667	6020	12946	1227	1227	-
	योग-	58622	36195	4364	32099	19436	83515	234231	29512	29130	382

Handwritten signature
 अनुभाग अधिकारी
 समाज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर

क्र.	जिला	कुल दिव्यांगजन	सहायित दिव्यांगजन			उभयसिंधी	सहायन हेतु	विभिन्न दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) कार्ड जारी कृत की स्थिति	
			13132	7465	20597			21116	20777
20	बिलासपुर	40795				1	581		339
21	गौरिला पेण्ड्रा मरवाही	8443	4122	2851	6973	-	933	1431	1378
22	मुंगेली	17610	6671	3345	10016	0	-	9977	9811
23	कोरवा	24927	5067	2179	7246	-	-	8661	8639
24	जंजगीर चाम्पा	26350	6140	3410	9550	-	-	9759	9631
25	सक्ती	17801	4274	2418	6692	-	-	6659	6659
26	रायगढ़	30052	10969	6649	17618	7	12427	17778	17628
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	16402	948	787	1735	0	14667	1764	1713
28	जशपुर	22186	8316	4740	13056	2	9128	8787	8787
29	सरगुजा	18464	5116	3101	8217	-	1181	8338	8246
30	बलरामपुर	16050	6469	6469	12938	-	-	9097	8929
31	संजपुर	17336	3378	1918	5296	3	12037	5580	5356
32	कोरिया	6477	4267	2826	7093	3	403	8608	7821
33	मनन्दगढ़ चिरमिरी भतपुर	8896	538	240	778	0	3	839	778
	योग	624937	185928	111995	297923	30	118611	285541	278821
									6720

Mishra
 अनुभाग अधिकारी
 समीक्ष कल्याण विभाग,
 कंत्रालय, नई दिल्ली जटल नगर

प्रपत्र-ब

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहीयों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	योजना का नाम															यूडीआईडी कार्ड
		कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण	सामर्थ्य विकास योजना	छात्रवृत्ति	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	सिविल सेवा प्रोत्साहन	दिव्यांग छात्रवृत्ति	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग न पेंशन	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन	दिव्यांग स्वरोजगार प्रदाय	शिक्षण- प्रशिक्षण	क्षितिज अपार समावहार				
1	रायपुर	57	109	1	167	0	732	1517	7109	14	3	657	168	16030			
2	बलोदाबाजार	342	0	0	0	0	707	1180	3068	9	5	0	0	9740			
3	गरियाबन्द	326	138	0	9	0	483	866	3601	5	55	128	2	10145			
4	महासमुंद	331	107	0	21	0	814	968	3522	7	218	101	0	13328			
5	धमतरी	71	22	0	6	1	622	1186	7386	0	0	268	0	10144			
6	दुर्ग	22	157	0	24	0	480	633	14083	7	0	437	2	19093			
7	बालोद	309	0	0	0	0	0	239	3806	12	0	0	0	6361			
8	बेमतरा	289	338	0	10	6	446	982	1507	23	1	0	10	5333			
9	राजनांदगांव	86		761	33	0	761	591	4850	14	0	0	0	11706			
10	खैरागढ छुईबदान गण्डई	309	0	184	0	0	0	579	1833	4	0	0	0	5561			
11	मोहला मानपूर अंबागढ चौकी	296	0	0	1	0	185	506	1575	4	0	0	2	2044			
12	कबीरधाम	108	0	0	0	0	0	326	3895	0	0	81	0	11111			
13	बस्तर	219	0	926	4	0	926	1686	777	2	0	177	177	10248			
14	कोडगांव	829	0	0	0	0	618	865	6784	2	0	0	2	8252			
15	दंतेवाड़ा	292	0	0	0	0	868	656	1370	6	0	45	0	4017			
16	सुकमा	408	0	0	0	0	171	49	942	0	0	0	0	3323			
17	कांकेर	666	0	842	0	0		1414	4070	7	102	42	3	12187			
18	बीजापुर	503	83	0	0	0	839	348	869	0	0	0	0	2711			
19	नारायणपुर	123	0	0	0	0	266	256	248	1	0	22	0	1334			

Meeta
अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया दिल्ली जटल नगर

क्र.	जिला	योजना का नाम												
		कृषि अंग/ सहायक उपकरण	सामर्थ्य विकास योजना	छात्रवृत्ति	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन	सिविल सेवा प्रोत्साहन	दिव्यांग छात्रवृत्ति	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगज न पैशन	सामाजिक सुरक्षा पैशन	दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन	दिव्यांग स्वरोजगार ऋण प्रदाय	शिक्षण- प्रशिक्षण	क्षितिज अपार संभावनाएं	यूडीआईडी कार्ड
20	विलासपुर	143	51	0	20	0	560	4141	9699	19	0	511	0	20777
21	गोरिला पण्डा मरवाही	1196		1132				1082	7918	39	1		20	1378
22	मुंगेली	1063			13	2	69	4796	3500	21	29			9811
23	कोरवा	1197	0	0	23	0	429	2560	1200	4	0	181	0	8639
24	जांजीगीर चाम्पा	18	0	0	0	0	0	979	1634	0	0	0	0	9631
25	सक्ती	34	0	0	0	0	0	1350	5443	0	0	0	0	6659
26	रायगढ	94	61	0	31	1	475	1194	6516	3	0	132	0	17628
27	सारंगढ-विलाईगढ	152	0	0	0	1	154	1191	3856	6	0	152	0	1713
28	जशपुर	325	545	225	4	0	225	657	14320	11	0	16	4	8787
29	सरगुजा	299	0	0	0	0	728	821	1850	5	0	135	0	8246
30	बलरामपुर	266	0	0	3	0	202	1410	1083	1	14	0	3	8929
31	सूरजपुर	685		0			440	892	794	8		145	3	5356
32	कोरिया	220	0	0	14	0	169	161	1745	4	0	23	0	7821
33	मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर	242	0	0	0	0	193	338	4336	15	0	0	0	778
योग		11520	1611	4071	383	11	12562	36419	135189	253	428	3253	396	278821

Neelam
अनुभाग अधिकारी
समोज कस्बा विभाग,
मंगलब, नवा रायपुर जटल नगर

परीशेष - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 926) की जानकारी

प्रपत्र-अ

पोषण सामग्री क्रय का जिलावार विवरण

क्र.	जिले का नाम	क्रय प्रक्रिया	व्यय राशि(₹ में)
1	बालोद	प्रक पोषण आहार कार्यक्रम, किशोरी बालिकाओं के लिए एवं कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम (मुख्यमंत्री सुपोषण योजना) अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह/छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड रायपुर /शासन से अधिकृत फर्मों से पोषण सामग्री क्रय किया जाता है।	200790639
2	बलौदाबाजार		316512474
3	बलरामपुर		352112396
4	बस्तर		267083915
5	बेमेतरा		207021126
6	बीजापुर		115465713
7	बिलासपुर		239282251
8	दंतेवाड़ा		84689981
9	धमतरी		126009874
10	दुर्ग		188285429
11	गरियाबंद		250718068
12	पेण्ड्रा		104968312
13	जांजगीर		268113159
14	जशपुर		247991089
15	कबीरधाम		201555892
16	कांकेर		140578448
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई		70867673
18	कोण्डागांव		136726536
19	कोरबा		285988259
20	कोरिया		88948353
21	महासमुंद		267821574
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		69661582
23	मानपुर-मोहला-अं. चौकी		57334845
24	मुंगेली		161993220
25	नारायणपुर		48928912
26	रायगढ़		240102679
27	रायपुर		353698510
28	राजनांदगांव		248221890
29	सक्ती		96526263
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़		92129141
31	सुकमा		81797988
32	सूरजपुर		230825933
33	सरगुजा		287318670
34	संचालनालय स्तर से		12884456588

प्रपत्र-ब

टीवी एवं आरओ यूनिट क्रय का विवरण

जिला	क्रय की गई सामग्री	क्रय प्रक्रिया	व्यय राशि (₹ में)
बेमेतरा	एलईडी टीवी	जेम पोर्टल के माध्यम से	2398000
गरियाबंद	एलईडी टीवी	जेम पोर्टल के माध्यम से	499983
	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर	जेम पोर्टल के माध्यम से	200000
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	एलईडी टीवी	जेम पोर्टल के माध्यम से	479600
	आर.ओ. वॉटर प्यूरीफायर	जेम पोर्टल के माध्यम से	200000

परीशिष्ट - तेहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 932) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले अंतर्गत संचालित शासकीय/अनुदान प्राप्त एवं निजी वृद्धाश्रम, भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र एवं नशा मुक्ति केन्द्र प्रदत्त वित्तीय/अनुदान एवं सस्थाओं में अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण

क्र.	शासकीय/अनुदानित/निजी स्वच्छिक संस्था का नाम	वित्तीय सहायता/अनुदान		निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण दिनांक	जॉच रिपोर्ट
		वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26			
1	नवीन वरिष्ठजन आश्रम, पता नहरपारा पुल के पास माना कैम्प, रायपुर (जिला प्रशासन द्वारा संचालित)	60,50,000/-	62,68,236/-	संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण जिला-रायपुर	14.08.2024	8 1. साफ-सफाई एवं परिसर की स्वच्छता के निर्देश दिये गये। 2. वृद्धजनों के रहने के लिए बिस्तर एवं कपड़े पर्याप्त मात्रा में रखने हेतु निर्देश दिये गये। 3. पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। 4. चिकित्सा सुविधा बेहतर करने हेतु डा अनिल नायक और डा मोनिका निषाद को ओदश दिये गये। 5. कर्मचारियों की उपस्थिति एवं दायित्व निर्वहन का सत्यापन किया गया। 6. वृद्धजनों के पंजीयन, उपस्थिति एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं समस्त दस्तावेज संकलित रखने हेतु निर्देश दिये गये। 7. संस्था का भवन सुरक्षित एवं उपयोग योग्य पाया गया। 1. शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के पालन की समीक्षा की गई एवं मापदण्डों का पालन हेतु निर्देश दिये गये। 2. वृद्धजनों के रहने हेतु पर्याप्त एवं स्वच्छ कक्ष उपलब्ध पाए गए। 3. पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। 4. भोजन की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं स्वच्छता का निरीक्षण किया गया। 5. मनोरंजन एवं दैनिक गतिविधियों (टीवी, समाचार पत्र, योग, खेल आदि) की व्यवस्था का परीक्षण किया गया। 06. वृद्धजनों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी प्राप्त की गई। 07. संस्था का भवन सुरक्षित एवं उपयोग योग्य पाया गया।

क्रमशः..02

Mexm
अनुभाग अधिकारी
समय कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नव खण्ड अटल नगर

क्र.	शासकीय/अनुदानित/निजी स्वैच्छिक संस्था का नाम	वित्तीय सहायता/अनुदान		निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण दिनांक	जांच रिपोर्ट
		वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26			
1	2	4	5	6	7	8
2	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान नशामुक्ति केन्द्र रायपुर	22,52,340/-	22,52,340/-	संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण जिला-रायपुर	21.12.2024	1. संस्था का पंजीकरण एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। 2. भवन, परिसर एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। 3. प्रवेश रजिस्टर, डिस्चार्ज रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। 4. उपचार, परामर्श (काउंसलिंग) एवं पुनर्वास संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गई एवं मापदण्डों का पालन हेतु निर्देश दिये गये। 5. दवाओं के भंडारण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। 6. गर्भ भोजन प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये जिससे शारीरिक कमजोरी दूर रहे।
				अनुपमा आनंद आई.ए.एस. अपर कलेक्टर	01.10.2024	1. शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मानकों के पालन की समीक्षा की गई। 2. प्रवेश रजिस्टर, डिस्चार्ज रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। 3. लाभार्थियों के रहने, सोने एवं दैनिक उपयोग की सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। 4. भवन सुरक्षा हेतु निर्देश दिये गये। 5. नियमित योग करने के निर्देश दिये गये।
				संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण जिला-रायपुर	01.05.2025	1. शिवाग्रहियों के प्रवेश संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। 2. संस्था के भवन, परिसर एवं सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिये गये। 3. संस्था के पंजीकरण एवं आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया गया। 4. शिवाग्रहियों की संख्या का भौतिक सत्यापन किया गया। 5. शौचालय के साफ सफाई के निर्देश दिये गये
				अंकित काबले आई.पी.एस मयंक गुर्जर आई.पी.एस	20.03.2026	
3	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान भिक्षुक पुर्नवास केन्द्र मोवा रायपुर	49,80,792/-	-	संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण जिला-रायपुर	28.12.2024	

क्रमशः....3

Meeta
अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	शासकीय/अनुदानित/निजी स्वैच्छिक संस्था का नाम	वित्तीय सहायता/अनुदान		निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण दिनांक	जांच रिपोर्ट
		वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26			
1	2	4	5	6	7	8
4	स्वैच्छिक संस्था संगी मितान सेवा संस्थान भिक्षुक पुर्नवास केन्द्र मोवा रायपुर			संयुक्त संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण जिला-रायपुर	11.11.2025	1. संस्था के पंजीकरण एवं आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया गया। 2. संस्था के भवन, परिसर एवं सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिये गये। 3. हितग्राहियों के प्रवेश संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। 4. हितग्राहियों के लिए संचालित परामर्श, कौशल विकास एवं पुनर्वास गतिविधियों का अवलोकन किया गया। 5. हितग्राहियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं उचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।


अनुराग जयशर्मा
समाज कल्याण विभाग,
संभाल, नवल पुर जिला नगर

पॉरिशेड - चोहत्तर

अताराजित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 933) की जानकारी

प्रश्न

धान उपार्जन वर्ष 2025-26 में पाई गई अनियमितता/गुणवत्ता/डबरी के विरुद्ध अधिकारी/कार्मचारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

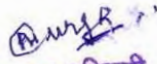
(मात्रा किलो में)

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	पाई गई अनियमितता की संक्षिप्त विवरण	शार्टकटमी		पद	नोटिस जारी		धान खरीदी कार्य से प्रारंभ		निलंबित		सेवा से प्रारंभ		प्रारंभ में अग्रिम प्रकरण		प्रतिबन्धन का नाम
					मात्रा	राशि		आदेश क्र. 10	दिनांक 11	आदेश क्र. 12	दिनांक 13	आदेश क्र. 14	दिनांक 15	आदेश क्र. 16	दिनांक 17	प्रकरण क्र. 18	दिनांक 19	
1	रायपुर	कुम्हारी	कुम्हारी	फर्जी धान खरीदी	298.40	7.07	श्री कृष्ण साहू	-	-	-	-	-	-	-	-	30	31/01/2026	उरला
2	रायपुर	नरदहा	नरदहा	टोकन काटने हेतु राशि की मांग	-	-	श्री राकेश चोपड़ा	-	-	15	08/12/2025	-	-	-	11/12/2025	-	-	-
3	रायपुर	मुन्नेरी	मुन्नेरी	धान का स्टैक में पानी का छिड़काव करते हुए	-	-	श्री मधुप्रकाश खण्डेलवाल	-	-	-	-	Q	02/02/2026	-	-	-	-	-
4	रायपुर	तोरला	तोरला	अवकाश दिवस में धान तौलई	-	-	श्री बजरंग साहू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	रायपुर	खोना	खोना	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	22.96	5.44	श्री पवन कुमार देवान	1148	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	242	10/05/2026	बस्ती
6	रायपुर	टिकारी	टिकारी	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	73.24	17.35	श्री देवानंद शर्मा	1149	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	रायपुर	डोहरा	डोहरा	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	53.25	12.62	श्री अजय कुमार सिन्हा	1150	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	रायपुर	देवरी	देवरी	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	56.04	13.29	श्री राजुलाल सेनानी	1151	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	रायपुर	सरफौगा	सरफौगा	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	21.05	12.09	श्री गुलशन कुमार शर्मा	1152	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	रायपुर	नवागंव	नवागंव	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	34.76	8.24	श्री प्रतापचंद धूतलहरे	1153	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	रायपुर	वेल्दार	वेल्दार	भौतिक सत्यापन अनुसार धान में कमी	15.34	3.64	श्री भूषण वर्मा	1154	04/07/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुभाग अधिकारी
आनुवंशिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

बस्तर संभागांतर्गत जिलों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण की वर्षवार, जिलेवार,
विकासखण्डवार एवं मदवार जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	वर्ष	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम			दुकान सह गोदाम स्वीकृत मद
				स्वीकृत	निर्माण पूर्ण	निर्माणाधीन	
1	कांकेर	भानुप्रतापपुर	2024-25	1	0	1	मनरेगा, डी.एम.एफ एवं 15 वें वित्त
		अंतागढ़		3	2	1	डी.एम.एफ
		चारामा	2025-26	8	0	8	डी.एम.एफ
		कांकेर		6	1	5	
		नरहरपुर		3	0	3	
		अंतागढ़		3	1	2	
		भानुप्रतापपुर		2	0	2	
		कोयलीबेडा		3	0	3	
2	नारायणपुर	नारायणपुर	2025-26	2	0	2	मनरेगा/डी.एम.एफ
			2026-27	1	0	1	डी.एम.एफ
		ओरछा	2024-25	3	0	3	मनरेगा/एससीए, डीएमएफटी
			2025-26	14	0	14	मनरेगा/डी.एम.एफटी, डी.एम.एफटी
			2026-27	2	0	2	डी.एम.एफटी
3	सुकमा	कोटा	2024-25	4	1	3	डी.एम.एफ
		सुकमा	2025-26	7	0	7	
		छिन्दगढ़		5	0	5	
		कोटा		21	0	21	
		छिन्दगढ़	2026-27	3	0	3	


अनुभाग अधिकारी
नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
पंचालय, नैवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	जिला	विकासखण्ड	वर्ष	उचित मूल्य दुकान सह गोदाम			दुकान सह गोदाम स्वीकृत मद
				स्वीकृत	निर्माण पूर्ण	निर्माणाधीन	
4	बस्तर	जगदलपुर	2024-25	3	2	1	डीएमएफटी, विधायक निधि
		बकावंड	2025-26	5	0	5	डीएमएफटी, मनरेगा
		बास्तानार		5	0	5	
		बस्तर		5	0	5	
		दरभा		5	0	5	
		जगदलपुर		5	0	5	
		लोहंडीगुडा		5	0	5	
		तोकापाल		5	0	5	
5	बीजापुर	बीजापुर	2024-25	9	5	4	डी.एम.एफ, मनरेगा
		भैरमगढ़		1	1	0	डी.एम.एफ
		भोपालपटनम		2	2	0	मनरेगा
		उसूर		13	8	5	डी.एम.एफ, मनरेगा
		बीजापुर	2025-26	7	0	7	विशेष केंद्रीय सहायता, मनरेगा
		भैरमगढ़		6	0	6	
		भोपालपटनम		6	0	6	विशेष केंद्रीय सहायता
		उसूर		3	0	3	
6	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	2024-25	2	0	0	मनरेगा
		गीदम		1	0	1	
		दंतेवाड़ा	2025-26	1	0	0	डी.एम.एफ
		गीदम		2	0	0	
		दंतेवाड़ा	2026-27	1	0	0	
		गीदम		4	0	0	
		कुआकौंडा		3	0	0	

PW
सहायक संचालक

बस्तर संभागांतर्गत जिलों में स्वीकृति प्रक्रियाधीन नवीन उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य की वर्षवार, जिलेवार, विकासखण्डवार एवं मदवार जानकारी

क्र.	जिला	विकासखंड का नाम	जीर्णोद्धार हेतु प्रस्तावित दुकानों की संख्या	नवीन दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु प्रस्तावित दुकानों की संख्या	मद
1	बीजापुर	बीजापुर	17	8	डीएमएफ
		भैरमगढ़	17	10	
		भोपालपटनम	24	2	
		उसूर	10	3	
2	कोंडागांव	कोण्डागांव	6	45	डीएमएफ
		फरसागांव	22	5	
		केशकाल	6	14	
		बड़ेराजपुर	5	7	
		माकड़ी	11	15	
3	नारायणपुर	नारायणपुर	0	5	
		ओरछा	1	7	
4	सुकमा	सुकमा	2	3	डीएमएफ
		छिन्दगढ़	5	15	
		कोंटा	2	0	

अनुभाग अधिकारी
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परीशिष्ट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 946) की जानकारी

प्रपत्र- अ

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं से बिलासपुर संभाग के लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार व योजनावार जानकारी तथा प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति दी जाने वाली केन्द्रांश एवं राज्यांश पेंशन राशि की जानकारी

बिलासपुर संभाग के लाभान्वित हितग्राही

क्र.	जिला का नाम	पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राही						
		इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सुखद सहारा योजना	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	योग
1.	बिलासपुर	37924	12331	4148	35385	15341	36039	141168
2.	गैरिला पेड़ा मरवाही	8098	2873	1082	8011	3590	13627	37281
3.	मुंगेली	24202	4772	1296	16232	7250	26132	79884
4.	कोरबा	25758	9820	2560	19021	11883	28887	97929
5.	जांजगीर चाम्पा	20910	4810	979	24574	10612	35604	97485
6.	सक्ती	21398	4722	1350	19919	6909	28088	82386
7.	रायगढ़	29618	10092	1199	20629	7660	38122	107320
8.	सारंगढ़ - बिलाईगढ़	24235	5186	605	28553	7204	25950	91733
योग-		192143	54606	13219	172324	70449	232449	735190

प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश विवरण सहित)

क्र.	योजना का नाम		प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दी जाने वाली पेंशन राशि		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60 से 79 वर्ष आयुवर्ग हेतु	200/-	300/-	500/-
		80 वर्ष या अधिक आयुवर्ग हेतु	500/-	150/-	650/-
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		-	500/-	500/-
5.	सुखद सहारा योजना		-	500/-	500/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना		-	500/-	500/-



अनुष्ठाग अभिचारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र- ब

बिलासपुर संभाग में माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक भुगतान किये जाने वाली राशि तथा किया गया

भुगतान की योजनावार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक भुगतान किये जाने वाली राशि तथा किया गया भुगतान (राशि रुपये लाख में)							
		बिलासपुर		गैरिला पैड़ा मरवाही		मुंगेली		कोरबा	
		भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1199.85	799.90	257.99	171.99	769.51	513.01	812.45	541.63
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	369.93	246.62	86.19	57.46	143.16	95.44	294.60	196.40
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	124.44	82.96	32.46	21.64	38.88	25.92	76.80	51.20
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1061.55	1061.55	240.33	240.33	486.96	486.96	570.63	570.63
5.	सुखद सहारा योजना	460.23	460.23	107.70	107.70	217.50	217.5	356.49	356.49
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1081.17	1081.17	408.81	408.81	783.96	783.96	866.61	866.61
योग -		4297.17	3732.43	1133.48	1007.93	2439.97	2122.79	2977.58	2582.96

क्र.	योजना का नाम	माह जनवरी, 2026 से जून, 2026 तक भुगतान किये जाने वाली राशि तथा किया गया भुगतान (राशि रुपये लाख में)							
		जांजगीर चाम्पा		सक्ती		रायगढ़		सारंगढ़ -बिलाईगढ़	
		भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान किये जाने वाली राशि	भुगतान की गई राशि
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	666.32	444.21	678.83	452.55	948.57	632.38	776.13	517.42
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	144.30	96.20	141.66	94.44	302.76	201.84	155.58	103.72
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	29.37	19.58	40.50	27.00	35.97	23.98	18.15	12.10
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	737.22	737.22	597.57	597.57	618.87	618.87	856.59	856.59
5.	सुखद सहारा योजना	318.36	318.36	207.27	207.27	229.80	229.80	216.12	216.12
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	1068.12	1068.12	842.64	842.64	1143.66	1143.66	778.50	778.50
योग -		2963.69	2683.69	2508.47	2221.47	3279.63	2850.53	2801.07	2484.45

2...

अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

केन्द्रीय योजनाओं में माह मई-जून, 2026 का भुगतान प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु नवीन प्रक्रिया लागू करने में तकनीकी समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी समस्या दूर कर ली गई है।


अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया बस्तर अटल नगर

प्रपत्र

महतारी वंदन योजना अंतर्गत विधानसभा प्रश्न 950 की जानकारी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	वर्षवार महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों के भुगतान सफल हुई राशि (करोड़ में)
1	2023-24	654.77 करोड़
2	2024-25	7825.59 करोड़
3	2025-26	7717.24 करोड़
4	2026-27 (जून 2026 तक की स्थिति में)	1917.91 करोड़

परिशेष - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 951) की जानकारी

प्रपत्र

माह अप्रैल 2024 से दिनांक 15 जून 2026 तक राशनकार्ड हेतु प्राप्त, अपात्र आवेदन तथा बनाये गये राशनकार्ड की जानकारी

स.क्र.	विकासखंड	प्राप्त आवेदन पत्र	राशनकार्ड जारी आवेदन की संख्या	अपात्र पाए गये आवेदन पत्रों की संख्या
1	रामगढ़	6259	5341	918
2	पुसौर	3025	2994	31
3	खरसिया	3187	2553	634
4	घरघोड़ा	2049	1976	73
5	तमनार	2250	2239	11
6	लौंगा	2464	2254	210
7	धरमजयगढ़	5432	5329	103
कुल		24666	22686	1980


 अनुभाग अधिकारी
 उद्योग नगरिक अधिकारी एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 संजालय, नया रायपुर, कटक नगर

परिशेष - अनुयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 964) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 15 जून 2026 की स्थिति में उपार्जन/संग्रहण केन्द्रों में उठाव हेतु शेष धान मात्रा की जिलेवार जानकारी
(मात्रा मेट्रिक टन में)

क्र.	जिला	उपार्जन केन्द्र में शेष	संग्रहण केन्द्र में शेष धान की मात्रा
1	बस्तर	6772.82	10098.86
2	बीजापुर	2876.56	0
3	दन्तवाड़ा	0	397.72
4	कांकेर	15097.89	17968.36
5	कोंडागांव	8127.17	6961.2
6	नारायणपुर	238.88	0
7	सुकमा	3411.57	580.55
8	बिलासपुर	306.35	41.05
9	गोरिला पेंड्रा मरवाही	682.11	0
10	जाजगीरचाम्पा	540.31	213.15
11	कोरबा	0	0
12	मुंगेली	868.77	0
13	रायगढ़	75.68	40.01
14	सक्ती	501.28	0
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	314.28	539.33
16	बालोद	4255.55	33743.81
17	बेमेतरा	2239.61	16808.04
18	दुर्ग	1423.53	14136.06
19	कवर्धा	6222.28	23633.26
20	राजनांदगांव	5087.33	20376.45
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	3493.98	9361.47
22	मोहला मानपुर अं. चौकी	4085.28	0
23	बलौदाबाजार	291.51	2065.76
24	धमतरी	0	36231.52
25	गरियाबंद	4553.43	39274.35
26	महासमुंद	5872.61	0
27	रायपुर	336.49	78268.44
28	बलरामपुर	727.88	5100.82
29	जशपुर	3784.19	0
30	कोरिया	69	0
31	सरगुजा	1242.34	0
32	सुरजपुर	2223.52	0
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	230.9	0
कुल योग		85953.1	315840.21

(Signature)
अनुभाग अधिकारी
खाद्य वित्तियक अलुर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि. वि.
संयोजक, नया रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - अस्सी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 71 (क्र. 974) की जानकारी

प्रपत्र-अ

धान उपार्जन वर्ष 2024-25 में कमी के विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

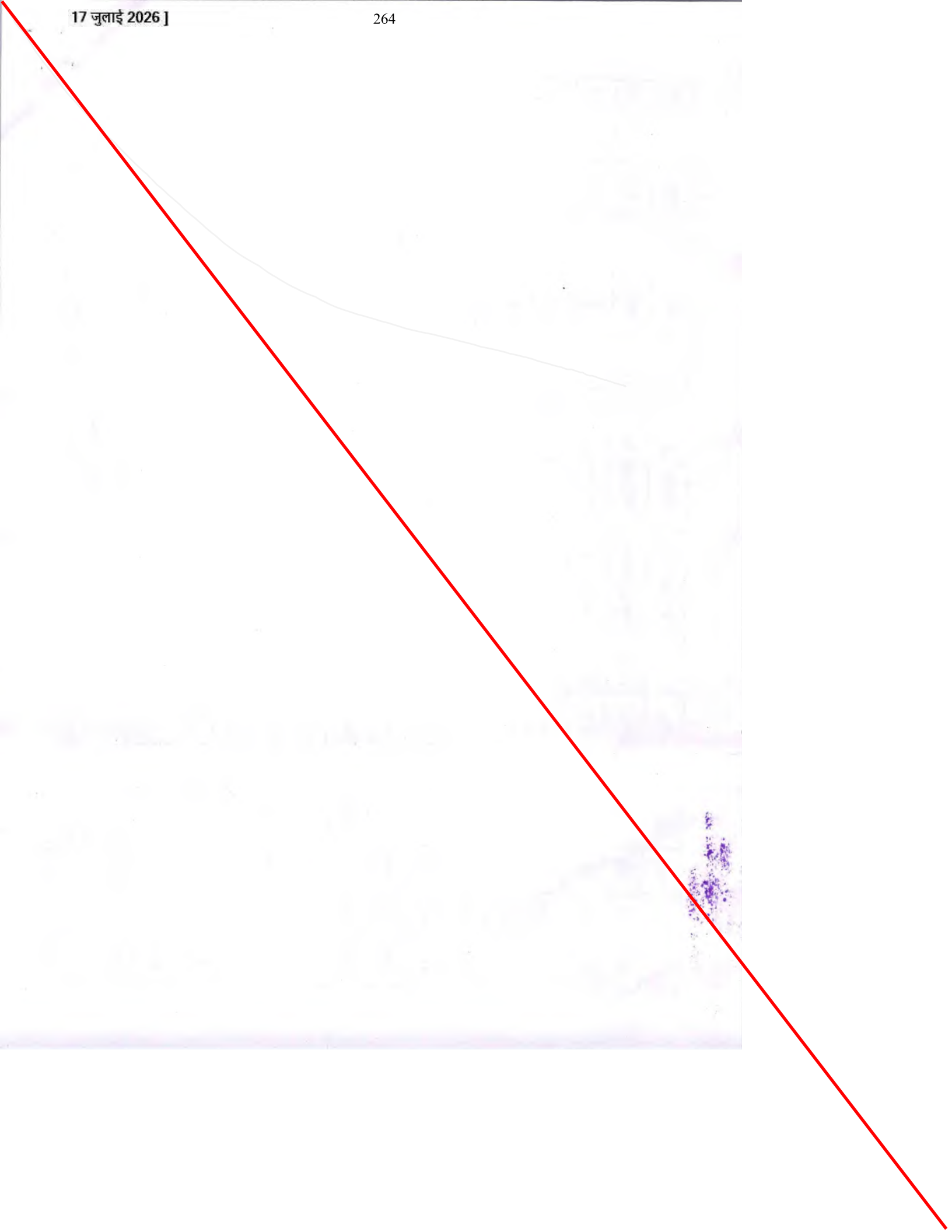
(मात्रा टन में राशि लाख में)

क्र.	जिला का नाम	समिति का नाम	उपाजर्न केन्द्र का नाम	शर्टेज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	वारदाना कमी (नग में)	नोटिस जारी		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर.)		
				मात्रा	राशि				आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
1	रायपुर	भानसोज	भानसोज	48.72	11.21	श्री डायमंड साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
2	रायपुर	फरफौद	फरफौद	55.53	12.77	श्री सेवकराम चन्द्राकर	प्रभारी समिति प्रबंधक	3850	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
3	रायपुर	मोखला	मोखला	29.97	6.89	श्री खूबचंद्र साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
4	रायपुर	लखौली	लखौली	59.38	13.66	श्री सुरेन्द्र कुमार साहू	चपरासी	7835	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
5	रायपुर	गौरभाठ	गौरभाठ	44.19	10.16	श्री विनोद कुमार निषाद	प्रभारी समिति प्रबंधक	4	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
6	रायपुर	भलेरा	भलेरा	9.69	2.23	श्री विष्णुराम साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
7	रायपुर	भिलाई	भिलाई	37.41	8.60	श्री गोवर्धन साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	11	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
8	रायपुर	गोईन्दा	गोईन्दा	29.64	6.82	श्री अनिल चन्द्राकर	प्रभारी समिति प्रबंधक	3570	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
9	रायपुर	देवरी आरंग	परसकोल	25.15	5.79	श्री पुनाराम डहरीया	प्रभारी समिति प्रबंधक	627	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
10	रायपुर	बाना	बाना	21.39	4.92	श्री रेखराम धीवर	प्रभारी समिति प्रबंधक	559	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक

(मात्रा टन में राशि लाख में)

क्र.	जिला का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शॉर्टेज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	बारदाना कमी (नग में)	नोटिस जारी		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर)		
				मात्रा	राशि				आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
11	रायपुर	गुल्लु	गुल्लु	69.37	15.96	श्री दिलेश्वर प्रसाद साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	5062	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
12	रायपुर	चपरीद	चपरीद	34.18	7.86	श्री हरखुराम साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	1539	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
13	रायपुर	रीवां	रीवां	65.30	15.02	श्री जगदीश प्रसाद साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	400	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
14	रायपुर	जरौद	जरौद	37.62	8.65	श्री धनश्याम चन्दाकर	डेटा ऑपरेटर	609	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
15	रायपुर	खमतलाई	खमतलाई	49.48	11.38	श्री ताराचंद साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	799	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
16	रायपुर	आरंग	आरंग	58.50	13.46	श्री संतोष कुमार साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	76	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
17	रायपुर	आरंग	पारागांव	21.08	4.85	श्री डेहराम पाल	लिपिकीय सहायक	105	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
18	रायपुर	पंधी	पंधी	11.38	2.62	श्री भागवत साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
19	रायपुर	नगपुरा	नगपुरा	10.94	2.52	श्री रोहित यादव	लिपिकीय सहायक	1324	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
20	रायपुर	मुनेठी	मुनेठी	22.89	5.27	श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल	लिपिक	11694	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
21	रायपुर	संकरीभैसा	संकरी	28.52	6.56	श्री राधेलाल साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
22	रायपुर	कोरासी	कोरासी	28.70	6.60	श्री लोकेश्वर नायक	प्रभारी समिति प्रबंधक	1261	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक

(मात्रा टन में राशि लाख में)														
क्र.	जिला का नाम	समिति का नाम	उपाजर्न केन्द्र का नाम	शार्टेज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	वारदाना कमी (नग में)	नोटिस जारी		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर)			
				मात्रा	राशि				आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	
23	रायपुर	सेमरिया	सेमरिया	28.41	6.53	श्री शेखर साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	966	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
24	रायपुर	भंडार	भंडार	38.30	8.81	श्री लक्ष्म कुमार धीवर	लिपिक	6932	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
25	रायपुर	सिवनी	सिवनी	52.09	11.98	श्री खिलेश्वर हर्वांश	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
26	रायपुर	पचेडा	पचेड़ा	31.32	7.22	श्री कुलेश्वर साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
27	रायपुर	केन्द्री	केन्द्री	52.43	12.07	श्री योगेन्द्र साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	17	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
28	रायपुर	बेन्द्री	बेन्द्री	34.08	7.84	श्री जयराम वर्मा	प्रभारी समिति प्रबंधक	49	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
29	रायपुर	अभनपुर	अभनपुर	29.42	6.77	श्री खोणुराम साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	2854	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
30	रायपुर	चण्डी	चण्डी	45.60	10.49	श्री संजय शर्मा	प्रभारी समिति प्रबंधक	2529	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
31	रायपुर	सकरी	सकरी	43.15	9.93	श्री गणेश राम साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	22	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
32	रायपुर	खिलौरा	खिलौरा	30.30	6.97	श्री रामनरेश यादव	प्रभारी समिति प्रबंधक	1033	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
33	रायपुर	पोंड	पोंड	49.95	11.51	श्री नरसिंग साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	3135	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	
34	रायपुर	सुन्दरकेरा	सुन्दरकेरा	58.20	13.39	श्री हेमन्त साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक	



(मात्रा टन में राशि लाख में)

क्र.	जिला का नाम	समिति का नाम	उपाजैन केन्द्र का नाम	शॉर्टेज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	वारदाना कमी (नग में)	नोटिस जारी		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर.)		
				मात्रा	राशि				आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
35	रायपुर	बंजारी	बंजारी	13.64	3.14	श्री दिलीप जांगड़े	प्रभारी समिति प्रबंधक	2498	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
36	रायपुर	तोरला	तोरला	30.40	7.00	श्री कमलनारायण साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
37	रायपुर	चांपाझर	चांपाझर	46.80	10.77	श्री मनोज कुमार साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	392	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
38	रायपुर	टीला	टीला	34.55	7.95	श्री खुमान कार्ले	प्रभारी समिति प्रबंधक	64	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
39	रायपुर	मानिकचौरी	मानिकचौरी	61.01	14.05	श्री राजेश निषाद	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
40	रायपुर	जामगांव	जामगांव	37.69	8.68	श्री इंद्रसेन साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
41	रायपुर	पिपरीद	पिपरीद	15.01	3.45	श्री सेवाराम श्रीवास	प्रभारी समिति प्रबंधक	27	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
42	रायपुर	टोहडा	टोहडा	51.96	11.96	श्री कान्हा वर्मा	प्रभारी समिति प्रबंधक	4595	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
43	रायपुर	पचरी	पचरी	42.52	9.78	श्री कमलनारायण कोशले	प्रभारी समिति प्रबंधक	1266	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
44	रायपुर	छडिया	छडिया	47.61	10.95	श्री चैतुराम साहू	प्रभारी समिति प्रबंधक	1191	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
45	रायपुर	मांठ	मांठ	45.48	10.46	श्री ओमप्रकाश दुबे	प्रभारी समिति प्रबंधक	15308	2250	13-10-2025	निरंक	निरंक	निरंक
योग				1718.93	395.50			82203					

अनुमान आधिकारी
 उक्त पत्रिका जर्जिल एवं उपरोक्ता संरक्षण विभाग
 केन्द्रीय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

धान उपार्जन वर्ष 2025-26 में भौतिक सत्यापन में कमी पर अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

(मात्रा टन में राशि लाख में)

क्र	जिला का नाम	समिति का नाम	उपार्जन केन्द्र का नाम	शारटज/कमी		दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम	पद	वारदाना कमी (नग में)	नोटिस जारी		पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज (एफ.आई.आर)		
				मात्रा	राशि				आदेश क्र.	दिनांक	प्रकरण क्रमांक	दिनांक	पुलिस थाने का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16
1	रायपुर	खौना	खौना	22.96	5.44	श्री पवन कुमार देवांगन	समिति प्रभारी	754	1148	04-07-2026	242	10-05-2026	धरसीवा
2	रायपुर	टिकारी	टिकारी	73.24	17.35	श्री देवानंद शर्मा	प्रभारी समिति प्रबंधक	82	1149	04-07-2026	निरंक	निरंक	निरंक
3	रायपुर	ढोढरा	ढोढरा	53.25	12.62	श्री अजय कुमार सिन्हा	प्रभारी समिति प्रबंधक	0	1150	04-07-2026	निरंक	निरंक	निरंक
4	रायपुर	देवरी तिल्ला	देवरी	56.04	13.29	श्री राजलाल सोनवानी	प्रभारी समिति प्रबंधक	5660	1151	04-07-2026	निरंक	निरंक	निरंक
5	रायपुर	सरफोंगा	सरफोंगा	51.05	12.09	श्री युगल किशोर वर्मा	समिति प्रबंधक	4640	1152	04-07-2026	निरंक	निरंक	निरंक
6	रायपुर	बेल्दरसिवनी	नवागांव	34.76	8.24	श्री प्रभातचंद धृतलहरे	प्रभारी समिति प्रबंधक	2254	1153	04-07-2026	निरंक	निरंक	निरंक
7	रायपुर	बेल्दरसिवनी	बेल्दर	15.34	3.64	श्री भूषण वर्मा	फंड प्रभारी	1182	1154	04-07-2026	निरंक	निरंक	निरंक
		योग		306.64	72.67			14572					

(Signature)
 अनुषास अधिकारी
 राज्य न्यायिक अकादमी एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 नगरासब, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - इक्यासी

अतारोकेत प्रश्न संख्या 73 (क्र. 979) की जानकारी

प्रपत्र

दुर्ग जिले में वर्ष 2024-25 से 15 जून 2026 तक की अवधि में उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की कमी एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालन स्थल	कमी पाई गई खाद्यान्न की मात्रा (किलो में)			की गई कार्यवाही
				चावल	शक्कर	नमक	
1	431001032	जय श्री कृष्ण महिला स्व सहा समूह	पोलसायपारा दुर्ग	619.42	0	1.6	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
2	431004192	शामुदायिक विकास समिति	नेवई रिसाली	279.7	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
3	431004118	सहकारी उपभोक्ता भंडार भिलाई	भिलाई	1130.41	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
4	431004216	मां संतोषी महिला स्व सहा समूह	भिलाई	220.76	1.3	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
5	431004218	संलग्न मां संतोषी महिला स्व सहा समूह	भिलाई	1009.37	0.94	8.02	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
6	431004190	सुलभ प्रा0सह0उप0भंडार	भिलाई	451.87	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
7	431001025	संलग्न जय शक्ति महिला स्व सहा समूह	दुर्ग	1244.55	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
8	431001006	संलग्न जय शक्ति महिला स्व सहा समूह	दुर्ग	672.58	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
9	431001017	जय शक्ति महिला स्व सहा समूह	दुर्ग	410.83	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
10	431006010	जय मां सरस्वती महिला स्व सहा समूह	कुम्हारी	14.78	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निलंबित किया गया व सूची की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

क्रं	दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालन स्थल	कमी पाई गई खादयात्र की मात्रा (किटल में)			की गई कार्यवाही
				चावल	शक्कर	नमक	
11	431005006	बिजली कर्मचारी सह उपभोक्ता	चरोदा भिलाई 3	165.04	2.73	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निलंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
12	431006014	जय मां बलेश्वरी महिला स्व सहा समूह	कुम्हारी	863.07	0.8	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
13	431006012	ओम साईराम महिला स्व सहा समूह	कुम्हारी	682.9	0.8	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
14	431006013	छोटी महतारी खादय सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति कुम्हारी	कुम्हारी	343.6	1.44	3.69	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
15	431004207	अखिल भारतीय महिला स्व सहा समूह रिसाली	रिसाली	164.15	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निलंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
16	431001073	संलग्न जय महालक्ष्मी महिला स्व सहा समूह दुर्ग	दुर्ग	125.25	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
17	431006015	जय महामाया स्व सहा समूह कुम्हारी	कुम्हारी	250.36	0.69	0.67	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
18	431005024	मां अंबे दीदी बैंक गनियारी भिलाई 3	चरोदा भिलाई 3	206.25	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
19	431005019	प्रा०सह०उपभोक्ता भिलाई	भिलाई 3	550.39	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
20	431006009	सखी सहेली महिला स्व सहा समूह	कुम्हारी	169.86	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
21	431006011	सहेली महिला स्व सहा समूह	कुम्हारी	205.97	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
22	431001051	लक्ष्मी प्रा०सह०उपभोक्ता	दुर्ग	76.65	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया

क्र	दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालन स्थल	कमी पाई गई खादयात्र की मात्रा (किटल मे)			की गई कार्यवाही
				चावल	शक्कर	नमक	
23	431004108	संलग्न शिविका महिला स्व सहा समूह	भिलाई	921.00	0.37	4.72	उचित मूल्य दुकान संलग्नकरण समाप्त किया गया
24	431004262	मां तारणी महिला स्व सहा समूह	भिलाई	7.39	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
25	431004137	बीएसपी प्रा0सह0उप0भंडार	रिसाली	1005.235	0	1.32	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
26	431001077	जय महालक्ष्मी महिला स्व सहा समूह	दुर्ग	115.61	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
27	431004058	संलग्न मानस प्रा0सह0उप0भंडार	भिलाई	974.96	0	0	उचित मूल्य दुकान संलग्नकरण समाप्त किया गया
28	431004120	भिलाई थोक उपभोक्ता भंडार	भिलाई	73.98	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
29	431004260	श्री गुरू महिला स्व सहा समूह	भिलाई	381.98	0.18	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
30	431004231	जानकी खादय सुरक्षा पोषण एवं उप0 सेवा सहकारी समिति मर्या	भिलाई	275.26	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
31	431004230	जानकी खादय सुरक्षा पोषण एवं उप0 सेवा सहकारी समिति मर्या	भिलाई	165.15	0.41	0.37	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
32	431004126	जनचेतना महिला विकास समिति	भिलाई	79.85	1.76	2	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
33	431004203	संलग्न शिविका महिला स्व सहा समूह	रिसाली	568.15	0.18	2.92	उचित मूल्य दुकान संलग्नकरण समाप्त किया गया
34	431004198	हुंडेरा सामुदायिक विकास समिति	रिसाली	280.87	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
35	431004221	आशीर्वाद महिला स्व सहा समूह	भिलाई	796.00	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
36	431004265	शिविका महिला स्व सहा समूह	रिसाली	272.23	0.94	1.56	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया

क्रं	दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालन स्थल	कमी पाई गई खादयात्र की मात्रा (किटल में)			की गई कार्यवाही
				चावल	शक्कर	नमक	
37	431004032	ज्योत्सना महिला स्व सहा समूह	भिलाई	1692.53	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
38	431004191	बीएसपी प्रा0सह0उप0मंडार	भिलाई	1324.6	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
39	431004021	सत्कार प्रा0सह0उप0मंडार	भिलाई	1081.02	0	0	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
40	432002004	विपणन सहकारी समिति धमधा	अगार	74.89	1.05	1.89	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
41	432002027	विपणन सहकारी समिति धमधा	घोंठा	20.5	0	1.44	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
42	432002019	विपणन सहकारी समिति धमधा	गोरया	62.8	0.53	0.38	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निरस्त किया गया
43	432002100	मां मूल भवानी महिला स्व सहा समूह	अकोली	0.73	0	0.33	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया
44	432002064	ग्राम पंचायत ठेंगाभाठ	ठेंगाभाठ	110.11	1	1.7	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
45	432002016	शीतला महिला स्व सहा समूह	तितुरघाट	80.52	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
46	432002118	शीतला महिला स्व सहा समूह	गोबरा	59.91	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
47	431011006	जय संतोषी मां देवी महिला स्व सहा समूह	अहिवारा	576.58	0.34	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

क्रं	दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालन स्थल	कमी पाई गई खादयात्र की मात्रा (किटल में)			की गई कार्यवाही
				चावल	शक्कर	नमक	
48	432002058	संतोष जय महिला स्व सहा समूह	नंदनीखुंदरी	410.09	4.52	5.77	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
49	432002071	जय महिला स्व सहा समूह	पिठोरा	140.61	0	0	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
50	432004037	महामाया प्रा0उप0भंडार मर्ण अमेरी	लोहरसी	143.79	3.94	4.74	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
51	432004016	गंगा महिला स्व सहा समूह गभरा	पतोरा	201.43	निरंक	3.14	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
52	432004097	जय दुर्गा सेवा समिति महुदा	कौही	115.82	निरंक	3.00	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
53	432004100	ग्राम पंचायत केसरा	केसरा	249.31	3.07	14.52	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
54	432004101	संतोष ग्राम पंचायत केसरा	बोरेदा	122.77	5.37	2.68	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
55	432004096	दुर्ग जिला सतनामी कल्याण संघ	असोगा	231.04	0.009	4.33	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
56	432004097	जय दुर्गा सेवा समिति महुदा	कौही	288.89	0.22	6.42	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
57	432001026	मां प्राथमिक उपभोक्ता भंडार पुरई	पुरई	170.34	2.8	0.00	उचित मूल्य दुकान संचालन एजेंसी निर्लंबित किया गया वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
58	432001040	जय दुर्गा सह0 प्रा0उप0भंडार घुघसीडीह	घुघसीडीह	358.76	2.71	5.79	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन

क्रं	दुकान आई डी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान का नाम	संचालन स्थल	कमी पाई गई खादयात्र की मात्रा (किटल में)			की गई कार्यवाही
				चावल	शक्कर	नमक	
59	432001018	मां भवानी स्वायत्त सहकारी उपभोक्ता भंडार	उतई	8.98	0	0.00	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
60	431012022	सुरभि महिला स्व सहा समूह उतई	उतई	46.35	0	0.00	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
61	432001050	निषाद महिला स्व सहा समूह	अंजोरा ख	35.17	0.44	4.81	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन
62	432001033	संलग्न सुरभि महिला स्व सहा समूह	मतवारी	62.98	0.35	0.00	दुकान संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कार्यवाही प्रक्रियाधीन

Prat
सहायक संचालक
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
 संचालनालय, नवा रायपुर

Prat
अनुभाग अधिकारी
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विकास
 मंत्रालय, नवा रायपुर, छटखो नगर

परीक्षित - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 987) की जानकारी

प्रपत्र

राज्य में वन स्टॉप सेंटर के द्वारा किये गये कार्य

क्र०	जिले का नाम	जिले में संचालित केन्द्र की संख्या	व्यय राशि			कुल योग	विगत 03 वर्ष में लाभान्वित महिला एवं बच्चे						कुल योग	
			2023-24	2024-25	2025-26		2023-24		2024-25		2025-26			
							महिला	बच्चे	महिला	बच्चे	महिला	बच्चे	महिला	बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बस्तर	1	1810607	2075395	3104960	6990962	187	6	198	0	415	1	800	7
2	बीजापुर	1	1876147	1899606	3474405	7250158	87	19	69	27	123	42	279	88
3	बिलासपुर	2	1688600	1671159	2564396	5924155	222	3	285	0	589	0	1096	3
4	बेमेत्रा	1	2294808	2068517	4095833	8459158	231	30	232	31	230	38	693	99
5	बालोद	1	2254877	4805611	3558589	10619077	186	10	194	12	329	15	709	37
6	बलरामपुर	1	2346154	2276927	3200000	7823081	124	21	156	45	228	31	508	97
7	बलौदाबाजार	2	2300109	1032142	3100053	6432304	147	61	200	53	295	51	642	165
8	दुर्ग	2	2215231	2238606	3914493	8368330	438	84	505	78	2399	79	3342	241
9	दत्तेवाड़ा	1	2118454	1942798	3309546	7370798	142	15	193	14	169	9	504	38
10	धमतरी	1	2068105	2061393	3807454	7936952	241	12	248	14	253	16	742	42
11	गरियाबंद	1	2362479	2232033	4234082	8828594	265	16	205	12	262	28	732	56
12	जशपुर	1	2381353	986466	2938145	6305964	109	8	108	0	115	0	332	8
13	जांजगीर	2	2555154	1596415	3033744	7185313	187	52	95	50	294	71	576	173
14	कोरबा	2	1941681	2579899	3100000	7621580	218	3	254	2	655	4	1127	9
15	कोरिया	1	1765862	4074292	2488468	8328622	37	26	18	42	28	44	83	112
16	कोकर	2	1833595	2042487	2278375	6154457	156	0	171	0	165	0	492	0
17	कबीरधाम	1	2033731	2231667	1225510	5490908	162	54	145	44	211	45	518	143
18	कोण्डागांव	1	2057574	2986141	3198516	8242231	192	0	216	0	189	0	597	0
19	महासमुंद	1	1750930	1990627	2845164	6586721	105	6	133	11	182	22	420	39
20	मुंगेली	1	1107890	265027	2326148	3699065	127	20	135	14	144	18	406	52
21	नारायणपुर	1	1191160	1450968	2999187	5641315	99	26	96	32	165	49	360	107
22	रायपुर	2	1627632	2616461	4526368	8770461	624	24	583	5	1180	7	2387	36
23	रायगढ़	2	2243751	2081310	3063796	7388857	188	9	199	4	368	14	755	27

क्र०	जिले का नाम	जिले में संचालित केन्द्र की संख्या	व्यय राशि			कुल योग	विगत 03 वर्ष में लाभान्वित महिला एवं बच्चे						कुल योग	
			2023-24	2024-25	2025-26		2023-24		2024-25		2025-26			
							महिला	बच्चे	महिला	बच्चे	महिला	बच्चे	महिला	बच्चे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	राजनांदगांव	2	1838788	1272690	3528009	6639487	174	15	254	27	258	25	686	67
25	सुकमा	1	1649982	2103446	2870771	6624199	171	0	124	0	188	0	483	0
26	सूरजपुर	1	2316611	1682871	3980358	7979840	221	117	195	139	201	168	617	424
27	सरगुजा	1	2033956	1048353	3900000	6982309	173	5	162	1	506	4	841	10
28	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर	1	0	0	2698607	2698607	0	0	0	0	20	46	20	46
29	खैरागढ़-छुईखदान- गडई	1	0	0	1937382	1937382	0	0	0	0	47	7	47	7
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	1	0	0	1474627	1474627	0	0	0	0	49	4	49	4
31	सक्ती	1	0	0	2056415	2056415	0	0	0	0	100	18	100	18
32	गौरीला-पेण्डा- मरवाही	1	0	0	1831380	1831380	0	0	0	0	88	6	88	6
33	मोहला-मानपुर- चौकी	1	0	0	998223	998223	0	0	0	0	12	8	12	8
कुल योग:-		42	53665221	55313307	97663004	206641532	5213	642	5373	657	10457	870	21043	2169

परीशिष्ट - तेरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 1001) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों की अद्यतन स्थिति

क्र	विधानसभा का नाम	परियोजना का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का नाम	स्वीकृति वर्ष	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम	जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पत्थलगांव	पत्थलगांव	शहीद भगत सिंह वार्ड	कोलढोड़ी	2025-26	-	-
2	पत्थलगांव	पत्थलगांव	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	कोसमपारा	2025-26	-	-
3	पत्थलगांव	पत्थलगांव	अम्बेडकर नगर वार्ड	-	-	अम्बेडकरनगर	-
4	पत्थलगांव	पत्थलगांव	लोकमान्य तिलक वार्ड	जशपुर रोड	2025-26	-	-
5	पत्थलगांव	पत्थलगांव	चन्द्रशेखर वार्ड	ढोडीटिकरा	2025-26	-	-
6	पत्थलगांव	पत्थलगांव	सुखरापारा	कठरापारा	2024-25	-	-
7	पत्थलगांव	पत्थलगांव	सुखरापारा	-	-	खालपारा	-
8	पत्थलगांव	पत्थलगांव	सुरेशपुर	-	-	चट्टानपारा	-
9	पत्थलगांव	पत्थलगांव	सुसडेगा	-	-	कसईसिरमा	-
10	पत्थलगांव	पत्थलगांव	सुसडेगा	नदीपारा	2024-25	-	-
11	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बहनांटांगर	-	-	परसापारा	-
12	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बहनांटांगर	-	-	लाईनपारा	-
13	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बहनांटांगर	लोटापारा	2024-25	-	-
14	पत्थलगांव	पत्थलगांव	जामजुनवानी	गिरजापारा	2024-25	-	-
15	पत्थलगांव	पत्थलगांव	महआदरहा	महआदरहा	2024-25	-	-
16	पत्थलगांव	पत्थलगांव	खरकटटा	खरकटटा	2024-25	-	-
17	पत्थलगांव	पत्थलगांव	खरकटटा	-	-	लालमाटी	-
18	पत्थलगांव	पत्थलगांव	खरकटटा	सुकबासुपारा:खर0दध	2024-25	-	-
19	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बालाझर	बालाझर	2024-25	-	-
20	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बालाझर	कोरवापारा	2024-25	-	-
21	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बालाझर	कोरवापारा.2	2024-25	-	-
22	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बालाझर	बैगापारा	2024-25	-	-
23	पत्थलगांव	पत्थलगांव	गाला	गाला	2024-25	-	-
24	पत्थलगांव	पत्थलगांव	गाला	-	-	गोपीपारा	-
25	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बूढाडांड	सतनामीपारा	2024-25	-	-
26	पत्थलगांव	पत्थलगांव	शिवपुर	-	-	शिवपुर	-
27	पत्थलगांव	पत्थलगांव	शिवपुर	फिटिंगपारा	2024-25	-	-
28	पत्थलगांव	पत्थलगांव	डुङ्गजोर	-	-	सारसमाल	-
29	पत्थलगांव	पत्थलगांव	डुङ्गजोर	-	-	सागजोर	-
30	पत्थलगांव	पत्थलगांव	डुङ्गजोर	-	-	केवटापारा	-
31	पत्थलगांव	पत्थलगांव	डुङ्गजोर	बादीपारा:डुङ्गदध	2024-25	-	-
32	पत्थलगांव	पत्थलगांव	झक्कड़पुर	जंगलपारा	2024-25	-	-
33	पत्थलगांव	पत्थलगांव	झक्कड़पुर	नौचेपारा ;झक्कड़पुरदध	2024-25	-	-
34	पत्थलगांव	पत्थलगांव	पालीडीह	-	-	लाखझार	-
35	पत्थलगांव	पत्थलगांव	किलकिला	-	-	उरांवपारा	-
36	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बट्टराकछार	बट्टराकछार	2024-25	-	-
37	पत्थलगांव	पत्थलगांव	बट्टराकछार	जुनाडीह	2024-25	-	-
38	पत्थलगांव	पत्थलगांव	जोराडील	खालपारा	2024-25	-	-
39	पत्थलगांव	पत्थलगांव	इंजको	-	-	सुकबासुपारा	-
40	पत्थलगांव	पत्थलगांव	इंजको	नवापारा	2024-25	-	-
41	पत्थलगांव	पत्थलगांव	कुमेकेला	हरिजनपारा	2024-25	-	-
42	पत्थलगांव	पत्थलगांव	कुमेकेला	पटेलपारा	2024-25	-	-
43	पत्थलगांव	पत्थलगांव	तिलडेगा	सड़कपारा	2024-25	-	-
44	पत्थलगांव	पत्थलगांव	तिलडेगा	तालाबपारा	2024-25	-	-
45	पत्थलगांव	पत्थलगांव	करमीटिकरा	घुट्टरापारा	2024-25	-	-
46	पत्थलगांव	पत्थलगांव	करमीटिकरा	-	-	लाखटिकरा	-
47	पत्थलगांव	पत्थलगांव	करमीटिकरा	-	-	बगीचापारा	-
48	पत्थलगांव	पत्थलगांव	करमीटिकरा	-	-	बरपारा	-
49	पत्थलगांव	पत्थलगांव	करमीटिकरा	अमलीपारा ;चिडरापारादध	2024-25	-	-
50	पत्थलगांव	पत्थलगांव	मिजीपुर	मिजीपुर	2024-25	-	-
51	पत्थलगांव	पत्थलगांव	मक्कापुर	मक्कापुर	2024-25	-	-
52	पत्थलगांव	पत्थलगांव	मिजीपुर	-	-	घुईपारा	-
53	पत्थलगांव	पत्थलगांव	मक्कापुर	नगड़ापारा	2024-25	-	-
54	पत्थलगांव	पत्थलगांव	मक्कापुर	-	-	प्रधानपारा	-
55	पत्थलगांव	पत्थलगांव	केराकछार	रैहापारा	2024-25	-	-
56	पत्थलगांव	पत्थलगांव	केराकछार	घुट्टरीपारा	2024-25	-	-
57	पत्थलगांव	पत्थलगांव	केराकछार	सुकबासुपारा	2024-25	-	-
58	पत्थलगांव	लुङ्गे	शेखरपुर	-	-	रोगहापारा	-
59	पत्थलगांव	लुङ्गे	कडकलखजरी	-	-	बगईझरिया	-
60	पत्थलगांव	लुङ्गे	चंदरपुर	-	-	सुखबासुपारा	-
61	पत्थलगांव	लुङ्गे	डुमरबाहार	-	-	डुमरबाहार	-
62	पत्थलगांव	लुङ्गे	लोकेर	-	-	बिच्छोकानी	-
63	पत्थलगांव	लुङ्गे	पंगसवा	-	-	कोनापारा	-
64	पत्थलगांव	लुङ्गे	पंगसवा	-	-	फिटिंगपारा	-

क्र	विधानसभा का नाम	परियोजना का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का नाम	स्वीकृति वर्ष	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम	जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
65	पत्थलगांव	लुईग	पंगसवा	-	-	दरीपारा	-
66	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ापारा	-	-	झेरापारा	-
67	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ापारा	-	-	जहलीपारा	-
68	पत्थलगांव	लुईग	पाकरगांव	-	-	बैगापारा	-
69	पत्थलगांव	लुईग	लुईग	-	-	त्रिकटीपारा	-
70	पत्थलगांव	लुईग	लुईग	-	-	बंगलापारा	-
71	पत्थलगांव	लुईग	कछर	-	-	कछर	-
72	पत्थलगांव	लुईग	कच्छर	-	-	बीजापारा	-
73	पत्थलगांव	लुईग	लुईग	-	-	सेन्ट्रीबहार	-
74	पत्थलगांव	लुईग	छातासराई	-	-	छातासराई	-
75	पत्थलगांव	लुईग	छातासराई	-	-	घोईगोडा	-
76	पत्थलगांव	लुईग	रघुनाथपुर	-	-	रघुनाथपुर	-
77	पत्थलगांव	लुईग	रघुनाथपुर	-	-	कोतभियापारा	-
78	पत्थलगांव	लुईग	रघुनाथपुर	-	-	छुरीपहरी	-
79	पत्थलगांव	लुईग	बट्टराबहार	-	-	सरनापारा	-
80	पत्थलगांव	लुईग	बट्टराबहार	-	-	भदरापारा	-
81	पत्थलगांव	लुईग	बट्टराबहार	-	-	जुनापारा	-
82	पत्थलगांव	लुईग	घरजियाबथान	-	-	ठाकरमुड़ा	-
83	पत्थलगांव	लुईग	घरजियाबथान	-	-	सोखापारा	-
84	पत्थलगांव	लुईग	घरजियाबथान	-	-	घरजियाबथान	-
85	पत्थलगांव	लुईग	घरजियाबथान	-	-	बन्डोपारा	-
86	पत्थलगांव	लुईग	पीठाआमा	-	-	सोसोपारा	-
87	पत्थलगांव	लुईग	पीठाआमा	-	-	बंसापारा	-
88	पत्थलगांव	लुईग	खाडामाचा	-	-	चट्टानपारा	-
89	पत्थलगांव	लुईग	खाडामाचा	-	-	खाडामाचा	-
90	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	-	-	पाकेरडांड	-
91	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	-	-	डाइपानी	-
92	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	-	-	करीजोर	-
93	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	-	-	धनपारा	-
94	पत्थलगांव	लुईग	काडरो	-	-	काडरो	-
95	पत्थलगांव	लुईग	काडरो	-	-	धवईपारा	-
96	पत्थलगांव	लुईग	बिरिमडेगा	-	-	टोंगरीपारा	-
97	पत्थलगांव	लुईग	बगईझरिया	-	-	खालपारा	-
98	पत्थलगांव	लुईग	शेखरपुर	शेखरपुर	2024-25	-	-
99	पत्थलगांव	लुईग	पाकरगांव	घाटापारा	2024-25	-	-
100	पत्थलगांव	लुईग	दिवानपुर	लाईनपारा	2024-25	-	-
101	पत्थलगांव	लुईग	घरजियाबथान	बाजारपारा	2024-25	-	-
102	पत्थलगांव	लुईग	रघुनाथपुर	दांगदुंगपारा	2024-25	-	-
103	पत्थलगांव	लुईग	पण्डरीपानी	फिटिंगपारा	2024-25	-	-
104	पत्थलगांव	लुईग	चंदरपुर	कदमपारा	2024-25	-	-
105	पत्थलगांव	लुईग	महेशपुर	जंगलपारा	2024-25	-	-
106	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ापारा	माझापारा	2024-25	-	-
107	पत्थलगांव	लुईग	लुईग	बाजारपारा	2024-25	-	-
108	पत्थलगांव	लुईग	कछर	चिटकीपारा	2024-25	-	-
109	पत्थलगांव	लुईग	दीवानपुर	दीवानपुर	2024-25	-	-
110	पत्थलगांव	लुईग	कटंगजोर	कटंगजोर	2024-25	-	-
111	पत्थलगांव	लुईग	हल्दीझरिया	हल्दीझरिया	2024-25	-	-
112	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	मुड़ाबहला	2024-25	-	-
113	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	सुखबासपारा	2024-25	-	-
114	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ाबहला	बरपारा	2024-25	-	-
115	पत्थलगांव	लुईग	मुड़ापारा	बैगापारा	2024-25	-	-
116	पत्थलगांव	लुईग	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	2024-25	-	-
117	पत्थलगांव	लुईग	पण्डरीपानी	बस्तीपारा	2024-25	-	-
118	पत्थलगांव	लुईग	बंधनपुर	बंधनपुर	2024-25	-	-
119	पत्थलगांव	लुईग	बनगांव बी	सुखबासपारा	2024-25	-	-
120	पत्थलगांव	लुईग	सुरजगढ़	सुरजगढ़	2024-25	-	-
121	पत्थलगांव	लुईग	चौराआमा	गोडपारा	2024-25	-	-
122	पत्थलगांव	लुईग	टंकपखना	बर्मडियापारा	2024-25	-	-
123	पत्थलगांव	लुईग	बिरिमडेगा	बिरिमडेगा	2024-25	-	-
124	पत्थलगांव	लुईग	बट्टराबहार	बट्टराबहार	2024-25	-	-
125	पत्थलगांव	बगीचा	करीग	करीग	2024-25	करीग	11.69
126	पत्थलगांव	बगीचा	करीग	-	-	महादेवडांड	-
127	पत्थलगांव	बगीचा	करीग	दरीपारा	2024-25	दरीपारा	11.69
128	पत्थलगांव	बगीचा	करीग	-	-	राईपारा	-
129	पत्थलगांव	बगीचा	करीग	-	-	इमरकोना	-
130	पत्थलगांव	बगीचा	गडलू	-	-	बादपारा	-
131	पत्थलगांव	बगीचा	करीग	सरईपारा	2024-25	-	-
132	पत्थलगांव	बगीचा	बोडापहरी	अर्जनडांड	2024-25	-	-
133	पत्थलगांव	बगीचा	सरईपानी	-	-	सरईपानी	-
134	पत्थलगांव	बगीचा	घोघर	-	-	टाटीकोना	-

क्र	विधानसभा का नाम	परियोजना का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का नाम	स्वीकृति वर्ष	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम	जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
135	पत्थलगांव	बगीचा	घोघर	-	-	बासेन।।	-
136	पत्थलगांव	बगीचा	महवाडीह	-	-	महवाडीह	-
137	पत्थलगांव	बगीचा	रैगोला	सतीखार	2024-25	-	-
138	पत्थलगांव	बगीचा	घोघर	बिहीटोली	2024-25	-	-
139	पत्थलगांव	बगीचा	महवाडीह	बैलडैगी	2024-25	-	-
140	पत्थलगांव	बगीचा	मरोल	-	-	मरोल	-
141	पत्थलगांव	बगीचा	समदुरा	समदुरा	2024-25	समदुरा	11.69
142	पत्थलगांव	कांसाबेल	कांसाबेल	बनखेता	2024-25	-	-
143	पत्थलगांव	कांसाबेल	फरसाजुनगाईन	मुडाटोली	2024-25	-	-
144	पत्थलगांव	कांसाबेल	झंडपानी	झंडपानी	2024-25	-	-
145	पत्थलगांव	कांसाबेल	झंडपानी	सुखबासूपारा	2024-25	-	-
146	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	-	-	चुल्हापानी	-
147	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	-	-	टोंगरीटोली	-
148	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	-	-	केवन्टीडाड	-
149	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	-	-	उरावटोली	-
150	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	नौचपारा	2024-25	-	-
151	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	टोंगरीबस्ती	2024-25	-	-
152	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	बांदनडाड	2024-25	-	-
153	पत्थलगांव	कांसाबेल	बटईकेला	लालगोडा	2024-25	-	-
154	पत्थलगांव	कांसाबेल	नकबार	-	-	मरचईढोढी	-
155	पत्थलगांव	कांसाबेल	नकबार	कोकोन्दी	2024-25	-	-
156	पत्थलगांव	कांसाबेल	नकबार	जंगलटोली	2024-25	-	-
157	पत्थलगांव	कांसाबेल	नकबार	-	-	नौमपारा	-
158	पत्थलगांव	कांसाबेल	नकबार	-	-	दुदरूगा	-
159	पत्थलगांव	कांसाबेल	कसमताल	नईननगर	2024-25	-	-
160	पत्थलगांव	कांसाबेल	साजापानी	-	-	-	-
161	पत्थलगांव	कांसाबेल	साजापानी	सोनारपहरी	2024-25	-	-
162	पत्थलगांव	कांसाबेल	साजापानी	-	-	सुखबासूपारा	-
163	पत्थलगांव	कांसाबेल	साजापानी	सोलपानी	2024-25	-	-
164	पत्थलगांव	कांसाबेल	साजापानी	चट्टानपारा	2024-25	-	-
165	पत्थलगांव	कांसाबेल	सागीभवना	-	-	-	-
166	पत्थलगांव	कांसाबेल	सागीभवना	-	-	गतिमहआ	-
167	पत्थलगांव	कांसाबेल	सागीभवना	-	-	-	-
168	पत्थलगांव	कांसाबेल	सागीभवना	मुडाटोली	2024-25	-	-
169	पत्थलगांव	कांसाबेल	सागीभवना	-	-	केनाडाड	-
170	पत्थलगांव	कांसाबेल	कोडलिया	बैगाटोली	2024-25	-	-
171	पत्थलगांव	कांसाबेल	कोडलिया	-	-	पोगद	-
172	पत्थलगांव	कांसाबेल	कोडलिया	डीपाटोली	2024-25	-	-
173	पत्थलगांव	कांसाबेल	कोडलिया	बिरहोरबस्ती	2024-25	-	-
174	पत्थलगांव	कांसाबेल	बरजोेर	टाटीटोली	2024-25	-	-
175	पत्थलगांव	कांसाबेल	हथगडा	केन्दुटोली	2024-25	-	-
176	पत्थलगांव	कांसाबेल	पूसरा	अम्बाधार	2024-25	-	-
177	पत्थलगांव	कांसाबेल	पूसरा	-	-	बगईटोली	-
178	पत्थलगांव	कांसाबेल	पूसरा	झरियाडीपा	2024-25	-	-
179	पत्थलगांव	कांसाबेल	पूसरा	खरवाटोली	2024-25	-	-
180	पत्थलगांव	कांसाबेल	पोगरो	-	-	नवाटोली	-
181	पत्थलगांव	कांसाबेल	चिडोरा	बरटोली	2024-25	-	-
182	पत्थलगांव	कांसाबेल	चिडोरा	सरनापारा	2024-25	-	-
183	पत्थलगांव	दोकडा	दोकडा	बहलाटोली	2024-25	-	-
184	पत्थलगांव	दोकडा	गरियादोहर	गरियादोहर	2024-25	-	-
185	पत्थलगांव	दोकडा	पतरापाली	भण्डारीटोली	2024-25	-	-
186	पत्थलगांव	दोकडा	पतरापाली	पकरीटोली	2024-25	-	-
187	पत्थलगांव	दोकडा	देवरी	देवरी	2024-25	-	-
188	पत्थलगांव	दोकडा	देवरी	मैनाडिपा	2024-25	-	-
189	पत्थलगांव	दोकडा	मूसकटी	-	-	मूसकटी	-
190	पत्थलगांव	दोकडा	रजौटी	राजौटी	2024-25	-	-
191	पत्थलगांव	दोकडा	रजौटी	मांझाटोली	2024-25	-	-
192	पत्थलगांव	दोकडा	बांसबहार	मांझाटोली	2024-25	-	-
193	पत्थलगांव	दोकडा	बांसबहार	पकरीटोली	2024-25	-	-
194	पत्थलगांव	दोकडा	चोंगरीबहार	साहपारा	2024-25	-	-
195	पत्थलगांव	दोकडा	कोरगा	मांझीटोली	2024-25	-	-
196	पत्थलगांव	दोकडा	कोरगा	नवाटोली	2024-25	-	-
197	पत्थलगांव	दोकडा	जमईकेला	इमरपानी	2024-25	-	-
198	पत्थलगांव	दोकडा	शब्दमुंडा	सुखबासुटोली	2024-25	-	-
199	पत्थलगांव	दोकडा	टाटीडाड	भड़गाटोली	2024-25	-	-
200	पत्थलगांव	दोकडा	तिलगा	-	-	तिलगा	-
201	पत्थलगांव	दोकडा	तिलगा	-	-	सिहारजोरी	-

क्र	विधानसभा का नाम	परियोजना का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का नाम	स्वीकृति वर्ष	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम	जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
202	पत्थलगांव	दोकडा	तिलगा	सुखबासुपारा	2024-25	-	-
203	पत्थलगांव	दोकडा	तिलगा	भेलवाडिपा	2024-25	-	-
204	पत्थलगांव	दोकडा	नक्टीमंडा	बनखेता	2024-25	-	-
205	पत्थलगांव	दोकडा	सेमरकछार	-	-	सेमरकछार	-
206	पत्थलगांव	दोकडा	लपई	-	-	लपई	-
207	पत्थलगांव	दोकडा	सेमरकछार	खडियापारा	2024-25	-	-
208	पत्थलगांव	दोकडा	नारायनबहली	नारायणबहली	2024-25	-	-
209	पत्थलगांव	दोकडा	चेटबा	बरटोली	2024-25	-	-
210	पत्थलगांव	दोकडा	नारायनबहली	जटाटोली	2024-25	-	-
211	पत्थलगांव	दोकडा	खुटीटोली	मंडाटोली	2024-25	-	-
212	पत्थलगांव	दोकडा	सिकरिया	-	-	सिकरिया	-
213	पत्थलगांव	दोकडा	सिकरिया	-	-	बनटोली	-
214	पत्थलगांव	दोकडा	छेराघोघरा	-	-	छेराघोघरा	-
215	पत्थलगांव	दोकडा	छेराघोघरा	बैगाटोली	2024-25	-	-
216	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	-	-	बिछितोला	-
217	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	बनमंडा	2024-25	-	-
218	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	-	-	परहाटोली	-
219	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	कूरियाकानी	2024-25	-	-
220	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	-	-	उरांवपारा	-
221	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	गांधीचौक	2024-25	-	-
222	पत्थलगांव	बागबहार	बागबहार	तारकेला	2024-25	-	-
223	पत्थलगांव	बागबहार	मकारचुवा	देवापारा	2024-25	-	-
224	पत्थलगांव	बागबहार	जमरगी	जमरगी	2024-25	-	-
225	पत्थलगांव	बागबहार	जमरगी	-	-	झरपराव	-
226	पत्थलगांव	बागबहार	जमरगी	जनादिह	2024-25	-	-
227	पत्थलगांव	बागबहार	जामझोर	समदूरपारा	2024-25	-	-
228	पत्थलगांव	बागबहार	जामझोर	गांधीचौकआँ	2024-25	-	-
229	पत्थलगांव	बागबहार	नायकोकियाखर	नायकोकियाखर	2024-25	-	-
230	पत्थलगांव	बागबहार	मयूरनाचा	मयूरनाचा	2024-25	-	-
231	पत्थलगांव	बागबहार	मयूरनाचा	सुकबसु पारा	2024-25	-	-
232	पत्थलगांव	बागबहार	मयूरनाचा	भेलवाटोली	2024-25	-	-
233	पत्थलगांव	बागबहार	मयूरनाचा	-	-	नवातौली	-
234	पत्थलगांव	बागबहार	खुतापानी	भाटापारा	2024-25	-	-
235	पत्थलगांव	बागबहार	खुतापानी	नमक खार	2024-25	-	-
236	पत्थलगांव	बागबहार	खुतापानी	-	-	रोकबहार	-
237	पत्थलगांव	बागबहार	रोकबहार	-	-	इमली पारा	-
238	पत्थलगांव	बागबहार	रोकबहार	-	-	महआपारा	-
239	पत्थलगांव	बागबहार	खजरी धब	खजरीधब	2024-25	-	-
240	पत्थलगांव	बागबहार	खजरी धब	भेलवा गोडा	2024-25	-	-
241	पत्थलगांव	बागबहार	सागरपाली	-	-	सागरपाली	-
242	पत्थलगांव	बागबहार	सागरपाली	साराईगोडा	2024-25	-	-
243	पत्थलगांव	बागबहार	फारसटोली	सुकबासुपारा	2024-25	-	-
244	पत्थलगांव	बागबहार	गोलियागढ़	पक्रिटोला	2024-25	-	-
245	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	चिकनिपानी	2024-25	-	-
246	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	-	-	करीडैंड	-
247	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	सिकतापारा	2024-25	-	-
248	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	दरौपारा	2024-25	-	-
249	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	बडखापारा	2024-25	-	-
250	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	-	-	चट्टानपारा	-
251	पत्थलगांव	बागबहार	चिकनिपानी	इमालिपारा	2024-25	-	-
252	पत्थलगांव	बागबहार	ककरभुका	-	-	बिरनिटोला	-
253	पत्थलगांव	बागबहार	ककरभुका	बारपारा	2024-25	-	-
254	पत्थलगांव	बागबहार	ककरभुका	-	-	मिशानपारा	-
255	पत्थलगांव	बागबहार	ककरभुका	भैसबुद	2024-25	-	-
256	पत्थलगांव	बागबहार	ककरभुका	-	-	बसोदपारा	-
257	पत्थलगांव	बागबहार	ककरभुका	-	-	कोयलापहरी	-
258	पत्थलगांव	बागबहार	ककरिचौली	ककरिचौली	2024-25	-	-
259	पत्थलगांव	बागबहार	ककरिचौली	-	-	खमतराई	-
260	पत्थलगांव	बागबहार	सरैतोला	-	-	सरैतोला	-
261	पत्थलगांव	बागबहार	सरैतोला	काशीपारा	2024-25	-	-
262	पत्थलगांव	बागबहार	सरैतोला	-	-	बारपारा	-
263	पत्थलगांव	बागबहार	सरैतोला	-	-	पंडारिपारा	-
264	पत्थलगांव	बागबहार	सुरगपानी	-	-	सीतानगरपार	-
265	पत्थलगांव	बागबहार	सुरगपानी	-	-	बेहरादिह	-
266	पत्थलगांव	बागबहार	कराबेवरा	सुगापारा	2024-25	-	-
267	पत्थलगांव	बागबहार	कराबेवरा	पखनापारा	2024-25	-	-
268	पत्थलगांव	बागबहार	राजामा	तुनिमूदा	2024-25	-	-
269	पत्थलगांव	बागबहार	राजामा	चाचेरदंड	2024-25	-	-
270	पत्थलगांव	बागबहार	राजामा	खामगाडा	2024-25	-	-
271	पत्थलगांव	बागबहार	बुलडेगा	-	-	बिरहोरपारा	-

क्र	विधानसभा का नाम	परियोजना का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का नाम	स्वीकृति वर्ष	जर्जर आंगनबाड़ी केन्द्र के नाम	जर्जर आंगनबाड़ी भवन के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
272	पत्थलगांव	बागबहार	बलडेगा	दरीपारा	2024-25	-	-
273	पत्थलगांव	बागबहार	घोघरा	-	-	लकरामूदा	-
274	पत्थलगांव	बागबहार	सुरंगपाली	भुइहरपारा	2024-25	-	-
275	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	कोटबा	2025-26	-	-
276	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	तिलगोडा	2025-26	-	-
277	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	अस्पतालपारा	2025-26	-	-
278	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	बेहरामड़ा	2025-26	-	-
279	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	इमलीपारा	2025-26	-	-
280	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	गुरुघासिदासपारा	2025-26	-	-
281	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	झिगरेलपारा	2025-26	-	-
282	पत्थलगांव	बागबहार	एन.पी.कोटबा	इंदिरापारा	2025-26	-	-
योग			-	166	-	116	3

परिशेष - चोरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 78 (क्र. 1008) की जानकारी

प्रपत्र-अ

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं भवन निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति										नगरीय निकाय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण									
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अभिसरण से भवन निर्माण																			
वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि प्रतिशत	भौतिक स्थिति			वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि प्रतिशत	भौतिक स्थिति				
						अप्रारंभ	अपूर्ण	पूर्ण							अप्रारंभ	अपूर्ण	पूर्ण		
2022-23	83375000	0	575	0	0	0	0	0	2022-23	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023-24	780000000	780000000	3900	3350	86%	209	1686	1455	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024-25	240000000	0	1200	0	0	0	0	0	2024-25	15000000	14028000	12	12	100%	2	5	5		
2025-26	400000000	0	2000	0	0	0	0	0	2025-26	180000000	45000000	150	150	100%	17	133	0		

टीप :- वित्तीय वर्ष 2022-23, 2024-25 एवं 2025-26 में उपरोक्तानुसार बजट प्रावधान किया गया था किन्तु भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा अभिसरण से आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति जारी नहीं की गई।

प्रपत्र-ब

आंगनवाड़ियों का सुधार एवं भवन निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

पी एम जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत भवन									
क्र	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	व्यय	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि प्रतिशत	अप्रारंभ	अपूर्ण	पूर्ण
1	2022-23	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2024-25	64800000	63126000	54	54	100%	0	14	40
4	2025-26	134700000	131476000	133	133	100%	2	115	16

परिशेष - पच्चासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 (क्र. 1009) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	जिले का नाम	संचालित पालना केन्द्रों की संख्या (15 जून की स्थिति में)
1	बस्तर	4
2	बलौदाबाजार	8
3	बालोद	6
4	बिलासपुर	19
5	बलरामपुर	2
6	बीजापुर	1
7	दन्तेवाड़ा	6
8	धमतरी	7
9	दुर्ग	16
10	गरियाबंद	8
11	जशपुर	1
12	जांजगीर	5
13	कांकेर	2
14	कोरबा	16
15	कोण्डागांव	2
16	कबीरधाम	3
17	कोरिया	2
18	मुंगेली	2
19	महासमुंद	6
20	नारायणपुर	1
21	राजनांदगांव	10
22	रायपुर	33
23	रायगढ़	11
24	सरगुजा	2
25	सूरजपुर	4
26	सुकमा	1
27	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	2
28	मोहला मानपुर अं. चौकी	1
29	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	1
30	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	2
31	सारंगढ़ बिलाईगढ़	2
32	बेमेतरा (संचालित नहीं है)	0
33	सक्ती (संचालित नहीं है)	0
योग		186

प्रपत्र-ब

क्र	वर्ष	भारत शासन से प्राप्त राशि
1	2023-2024	197478000
2	2024-2025	0
3	2025-2026	21690000
4	2026-2027	15256200
योग		234424200

प्रपत्र-स

क्रं	कार्यो व सामग्रियो में व्यय का विवरण		राशि
1	अनावर्ती मद	एकमुश्त स्थापना लागत	9859785
2	आवर्ती मद	आ.बा कार्यकर्ता/ सहायिका का भत्ता	4308314
3		पालना कार्यकर्ता/ सहायिका का मानदेय	12854781
4		पूरक पोषण आहार	5681894
5		किराया	7121048
6		प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा संबंधी सामग्री	628121
7		खेल सामग्री	1038921
8		मेडिकल किट	58403
9		अन्य व्यय	1399660
योग		आवर्ती मद	33091142
		अनावर्ती मद	9859785
महायोग			42950927